रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2006/आश्विन 7, 1928
No. 149] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2006/ASVINA 7, 1928

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2006

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

संख्या 1 सीए (5)/57/2006.—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (5) की व्यवस्थाओं के अनुसार 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् आफ इंडिया की परिषद् की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) तथा अंकेक्षित लेखा की एक प्रति सर्वसाधारण की सूचना हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है ।

57वीं वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान की परिषद् को 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष की 57वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है । भारतीय चार्टर्ड काउन्टेन्ट्स संस्थान (आईसीएआई), जिसकी स्थापना, 1 जुलाई, 1949 को संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी, इस वर्ष के दौरान अपनी स्थापना के 57वें वर्ष में प्रवेश कर गया है । परिषद् इस संस्थान की इस प्रतिष्ठा के लिए सदस्यों और छात्रों की प्रशंसा करती है जो चार्टर्ड अकाउंटैंसी वृत्ति को आज समाज में प्राप्त है । इसे सभी सदस्यों और छात्रों द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्टता, स्वतंत्रता और अखंडता के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया है ।

सार्वभौमिकता ने विश्व भर में अर्थव्यवस्था की पद्धति को बदल दिया है । आज कोई भी अर्थव्यवस्था संकीर्ण होकर नहीं रह सकती । सर्विस सेक्टर जो कि अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं का बृहत्तम और सबसे अधिक फैलने वाला सेक्टर है, विकास के प्रत्येक स्तर पर देशों की आर्थिक गतिविधियों पर लगातार छाया हुआ है । रुझान स्पष्ट है, जैसे-जैसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकसित होगी और आय में वृद्धि होगी, वैसे ही जीडीपी का एक बड़ा भाग वाणिज्यिक सर्विस सेक्टर को प्राप्त होता है । भारत में भी सर्विस सेक्टर का अंश 2005-2006 में जीडीपी का 50 प्रतिशत से अधिक रहा है । सर्विस का निर्यात भी विश्व में सबसे अधिक तेज दर से वृद्धि करने वाला

सेक्टर है । सेवाओं के व्यापक प्रकारों में भारत के प्रतिभाशाली व्यवसायियों की उपलब्धता के परिणामस्वरूप, भारत को सेवाएं निर्यात करने में अच्छा कौशल प्राप्त है ।

आईसीएआई का विश्वास है कि सक्षम ढांचा उपलब्ध होने पर भारत में यह वृत्ति सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगी और इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी वृत्ति के रूप में विकसित होने के लक्षण विद्यमान हैं। मेक्रो और माईक्रो स्तर पर क्रियात्मक उपाय पहले से ही किए जा रहे हैं और सार्वभौमिक लेखाकर्म वृत्ति की सभी मांगों को पूरा करने के लिए इन्हें और गति प्रदान की जा रही है । प्राकृतिक उपसाध्य के रूप में इस वातावरण में चार्टर्ड लेखाकर्म की भूमिका बहुरूपी हो जाती है ऐसा हाल ही में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2006 में यथा समाविष्ट अनेक गुंजायमान उपबंधों के संबंध में विशेष रूप से हुआ है । आईसीएआई की दृष्टि से लेखाकर्म सेवाओं का प्रगतिशील उदारीकरण व्युतक्रम आधार पर होना चाहिए अर्थात् भारत में वृत्ति के लिए एक अवसर, ना की संकट के रूप में ।

इस परिप्रेक्ष्य में, रिपोर्ट में परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष 2005-2006 की महत्वपूर्ण गतिविधियों का उल्लेख किया गया है तथा संक्षेप में सितंबर, 2006 के प्रारम्भ तक का । रिपोर्ट में वर्ष के दौरान सदस्यों और छात्रों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं तथा सांख्यकीय रूप रेखा भी सम्मिलित की गई है । रिपोर्ट में परिषद् और उसकी विभिन्न समितियों की महत्वपूर्ण कार्यकलापों को प्रमुखता से अंकित किया गया है । रिपोर्ट में, आयोजित की गई संगोष्ठियों/सम्मलेनों, संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सदस्यों और छात्रों से संबंधित सुसंगत आंकड़ों एवं वर्ष 2005-2006 के संस्थान के लेखाओं को भी समाविष्ट किया है ।

1. परिषद्

उन्नीसवीं परिषद् का गठन तीन वर्ष के लिए 5 फरवरी, 2004 को किया गया । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 के निबंधनों के अनुसार परिषद् 30 सदस्यों से, 24 निर्वाचित सदस्यों और 6 केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनाई जानी चाहिए । वर्ष 2006-2007 वाली परिषद् की संरचना, जो 5 फरवरी, 2006 को प्रारंभ हुई, को अलग से दर्शाया गया है ।

वर्ष के दौरान परिषद द्वारा प्राप्त किया गया/देखा गया मील पत्थर, चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से किए गए अनेक संशोधन है । जैसा कि सदस्यों को विदित हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का अधि. सा. 38) 1 जुलाई, 1949 को प्रवृत्त हुआ था। बाद में, 1959 में, चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 1959 (1959 का अधि. सं. 15) द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए । इस प्रकार किए गए संशोधनों से कानून के बुनियादी ढांचे/स्कीम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया था ।

उसके पश्चात्, और अधिक विशिष्ट रूप से, वर्ष 1990 के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई उदारीकरण की नीति को दृष्टिगत करते हुए और मूल अधिनियम के बहुत से उपबंधों को क्रियान्वित करने में सुसंगत समय पर संस्थान के समक्ष आई कठिनाइयों/समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, मूल अधिनियम संशोधित करने की पहल की गई । अतः लगभग 47 वर्षों के पश्चात्, चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधि. स. 9) के माध्यम से मूल अधिनियम में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने 23 मार्च, 2006 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित कर दिया है ।

यद्यपि संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा किए गए संशोधनों की मुख्य विशेषताएं विस्तार से संस्थान की पत्रिका के मई, 2006 के अंक में प्रकाशित की जा चुकी हैं, फिर भी, सारकथन के प्रयोजन के लिए साधारण सूचनार्थ निम्नलिखित का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जा रहा है : -

- नया अनुशासनिक तंत्र (विद्यमान के स्थान पर) जो अन्य बातों के साथ-साथ परिषद् द्वारा अनुशासन बोर्ड के गठन, परिषद् द्वारा एक अनुशासनिक समिति के गठन और केन्द्रीय सरकार द्वारा एक अपील प्राधिकरण के गठन का उपबंध करता है ।
- परिषद् के सदस्यों की संख्या में वृद्धि ।
- सदस्यों द्वारा संदेय अनेक फीसें नियत करने की परिषद की शक्ति ।

- अधिनियम की अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कार्य और लोपों में परिवर्तन जिनमें सीमित विज्ञापन के जारी करने (परिषद द्वारा जारी किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत के अधीन), बहु अनुशासनिक भागीदारी आदि के उपबंध सम्मलित हैं ।
- भारत के भीतर या बाहर वृत्तिक सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए विनियमों में समय-समय पर विहित किए जाने वाले गैर-सदस्यों के कतिपय प्रवर्गों के साथ वृत्तिक कारबार की फीसें या लाभ में हिस्सेदारी (संस्थान के किसी सदस्य द्वारा) के लिए कोई वर्जन नहीं ।
- वृत्तिक कारबार विनियमों में समय-समय पर विहित किए जाने वाले गैर-सदस्यों के कतिपय प्रवर्गों के साथ वैसी ही अन्य व्यवस्थाओं के लाभ में अंश प्राप्त करने (संस्थान के किसी सदस्य द्वारा) के लिए कोई वर्जन नहीं । (स्थिति पूर्व के विपरीत)
- निम्नलिखित परिस्थितियों में रियायत प्राप्त याचना पर वर्जन -
  - यदि वह भ्रातृत्व के भीतर घटित हो
  - विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा जारी निविदाओं या पूछताछ के प्रत्युत्तर में
- कम दाम मांगने पर वर्जन समाप्त किया गया ।
- विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करना जिनके अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट (परिषद् के निर्वाचन) नियम, 2006 चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य दुराचार के अन्वेषण की प्रक्रिया, मामलों का संचालन और सदस्यों को भत्ते) नियम आदि सम्मलित हैं ।
- क्वालिटी पुनरीक्षा बोर्ड गठित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाना ।

2. परिषद् की समितियां

परिषद् ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अनुसार वृत्ति संबंधी विषयों के बारे में तीन स्थायी और विभिन्न अस्थायी समितियों का गठन 5 फरवरी,2006 को किया । तत्पश्चात् संसद द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 में किए जा रहे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए विद्यमान विनियमों के पूर्ण रुपेण पुनरीक्षण और उपयुक्त सुझाव देने के लिए एक विशेष प्रयोजन "कार्य समूह" का गठन किया गया । 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न समितियों की 182 बैठकें आयोजित की गईं, जबकि 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के दौरान 164 बैठकें की गईं थीं ।

3. लेखापरीक्षा

श्री शशी कुमार सीए और श्री मनु चड्ढा सी.ए. वर्ष 2005-2006 के लिए आईसीएआई के संयुक्त संरीक्षक थे । परिषद् उनकी सेवाओं की प्रशंसा करती है ।

4. स्थायी समितियां

4.1 कार्य - समिति

यह समिति छात्रों/सदस्यों/फर्मों से संबंधित विभिन्न रजिस्टर रखने, सदस्यों के प्रवेश, हटाए जाने और उनके पुनःस्थापन के कार्य की देख-रेख करती है, जिसमें व्यवसाय प्रमाण-पत्र के निर्गमन समेत सदस्यों से संबंधित विषयों पर छात्रों से संबंधित सब विषयों पर जिनमें उन्हें अनुज्ञा देना, जहां अपेक्षित हो, छात्रों/सदस्यों/फर्मों की ओर से किए गए विलम्ब की माफी, भी शामिल है, शाखाओं से संबद्ध विषयों, जिनमें नई शाखाएं खोलना, नए चैप्टर खोलना और विदेशों में कार्यालय खोलना तथा कर्मचारियों से संबंधित विषयों, लेखा रखने आदि विषयों पर भी यह समिति विचार करती है ।

समिति द्वारा परिषद् को की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं :

- केन्द्रीय सरकार के सैद्धान्तिक अनुमोदन की ईप्सा करते हुए शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम की बाबत, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 में प्रारूप संशोधन ।
- सामान्य प्रवीणता परीक्षा प्रारंभ करने में समर्थ होने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम हेतु केन्द्रीय सरकार के अंतिम अनुमोदन की ईप्सा करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 में प्रारूप संशोधन ।
- सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी), वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पीसीसी) और फाइनल पाठ्यक्रमों के विभिन्न विषयों की विषय-वस्तु को अंतिम रूप देना ।
- शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम से संबंधित प्रस्तावित नए विनियमों के क्रियान्वयन पर विद्यमान विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत छात्रों के लिए परिवर्तन स्कीम ।
- सीपीटी के लिए मौखिक कोचिंग कक्षाएं आयोजित करने के लिए प्रत्यायन नीति ।
- आबद्ध सहायकों को संदेय वृत्ति की पुनरीक्षित दरों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की ईप्सा करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 48 में प्रारूप संशोधन ।
- ऐसे सदस्य को जो व्यवसाय में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का या चार्टर्ड अकाउंटेंटों की फर्म का पूर्णकालिक वैतनिक कर्मचारी है चार्टर्ड अकाउंटेंटों की फर्म में भागीदार हो जाने के परिणामस्वरूप आबद्ध शिक्षार्थी को प्रशिक्षण देने के लिए अनुज्ञात करने की बाबत प्रारूप विनियम ।
- सदस्यों को अपने नाम के पूर्व "सीए" का प्रयोग अनुज्ञात करके वृत्ति की नवीनतम छवि ।
- सदस्यों/फर्म द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए सामान्य लोगो डिजाइन करना ।
- एमसीए-21 प्रमाणित फाइलिंग केन्द्रों के संबंध में नामपट्ट प्रदर्शित करने पर मार्गदर्शक सिद्धांत ।
- व्यष्टिक व्यवसाय के स्वत्वधारी फर्म में संपरिवर्तित हो जाने के मामलों और उसके गठन प्रमाण-पत्र जारी किए जाने से संबंधित मामले में समझी गई ज्येष्ठता प्रदान करना ।
- विदेश में संस्थान के चेप्टरों के कार्यकरण पर पुनरीक्षित मार्गदर्शक सिद्धांत ।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्मों के विलयन की स्कीम पर नया स्पष्टीकरण ।
- चार्टर्ड अकाउंटेंटों की फर्मों के वेबसाइट के साथ संस्थान के डोमेन नाम 'आईसीएआई - आईएन' में हिस्सेदारी ।
- निगमित फार्म में व्यवसाय करने की अनुज्ञा और उसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत ।
- विशिष्ट स्थानों पर उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना ।
- संस्थान के ऐसे सदस्यों के लिए आज्ञापक सीपीई जो व्यवसाय में नहीं हैं ।
- संस्थान के सदस्यों के लिए ड्रेस कोड ।
- व्यष्टियों, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए परामर्शी प्रबंध पर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना ।
- ऐसे आईसीएआई सदस्यों को जो एआईसीपीए के भी सदस्य हैं, सीपीए के रूप में वित्तीय विवरण प्रमाणित करने के लिए अनुज्ञात करना ।
- संस्थान के सदस्यों को क्रेडिट कार्ड जारी करना ।
- पश्चिमी क्षेत्र में भडौच, नवी मुम्बई, पिम्परी-चिंचवाड; दक्षिणी क्षेत्र में बेल्लरी, ककिनाडा, राजामेहन्द्रावरम;

मध्य क्षेत्र में गोरखपुर, पूर्वी क्षेत्र में सम्बलपुर और उत्तरी क्षेत्र में संगरूर में शाखाएं स्थापित करना ।

- टोरोनोटो, कनाडा और मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया में संस्थान के चेप्टर स्थापित करना ।
- कोयम्बटूर में विकेन्द्रीकृत कार्यालय स्थापित करना ।
- भूमि अर्जन के लिए पृथक अनुदान और शाखाओं में कम्प्यूटर लेब स्थापित करने के लिए पृथक अनुदान सहित निर्माण अनुदानों का पुनरीक्षण ।
- सीपीई कार्यक्रमों को 'राष्ट्रीय', "अन्तर्राष्ट्रीय" और "अखिल भारतीय" प्रास्थिति प्रदान करने के लिए मानदंड ।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 24/24क/25/26 के उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए संस्थान के सदस्यों को नियोजित करने की रूपात्मकताएं ।
- अभिलेखों पर प्रविष्ट करने के लिए संस्थान के कानूनी फार्मों जैसे फार्म 2, फार्म 6 और फार्म 18 में पेन ब्यौरे उपलब्ध कराने की अपेक्षा समाविष्ट करने के लिए भी संस्थान के सदस्यों से पेन की अपेक्षा करने की साध्यता खोजना ।
- संस्थान के साथ निरंतर पचास (50) वर्ष की सदस्यता पूरी करने पर बधाई कार्ड जारी करना ।
- समुचित रक्षोपायों के साथ फार्म 103 प्रस्तुत करने में एक वर्ष की अवधि के परे विलंब की माफी की बाबत प्राधिकार का आगे प्रत्यायोजन ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण विनिश्चय निम्नलिखित से संबंधित हैं :-

- सदस्यों को भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान का सदस्य बनने की अनुज्ञा ।
- सदस्यों की संख्या पर निर्भर करते हुए विभिन्न प्रवर्गों के अंतर्गत सर्वोत्तम शाखा के लिए पृथक पुरस्कारों का सृजन ।
- शाखाओं में कर्मचारियों का नियमितिकरण ।
- चार्टर्ड अकाउंटेंटों के कार्यालयों में टेबल पर संस्थान का ध्वज प्रदर्शित किए जाने की अनुज्ञा ।
- कार्रवाई में मारे गए सेना और अर्द्ध सेना कार्मिकों के बच्चों को रजिस्ट्रीकरण और ट्यूशन फीस से संदाय से छूट ।
- छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियों की रकम में वृद्धि ।
- विभिन्न विश्वविद्यालयों में बी.कॉम अंतिम परीक्षा में लेखाकर्म में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को स्वर्ण पदक/इनाम दिए जाने के लिए संस्थान द्वारा सृजित विन्यास की रकम में वृद्धि ।

4.2 परीक्षा समिति

चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल, वृत्तिक शिक्षा-II और वृत्तिक शिक्षा-I परीक्षाएं नवंबर, 2005 में दुबई और काठमाण्डू के अतिरिक्त 95 शहरों में क्रमशः 153, 170 और 139 केन्द्रों पर आयोजित की गई और मई, 2006 में दुबई और काठमाण्डू के अतिरिक्त 93 शहरों में क्रमशः 150, 166 और 150 केन्द्रों पर आयोजित की गई ।

नवंबर, 2005 में आयोजित फाइनल, वृत्तिक शिक्षा-II और वृत्तिक शिक्षा-I परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्रमशः 28367, 47522 और 16228 थी और मई 2006 में क्रमशः 26210, 49423 और 32181 थी ।

उपरोक्त छात्र परीक्षाओं के अलावा, वर्ष के दौरान सितंबर और दिसंबर 2005 तथा मार्च और जून,

2006 में सूचना पद्धति संपरीक्षा पर अर्हतोतर पाठ्यक्रम निर्धारण परीक्षाएं भी आयोजित की गई । साथ ही, निगमित प्रबंध पाठ्यक्रम (भाग-I) और कर प्रबंध पाठ्यक्रम (भाग-I) की परीक्षाओं के अलावा, जो मई, 2006 में छात्रों की परीक्षाओं के साथ आयोजित की गई प्रबंध लेखाक्रम पाठ्यक्रम (भाग-I) की परीक्षाएं नवबंर, 2005 और मई, 2006 में आयोजित की गई । बीमा जोखिम प्रबंध में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम परीक्षा का सफल आयोजन नवंबर, 2005 और मई, 2006 में किया गया । पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और विश्व व्यापार संगठन (आईटीएल और डब्ल्यूटीओ) में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम परीक्षा का सफल आयोजन नवंबर, 2005 और मई 2006 में हुआ ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित सुविधाएं जारी रही : -

- वैल्लोर में नवंबर, 2005 की परीक्षा से नया परीक्षा केन्द्र स्थापित किया गया है ।
- मई, 2006 की परीक्षाओं से अहमदाबाद और बंगलोर के परीक्षा केन्द्रों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया जिनके अंतर्गत उन शहरों के विभिन्न अवस्थान आते हैं ।
- नवंबर, 2005 और मई, 2006 परीक्षाओं के लिए भी ओएमआर प्रारूप में परीक्षा आवेदन-पत्र जारी रखे गए और अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दए गए जिनमें उनके स्कैंड फोटो चित्र और नमूना हस्ताक्षर थे । इससे अभ्यर्थियों को अलग से पहचान पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं रही ।
- परीक्षा आवेदन-पत्र संस्थान के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं के अलावा, दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई महानगरों में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराना जारी रहा । अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में उनके द्वारा बताए गए निजी पहचान संख्यांक (पिन) का प्रयोग करके वेबसाइट से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा को आगे बढ़ाया गया ।
- परीक्षाफल संस्थान की आईवीआर प्रणाली पर उपलब्ध कराए जाने जारी रहे । परीक्षाफल और अंकों को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है । बेबसाइट पर योग्यता-सूची से संबंधित सूचना को भी परीक्षाफल की घोषणा के साथ ही प्रदर्शित किया गया ।
- परीक्षाफल और अंक वेबसाइट के अलावा चैन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई महानगरों में विभिन्न स्थानों पर साथ-साथ उपलब्ध कराना जारी रहा ।
- संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं द्वारा परीक्षाफल और अंक डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षाफल की घोषणा के साथ ही उपलब्ध कराई गई ।
- अभ्यर्थियों द्वारा उनके ओएमआर/आईसीआर आवेदन-पत्र में उपदर्शित निजी पहचान संख्यांक (पिन) का प्रयोग करके अंकों का विवरण ऑन लाइन मुद्रित करने की सुविधा वेबसाइट पर उपलब्ध करना जारी रखा ।
- घोषणा होने पर, परीक्षा फल का पता लगाने के लिए अग्रिम अनुरोध दर्ज करने की सुविधा जारी रखी गई है और उसे दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा फल की घोषणा के तुरंत बाद ई-मेल से उनके परीक्षाफल उपलब्ध कराए गए ।
- नवबंर, 2005 और मई, 2006 परीक्षाओं के प्रवेश कार्ड को ई-मेल के द्वारा विद्यार्थियों तक विस्तारित करना जारी रखा ।
- नवंबर, 2005 और मई, 2006 की परीक्षाओं के परिणाम एसएमएस तरीके से उपलब्ध कराने जारी रखे ।
- नवंबर, 2005 और मई, 2006 परीक्षाओं के लिए वृत्तिक शिक्षा परीक्षा-I के छात्रों को परीक्षा आवेदन-पत्र ऑन लाइन फाइल करने की सुविधा प्रदान करना जारी रखा।

परीक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं में कुछ विदेशी संस्थाओं को बराबर परामर्श दिया जाता रहा । नेपाल चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स संस्थान (आईसीएएन) ने आईसीएआई की निरंतर तकनीकी विशेषज्ञता के सहयोग से जून, 2005 की फाउंडेशन, इंटरमीडियट और फाइनल परिक्षाएं और दिसंबर, 2005 में फाइनल परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित कीं । श्रीलंका चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ने आईसीएआई की तकनीकी विशेषज्ञता के सहयोग से सितंबर, 2005 और मार्च, 2006 में सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए) निर्धारण परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित कीं ।

रिपोर्टाधीन वर्ष में नोएडा स्थित संस्थान के कार्यालय में इन-हाउस आंकड़ा प्रबंध केन्द्र खाला गया और उसने कार्य प्रारंभ कर दिया ।

4.3 अनुशासन समिति

यह समिति आईसीएआई द्वारा प्रदत्त वृत्तिक अर्हता का स्तर और मानक बनाए रखने में परिषद् की सहायता करती है । 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 की अवधि में उन सदस्यों के खिलाफ जिनके मामले प्रथम दृष्टया राय पर परिषद् द्वारा उसके पास भेजे गए हैं, अनुशासनिक जांच करने के अपने कृत संकल्प उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए समिति ने देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर 31 दिन तक 23 अवसरों पर अपनी बैठकें कीं । पुनरीक्षणाधीन वर्ष के दौरान, समिति ने मामलों में अपनी जांच पूरी की । इसमें वे भी शामिल थे जो परिषद् द्वारा पूर्व वर्षों में भेजे गए थे ।

5. तकनीकी और वृत्तिक विकास

5.1 लेखांकन तकनीकी बोर्ड

देश में सही और विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग के महत्व को देखते हुए विश्व भर के अनेक देश सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरण तैयार करने आदि प्रस्तुत करने में अपनाए जाने वाले लेखांकन मानक बना रहे हैं । भारत में, आईसीएआई ने, देश का प्रमुख लेखांकन निकाय होने के कारण 25 से अधिक वर्षों पूर्व लेखांकन मानक तैयार करने का दायित्व अपने ऊपर लेते हुए 1977 में लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) गठित किया था । उसी समय से लेखांकन मानक बोर्ड, वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने में अपनाए जाने वाले लेखांकन मानक तैयार करके देश में वित्तीय रिपोर्टिंग में समुच्चय गुणवत्ता संबंधी सुधार लाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है । अस्तित्व में आने के पश्चात् से अभी तक बोर्ड ने उनतीस लेखांकन मानक तैयार किए हैं । इसके अलावा, इसने अनेक लेखांकन मानक व्याख्यांए और उद्घोषणाएं आदि भी जारी की हैं ताकि लेखांकन मानकों के एक समान उपयोजन को सुनिश्चित किया जा सके और लेखांकन मानकों के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके ।

संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विधिक मान्यता प्रदान की गई है । इस अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय सरकार को, राष्ट्रीय लेखांकन मानक सलाहकार समिति (एनएसीएएस) की सिफारिशों पर लेखांकन मानक अधिसूचित करने की शक्ति प्राप्त है । उक्त अधिनियम के अनुसार, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों पर एनएसीएएस विचार करती है । एनएसीएएस ने आईसीएआई द्वारा जारी एएस8 को छोड़कर, जिसे ए एस 26 के आज्ञापक बनने के अनुसरण में पहले ही वापस ले लिया गया था, सभी 29 लेखांकन मानकों को उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित करने के लिए भारत सरकार के कंपनी कार्य मंत्रालय से सिफारश की है । इन मानकों को सरकार द्वारा शीघ्र ही अधिसूचित किए जाने की संभावना है । जब तक लेखांकन मानक, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 211(3ग) के परन्तुक के अनुसार अधिसूचित नहीं किए जाते, आईसीएआई द्वारा विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का कंपनियों द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित है ।

वर्तमान वर्षों में, लेखांकन मानकों के अंतर्राष्ट्रीय सुमेलन की बढ़ती हुई आवश्यकता महसूस की गई है और इसे ध्यान में रखते हुए विश्व के बहुत से देश, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक (आईएएस)/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) के अभिमुख हो रहे हैं । आईसीएआई के लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा तैयार किए गए लेखांकन मानक भी आईएएसबी द्वारा जारी किए गए

आईएएस/आईएफआरएस पर आधारित हैं जिससे कि लेकांकन मानकों के अंतर्राष्ट्रीय सुमेलन को प्राप्त किया जा सके । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड ने नए लेखाकंन मानक जारी करके और/या विद्यमान लेखांकन मानकों के पुनरीक्षण द्वारा जारी लेखांकन मानकों और आईएएस/आईएफआरएस के मध्य अन्तर को कम करने के प्रयास जारी रखे । इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, बोर्ड ने वित्तीय लिखतें : मान्यता और माप पर प्रस्तावित लेखांकन मानक के अपावरण प्रारूप को अंतिम रूप दिया है जो मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक (आईएएस) 39, वित्तीय लिखतें : मान्यता और माप पर आधारित है और जिसमें व्यापक रूप से व्युत्पन्न लिखतों समेत सभी वित्तीय लिखतों के लिए मान्यता और माप सिद्धांत अधिलिखित करना आशयित है । उक्त मानक का अपावरण प्रारूप शीघ्र ही जनता की टिप्पणियों के लिए जारी किया जाएगा । बोर्ड ने इसके अपावरण प्रारूप पर प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण पर प्रारूप लेखांकन मानक को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है । यह प्रारूप मानक मोटे तौर पर आईएएस 32, वित्तीय लेखते : प्रस्तुतिकरण पर आधारित है । चूंकि यह मानक वित्तीय लिखतें : मान्यता और माप पर प्रस्तावित लेखांकन मानक से नजदीकी तौर पर संबंधित है तथा मान्यता और माप पर प्रस्तावित मानक में विहित कुछ उपचार वित्तीय लिखतों की प्रस्तुति से संबंधित मानक को भी प्रभावित करेंगे, अतः यह विनिश्चित किया गया है इन दोनों मानकों को क साथ जारी किया जाए । अब बोर्ड ने वित्तीय लिखते : मान्यता और माप पर प्रसातवित मानक के अपावरण प्रारूप से साथ वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण पर प्रारूप मानक को पुनः अपानरित करने का विनिश्चय किया है जिससे कि पहले जारी किए गए अपावरण प्रारूप में किए गए परिवर्तनो पर राय प्राप्त की जाए । इन दो लेखांकन मानकों के अलावा पुनरीक्षित एएस 10, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर लगभग पूर्ण है र शीघ्र ही किए जाने की संभावना है । इसके अलावा कुछ और नए/पुनरीक्षित लेखांकन मानकों की बाबत भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है । इनमें पुनरीक्षित एएस 1, पुनरीक्षित एएस 5, पुनरीक्षित एएस 12 और विक्रय तथा बंद किए प्रचालन के लिए धारित गैर चालू आस्तियों पर नया लेखांकन मानक शामिल है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, लेखांकन मानक बोर्ड की अन्य गतिविधियों का संक्षिप्त पर्यवलोकन निम्नानुसार है : -

5.1.1 नए मार्गदर्शन टिप्पण जारी किए गए

स्थावर संपदा विकासकर्ताओ को, उनकी गतिविधियों की विशिष्ट प्रकृति को दृष्टिगत करते हुए, लेखांकन मानक (एएस) 9, राजस्व मान्यता के सिद्धांतों के उपयोजन पर मार्गदर्शन प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए स्थावर संपदा विकासकर्ताओं द्वारा राजस्व की मान्यता पर एक मार्गदर्शन टिप्पण जारी किया गया है ।

5.1.2 लेखांकन मानकों का सीमित पुनरीक्षण

बोर्ड ने ऐसे कतिपय लेखांकन मानकों का सीमित पुनरीक्षण किया है जहां यह महसूस किया गया है कि अंतर्वलित मामलों और बहुत से रूचिबद्ध समूहों से प्राप्त जानकारी के संबंध में परिवर्तित सोच को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित स्थिति अधिक समुचित है । इन लेखांकन मानकों के सीमित पनरीक्षण के परिणामस्वरूप इन लेखांकन मानकों और तत्स्थानी आईएएस/आईएफआर एस के मध्य अंतर में और कमी आई है । अवधि के दौरान निम्नलिखित लेखांकन मानकों का सीमित पुनरीक्षण किया गया है : -

- एएस 29, उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां ।
- एएस 15 (पुनरीक्षित 2005), कर्मचारी फायदे ।

5.1.3 नई/पुनरीक्षित लेखांकन मानक व्याख्याएं जारी की गईं

- एएसआई 29, ठेकेदारों के मामले में आवर्त (पुन. एएस 7, निर्माण संविदा)
- एएसआई 30, सभार संविदाओं को एएस 29 लागू होना (पुनः एएस 29, उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां)
- पुनरीक्षित एएसआई 3,, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक और धारा 80-झख के अधीन कर अवकाश की पारिस्थितियों में आय पर करों के लिए लेखांकन (पुन. एएस 22, आय पर करों के

लिए लेखांकन)

- पुनरीक्षित एएसआई 4, पूंजी अभिलाभ शीर्ष के अधीन हानियां (पुन. एएस 22, आय पर करों के लिए लेखांकन)
- पुनरीक्षित एएसआई 14, विक्रय संव्यवहारों से राजस्व का प्रकटन (पुन. एएस 9, राजस्व मान्यता)
- पुनरीक्षित एएसआई 20, खंड सूचना का प्रकटन (पुन. एएस 17, खंड रिपोर्टिंग)

5.1.4 लघु और मध्य आकार के उद्यमों को लेखांकन मानक लागू होना -

समाज के अनेक वर्गों द्वारा प्रकट की जा रही चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, पूर्व में, बोर्ड ने लघु और मध्य आकार के उद्यमों (एमई) को प्रकटन अपेक्षाओं से छूट प्रदान की थी । बोर्ड ने अब, एसएमई को मान्यता और/या माप सिद्धांतों से भी छूट/रियायत देना प्रारम्भ किया है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, एसएमई को एएस 15, (पुनरीक्षित 2005), कर्मचारी फायदे और एएस 28 और आस्तियों के हानिकरण से जो ऐसे उद्यमों के लिए भारी समझे जाते हैं, रियायतें/ छूट प्रदान की गई हैं ।

5.1.5 उद्घोषणाएं जारी करना

सदस्यों और अन्यों द्वारा उठाए गए स्पष्टीकारक प्रकृति के मामलों के समाधान की दृष्टि से और लेखांकन मानकों के कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने अनेक लेखांकन मानकों से उत्पन्न होने वाले लेखांकन विषयों पर उद्घोषणाएं जारी की हैं ।

5.1.6 आईएएसबी गतिविधियों में योगदान और अंतर्राष्ट्रीय विकास में प्रतिक्रिया

भारत में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चूंकि लेखांकन मानक, आईएएसबी द्वारा जारी किए गए आईएएस/आईएफआरएस के आधार पर तैयार किए जाते हैं, इसलिए लेखांक मानक बोर्ड विभिन्न स्तरों पर आईएएसबी के साथ विचार-विमर्श करता रहता है, जैसे : -

- आईएएसबी. द्वारा जारी अनेक प्रारूप आईएफआरएस पर टिप्पणियां भेजना ।
- आईएएसबी के साथ विश्व मानक-नियतकों की होने वाली बैठकों में सक्रिय भाग लेना ।
- आईएएसबी के साथ प्रादेशिक मानक-नियतकों की होने वाली बैठकों में सक्रिय भाग लेना ।
- आईएएसबी की अनेक चालू परियोजनाओं पर चर्चा में योगदान जैसे – 'प्रबंध टीका-टिप्पणी' पर आईएएसबी की परियोजना ।

लेखांकन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले परिवर्तनों के साथ गति बनाए रखने की दृष्टि से बोर्ड, आईएएसबी द्वारा अनेक आईएएस में किए गए पुनरीक्षणों की समीक्षा कर रहा है ताकि तत्स्थानी भारतीय लेखांकन मानकों के पुनरीक्षण पर विचार किया जा सके ।

आईएएसबी के साथ लेखांकन मानक बोर्ड के विचार-विमर्श के भाग रूप में, इसकी एक बैठक में आईएएसबी के अध्यक्ष सर डेविड टिवीडी और सदस्य श्री वारेन मेकग्रेगर ने बोर्ड के सदस्यों और विशेष आमंत्रितियों को संबोधित किया था । बैठक में, बोर्ड द्वारा आईएएस/आईएफआरएस के साथ अभिमूख होने के लिए उठाए गए कदमों और इस प्रक्रिया में सामने आने वाली समस्याओं से सर टिवीडी और मेकग्रगर को अवगत कराया गया । सर टिवीडी ओर मेकग्रेगर ने बोर्ड द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की और आईएएस/आईएफआरएस के साथ अभिमूख प्राप्त करने में समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए । तथापि, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत में आईएएस/आईएफआरएस के साथ पूर्ण रूप से अभिमूख प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है । इसे प्राप्त करने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि बोर्ड भारतीय लेखांकन मानकों और आईएएस/ आईएफआरएस के बीच प्रमुख अंतरों को स्पष्ट करते हुए और इसके लिए कारण दर्शाते हुए एक

टिप्पण भेजे । उनके सुझाव के अनुसार, इस संबंध में एक विस्तृत टिप्पण आई. एएसबी. को भेजा गया है ।

5.1.7 राष्ट्रीय लेखांकन मानक सलाहकार समिति (एनएसीएएस) के साथ विचार-विमर्श

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड ने राष्ट्रीय लेखांकन मानक सलाहकार समिति (एनएसीएएस) के साथ अपना विचार-विमर्श जारी रखा । बोर्ड ने एनएसीएएस द्वारा दिए गए बहुत से सुझावों पर विचार किया और उन्हें एनएसीएएस के समाधानप्रद रूप में लागू किया । एनएसीएएस ने लेखांकन मानक 1 से 29, सिवाए एएस 8, के जिसे पहले ही एएस 26 के आज्ञापक हो जाने के अनुसरण में वापस लिया जा चुका है, कि सिफारिश कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिसूचना के लिए भारत सरकार के कंपनी कार्य मंत्रालय से की है । इन मानकों को शीघ्र ही अधिसूचित किए जाने की संभावना है ।

5.1.8 विनियामक निकाय के साथ विचार-विमर्श

बोर्ड ने समय-समय पर इसके विनियामकों जैसे कंपनी कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आदि द्वारा इसे निर्दिष्ट अनेक लेखांकन मामलों पर अपने विचार भेजे । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड ने किसी कंपनी को एएस 17, खंड रिपोर्टिंग द्वारा अधिकथित भौगोलिक खंडों से संबंधित सूचना के प्रकटन की बाबत अपेक्षाओं का पालन करने से छूट प्रदान करने के मुद्दे पर कंपनी कार्य मंत्रालय को तथा आरबीआई को विनिधान पत्राधान के वर्गीकरण और मूल्यांकन पर आर. बी. आई. मार्गदर्शक सिद्धांतों के विस्तार के पुनरीक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक समूह की रिपोर्ट पर अपने विचार भेजे ।

5.1.9 लेखांकन मानकों का सार-संग्रह

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, काम्पेक्ट डिस्क (सीडी) के साथ 1 जुलाई, 2005 को यथा विद्यमान लेखांकन मानकों के सार-संग्रह का एक अद्यतन अंक जारी किया गया है ।

1 जुलाई, 2006 को यथा विद्यमान लेखांकन मानकों के सार-संग्रह का एक अद्यतन अंक तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही काम्पेक्ट डिस्क (सीडी) से साथ जारी किया जाएगा ।

5.2 स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक समिति

आईसीएआई सरकारी लेखांकन, विशेष रूप से शहरी स्थानीय निकायों के लेखा में लेखांकन सुधार लाने के लिए गहन रूप से कार्यशील रहा है । प्रारम्भ में, आईसीएआई ने शहरी स्थानीय निकायों सहित सरकारों के लिए लेखांकन मानक जारी करने के लिए 1999 में एक उपसमिति का गठन किया । प्रथम कदम के रूप में, आईसीएआई ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग पर तकनीकी गाइड जारी की थी जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों को शहरी स्थानीय निकायों में लागू करने के संबंध में सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं । इस तकनीकी गाइड का प्रयोजन राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, आईसीएआई के सदस्यों और अन्यों को शहरी लेखांकन और वित्तीय प्रणाली सुधार कार्य के लिए एक व्यापक ढांचा और दिशा प्रदान करना है । तकनीकी गाइड में अंतर्विष्ट सिफारिशों को ऐसे बहुत से शहरी स्थानीय निकायों से जो नकद आधारित लेखांकन से प्रोदभवन (अक्रुअल) आधारित लेखांकन में अंतरित हो गए हैं या अंतरण प्रक्रिया में हैं, सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है । हाल ही में, स्थानीय निकायों द्वारा प्रोदभवन आधारित लेखांकन में अंतरित होने की प्रक्रिया को संवेग प्राप्त हुआ है क्योंकि निधि में वृद्धि करने के लिए इन निकायों का पूंजी बाजार में आना बढ़ता जा रहा है । तथापि, ये निकाय अपने वित्तीय विवरण तैयार करने में विभिन्न लेखांकन नीतियां और तरीके अपना रहे हैं । अतः स्थानीय निकायों के लिए उच्च क्वालिटी के वित्तीय रिपोर्टिंग मानक का एक सेंट बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो स्थानिय निकायों के ऐसे सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों में संव्यवहारों और घटनाओं से संबंधित मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटन आपेक्षाओं को निर्धारित करे । स्थानीय निकायों में आवश्यकता को समझते हुए आईसीएआई ने मार्च, 2005 में स्वतंत्र स्थानीय निकायों के लिए एक लेखांकन मानक समिति (सीएएसएलबी) की संरचना में उचित रूप से व्यापक आधार अपनाया गया है और मानक नियतन प्रक्रिया में हितबद्ध सभी समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है । आईसीएआई के सदस्यों के साथ-साथ सीए एल. एल. बी. में शहरी विकास मंत्रालय, भारत के महालेखा नियंत्रक और संपरीक्षक महालेखा नियंत्रक, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, पंचायती राज मंत्रालय, बड़े स्थानीय निकायों के निदेशालय, स्थानिय निधि

संपरीक्षक विभागों के निदेशालय अकादमीय संस्थाएं, और अन्य सुप्रसिद्ध वृत्तिकों को आईसीएआई द्वारा सहयोजित किया गया है ।

सीएएसएलबी का गठन प्रारम्भिक रूप से स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक तैयार करने के लिए किया गया था । हाल ही में, परिषद ने यह विनिश्चित किया है कि समिति, स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक तैयार करने के साथ-साथ स्थानीय निकायों की लेखांकन विधि और प्रणाली में सुधार को सुकर बनाने के लिए कदम भी उठाएगी और प्रोदभवन लेखांकन अपनाने और लेखांकन मानकों के उपयोजन में स्थानीय निकायों के सामने आने वाली कठिनाइयों के संबंध में उनसे प्राप्त सूचना के आधार पर फोरम के रूप में भी कार्य करेगी । स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक तैयार करते समय, सीएसएलबी, इन्टरनेशनल फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (आईएफएसी) के अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड (आईपीएसएएसबी) द्वारा तैयार किए गए अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्ट लेखांकन मानकों (आईपीएसएएस) पर सम्यक्तः विचार करेगी और उन्हें यथा संभव सीमा तक समाकलित करने का प्रयास करेगी ताकि सार्वभौमिक सुमेलन को सुकर बनाया जा सके ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान परिषद् ने स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों पर विवरण की प्रारूप प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया है जो स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन समिति के उद्देश्यों और प्रचालन प्रक्रियाएं स्थापित करेगी तथा स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों के विस्तार और प्राधिकार को स्पष्ट करेगी । प्रस्तावना के शीघ्र ही जारी होने की संभावना है । स्थानीय वित्तीय रिपोर्टें तैयार और प्रस्तुत करने के लिए ढांचे का प्रारूप विनिरिद्ष्ट बाहरी निकायों और संस्थान के परिषद् सदस्यों में परिचालित कर दिया गया है और जनता की टिप्पणियों के लिए इसका अपावरण प्रारूप शीघ्र ही जारी किया जाएगा । ढांचा ऐसी संकल्पनाएं निर्दिष्ट करेगा जो वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुतिकरण को आधार प्रदान करेंगी और स्थानीय निकायों के लिए भावी लेखांकन मानक के विकास में स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक समिति की सहायता करेंगी । समिति ने, स्थानीय निकाओं के लिए "ऋण लागत" और "अवधि के लिए शुद्ध अतिशेष या घाटा, प्राथमिक गलतियां और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन" पर भी लेखांकन मानकों के प्रारूपों को अंतिम रूप दिया है और इन्हें शीघ्र ही विनिर्दिष्ट बाहरी निकायों तथा संस्थान के परिषद् सदस्यों में परिचालित कर दिया जाएगा । सीएएसएलबी स्थानीय निकायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानकों के तत्स्थानी लेखांकन मानक तैयार करने की अन्य परियोज़नों पर भी कार्य कर रही है ।

भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय और महा नियंत्रक और संपरीक्षक के तत्वावधान में गठित सरकारी स्तरीय तकनीकी समिति, आईसीएआई द्वारा स्थानीय निकायों के लिए जारी लेखांकन मानकों को राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार किए जाने की सिफारिश करेगी । लेखांकन मानकों के अलावा, आईसीएआई आस्ति रजिस्टर तैयार करने, अनुपालन माप, बजटिंग, लागत, आंतरिक नियंत्रण और संपरीक्षा सहित वित्तीय रिपोर्टंग के अनेक अन्य पहलुओं के प्रति तकनीकी समिति के प्रयासों का समर्थन भी करेगा ।

भारत के महा नियंत्रक और संपरीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय ने सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग स्थापित करके और इसके स्तर में सुधार लाने के लिए तथा संघ और राज्य सरकारों के लेखाओं के लिए दायित्व मशीनरी में वृद्ध करने के लिए अगस्त, 2002 में सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी) गठित किया । आईसीएआई, जीएएसएबी का सदस्य है और जीएएसएबी द्वारा समय-समय पर बनाई गई उप समितियों में भी इसे प्रतिनिधित्व प्राप्त हो । वर्ष के दौरान आयोजित जी. एएसएबी की बैठकों में भी आईसीएआई के सदस्यों ने भाग लिया एवं बोर्ड की तकनीकी गतिविधियों में योगदान दिया । सीएएसएलबी, जीएएसएबी द्वारा तैयार किए गए प्रारुपों के विभिन्न प्रक्रमों पर टिप्पणियां तैयार करती है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, जीएएसएबी ने सरकार में प्रोद्भवन लेखांकन के क्रियान्वयन के लिए क्रियात्मक ढांचा को अंतिम रूप देने के लिए आईसीएआई के अध्यक्ष के संयोजन के अधीन एक समिति गठित की है । उक्त समिति के निर्देशों के निबंधनों के अनुसरण में सरकार में प्रोदभवन लेखांकन के क्रियान्वयन के लिए क्रियात्मक को अंतिम रूप दे दिया गया है और उसे जीएएसएबी को प्रस्तुत कर दिया है । जीएएसएबी के विनिश्चयानुसार, प्रारूप क्रियात्मक ढांचा, जीएएसएबी सचिवालय द्वारा, राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दिया गया है । जीएएसएबी ने विनिश्चित किया कि प्रारूप पर प्राप्त टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, समिति

विचार करेगी और उसके बाद उपांतरणों के बाद, यदि आवश्यक हो, प्रारूप क्रियात्मक ढांचा जीएएसएबी को प्रस्तुत करेगी ।

हाल ही में, आईसीएआई ने भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक से राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) नई दिल्ली और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के नई दिल्ली क्षेत्र में निर्दिष्ट प्रभागों में लेखांकन सुधार लाने की दो परियोजनाएं, जो विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित हैं, प्राप्त की हैं । सीएएसएलबी भी इन दो प्रमुख परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन में आवश्यक समर्थन प्रदान करेगा ।

5.3 संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड

संपरीक्षा और आश्सन मानक बोर्ड (एएएसबी) का गठन सितंबर, 1982 में आईसीएआई के तकनीकी अंग के रूप में संपरीक्षा व्यवसाय समिति (एपीसी) के नाम से जानी जाने वाली एक अस्थायी समिति के रूप में हुआ था । अंतर्राष्ट्रीय रुझान का अनुसरण करते हुए आईसीएआई ने वर्ष 2002 में एपीसी को एएएसबी में परिवर्तत कर दिया । एपीसी के एएएसबी में परिवर्तित हो जाने से अधिक पारदर्शिता, दक्षता और सार्वजनिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चिति करने के लिए बोर्ड में विनियामकों और उद्योगों से प्रतिनिधियों की भागीदारी प्रारम्भ हुई ।

5.3.1 मिशन और उद्देश्य

एएएसबी का सर्वप्रथम मिशन भारत में विद्यमान संपरीक्षा प्रेक्टिसों का पुनरीक्षण और संपरीक्षा तथा आश्वासन मानक जारी करा रहा है । एएएसबी संपरीक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रेक्टिसों के संहिताबद्ध होने का प्रतिनिधित्व करता है । एएएसबी संपरीक्षा से जुड़े मुद्दों पर, चाहे वे साधारण प्रकृति के हों या उद्योग विशिष्ट, मार्गदर्शक टिप्पण भी तैयार करता है । हाल ही में एएएसबी ने संपरीक्षा तथा आश्वासन मानकों से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने का कार्य भी प्रारंभ किया है । आज की तारीख में एएएसबी के पास तीन विवरण, चौंतीस संपरीक्षा तथा आश्वासन मानक, तीन सामान्य स्पष्टीकरण और सैंतीस मार्गदर्शक टिप्पण हैं जिनमें चार उद्योग विशिष्ट मार्गदर्शक टिप्पण हैं ।

5.3.2 वर्ष के दौरान बैठकें

वर्ष 2005-2006 के दौरान एएएसबी ने नो बैठकें आयोजित कीं । वर्ष के दौरान बोर्ड ने संपरीक्षा और आश्वासन मानकों की पुनरीक्षित भूमिका, बोर्ड द्वारा जारी संपरीक्षा और मार्गदर्शन टिप्पणों पर विवरण के प्रारूप पर विचार किया और अनेक प्रस्तावित संपरीक्षा और आश्वासन मानकों के प्रारूपों पर भी विचार किया, अर्थात् पुनरीक्षित संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएएस) 3, संपरीक्षा दस्तावेजीकरण, प्रस्तावित संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएएस), भावी वित्तीय सूचना की परीक्षा, प्रस्तावित संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएएस), सत्ता की समझ और तात्विक गलत कथन के जोखिमों का निर्धारण और निर्धारित जोखिमों के प्रति संपरीक्षक की प्रक्रिया और पुनरीक्षित एएएस 19, पश्चात्वर्ती घटनाएं, कंपनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 पर कथन, और मार्गदर्शन टिप्पण भी, अर्थात् बैंकों की संपरीक्षा (2006 अंक) पर मार्गदर्शन टिप्पण, अंशदान के संप्रदाय की संपरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण, पूंजी और आरक्षिती की संपरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण, आदि ।

एएएसबी ने अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों को दृष्टिगत करते हुए लघु और मध्य उद्यमों (एसएमई) में भी संपरीक्षा और आशवासन मानकों का उपयोजन स्थापित करने की परियोजना पर भी कार्य प्रारम्भ किया है ।

5.3.3 अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के साथ समन्वय

एएएसबी ने संपरीक्षा और आश्वासन मानकों की तत्स्थानी अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तुलना की परियोजना संपन्न कर ली है । अध्ययन समूह द्वारा तैयार किए गए इस विषय पर अध्ययन के विभिन्न भागों को देश भर में सभी क्षेत्रीय परिषदों में गठित अनेक अध्ययन समूहों को आबंटित किया गया है जिन पर वे विचार किए जाने के पश्चात् तत्स्थानी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एएएस में लाए जाने वाले अपेक्षित पुनरीक्षण की बाबत आवश्यक सुझाव देंगे ।

स्पष्टता परियोजना

आईएफएसी के अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड ने आईएएएसबी द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा

मानक (आईएसए) में वृत्तिक अपेक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टता परियोजना प्रारम्भ की है । स्पष्टता परियोजना के अनुसार, आईएएएसबी ने मानक की लम्बा को कम करने का प्रयास किया है और जहां मानक के भीतर मानक भाग और उपयोजन मार्गदर्शन भाग दो खंडों में विभाजित है, नया दृष्टिकोण भी अपनाया गया है । तद्नुसार, कुछ आईएसए के पुनरीक्षण के लिए आईएएएसबी ने अपावरण प्रारूप जारी किया है और अन्य मानकों के पुनरीक्षण के लिए समय सूची भी दी है । एएएसबी ने यह पाया कि संपरीक्षा और आश्वासन मानको को तत्स्थानी अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा मानक के अनुसार बनाने के लिए उन्हें स्पष्टता परियोजना के अधीन पुनरीक्षित करना अपेक्षित था । तद्नुसार, एएएस और तत्स्थानी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तुलनात्मक विश्लेशण पर विचार करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित अध्ययन समूहों से यह अनुरोध किया गया है कि वे संपरीक्षा और आश्वासन मानक पर स्पष्टता परियोजना के प्रभाव पर भी विचार करें और तद्नुसार संपरीक्षा और आश्वासन मानकों के पुनरीक्षण के लिए सुझाव दें ।

आईएफएसी के साथ राष्ट्रीय मानक नियतकों की बैठक में भाग लेना

आईसीएआई, राष्ट्रीय मानक नियतकों की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेता है । वर्ष के दौरान आई. एएएसबी के साथ राष्ट्रीय मानक नियतकों की एक बैठक आयोजित की गई । बैठक में एएएसबी ने भी संस्थान का प्रतिनिधित्व किया था ।

5.3.4 नए प्रकाशन

कंपनी (संपरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 (2005 का अंक) पर वक्तव्य

आईसीएआई ने, संपनी (संपरीक्षा रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के जारी किए जाने के अनुसरण में अगस्त, 2005 में कंपनी (संपरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 पर वक्तव्य का 2005 का पुनरीक्षित•अंक निकाला है । सीएआरओ 2003 पर वक्तव्य के 2005 के अंक में संशोधित कंपनी (संपरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के अधीन सभी रिपोर्टिंग अपेक्षाओं पर विस्तृत खंड प्रति खंड मार्गदर्शन अंतर्विष्ट हैं ।

बैंकों की संपरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पण (2006 का अंक)

एएएसबी ने बैंकों की संपरीक्षा पर पूर्णतया पुनरीक्षित 2006 का अंक निकाला है । यह अंक, 2005 में निकाले गए पूर्व अंक का अद्यतन रूप है । मार्गदर्शक टिप्पण का 2005 का अंक आर. बी. आई. के नए परिपत्र के कारण पुनरीक्षित किया गया । पुनरीक्षित मार्गदर्शक टिप्पण में सेवा कर, फ्रिंज फायदा कर, बैंककारी नकद संव्यवहार कर पर विशिष्ट मार्गदर्शन और बेसेल II सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं ।

लाभांश के संदाय की संपरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पण

एएएसबी ने लाभांश के संदाय के संपरीक्षण में अंतर्वलित तकनीकी जटिलताओं के समाधान में सदस्यों को पंक्तिबद्ध रखने के लिए लाभांश के संदाय के संपरीक्षा मार्गदर्शक टिप्पण जारी किए हैं । मार्गदर्शक टिप्पण, विस्तृत रूप से, आंतरिक नियंत्रण मूल्यांकन और संपरीक्षक द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षाकृत अनेक सत्यापन प्रक्रियाओं से संबंधित हैं । मार्गदर्शक टिप्पण निगमित और अनिगमित दोनों उद्यमों के बारे में हैं । मार्गदर्शक टिप्पण के परिशिष्ट में लाभांश के संदाय से संबंधित अनेक सुसंगत अधिनियम और नियम अंतर्विष्ट हैं जिनका उद्देश्य प्रकाशन को सदस्यों और अन्यों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए पूर्ण, स्वतःपूर्ण दस्तावेज बनाना है ।

5.3.5 अन्य गतिविधियां

अध्यक्ष आईएफएसी और सीईओ, आईएफएसी के समक्ष प्रस्तुतिकरण

- वर्ष के दौरान, आईएफएसी के अध्यक्ष श्री ग्राहम वार्ड और आईएफएसी के सीईओ श्री इयान बाल ने एएएसबी की एक बैठक में भाग लिया था । उक्त बैठक में, बोर्ड के गठन, कार्य योजना, प्रगति में परियोजनाएं और इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों के संबंध में एक प्रस्तुति की गई । आईएफएसी के अध्यक्ष ने बोर्ड द्वारा प्राप्त उपलब्धियों की प्रशंसा की ।

भारतीय रिजर्व बैंक

- राष्ट्रीयकृत बैंकों और बैंककारी कंपनियों के मामले में एएएसबी ने संपरीक्षक रिपोर्ट का प्रारूप

फार्मेट पुनरीक्षित किया है जिसे आईसीएआई की परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् विचार किए जाने और अधिसूचित करने के लिए आरबीआई को प्रस्तुत किया गया है ।

- गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों की गतिविधियों को मानिटर करने के लिए आरबीआई के गैर बैंककारी पर्यवेक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 9वीं उच्च स्तरीय बैठक में बोर्ड ने भाग लिया ।

भारत का महा नियंत्रक और संपरीक्षक

एएएसबी ने बैंकों का लागू आधार पर, बीमा कंपनियों से संबंधित दीर्घ रूप संपरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्ययन समूह गठित किया था । अध्ययन समूह में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) तथा सी एडं एजी के कार्यालय के नामनिर्देशिती थे । बोर्ड ने अध्ययन समूह द्वारा तैयार किया गया प्रारूप कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अधीन अधिसूचना के लिए सी एडं एजी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है ।

5.3.6 विकसित प्रक्रमों में परियोजनाएं

वर्ष के दौरान, पूरी की गई परियोजनाओं के अलावा, एएएसबी ने अंतरराष्ट्रीय लेखांकन परिसंघ द्वारा जारी लेखा संपरीक्षा पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के तत्स्थानी विद्यमान लेखा संपरीक्षा तथा आश्वासन मानकों को प्रदर्शित करने तथा पुनरीक्षित करने, संपरीक्षा आदि के क्षेत्र में प्रोदभूत होने वाले विभिन्न मुद्दों पर मार्गदर्शक टिप्पण बनाने जैसी विभिन्न अनेक महत्वाकांक्षी, परियोजनाओं को भी आरंभ किया है । एएएसबी ने विगत में जारी किए गए अनेक मार्गदर्शक टिप्पणों का पुनरीक्षण करने, इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा पहचाने गए सुसंगत नए विषयों पर मार्गदर्शक टिप्पणों को विरचना की प्रक्रिया का भी कार्य आरंभ किया है ।

अनुसंधान

अनुसंधान किसी वृत्ति के ज्ञान आधार को मजबूत करने में एक निर्णायक भूमिका अदा करता है । वृत्तिक द्वारा दी गई सेवा की क्वालिटी में बढ़ोतरी करने में अनुसंधान क्रियाकलापों के योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए आईसीएआई की परिषद ने 1955 में अस्थायी समिति के रूप में अनुसंधान समिति गठित की थी । इसके प्रारंभ से ही, आईसीएआई की अनुसंधान समिति वृत्तिक हित के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर लेखांकन और संपरीक्षा में संस्थान के सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए जारेदार कार्य कर रहा है जिससे कि संस्थान के सदस्यों द्वारा दी जा रही सेवाओं मे उच्चतर परम्पराओं तथा तकनीकी सक्षमता को बनाए रखा जा सके । समिति अनुध्यात विषयों पर लेखांकन मार्गदर्शन करने की आवश्यकता का प्रत्युत्तर देने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है जो देश में आर्थिक प्रभारों से संबंधित विधियों तथा अन्य विकासों में संशोधन करने के कारण उद्भूत होते हैं ।

मिशन तथा उद्देश्य

अनुसंधान समिति का मुख्य मिशन विभिन्न तंत्रों में अनुसंधान करना है जो लेखांकन से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है तथा वृत्तिक अनुसंधान संस्थानों की अपेक्षित अनुसंधान सेवाएं प्रदान करता है । समिति लेखांकन पहलू संबंधी मार्गदर्शक ऐसे टिप्पणों को विरचित करती है जो आईसीएआई के परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाते हैं । यह वृत्तिक द्वारा दी गई सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए साधारणतः स्वीकृत लेखांकन और/या लेखा संपरीक्षा सिद्धांतों तथा व्यवहारों पर तकनीकी मार्गदर्शक, अध्ययन मोनोग्राफ आदि को प्रदर्शित करती है । समिति देश में, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में सुधार को बढ़ावा देने की दृष्टि से वार्षिक रूप से "वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार" के लिए प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन करती है ।

मार्गदर्शक टिप्पण तथा अन्य अनुसंधान प्रकाशन

इस अवधि के दौरान, समिति ने चार मार्गदर्शक टिप्पण विरचित किए हैं । इनमें तीन मार्गदर्शक टिप्पण, अर्थात् फ्रिंज बैनिफिट कर के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण, स्कूलों द्वारा लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में उपलब्ध क्रेडिट के लिए लेखांकन संबंधी टिप्पण को संस्थान की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया गया है । एएस 25 के संदर्भ

में अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आय-कर व्यय के माप संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण को परिशद् द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा उसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा ।

फ्रिंज बेनिफिट कर के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण फ्रिंज बेनिफिट कर के लेखांकन से संबंधित है, विशेषकर वित्तीय विवरणों में फ्रिंज बेनिफिट कर को मान्यता देने तथा प्रस्तुतीकरण के संबंध में है । एकरूपता लाने तथा स्कूलों द्वारा अपनाई जा रही लेखांकन प्रणाली में सुधार करने की दृष्टि से, समिति ने स्कूलों द्वारा अपनाए जा रहे लेखांकन पर मार्गकर्शक टिप्पण तैयार किया है । इस मार्गदर्शक टिप्पण का उद्देश्य स्कूलों में अपनाई जा रही असमान लेखांकन पद्वति में समानता लाने जिसमें निधि आधारित लेखांकन भी सम्मिलित है, तथा आय और व्यय लेखा तथा तुलनपत्रों के एकसमान फारमेटों की सिफारिश करना है । वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जकक की उपधारा (1क) (संदत्त मेट के संबंध में क्रेडिट प्रदान करना) के अंतःस्थापन से ऐसे क्रेडिट से निपटने के बारे में जैसे लेखांकन मानक 22, आय पर करों के लिए लेखांकन की दृष्टि से अनेक मुद्दे पैदा हुए हैं चाहे उपलब्ध क्रेडिट आस्थगित कर है या नहीं । आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में उपलब्ध क्रेडिट कर के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण संदत्त मैट के लेखांकन तथा प्रस्तुतीकरण तथा इस संबंध में उपलब्ध क्रेडिट के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है । एएस 25 के संदर्भ में अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आय-कर खर्चों के माप संबंधी चौथा मार्गदर्शक टिप्पण, जैसा इसका नाम सुझाया गया है, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टों में प्रकटित किए जाने वाले आय-कर खर्च के प्राक्कलन के संबंध में मार्गदशन प्रदान करता है । इसमें मार्गदशन को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत भी सम्मिलित हैं ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति ने पुनरीक्षित आंतरिक संपरीक्षा चाय उद्योग संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण भी जारी किया है । इस प्रकाशन में चाय उद्योग के तकनीकी पहलुओं में नवीनतम ऐसे विकासों को शामिल किया गया है जहां तक इनका संबंध चाय के संवर्धन, चाय विनिर्माता तथा चाय विपणन से है और इन विकासों की दृष्टि से, यह वृत्तिक, उत्पादन, सामग्री, वित्त आदि जैसे प्रबंधन के विभिन्न कृत्यकारी क्षेत्रों की प्रभावी रूप से आंतरिक संपरीक्षा करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है ।

उपरोक्त के अलावा, समिति भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के अनुरोध पर स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों के लिए वित्तीय विवरणों के प्ररूप को तैयार करने का कार्य भी कर रही है । इन प्ररूपों में ऐसी जानकारी विहित होगी जो अन्य बातों के साथ-साथ स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों को लेखांकन मानकों की उपयोजनीयता के बारे में बनाएगा तथा यह तुलनपत्र, लाभ तथा हानि लेखा, अनुसूचियों तथा इनसे संलग्न टिप्पण में दी जाएगी । इन प्ररूपों पर परिषद् द्वारा विचार-विमर्श किया गया है तथा सेबी को शीघ्र ही भेजा जाएगा ।

प्रगति में महत्वपूर्ण परियोजनाएं

वर्ष के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं के अलावा, अनुसंधान समिति ने उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए पहचाने गए प्रासंगिक कुछ नए विषयों पर अनेक परियोजनाएं आरंभ की है । इनका उद्देश्य लेखांकन आदि के क्षेत्र में उभरते हुए विभिन्न मुद्दों पर सदस्यों को मार्गदर्शन देना है । समिति ने विगत जारी किए गए अनेक मार्गदर्शक टिप्पणों के पुनरीक्षण के लिए प्रक्रिया भी आरंभ की है । समिति ने अपने प्रकाशन के लिए कई संगठनों में लेखांकन तथा लेखा संपरीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शक टिप्पण के उन्नयन का जिम्मा भी लिया है ।

मार्गदर्शक टिप्पण का कंपेडियम - लेखांकन (1 जुलाई, 2006 के अनुसार)

1 जुलाई, 2006 को यथाविद्यमान "मार्गदर्शन टिप्पण का कंपेडियम - लेखांकन" के अद्यतन संस्करण को पुस्तक के साथ निःशुल्क वितरित किए जाने के लिए एक कंपेक्ट डिस्क भी जारी की है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार

वित्तीय जानकारी की प्रस्तुतीकरण में उत्कृष्टता को मान्यता देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए, आईसीएआई ने, अपनी अनुसंधान समिति के माध्यम से "वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार" के लिए वित्तीय प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया है । यह सुविख्यात प्रतिस्पर्धा यह प्रसारित करती है कि

वित्तीय रिपोर्टिंग जवाबदेही, पारदर्शिता, एकरूपता, विश्वसनीयता, कालातीत तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होनी चाहिए । इससे पूर्व, प्रतिस्पर्धा का आयोजन तीन प्रवर्गों में किया जाता था । इस वर्ष से, प्रतिस्पर्धा की पुनःसंरचना की गई है । वर्ष 2004 - 05 के लिए प्रतिस्पर्धा विभिन्न उद्योगों के कृत्यक प्रवर्गीकरण के आधार पर सात प्रवर्गों के अधीन हुई थी । प्रवर्ग I के अंतर्गत विनिर्माण तथा व्यापारिक उद्यमों (जिसमें प्रसंस्करण खनन, पादपीकरण, तेल तथा गैस उद्यम सम्मिलित है) को सम्मिलित किया गया है । प्रवर्ग II में वित्तीय क्षेत्र (जिसमें एनबीएफसी, पारस्परिक निधि, विनिधान बैंकर, एचएफसी आदि भी सम्मिलित है) को सम्मिलित किया गया है तथा प्रवर्ग III में सेवा क्षेत्र (जिसमें, होटल, परामर्श, परिवहन, स्टाक एक्सचेंज, अनुसंधान तथा विकास, निजी अस्पताल सम्मिलित है) को सम्मिलित किया गया है । प्रवर्ग IV तथा V में बैंकिंग, बीमा तथा वित्तीय संस्थाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी, संचार तथा क्रमशः आमोद-प्रमोद उद्यम को सम्मिलित किया गया है । प्रवर्ग VI के अंतर्गत अवसंरचना तथा सन्निर्माण क्षेत्र (जिसमें ऊर्जा उत्पादन तथा प्रदाय, पोत न्यास, सड़के हैं) को सम्मिलित किया गया है तथा प्रवर्ग VII में अवशिष्ट प्रवर्ग को सम्मिलित किया गया है जिसमें ऐसे उद्यम सम्मिलित हैं जो अन्य छह प्रवर्गों, जैसे धारा 25 की कंपनियां, शैक्षणिक संस्थाएं, गैर-सरकारी संगठन पूर्त अस्पताल आदि को सम्मिलित नहीं करती है । वर्ष 2004 - 05 के प्रतिस्पर्धा के लिए विभिन्न प्रवर्गों के निन्यानवे उद्यमों ने भाग लिया । पुरस्कारधारियों का चयन उनकी वित्तीय स्थिति तथा प्रचालन कार्य निष्पादन को ध्यान में रखे बिना 1 अप्रैल, 2004 तथा 31 मार्च, 2005 (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) के बीच किसी दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भाग लेने वाले उद्यमों द्वारा अंगीकार लेखांकन पद्धतियों के पुनर्विलोकन पर आईसीएआई द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों के पैनल द्वारा किया जाता है । तदनुसार, पुरस्कार इस बात के सूचक हैं कि वर्ष के दौरान संबंधित उद्यम द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति उन उद्यमों में सर्वोतम है जिन्होंने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया । सात प्रवर्गों में से पहली सर्वोतम प्रविष्टि को एक सोने की शील्ड तथा उससे अगली प्रविष्टियों को क्रमशः चांदी की शील्ड प्रदान की जाती है । विशेष मामले के रूप में, दो प्रवर्गों (प्रत्येक प्रवर्ग में से एक) में दो कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों को प्रशंसा पुरस्कार के लिए चयन किया गया था । सात प्रवर्गों के सोने की शील्ड के विजेता क्रमशः डा. रेड्डी लेबोट्रीज लिमिटेड, हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, थोमस कुक (इंडिया) लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इंफोसेस टेक्नोलाजीज लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड तथा फाइनेंनशियल मैनेजमेंट सर्विस फाउंडेशन हैं । सात प्रवर्गों के सिल्वर शील्ड विजेता जे.वी. केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्किट्स लिमिटेड, ग्रेट इंडिया हेल्थ केयर मैनेजमेंट लिमिटेड, आंध्रा बैंक, न्युक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लि0, लारसन ए टोब्रो लिमिटेड तथा विद्या डेयरी । प्रशंसा पुरस्कार के विजेता अभिषेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा विप्रो लिमिटेड हैं । 2 फरवरी, 2006 को होटल इंटरकांटिनेंटल इरोज, नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में वर्ष 2004 - 05 के लिए "वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार" दिएं गए । माननीय श्री प्रेम चन्द गुप्ता, केन्द्रीय कंपनी कार्य मंत्री इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे । माननीय मंत्री ने भी पुरस्कारधारियों को पुरस्कार प्रदान किए ।

5.5 **निगमित विधियां**

वर्ष 2005-06 महत्वपूण उपलब्धियों का वर्ष था, समिति ने अपने द्वारा प्रारंभ की गई अनेक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया ।

एमसीए - 21 ई - गवर्नेंस परियोजनाओं का नेतृत्व

समिति ने कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एमसीए 21 परियोजना के वाद-विवाद में भाग लिया जो ऐसी रीति से एमसीए सेवाओं की सरल तथा सुनिश्चित पहुंच को समर्थ बनाएगा जिससे कि वह जनता के अलावा कारपोरेट इकाइयों तथा वृत्तिकों के लिए बेहतर हो । एमसीए 21 परियोजना को लोकप्रिय बनाने के लिए, आईसीएआई ने एमसीए 21 कार्यक्रमों में आईसीएआई के सदस्यों की अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षेत्रीय परिषदों से अनुरोध किया है । एमसीए 21 पायलट परियोजना को 18 फरवरी, 2006 को कोयम्बटूर में प्रारंभ किया था । 18 मार्च, 2006 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री माननीय डा. मनमोहन सिंह ने एमसीए 21 परियोजना का शुभारंभ किया । उक्त कार्यक्रम में असंख्य चार्टर्ड अकाउटेंटों ने भाग लिया । परियोजना को देश में फैले आईसीएआई के विभिन्न शाखाओं में भी प्रारंभ किया गया

है । प्रमाणित फाइलिंग स्कीम को प्रख्यात बनाने के लिए, रजिस्ट्रीकरण प्ररूप के साथ-साथ स्कीम के ब्यौरों को संस्थान की वेबसाइट पर भी डाला गया है । प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए, 1.8.2006 से आन लाइन आवेदन भी आरंभ किया गया है ।

कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, ई प्ररूप की समीक्षा तथा संवीक्षा करने के लिए कंपनी कार्य मंत्री, भारत सरकार ने अपने क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) की अध्यक्षता में एक तकनीकी समूह का गठन किया था । आईसीएआई ने ई-प्ररूप के पुनरीक्षण संबंधी अपने विचारो/सुझावों को प्रस्तुत कर दिया है तथा उन्हें सुव्यवस्थित रूप से स्वकीकार कर लिया गया ।

एलएलपी विधि

कंपनी कार्य मंत्रालय ने विभिन्न पदाधारियों से प्राप्त सुझावों की सराहना करते हुए एलएलपी विधि संबंधी संकल्पना पत्र को अंतिम रूप दे दिया है । आईसीएआई ने इस प्रक्रिया में अपना योगदान दिया था तथा उसके सुझावों को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया गया । संकल्पना पत्र में ऐसे सीमित दायित्व भागीदारों के लेखाओं की संपरीक्षा को विहित किया गया है जिनका टर्नओवर ऐसी रकम से अधिक है जो विहित की जाए ।

निगमित विधियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर सुझाव/टीका-टिप्पणियां

समिति ने कंपनी कार्य मंत्रालय तथा अन्य सरकारी विभागों द्वारा आईसीएआई को निर्दिष्ट विभिन्न मामलों पर अपने सुझावों को प्रस्तुत कर दिया है । ऐसे सुझाव विदेशी अभिदाय (प्रबंधन तथा नियंत्रण) विधेयक, 2005, दिवालिया तथा ऋणदाता अधिकार (भारत) संबंधी मानकों तथा संहिता (आरओएससी) अध्ययन के अनुपालन पर रिपोर्ट, निधि कंपनियों, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अभियोजन तंत्र को कारगर बनाने से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए एमसीए द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) तथा वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 से संबंधित हैं ।

अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम

समिति ने दो अर्हतोत्तर पाठ्यक्रमों, अर्थात् "ऋणदाताओं के अधिकारों का संरक्षण तथा दिवालियापन विधि" और "निगमित मूल्यांकन" की सिफारिश की है तथा आईसीएआई की परिषद ने इन पाठ्यक्रमों को सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, समिति ने सदस्यों के फायदे के लिए माध्यस्थम तथा स्वतंत्र निदेशकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया । समिति ने संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों का भी आयोजन किया जिसमें निगमित तथा सहबद्ध विधियों से संबंधित अनुध्यात विषयों की एक व्यापक श्रृंखला सम्मिलित थी । समिति ने मुम्बई तथा कोलकाता में भारतीय कंपनी विधि सेवा के पदाधिकारियों के लिए दो प्रशिक्षण कायक्रमों का भी आयोजन किया । समिति ने हरियाणा पुलिस के पदाधिकारियों के लिए साइबर कपट तथा इसके निवारण पर कार्यशाला, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन प्रक्रियात्मक पहलुओं के सरलीकरण पर कार्यशाला तथा निगमित विधि, प्रकटन अपेक्षाएं तथा अनुसूची VI के परिवर्तन पर फिक्की-आईसीएआई राष्ट्रीय गुप्त सभा का भी आयोजन किया ।

निगमित मूल्यांकक संबंधी कार्य समूह

कंपनी कार्य मंत्रालय ने निगमित मूल्यांककों की संस्थानिक संरचना तैयार करने की अपेक्षा की समीक्षा करने तथा उस पर सुझाव देने तथा निगमित मूल्यांककों के माडल पाठ्यक्रम का सुझाव देने के लिए दो कार्य समूहों का गठन किया है । दोनों समूहों ने वाद-विवाद संबंधी कार्य को पूरा कर लिया है । आईसीएआई ने दोनों समितियों पर अपना नामनिर्देशिता भेजा था ।

5.6 **राजकोषीय विधियां**

वित्तीय विधि समिति ने राज्य स्तरीय वैट के क्षेत्र में पुरोगामी कार्य किया है तथा "भारत में राज्यस्तरीय वैट - एक अध्ययन" पुस्तक भी प्रकाशित की हे । इसने माडल वैट संपरीक्षा रिपोर्ट भी तैयार की है तथा उसे

सुसंगत विनियमों को विरचित करते समय उनके विचार विमर्श के लिए सभी राज्य सरकारों को भेज दिया है ।

समिति के प्रयासों के कारण, विस्तृत परामर्श के पश्चात् सरकार ने संपरीक्षा करने में डेस्क पुनर्विलोकन प्रक्रम पर चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सेवाओं का उपयोग करना आरंभ कर दिया है ।

समिति ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण का पुनरीक्षण किया है तथा उसके पांचवें संसस्करण को प्रकाशित किया गया था । "अंतरराष्ट्रीय कराधान के पहलू - एक अध्ययन" नामक अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी एक व्यापक अध्ययन को भी प्रकाशित किया गया ।

कर आधार का विस्तार तथा कर अपवंचन तथा कर प्रशासन के कंप्यूटरीकरण के महत्वपूर्ण विषय पर एक विस्तृत ज्ञापन वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया । वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को ज्ञापन प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप, आईसीएआई ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से समिति के समक्ष एक निजी प्रस्तुतीकरण की । प्रस्तुतीकरण से उद्भूत विषयों पर, संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष ने आईसीएआई द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर और स्पष्टीकरण मांगा, जिन्हें सम्यक् रूप से प्रस्तुत किया गया ।

पूर्व की भांति, समिति ने बजटोत्तर ज्ञापन, 2006 प्रस्तुत किया जिसमें से कुछ सुझावों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था तथा कानून में सम्मिलित कर लिया गया । एक बजट कार्यशाला - 2006 का आयोजन किया था जिसमें वित्त विधेयक, 2006 में अंतर्विष्ट विभिन्न प्रस्तावों पर वृत्ति के सुविख्यात सदस्यों ने आईसीएआई के विचारों को प्रस्तुत किया । तत्पश्चात्, आलोचनात्मक विश्लेषणों वाला बजटोत्तर ज्ञापन - 2006 तथा वित्त विधेयक, 2006 के विभिन्न खंडों पर आईसीएआई के सुझावों को सरकार को प्रस्तुत किया । इसके अतिरिक्त, वित्त विधेयक, 2006 के खंडों पर सुविख्यात सदस्यों के लेखों वाला जर्नल का एक विशेष अंक भी प्रकाशित किया गया था ।

सरकार ने बजट अधिसूचना के माध्यम से, लेखांकन तथा सेवाओं से भिन्न सेवाओं के संबंध में प्रेक्टिस कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंटों को दी गई छूट को वापस ले लिया गया जिसके कारण प्रेक्टिस कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा दी गई सभी सेवाओं को सेवा कर के लिए दायी बनाया जा सके । आईसीएआई ने अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क बोर्ड को अभ्यावेदन दिए । इसके अतिरिक्त, इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री को एक अभ्यावेदन भेजा गया था । इस संबंध में राष्ट्रपति ने माननीय वित्त मंत्री के साथ एक निजी बैठक की । इन जोरदार प्रयासों के कारण, सरकार ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जानकारी में लाए गए मुद्दे से उद्भूत अभ्यावेदन सेवाओं के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंटों को छूट प्रदान की ।

संस्थान के जर्नल में प्रकाशन के लिए विधिक विनिश्चयों तथा परिपत्रों का सारांश तथा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों संबंधी अधिसूचनाओं के रूप में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान की गई थी । समिति ने विशाखापटनम में उत्कृष्टता के उपलक्ष्य में अखिल भारती सम्मेलन का आयोजन किया, त्रिसूर में राजकोषीय तथा सहबद्ध विधि संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया तथा राजकोषीय विधि से उद्भूत विषयों पर जानकारी तथा ज्ञान का प्रसार करने के लिए अनेक संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों का आयोजन किया ।

5.7 वित्तीय बाजार तथा निवेशकर्ता संरक्षण

हाल ही में भारतीय वित्तीय बाजार की वृद्धि में असाधारण प्रफुल्लता ने विश्व में अन्यत्र निवेश केन्द्रों के कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है । वित्तीय संस्थाओं और विदेशी संस्थानिक निवेशकों के आने से भारत को निवेश के लिए एक प्रमुख केन्द्र के रूप में देखा जाता है । बजट 2006 में पूंजी बाजार को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुधार किए हैं तथा इसकी स्वच्छ तस्वीर को ध्यान में रखते हुए समिति ने इस पर नए सिरे से विचार किया है तथा वर्ष 2006-07 वर्ष के लिए इसकी विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है । वित्तीय बाजार की तर्ज पर विभिन्न गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए समिति ने अपनी कार्रवाई योजना में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है :-

* **ईक्विटी अनुसंधान** - समिति ईक्विटी बाजार पर ईक्विटी अनुसंधान तथा अनुसंधान करने संबंधी संकल्पना पत्र के प्रारूप को लाने के बारे में वचनबद्ध है । प्रारंभिक प्रक्रिया के रूप में प्रारूप पत्र पर हाल ही में विचार किया

गया ।

* **स्टाक ब्रोकर प्रचालनों की संपरीक्षा को सरल और कारगर बनाना** - समिति स्टाक ब्रोकरों के प्रचालन की संपरीक्षा को सरल और कारगर बनाने में सामाजिक उद्देश्य के साथ बृहत स्तर पर सेबी को सुझाव देने और उनकी जवाबदेही के लिए, समिति इस विषय पर एक अध्ययन आरंभ करने की प्रक्रिया में है ।

* **प्रत्यक्ष कर अर्थात वित्तीय बाजार तथा सामान्य निवेशकर्ता के प्रभाव संबंधी अनुसंधान पत्र** - संघीय बजट को प्रत्येक निवेशकर्ता द्वारा भविष्य में आगे बढ़ने के लिए एक संभावित दस्तावेज तथा स्टाक बाजार में निवेश के लिए सम्पन्नता के रूप में देखा जाता है । इस पहलू में अनुसंधान को विकसित करने के लिए समिति इसे प्रारूप अनुसंधान पत्र तैयार करने के लिए उचित समझती है जिस पर अभी कार्य चल रहा है ।

* **प्रकाशन**

- **खंड 49 पर मार्गदर्शक टिप्पण** - प्रकाशन से संबंधित कार्य जिसे विगत वर्ष आरंभ किया गया था, को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और समिति ने सूचीबद्ध करार के खंड 49 के अधीन यथाअनुबद्ध निगमित शासन के स्पष्टीकरण पर पुनरीक्षित प्रारूप मार्गदर्शक टिप्पण प्रकाशित किया ।
- **निवेशकर्ताओं के लिए बैंकिंग विनिवेश** - पोर्टफोलियो निवेश तथा बैंकिंग संबंधी निवेशकर्ता के लिए सामान्य साहित्य ।
- **करो और न करो** - निवेशकर्ताओं के लिए करो और न करो साहित्य ।
- **पूंजी बाजार विनयम पर हस्त पुस्तिका** - यह पुस्तक प्रकाशित की जा चुकी है ।

कार्यक्रम

संपूर्ण देश के विभिन्न स्थानों पर निवेशकर्ता जागरूकता कार्यक्रम करने का विचार किया गया । कार्यक्रम पहले ही अप्रैल से जुलाई, 2006 के दौरान गंटूर, आगरा, गाजियाबाद, अम्बाला में किए गए थे । अन्य कार्यक्रमों को हाल ही में अंतिम रूप दिया गया ।

- **संघीय बजट 2006 तथा पूंजी बाजार पर सार्वजनिक कार्यक्रम** - 7 मार्च, 2006 को मुम्बई में इस विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसे सुविख्यात निवेश विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और अन्य द्वारा संबोधित किया गया । कार्यक्रम में लगभग 600 व्यक्तियों ने भाग लिया ।

- **निवेशकर्ता संगम की राष्ट्रीय गुप्त सभा तथा चेन्नई स्थित उपभोक्ता फोरम** - इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

विनियामक प्राधिकारियों के साथ सक्रिय संवाद

समिति के अध्यक्ष ने, सेबी, आरबीआई, बीएसई,एनएसई, एमसीडीएक्स के वरिष्ठ पदाधिकारियों और अन्य विनियामक प्राधिकारियों के साथ बैठक की । इस संबंध में, सेबी के कार्यपालक निदेशक के साथ सक्रिय विचार विमर्श किया गया था ।

5.8 **विशेषज्ञ राय**

आर्थिक वृद्धि के दौर में, कारबार संव्यवहार और अधिक जटिल तथा पेचीदा हो गया है । इसके अतिरिक्त, लेखाकारों तथा संपरीक्षकों को अपना कृत्य ऐसे विभिन्न लेखांकन और संपरीक्षा मानकों की परिधि के भीतर करना होता है । जिन्हें पिछले कुछ वर्षों से अधिक महत्व और स्वीकृति मिल रही है । ऐसे जटिल वातावरण में, संस्थान के सदस्यों को हमेशा कुछ नाजुक ऐसी परिस्थितियों के साथ चलना पड़ता है जहां प्रमाणित विचार विमर्श की अपेक्षा होती है । इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संस्थान की परिषद ने व्यापक मुद्दों पर आइसीएआई के सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है । समिति लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों तथा अन्य सहबद्ध विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर

देती है तथा साधारण नियम के रूप में, ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है जिनमें विभिन्न अधिनियमितियों के विधिक निर्वचन ही सम्मिलित हो और जो वृत्तिक कदाचार से संबंधित मामले हों । यह उस विषय से संबंधित उन प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देती है जो आईसीएयू की अनुशासनिक समिति, विधि के किसी न्यायालय, आयकर प्राधिकारियों या सरकार के किसी अन्य समुचित विभाग के समक्ष लंबित हों । सलाहकार सेवा नियम आईसीएआई की वेबसाइट www.Icai.org./resource/eacrule.html पर उपलब्ध है या नई दिल्ली स्थित संस्थान के मुख्यालय से अभिप्राप्त किए जा सकते हैं और जानकारी के लिए eac@IcalI.org. पर ई मेल के माध्यम से सचिव, विशेषज्ञ सलाह समिति से संपर्क किया जा सकता है ।

यद्यपि, विशेषज्ञ सलाहकार समिति को परिषद् द्वारा नियुक्त किया गया है फिर भी समिति द्वारा दी गई राय या अभिव्यक्त विचार समिति की राय या विचार को निरूपित करते हैं न कि संस्थान की परिषद् की शासकीय राय को । समिति प्रश्नकर्ताओं द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष राय प्रदान करती है । 1.4.2005 से 20.9.2006 की अवधि के दौरान, समिति ने धारा 115जख के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के लिए लेखांकन तथा उसके संबंध में उपलब्ध उधार, भागतः प्रतिभूत बांडों का प्रकटन, अंतिम माइन समापन व्यय के लिए उपबंध के संबंध में आस्थगित कर आस्ति का सृजन, टोनेज कर स्कीम को स्वीकार करने पर आस्थगित कर आस्तियों का निरूपण, एएस 3 और एएस 28 की उपयोज्यता, एएस 28 के अधीन संक्रमणकालीन उपबंधों के अनुसरण में राजस्व आरिक्षिति के प्रति प्रत्यक्षतः समायोजित हानि के आस्थगित प्रभाव आदि जैसे व्यापक मुद्दों पर 61 रायों को अंतिम रूप दिया ।

उन रायों को, जो समिति के प्रश्नकर्ताओं को दी जाती हैं, रायों के कंपोडियम में भी प्रकाशित किया जाता है । अब तक कंपोडियम के चौबीस संस्करणों जिसमें जनवरी, 2005 तक समिति द्वारा दी गई रायें भी सम्मिलित हैं, को बिक्री के लिए जारी कर दिया गया है । कंपोडियम का पचीसवां संस्करण, जिसमें फरवरी, 2005 और जनवरी, 2006 के बीच समिति द्वारा दी गई रायें सम्मिलित हैं, का संकलन किया जा रहा है । समिति द्वारा अंतिम रूप से दी गई कुछ रायों को संस्थान की पत्रिका " दि चार्टर्ड अकाउंटेंट" के प्रत्येक अंक में प्रकाशित किया जा रहा है ।

5.9 **सतत् वृत्तिक शिक्षा**

सामान्य अवलोकन

रिपोर्टाधीन वर्ष भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रास्थिति को विश्व में बेहतरी के साथ वृत्तिक प्रदान करने तुलनीय सुभोग्य वृत्तिकों के रूप में बनाए रखने के संस्थान के निरंतर प्रयास में एक ऐतिहासिक रहा है । आईसीएआई हमेशा अपने सदस्यों द्वारा दी गई वृत्तिक सेवाओं के मानक में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करता आया है । वृत्तिक सेवाओं के सर्वोच्च मानाकों को बनाए रखने में सदस्यों की सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए तथा इन्हें संस्थान की सतत् वृत्तिक शिक्षा समिति द्वारा कार्यान्वित किया गया ।

अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्य प्रणाली पर, कलेंडर वर्ष, 2006 के लिए सीपीई अपेक्षाओं को पुनरीक्षित किया गया है जिससे कि :-

- प्रेक्टिस कर रहे सभी सदस्यों (कुछ अपवादों सहित) से कलेंडर वर्ष, 2006 के दौरान न्यूनतम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे अभिप्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है ।

- प्रेक्टिस के अलावा अन्य कार्यों में लगे सदस्यों से कलेंडर वर्ष 2006 के दौरान सीजीई क्रेडिट के न्यूनतम दस घंटों का उपार्जन करने की सिफारिश की जाती है ।

- विदेश में रहने वाले सदस्यों के लिए सीपीई क्रेडिट घंटों की अपेक्षाएं केवल अनुशासात्मक हैं।

सीपीई पोर्टल का शुभारंभ

समिति ने आनलाइन सदस्यों की सीपीई क्रेडिट के डाटाबेस को बनाए रखने की पहल की है और आईसीएआई के सदस्यों द्वारा उपार्जित सीपीई घंटों की रिकार्डिंग तथा उसके अभिलेखों को बनाए रखने के लिए आनलाइन सीपीई पोर्टल (http://www.cpeIcaI.org.) को विकसित किया है ।

प्रणाली सदस्यों को उनके द्वारा उपार्जित सीमीई क्रेडिट घंटों के साथ उनको नवीनतम जानकारी प्रदान करती है । सदस्य अपना आई डी तथा पासवर्ड का उपयोग करते हुए सीपीई पोर्टल को खोलकर सीपीई घंटों की प्रास्थिति का जायजा ले सकते हैं । पोटर्ल केन्द्रीय समिति, क्षेत्रीय परिषद, विदेशी चैप्टरों, सीपीई चैप्टरों, सीपीई अध्ययन जर्नल और सीपीई अध्ययन समूहों जैसे विभिन्न पीओयू द्वारा भारत तथा विदेश में आयोजित कार्यक्रमों के संबंध में भी जानकारी प्रदान करता है ।

कार्यक्रम आयोजित करने वाले यूनिटों को सशक्त बनाना

सीपीई कार्यक्रम संयोजन यूनिट (पीओयू) द्वारा सम्मिलित किए जाने वाले विषयों में एकरूपता को बनाए रखने के दोहरे उद्देश्य से तथा कार्यालय में जाए बिना, सीपीई क्रेडिट घंटों को अवधारित करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए, सीपीई कलेंडर को सम्यक् परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् जारी कर दिया गया है जिसमें व्यावहारिक विषय प्रेक्टिस कर रहे सदस्यों के लिए ही सुसंगत नहीं है अपितु नौकरी कर रहे सदस्यों के लिए भी सुसंगत है । मैट्रो, बड़े तथा छोटे शहरों, मुफ़रिसल तथा दूरस्थ स्थानों में सदस्यों की सीपीई अपेक्षाओं को संबोधित करने में सम्यक् सावधानी बरती गई थी । पूर्व वर्षों की तरह ही, सीपीई केलेंडर को दो भागों में अर्थात् अनिवार्य विषय और वैकल्पिक विषय में विभाजित कहा गया था । वर्ष 2006-07 के लिए अनिवार्य विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित है :-

लेखांकन तथा संपरीक्षा

1. आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक
2. आईसीएआई द्वारा जारी संपरीक्षा, आश्वासन तथा क्वालिटी मानक
3. लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी आईसीएआई की उद्घोषणाएं तथा अन्य दस्तावेज
4. क्षेत्रवार/उद्योगवार व्यावहारिक प्रस्तुतीकरण के साथ लेखांकन दस्तावेज
5. लेखांकन मानक तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस)
6. यू.एस. और यू.के. जीएएपी
7. आंतरिक संपरीक्षा मानक
8. पीयर रिव्यू - प्रेक्टिस यूनिट के लिए प्रणाली, प्रक्रिया तथा दस्तावेजीकरण
9. सर्बेन्स आक्सले अधिनियम
10. शहरी स्थानीय निकायों का लेखांकन
11. न्यायालयिक लेखांकन तथा संपरीक्षा
12. आंतरिक लेखा तथा आंतरिक नियंत्रण
13. सेवा कर संपरीक्षा
14. वैट संपरीक्षा
15. जोखिम आधारित आंतरिक संपरीक्षा

सूचना प्रौद्योगिकी

16. कम्प्यूटरीकरण वातावरण में संपरीक्षा
17. कम्प्यूटर सहायता प्राप्त संपरीक्षा तकनीक तथा अन्य उपकरण
18. कम्प्यूटर का उपयोग करके वित्तीय अपराधों का पता लगाना और निवारण
19. आय-कर अधिनियम तथा अन्य विधियों के अधीन ई - फाइलिंग रिटर्न
20. सूचना प्रणाली संपरीक्षा - प्रशिक्षण कार्यक्रम, मामला अध्ययन, परामर्शी तथा दस्तावेजीकरण
21. प्रणाली संपरीक्षा तथा सहबद्ध क्षेत्र जैसे विपदा प्रबंध, सुरक्षा नीति, प्रक्रिया, मानक और जोखिम विश्लेषण
22. ईआरपी और एसएपी
23. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियमा का अवलोकन

कराधान

24. आय-कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षा - तैयारी, प्रस्तुतीकरण और दस्तावेजीकरण
25. अवक्षयण लेखांकन, कराधान तथा कंपनी विधि के मुद्दे
26. अप्रत्यक्ष कराधान में उभरते हुए मुद्दे
27. व्यवसाय कराधान संबंधी मुद्दे
28. अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी मुद्दे
29. राष्ट्रीय कर अधिकरण सहित कर अधिकरण - चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका
30. प्रत्यक्ष कर विधियों संबंधी वर्तमान निर्णय
31. सेवा कर - विधि और व्यवहार
32. अनिवासी भारतीय का कराधान - वर्तमान विकास
33. कर विधियों के अधीन स्थगन, कर वसूली तथा अन्य सहबद्ध उपबंध
34. अंतरण कीमत
35. निगमित कराधान
36. फ्रिंज बेनिफिट कर (एफबीटी)
37. मूल्य वर्धित कर (वेट)
38. सर्वेक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण - चालू विकास
39. डेस्क पुनर्विलोकन

निगमित विधियां

40. कंपनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ)
41. एनसीएलटी विधि तथा व्यवहार
42. एमसीए 21 - वृत्ति के लिए चुनौतियां तथा अवसर

आचार संहिता

43. आईसीएआई की नीतिगत संहिता और सुसंगत उभरते हुए मुद्दे

वित्त तथा पूंजी बाजार

44. व्युत्पत्तियां : भावी तथा विकल्प
45. रेजिंग निधि का स्त्रोत
46. वित्त तथा पूंजी बाजार का वर्तमान रूझान
47. अंतरराष्ट्रीय वित्त
48. एफडीआई नियम
49. परियोजना रिपोर्ट तथा मूल्य निर्धारण

निगमित शासन

50. सूचीबद्ध करार
51. संपरीक्षा समिति चार्टर
52. संपरीक्षा समिति तथा स्वतंत्र निदेशक
53. निगमित शासन में वर्तमान विकास
54. सीओएसओ, सीओबीआईटी और ईआरपी

अन्य :

55. कारबार प्रक्रिया बाहरी स्त्रोत : चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए
56. ज्ञान प्रक्रिया बाहरी स्त्रोत : चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अवसर
57. कपट अन्वेषण तथा रिपोर्टिंग
58. न्यायशासत्र, विधि का निर्वचन तथा साक्ष्य अधिनियम
59. सम्यक परिश्रम तथा मूल्यांकन
60. धनीय सीमा
61. सीए संशोधन अधिनियम, 2006
62. सीए फर्मों का विलय, अविलय तथा क्षमता निर्माण

व्यवहार तथा उद्योग में संस्थान के सदस्यों की प्रासंगिकता वाले वैकल्पिक विषयों में 91 विषय सम्मिलित हैं । इसके अलावा, कलेन्डर में, विषयों में 8 मुख्य शीर्ष भी सम्मिलित हैं जो विशेषकर उद्योग वाले सदस्यों के प्रासंगिक हैं ।

सीपीई क्रेडिट घंटों की बढ़ी हुई मात्रा को पूरा करने के लिए सदस्यों को समर्थ बनाने हेतु, संस्थान के सीपीई कार्यक्रम संयोजित यूनिट विशेषकर क्षेत्रीय परिषद्, क्षेत्रीय परिषद् की शाखाएं, सीपीई अध्ययन सर्किल तथा सीपीई चैप्टरों को यह सलाह दी गई है कि वे ऐसे प्रदायों, जो ऐसे पीओयु में कार्य कर रहे हैं, के साथ न्यूनतम सीपीई कार्यक्रमों का संचालन करें ।

सीपीई कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बनाए रखना

सीपीई समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, सीपीई सीपीयू द्वारा आयोजित किए जाने वाले सीपीई कार्यक्रम की गुणवत्ता को मानीटर करने के लिए क्षेत्रीय सीपीई मानटरिंग समितियां बनाई हैं। जैसा कि सीपीई एडवाइजरी आन मानिटर्स एंड सुपरवाइजर्स के अंतर्गत अपेक्षित है, ऊपर कथित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानिटर तथा सुपरवाइजर नामनिर्दिष्ट किए जा रहे हैं ।

सीपीई कार्यक्रमों को "राष्ट्रीय", "अंतरराष्ट्रीय" तथा " अखिल भारतीय" का प्रास्थिति का दिया जाना

समिति ने सीपीई कार्यक्रमों को "राष्ट्रीय", " अंतरराष्ट्रीय" तथा " अखिल भारतीय" की प्रास्थिति प्रदान करने के लिए उपयुक्त पैरामीटर बनाने के लिए पहल की है जिससे कि उक्त प्रास्थिति को सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या, फैकल्टी की राष्ट्रीयता/रिसोर्स व्यक्ति/उस क्षेत्र, जिससे भाग लेने वाले/संकाय संबंधित है, के अनुसार प्रदान किया जा सके । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, समिति ने सीपीई कार्यक्रमों को "राष्ट्रीय", " अंतरराष्ट्रीय" तथा " अखिल भारतीय" की प्रास्थिति प्रदान करने के लिए पैरामीटर तैयार कर दिए हैं ।

प्रबंध तथा लेखांकन अनुसंधान

लेखांकन, संपरीक्षा, प्रबंध, आर्थिक क्षेत्र तथा सहबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने की दृष्टि से, समिति निरंतर तिमाही अनुसंधान पत्रिका प्रबंध और लेखांकन अनुसंधान प्रकाशित कर रही हे । पत्रिका और भारत में विदेश के विशेषज्ञों से तकनीकी लेखा सम्मिलित किए जाते हैं । समिति ने इस पत्रिका के लिए विशेषज्ञों द्वारा बेहतर लेख लिखने के लिए लेखकों तथा पुनर्विलोकनामती को संदेय मानदेय पुनरीक्षित किया है ।

सीपीई समिति की अन्य पहलें

सीपीई समिति ने निम्नलिखित अनुकूल पहल संबंधी कार्य किए हैं :

संस्थान के सदस्यों के लिए अन्य विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों के संबंध में सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र का संचालन करना ।

- उद्योग में सदस्यों के फायदों के लिए और अधिक इन-हाउस कार्यपालक विकास कार्यक्रम का आयोजन ।
- सतत वृत्तिक शिक्षा संबंधी विवरण का पुनरीक्षण

- इस प्रकार आयोजित कार्यक्रमों की अपेक्षित क्वालिटी को बनाए रखने के प्रयोजन के लिए सीपीई अध्ययन सर्किल, सीपीई चैप्टरों तथा सीपीई अध्ययन समूहों की विरचना तथा कृत्यों के लिए संनियमों का पुनरीक्षण

- प्रबंध अकाउंटेंसी संबंधी अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण पाठ्यचर्या का पुनरीक्षण

- सदस्यों के लिए ई लर्निंग समाधान का कार्यान्वयन

5.10 **वृत्तिक विकास समिति**

वृत्तिक विकास समिति ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संस्थान के सदस्यों के लिए अवसरों की खोज करने, पाने, विकसित करने तथा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए हैं । समिति, पिछले कई वर्षों से, सदस्यों के लिए नए-नए/विद्यमान क्षेत्रों की खोज करके/पता करके और अधिक वृत्तिक अवसरों का पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है जहां सदस्यों की विशेषता का बेहतर और लाभदायक रीति से उपयोग किया जा सके । समिति यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि वृत्ति के सभी सदस्यों को साम्य अवसर उपलब्ध हों । इस प्रक्रिया के भाग रूप में, समिति भारत तथा विदेशों में विनियामक/पैनलित प्राधिकरणों या वृत्ति की सेवाओं के उपयोगकर्ताओं से निरंतर विचार-विमर्श कर रही है ।

इस रिपोर्टाधीन अवधि में वृत्तिक विकास समिति की प्रमुख उपलब्धियां/प्रयास नीचे दिए गए हैं :-

पिछले वर्ष की भांति, बहुप्रयोज्य पैनल आवेदन प्ररूप को होस्ट किया । सदस्य/फर्म वेबसाइट से फार्म को डाउनलोडिंग करने के पश्चात् प्ररूप को आनलाइन भर सकते हैं तथा इंटरनेट को जोड़ने के पश्चात् अपने सम्यक् रूप से भरे फार्म को अपलोड कर सकते हैं ।

- चार्टर्ड अकाउंटेंटों तथा उनकी फर्मों से व्यष्टिक आवेदन चाहने के बजाय आईसीएआई से ही संपरीक्षा के सभी पैनलों की उपाप्ति के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सरकारी आदेश को जारी किया जाना ।

- पिछले वर्ष विकसित वृत्तिक विकास ज्ञान पोर्टल www.pdicai.org. सदस्यों को समय पर अपनी सेवाएं निरंतर दे रहा है तथा सदस्यों को व्यवहार विकास और वृत्तिक अवसर के सबंध में आवश्यक जानकारी दे रहा है ।

- बैंकों की संपरीक्षा से संबंधित विभिन्न मामलों पर आरबीआई के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श ।

- भारत के सीएंडएजी के कार्यालय के साथ सदस्यों से सीधे हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की ।

- पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए नबार्ड के पदाधिकारियों के साथ बैठकें की ।

- पारिस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए बैंककारी विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की ।

- खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पदाधिकारियों के साथ बैठकें की ।

- पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एशियन विकास बैंक (एडीवी), इंडो-यूएस फायर (डी) परियोजना, अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), भारत तथा विश्व बैंक के पदाधिकारियों के साथ बैठक की ।

- वैट को प्रारंभ करने के बारे में विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अभ्यावेदन भेजे गए ।

- सब-ट्रेजरियों तथा एक्सपेंडिंग विभागों की आंतरिक संपरीक्षा करने के बारे में विभिन्न राज्यों के वित्त सचिवों को अभ्यावेदन भेजे गए ।

- पंचायती राज संस्थानों में वित्तीय और लेखांकन सुधार तथा क्षमता - निर्माण के बारे में विभिन्न राज्यों के मंत्री, पंचायती राज को अभ्यावेदन भेजे गए ।

- वर्ष 2005-06 के लिए बैंक शाखाओं की संपरीक्षा के लिए आबंटन स्थिति के बारे में जानकारी को संस्थान

की वेबसाइट पर डाला गया ।

उपरोक्त के अलावा, समिति निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है:

- सभी उपलब्ध तथा संभावित अवसरों की खोज तथा उपयोग ताकि संस्थान के सदस्यों के लिए वृत्तिक विकास तथा वृद्धि के नए अवसर सुनिश्चित किए जा सकें ।

- वृत्ति प्रभावित करने वाले मामलों पर उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करना ।

- ऐसे विभिन्न विषयों पर जो समिति के मुख्य मिशन से संबंधित हैं, पाठ्यक्रम, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना ।

- चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए विकासित संभाव्य क्षेत्रों के संबंध में उन्हें दिए जाने वाले मार्गदर्शन की रीति और प्ररूप अवधारित करना ।

- वृत्ति की सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि निकायों के साथ संसूचना प्रक्रिया में सुधार करना जिससे कि वृत्ति के सभी सदस्यों को उनकी योग्यता और शिशेषज्ञता के अनुरूप वृत्रि के सभी सदस्यों को समान अवसर प्राप्त हों ।

- सदस्यों के कौशल तथा योग्यता में सुधार करने में विनिर्दिष्ट सहायता देने के लिए उपायों तथा साधनों पर विचार करना (साधारणतया यह संस्थान के अन्य समिति के सिफारिशों के रूप में होगी)।

- अंत में, यह सुनिश्चित करना कि वृत्तिक विकास के विद्यमान अवसरों को न्यायसंगत और वृद्धि उन्मुख स्तरों पर पूर्णतया उपयोग और उन्हें बनाए रखा जाए ।

समिति अपने इस दायित्व के प्रति भी सचेत हैं कि वह वृत्तिक अवसरों के नए पहलुओं से संबंधित क्षेत्रों में सदस्यों को शिक्षित करें । इस दृष्टि से, समिति ने निम्नलिखित कार्यक्रमों/संगोष्ठियों का आयोजन किया :-

- मुम्बई "सरबेन्स आक्सले अधिनियम - एन ओरिएंटेशन" संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

- हिसार में "राज्य सरकारों में वित्तीय तथा लेखांकन सुधार तथा चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका" संबंधी कार्यक्रम ।

- नागपुर में "प्रेक्टिस डिवेलपमेंट - दि रोड एहेड" संबंधी अखिल भारतीय सम्मेलन ।

- अमृतसर में "कंसल्टिंग - फंडिंग दि ऐज" संबंधी कार्यशाला ।

5.11 <u>पियर रिव्यू बोर्ड</u>

आईसीएआई द्वारा प्रारंभ - इस संबंध में एक नेतृत्व - प्राप्त फीड बैक के अनुसार, देश में - इस निमित्त एक नेता के रूप में - आईसीएआई द्वारा प्रारंभ पियर रिव्यू तंत्र का बहुत बड़ी संख्या में वृत्ति के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया ।

वर्ष 2002 में आईसीएआई की परिषद द्वारा गठित पियर रिव्यू बोर्ड, जिसमें कंपनी कार्य मंत्रालय, सीएंडएजी, उद्योग तथा आरबीआई जैसे निकायों से परिषद के सदस्य तथा परिषद सम्मिलित हैं, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है कि बेहतर ग्लोबल प्रेक्टिस के अनुसार पुनर्विलोकन किया जाता है । बोर्ड ने पियर रिव्यू प्रक्रिया के ब्यौरे वाले तथा इसके विभिन्न पहलुओं में इसको प्रदान करने के लिए पियर रिव्यू मैनुअल निकाला है ।

इस क्रम में कि पुनर्विलोकनकर्ताओं द्वारा सुसंगतता और एकरूपता का पुनर्विलोकन किया जाता है । बोर्ड पुनर्विलोकनकर्ताओं को रिव्यू के लिए प्रेक्टिस यूनिटों को उनको समनुदेशित करने से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है । प्रशिक्षण माड्यूल जो " पियर रिवीवरों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल" नामक पुस्तक के रूप में इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से विकसित किया है, रिवीवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है तथा प्रशिक्षण सुसाध्यक के लिए मार्गदर्शन भी देता है कि रिवीवर का प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है ।

प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के दौरान, पियर रिव्यू प्रक्रिया, प्रेक्टिस यूनिटों की बाध्यताएं, रिव्यूअर की भूमिका, बोर्ड की शक्तियां, अनुशासनिक अधिकारिता आदि से रोधन संबंधी असंख्य प्रश्न उदभूत होते हैं । जबकि प्रशिक्षक अपनी सर्वोतम योग्यता से इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं । बोर्ड इन प्रश्नों को बुकलेट रूप में संकलित करना उपयुक्त समझता है तथा तदनुसार एफएक्यू संबंधी प्रकाशन को भी जारी किया गया है ।

पियर रिव्यू प्रक्रिया का उद्देश्य तीन चरणों में क्रमबद्ध रीति से चार्टर्ड अकांउंटेंटों की सभी फर्मों को सम्मिलित करना है । पीयू का चयन विशेष रूप से विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से रेन्डम आधार पर किया जाता है । पी.यू. में सम्मिलित चरण 1 का तीन क्रमबद्ध रीति से चयन किया गया है तथा जो अभी प्रक्रम 2 से अंतर्गत सम्मिलित है को 2 क्रमबद्ध रीति से चयन किया गया है । प्रक्रम 3 के अधीन पीयू का चयन किया गया है । प्रक्रम 3 के अधीन पीयू का चयन उसके फेज 1 के अधीन भी किया गया है । चयनित पीयू के ब्यौरे पूरा किया गया रिव्यू तथा पीयर रिव्यू प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के परिशिष्ट में दिए गए हैं ।

5.12 उद्योग में सदस्यों के लिए समिति

सामान्य अवलोकन

उद्योग में सदस्यों की समिति आईसीएआई तथा विभिन्न हैसियत से उद्योगों में कार्य कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंटों के बीच निकट संपर्क बढ़ाने में लगी हुई है जिससे कि सरकारी संगठनों तथा अभिकरणों के साथ गहन तथा व्यापक नातेदारी के विकास के माध्यम से ज्ञान, विशेषज्ञता, कौशल तथा व्यष्टि के कैरियर में सहायता दी जा सके । ताकि उन्हें नियोजन के अधिकतम अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को साथ-साथ पूरा करते समय विश्व व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा शासन को हर संभव अधिकतम अपावरण प्रदान किया जा सके ।

समिति, उद्योग में अवसरों का पता लगाने में संस्थान के सदस्यों को सहायता प्रदान करती है । इस संबंध में, समिति संस्थान के सदस्यों तथा छात्रों के निम्नलिखित तीन प्रवर्गों के संबंध में सेवाएं प्रदान करने में लगी हैं :-

(I) कैम्पस प्लेसमेंट कार्यक्रम के माध्यम से नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंट ।

(II) सेमी अर्हित लेखांकन वृत्तिक (ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम की आर्टिकलशिप पूरी कर ली है)

(III) अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंट - जो वर्तमान में उद्योग में सेवा कर रहे है ।

सभी उपरोक्त सेवाएं प्लेसमेंट पोटर्ल www.placements-IcaI.org. के माध्यम से प्रशासित की जा रही है । आईसीएआई प्लेसमेंट पोर्टल वृत्तिकों को वित्त तथा उद्योग में अंतरराष्ट्रीय बेहतर पद्वति ओरिएंटेड वित्त तथा लेखांकन संस्कृति और भारतीय उद्योग के लिए क्षमता निर्माण के उद्देश्यों के साथ विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है ।

कैम्पस साक्षात्कार

समिति सितम्बर - अक्तूबर, 2005 में मई, 2005 में अर्हित तथा फरवरी - मार्च, 2006 में नवम्बर 2005 में अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए कैम्पस साक्षात्कार का आयोजन करता है । सितम्बर - अक्तूबर, 2005 में हुए कैम्पस साक्षात्कार में 842 चार्टर्ड अकाउंटेंटों का चयन किया गया जबकि फरवरी - मार्च, 2006 में हुए कैम्पस साक्षात्कार में 1158 चार्टर्ड अकाउंटेंटों का चयन किया गया ।

अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा अर्ध अर्हित लेखांकन वृत्तिक

नियोजन पोर्टल के मध्यम से अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंटों तथा अर्ध अर्हित लेखांकन वृत्तिकों को नियोजन सेवाएं दी जा रही हैं । ऐसे अभ्यर्थी जो नौकरी देख रहे हैं, अपना नाम स्वयं पोर्टल में रजिस्टर करा सकते हैं तथा अपना प्रोफाइल भर सकते हैं । इसके अतिरिक्त, ऐसी इकाईयां जो अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंटों तथा अर्ध अर्हित लेखांकन वृत्तिकों की भर्ती करना चाहते हैं । अपने को स्वयं पोर्टल में रजिस्टर कर सकती है तथा अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा अर्ध अर्हित लेखांकन वृत्तिकों के लिए डाटाबेस प्राप्त कर सकते हैं जो 31

दिसंबर, 2006 तक निःशुल्क उपलब्ध हैं । पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और भर्ती करने वाले इकाईयों का रजिस्ट्रेशन स्तर 31 मई, 2006 को 2500 का आंकड़ा पार कर गया है ।

अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के रजिस्ट्रेशन स्तर के संबंध में संख्या 3000 को पार कर गई है तथा अर्ध अर्हित लेखांकन वृत्तिकों का रजिस्ट्रेशन स्तर 1000 को पार कर गया है ।

सीएफओ गिल्ड

सीएफओ के निकाय का रखरखाव समिति द्वारा किया जा रहा है । निकाय उद्योग में वरिष्ठ पदों वाले आईसीएआई के सदस्यों के लिए बनाए ऐसे निकाय को स्थापित करने का प्रारंभिक उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफार्म विकसित करना है जहां विभिन्न संगठनों से आए बहुत ही बुद्धिमान और कौशल प्रकृति के लोग साधारण रूप से वृत्ति से संबंधित विभिन्न मुद्दों तथा विशिष्ट रूप से उद्योग में सदस्यों के लिए, विचार विमर्श कर सकें । वे उद्योग की नजर में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की प्रतिभा में सुधार करने के लिए योजना नीतियां बना सकते हैं । उद्योग से संबंधित विषयों पर, विचार विमर्श करने के लिए उद्योग विनिर्दिष्ट संगोष्ठियों/सम्मेलनों/छोटी-छोटी बैठके करने की भी योजना बनाते हैं और उन्हें वृत्ति में ब्रांड अम्बेसडर बनाते हैं । सीएफओ गिल्ड में वर्तमान सदस्यों की संख्या लगभग 1400 है ।

कार्यक्रम/संगोष्ठियां/सम्मेलन

समिति, उद्योग में सदस्यों के फायदे के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन किया -

1. मुम्बई में 17 - 18 जून, 2005 को अखिल भारतीय सीएम II सम्मेलन ।
2. मुम्बई में 9 तथा 10 जुलाई, 2005 को सन्निर्माण संबंधी सम्मेलन ।
3. इंदौर में 23 जुलाई, 2005 को उद्योग में सदस्यों के लिए कार्यक्रम ।
4. कोलकाता में 12 से 13 अगस्त, 2005 को बिजनेस : पावरफुल इनेबलर फार एचिविंग रिमार्कबेल परफार्मेंस संबंधी अखिल भारतीय सम्मेलन ।
5. 8 सितंबर, 2005 को चेन्नई में पीआरसी तथा सीएम II द्वारा आयोजित वृत्तिक उत्कृष्टता संबंधी - राष्ट्रीय सीपीई सम्मेलन ।
6. गोवा में 22 से 24 सितम्बर, 2005 को अखिल भारतीय सम्मेलन ।
7. नई दिल्ली में 20 से 21 अक्तूबर, 2005 को नागर विमानन क्षेत्र संबंधी उद्योग आधारित कार्यक्रम ।
8. चेन्नई में 26 नवम्बर, 2005 को पीआरसी तथा सीएम II द्वारा आयोजित "प्रोफेशनल एनरिचमेंट" संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी ।
9. पुणे में 3 से 4 दिसंबर, 2005 को सूचना प्रौद्योगिकी और आटोमोबाइल क्षेत्र संबंधी उद्योग केन्द्रित राष्ट्रीय सम्मेलन ।
10. जमशेदपुर में 15 से 16 दिसम्बर, 2005 को कार्यक्रम - एक नया आयाम संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी ।
11. मुम्बई में 24 और 25 दिसम्बर, 2005 को मनोरंजन उद्योग संबंधी सम्मेलन ।
12. हैदराबाद में 26 से 29 दिसम्बर, 2005 को आईएफआरएस और यूएस जीएएपी पर पहली कार्यशाला ।
13. पीआरसी तथा सीएम II द्वारा आयोजित चेन्नई में 21 जनवरी, 2006 को रियल इस्टेट और सन्निर्माण उद्योग संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन ।
14. मुम्बई में 23-26 फरवरी, 2006 को आईएफआरएस और यूएस जेएएपी संबंधी दूसरी कार्यशाला ।
15. चेन्नई में 20 मई, 2006 को सीएफओ बैठक

16. नई दिल्ली में 2 जून, 2006 निदेशक (वित्त)/सीएफओ बैठक

सीएम II - न्यूज लेटर - निगमित विज्ञप्ति

सीएम II समाचारपत्र - निगमित विज्ञप्ति के तीन अंक जारी किए गए हैं :-

(I) जिल्द V - नवम्बर, 2005

(II) जिल्द VI - फरवरी, 2006

(iii) जिल्द VII - मई, 2006

समिति के अन्य प्रकाशन

उद्योग में सदस्यों के फायदे के लिए निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गऐ हैं :-

- नए अर्हित चार्टर्ड उकाउंटेंटों के लिए "साक्षात्कार बोर्ड का सामना कैसे करें" जो उन्हें अभिविन्यास कार्यक्रम के समय निःशुल्क वितरित किया जाएगा ।
- बनाए रखने योग्य रिपोर्टिंग

समिति निम्नलिखित युक्तिगत पहलुओं पर कार्य कर रही है : -

- समिति ने उद्योग में सदस्यों पर संकल्पना पत्र पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है । जिसके अंतर्गत उद्योग में सम्मिलित होने वाले सदस्यों के बढ़ते हुए रुझान, उनकी अपेक्षाओं की समझ तथा आईसीएआई के लिए आवश्यकताओं और साधनों को तद्नुसार समझने के लिए परिवर्तन होंगे । इस संबंध में, समिति ने 'उद्योग में सदस्यों के लिए' शीर्षक के अधीन एक प्रश्नावली (वेबसाइड www.placement-icai.org पर उपलब्ध) विकसित की है और सीएफओ मीट, संगोष्ठियों आदि जैसे अनेक फोरमों और उद्योगों में सदस्यों से सूचना प्राप्त कर रही है ।
- नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटैंटों के अंतिम नियोजन में और सुधार लाने के लिए नियोजन सेवाओं का विपणन ।
- नियोजन पोर्टल को लोकप्रिय बनाना ।
- उद्योग में सदस्यों से सुसंगत पुस्तकों का प्रकाशन
- सीएम II न्यूजलेटर का प्रकाशन
- प्रतिष्ठित और उद्योग में प्रमुख स्थिति धारित करने वाले सदसयों का आंकड़ा आधार सृजित करना ।
- संस्थान की गतिविधियों में उद्योग में सदस्यों की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए उपायों और साधनों पर विचार करना ।
- नए अर्हित चार्टर्ड उकाउंटेंटों की भर्ती के लिए आईसीआईसीआई बैंक लि. और एयरटेल के साथ एमओयू और करार जिससे अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी संख्या की भर्ती हुई ।
- उद्योग-विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
- देश में अनेक स्थानों पर निदेशक (वित्त)/सीएफओ की बैठकों का आयोजन करना ।

5.13 सूचना प्रौद्योगिकी

5.13.1 पर्यवलोकन

हाल के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी नवीनताओं ने आई. टी. की भूमिका में वृद्धि करके इसे कारबार समर्थक से

कारबार चालक बना दिया है । कारबार और सरकार अपने प्रमुख कारबारी कृत्यों में आई. टी. का बहुत अधिक प्रयोग कर रहे हैं तथा अधिक से अधिक सुविधाएं एवं ऑन लाइन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं - संस्थान द्वारा वीआईपी, बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग, एमसीए/आय-कर/विदेशी व्यापार द्वारा ई-शासन, पोर्टल, ऑन लाइन विक्रय, भारतीय रेल/एयर लाइन्स द्वारा आरक्षण इनके कुछ उदाहरण हैं । साथ ही साथ, भारतीय कारबार दृश्य विधान, कारबार अवरोधकों के हट जाने और विश्व के तेजी के साथ एक सार्वभौमिक ग्राम में परिवर्तित हो जाने से आई. टी. सामर्थ्य सेवाओं (आईटीईएस) का अधिक से अधिक प्रयोग अनेक क्षेत्रों में कर रहा है जैसे कारबार प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ)/ज्ञान प्रोसेस आउटसोर्सिंग (केपीओ) । बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा में यह आवश्यक है कि लेखाकार, संपरीक्षा/प्रचालन में, संपरीक्षा/विश्लेषण में कम्प्यूटर का अधिक प्रयोग औजार के रूप में करके दक्षता और प्रभावकारिता पर अधिक ध्यान दें ।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति, चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए आई. टी. चुनौतियों को आई. टी. अवसरों में परिवर्तित करने में लगी हुई है जिससे वे न केवल अपना अस्तित्व बनाए रखें बल्कि अपने प्रचालन की दक्षता और प्रभावकारिता में वृद्धि करके तथा अधिक से अधिक मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करके इस बदलती हुई अर्थ व्यवस्था में उन्नति भी करें जिनकी इस बदलती हुई अर्थ व्यवस्था में बड़ी मांग है । समिति द्वारा ली गई कुछ पहलें निम्नानुसार हैं : -

5.13.2 सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएस संपरीक्षा)/प्रणाली और प्रक्रिया आश्वासन (एसपीए) सेवाएं आईएसए पर पी क्यूसी पाठ्यक्रम

मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करते समय कारबार और सरकार द्वारा आईटी समाधानों के बढ़ते हुए फैलाव में समुचित प्रणालियों/पद्धतियों/प्रक्रियाओं/नियंत्रणों/अवरोध और संतुलनों की बाबत प्रायः कमी पाई जाती है जिसके कारण कुछ संगठनों की कारबार निरंतरता जोखिम में पड़ जाती है । सूचना प्रणाली - आईएस संपरीक्षा/एसपीए के तृतीय पक्ष द्वारा विशेषज्ञ पुनरीक्षण और रिपोर्टिंग की आवश्यकता बढ़ती जा रही है ।

आईएस संपरीक्षा/एसपीए की आपात आवश्यकता पर विचार करते हुए, समिति ने जनवरी, 2006 से सूचना प्रौद्योगिकी संपरीक्षा (आईएसए) पर अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पुनरीक्षित पाठ्यविवरण प्रारम्भ किया है ।

5.13.3 कम्प्यूटर सहायता प्राप्त संपरीक्षा तकनीक (सीएएटी) सीएएटी स्रोत सीडी (वी 2.1) पर प्रशिक्षण स्रोत

चूंकि बढ़ते हुए कार्य और अनेक वित्तीय संव्यवहारों का प्रसंस्करण अब कम्प्यूटर द्वारा ही किया जा रहा है और भौतिक अभिलेख समाप्त होते जा रहे हैं, इसलिए वृत्तिक लेखाकारों को, आंकड़े और सूचना कम्प्यूटर का प्रयोग संपरीक्षा और विश्लेषण के औजार के रूप में करके प्राप्त करने हैं । इस आवश्यकता की पहचान करते हुए, समिति ने इस क्षेत्र में, वाकथ्रों (ध्वनि स्पष्टीकरणों के साथ कदम-वार पद्धति) यूजर गाइडों, प्रस्तुतियों, मामला अध्ययन और सीएएटी/जीएएस साधनों की कार्य प्रतियों के माध्यम से प्रशिक्षण और विकास प्रदान करने के लिए सीएएटी स्रोत सीडी (वी 2.1) जारी की है ।

5.13.4 कम्प्यूटर लेखांकन और संपरीक्षा तकनीकों (सीएएटी) पर सीपीई पाठ्यक्रम

समिति, कम्प्यूटर लेखांकन और संपरीक्षा तकनीकों (सीएएटी) पर एक सीपीई पाठ्यक्रम की प्रस्थापना करती है जिसे क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं/सीपीई चेप्टरों के माध्यम से पूरी तरह से पुनरीक्षित किया गया है जिससे कि सदस्य आंकड़ा निकालने, विश्लेषण और रिपोर्टिंग का कम्प्यूटर पर प्रयोग एक औजार के रूप में करने में समर्थ हो सकें ।

5.13.5 आईएस संपरीक्षा पर तकनीकी गाइड

समिति ने ऐसा ढांचा प्रदान करने के लिए आईएस संपरीक्षा पर एक तकनीकी गाइड जारी की है जिसके अंतर्गत आईएसए अर्हित सदस्यों द्वारा आईएस का अनुपालन किया जाएगा ।

5.13.6 आईएसए पोर्टल

समिति ने, आईएसए पर अपने पीक्यूसी ब्यौरों की प्रस्थापना और सीएएटी पर सीपीई पाठ्यक्रम के लिए www.icaical.org पर आईएसए पोर्टल स्थापित किया है जिससे पाठ्यक्रम की जानकारी, ऑन लाइन रजिस्ट्रीकरण, ऑन लाइन आईएसएईटी फार्म भरने और समिति के अन्य क्रियाकलापों के ब्यौरे की सुविधा सदस्यों के फायदे के लिए प्रदान की जाए । आईएसए/सीएएटी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले सदस्यों के साथ संसूचना के लिए आईएसए पोर्टल एक प्राथमिक साधन है ।

5.13.7 आरओएसएम और ओएलपीटी की दोहरी सेवाएं

आईएसए के लिए परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार का अपावरण प्रदान करने के लिए समिति के पास दो ऑन लाइन सुविधाएं हैं - अभ्यर्थियों को अपनी समझ/तैयारी का स्तर पुनरीक्षित करने में समर्थ बनाने के लिए ऑन लाइन प्रेक्टिस टेस्ट (ओएलपीटी) और अनुसंधान प्राप्त ऑन लाइन अध्ययन सामग्री (आरओएसएम) जिसमें पूछे गए प्रश्नों की बाबत ब्यौरों से भरा हुआ एक पृष्ठ होता है जिससे कि सदस्यों को संकल्पनाओं से और अधिक स्पष्ट रूप में समर्थ बनाया जा सके - यह एकमात्र परख और शिक्षण सुविधा है ।

5.13.8 आईटी सामर्थ्य सेवाएं (आईटीईएस)

समिति ने आईटीईएस की ऐसे प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान की है जहां इस उभरते हुए क्षेत्र में सदस्यों का प्रशिक्षण और विकास हो सके तथा इस संबंध में कार्यक्रमों की पहचान करने और उन्हें क्रियान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

5.13.9 ई-लर्निंग

समिति, सीबीटी/सीएएल मोड्यूलों के माध्यम से प्राथमिक स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समुचित ई-लर्निंग मोड्यूलों पर कार्य कर रही है जिसके बाद वृत्ति प्रशिक्षण सत्र होंगे जिसमें व्यवसायियों द्वारा प्रशिक्षण और परामर्श दिया जाएगा । इस से मांग पर शिक्षण सुविधा प्रदान किया जाना अपेक्षित है और आईएसए पर पीक्यूसी के भाग रूप में वृत्तिक प्रशिक्षण अपेक्षाओं में भी कमी आएगी ।

5.13.10 तकनीकी गाइड और स्टॉक ब्रोकरों की प्रणाली संपरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

समिति, स्टॉक ब्रोकरों की प्रणाली संपरीक्षा तकनीकी गाइड निकालने के साथ-साथ ऐसे सदस्यों के फायदे के लिए कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने पर भी कार्य कर रही है जो ऐसी सेवाएं प्रदान करने की इच्छा रखते हैं ।

5.13.11 प्रूफ आफ कन्सेप्ट लेबोरेट्री (पीओसीएल)/सूचना प्रौद्योगिकी में अत्कृष्टता के केंद्र (सीईआईटी)

समिति ने, आईटी क्षेत्र में सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण के लिए संकेंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रस्थापना करके उन्हें महत्वपूर्ण आईटी क्षेत्रों में व्यावहारिक हेंड्स ऑन प्रशिक्षण और अपावरण प्रदान करने के लिए चैन्नई में एक प्रमुख पीओसीएल/सीईआईटी स्थापित की है । समिति संस्थान के मिशन, 2006 कार्यक्रम के भाग रूप में पीओसीएल को मुम्बई और दिल्ली में क्रियान्वित करेगी ।

5.13.12 आईटी सम्मेलन/संगोष्ठियां/व्यावहारिक कार्यशालाएं

समिति, सदस्यों को देश-विदेश में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रेक्टिसों से अवगत कराने के लिए समय-समय पर उन्हें ये अवसर बड़े-बड़े शहरों में आईटी सम्मेलन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करके प्रदान करती रहती है । इसकी एक संक्षिप्त सूची निम्नानुसार है :-

- सीएएटी/बैंकों की प्रणाली संपरीक्षा का उपयोग करते हुए/समय-समय पर संपरीक्षा औजार के रूप प्रयुक्त एमएस एक्सेल की बाबत चैन्नई में प्रूफ आफ कन्सेप्ट लेबोरेट्री (सीओसीएल) आईटी में उत्कृष्टता केन्द्र (सीईआईटी) पर व्यावहारिक कार्यशालाएं ।
- दिल्ली, नागपुर और मुम्बई में बैंकों की प्रणाली संपरीक्षा पर व्यावहारिक कार्यशालाएं (15-16

अक्तूबर, 2006, 29-30 दिसंबर, 2006) ।

- 3 फरवरी, 2006 को 10 केन्दों पर वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सीएएटी के उपयोग पर व्यावहारिक कार्यशाला ।
- सितंबर, 9-10, 2006 को कोलकाता में "डिजिटल एए के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों को सशक्त बनाना" पर आईटी सम्मेलन ।

5.13.13 नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंच संस्थान (आईसीएएन) के सहयोग से नेपाल में आईसीएआई के सदस्यों के लिए आईएसए पाठ्यक्रम

समिति ने आईसीएआई के सदस्यों के फायदे के लिए नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेट संस्थान (आई. सीए एन.) के सहयोग से नेपाल में एक विशेष आईएसए बैच का आयोजन किया था ।

15.13.14 श्री लंका के चार्टर्ड अकाउंटें संस्थान के सदस्यों के लिए अध्ययन टूर

समिति ने, आई. सीएएसएल के सदस्यों के लिए चैन्नई पीओसीएल/सीआईईटी में प्रौद्योगिकी अपावरण हेतु एक विशेष अध्ययन टूर और प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा बंगलोर की अग्रणी प्रयौद्योगिकी कंपनियों में फील्ड विजिट का आयोजन किया ।

5.14 प्रारम्भ की गई लोक संपर्क गतिविधियां

संस्थान के दृष्टिकोण, वृत्ति का ब्रांड साम्या के रूप में निर्माण, भारत में लेखांकन वृत्ति की शक्ति और समसामयिक मुद्दों पर संस्थान के परिप्रेक्ष्य और साथ ही वृत्ति की चुनौतियों से निपटने के लिए एक सक्रियात्मक युक्ति अपनाई जाती रही जैसाकि नीचे उपदर्शित हैं : -

- वर्ष के दौरान, लोक संपर्क समिति, संस्थान के लोक संपर्क क्रियाकलापों को लगातार अग्रसर करने पर बल देती रही । तथापि, समिति का पुनर्गठन फरवरी, 2006 में नहीं हो पाया ।
- मुख्यालय, प्रादेशिक कार्यालयों और देश के अनेक दूसरे शहरों में की गई पहल, की जानी वाली पहल, नीतियां और कार्यक्रम तथा वृत्ति से संबधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लिए भी इलैक्ट्रानिक मीडिया सहित प्रेस सम्मलन किए गए । इसमें वृत्ति के समक्ष आने वाले मुद्दों पर प्रसिद्ध पत्रकारों के साथ और टी. वी. चैनलों पर आमने-सामने अध्यक्ष की बैठक भी सम्मिलित है ।
- विशिष्ट पत्रकारों, प्रेस और इलैक्ट्रानिक मीडिया, सांसदों, सरकारी पदाधिकारीगण, दृष्टिकोण स्पष्ट करने वाले विनियामकों के साथ संकेन्द्रित विचार-विमर्श किए गए तथा वृत्ति से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संस्थान द्वारा पहल की जा रही है ।
- संस्थान और सदस्यों के बीच उनके पुनर्निवेशन के लिए संसूचना संपर्क विकसित करने की दृष्टि से, संस्थान, इसके प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में वृत्ति से संबंधित समसामयिक मुद्दों के लिए सार्वजनिक वाद-विवाद पर बल दिया गया ।
- राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार-पत्रों में संरचनात्मक लेखों तथा टीवी चैनलों और प्रेस के साथ प्रभावी बैठकों के माध्यम से सीए पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन देना ।
- भारत सरकार, कंपनी कार्य मत्रालय के अधीन गठित समिति को तर्क संगत समर्थन देना ।
- **समिति ने निम्नलिखित पांच संगोष्ठियों आयोजित कीं : -**
  - उद्योग में सदस्यों की समिति के साथ संयुक्त रूप से 21 जनवरी, को चैन्नई में भू-संपदा और निर्माण उद्योग पर राष्ट्रीय संगोष्ठी ।

- उद्योग में सदस्यों की समिति के साथ संयुक्त रूप से 26 नवंबर, 2005 को चैन्नई में "वृत्तिक समृद्धि" पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका उद्घाटन केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री माननीय डा. अनबुमणि रामादोस ने किया ।

- उद्योग में सदस्यों की समिति के साथ संयुक्त रूप से 18 सितंबर, 2005 को चैन्नई में "वृत्तिक उत्कृष्टता" पर राष्ट्रीय सीपीई सम्मेलन, जिसका उद्घाटन राज्य सभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री के. रहमान खान ने किया ।

- एसआईआरसी की तिरुनेलवेली शाखा के साथ संयुक्त रूप से 11 सितंबर, 2005 को तिरुनेलवेली में "वृत्तिक समृद्धि" पर सीपीई सम्मेलन ।

- संस्थान की बीमा समिति के साथ संयुक्त रूप से 25 जून, 2005 को चैन्नई में "वृत्तिक सुसंगतता के वर्तमान मुद्दे" पर सीपीई सम्मेलन, जिसका उद्घाटन राज्य सभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री के. रहमान खान ने किया ।

- संगोष्ठियों के साथ ही साथ पीआर समिति ने भूतपूर्व अध्यक्षों, केन्द्रीय परिषद् के ऐसे सदस्यों को भी सम्मानित किया जो 50 से अधिक वर्षों से वृत्ति में हैं या जिन्होंने सरकार, बीमा, बैंककारी, पब्लिक सेक्टर कंपनियों और लोक जीवन में उच्च सोपानक की प्राप्ति की है ।

➢ आईसीएआई पत्रिका को पुनः डिजाइन किया गया है और संस्थान में महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में सूचित और प्रचार करने के लिए तिमाही रूप में प्रकाशित किया जा रहा है ।

➢ प्रारूप मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आईसीएआई पुरातत्व स्थापित करने के लिए सिफारिशें की गई हैं ।

➢ समिति ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों के कार्यालयों में मेजों पर संस्थान का ध्वज प्रदर्शित करने के मानदंडों को अंतिम रूप दिया ।

➢ सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों में विकास हेतु सक्रियात्मक पहल की गई, वृत्ति की सकारात्मक छवि सृजित की गई, सीए छात्रों के लिए कैरियर संभावनाओं और चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, जिनमें खलीज टाइम्स आफ दुबई भी शामिल है, विज्ञापन के माध्यम से विशिष्टता प्रदान की गई ।

➢ संस्थान के कार्यालयों में और इन्टरनेट के माध्यम से सदस्यों और छात्रों के प्रत्युत्तर की क्वालिटी को सुदृढ़ बनाया गया तथा शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया गया और सेवाओं की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए पत्रिकाओं और छात्रों के न्यूज़ लेटर के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी के प्रति ध्यान आकर्षित कराया गया ।

➢ वर्ष 2005-2006 को दौरान संस्थान की उपलब्धियों/पहलों पर फिल्म तैयार करना ।

➢ वृत्तिक और सामाजिक, दोनों तरह से आईसीएआई की छवि का निर्माण और टी. वी. स्पॉट्स की शृंखला के माध्यम से साधारण जागरूकता पैदा करना ।

➢ संस्थान के प्रोफाइल और चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा दी जा रही सेवाओं के संबंध में पुस्तिका शीघ्र ही निकाली जाएगी ।

➢ आईसीएआई के वेबसाइट को फेस-लिफ्ट दिया गया और इसे अधिक ज्ञानवर्धक एवं उपयोगकर्ता मैत्री बनाया गया है । महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियों क्लिपिंग भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

➢ विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ बैठकें ।

➢ भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकें ।

➢ परिषद् की अनुज्ञा से परिषद के सदस्य, कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए प्रेस वक्तव्य देते हैं ।

- पी. आर. समिति के निर्देश निबंधनों को संशोधित किया गया है जिससे कि वृत्ति और संस्थान के सामाजिक कारणों/छवि के संवर्धन को शामिल किया जा सके ।
- संस्थान की पी. आर. नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।
- क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए पी. आर. समर्थन प्रदान करना ।

मीडिया घटनाएं

- 29 जूलाई, 2006 को मुम्बई में निदेशक (वित्त)/सीएफओ के लिए कार्यक्रम
- चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस की याद में 1 जुलाई, 2006 को नई दिल्ली में "आर्थिक और सामाजिक विकास के संवर्धन में लेखाकर्म वृत्ति की भूमिका" पर सम्मेलन का आयोजन 1 केन्द्रीय कंपनी कार्य मंत्री माननीय श्री प्रेम चंद गुप्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे ।
- 3 फरवरी, 2006 को आईसीएआई के 56वें वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यसभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री के. रहमान खान ने किया ।
- 2 फरवरी, 2006 को नई दिल्ली में वर्ष 2004-2005 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में आईसीएआई उत्कृष्टता पुरस्कार दिए गए । केन्द्रीय कंपनी कार्य मंत्री माननीय श्री प्रेम चन्द गुप्ता ने विजयी घोषित संघटनों के प्रतिनिधियों को पुरस्कार दिए ।
- 19 से 21 जनवरी, 2006 के दौरान मुम्बई में "आर्थिक वृद्धि एन्कर करने में लेखाकर्म वृत्ति की भूमिका" पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन । सम्मेलन का उद्घाटन आर. बीआई गवर्नर डा. वाई वी. रेड्डी ने किया और इन्टरनेशनल फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स के अद्यक्ष श्री ग्राहम वार्ड और अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड के अद्यक्ष सर डेविड टिवीडी उद्घाटन छात्र में सम्मानित अतिथि थे ।
- 1-2 सितंबर, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित "अकाउंटिंग प्रोफेसन वेल्यू टू न्यू होरिजन्स आफ इकोनोमिक ग्रोथ" पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मीडिया कवरेज की गई । इसका उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति हिज़ एक्सेलेंसी डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने किया था ।
- 8 जुलाई, 2005 को नई दिल्ली में निगमित विधियों, प्रकटन अपेक्षाओं और अनुसूची VI की परिवर्तनशील छवि पर आईसीएआई और फिक्की का संयुक्त राष्ट्रीय कन्क्लेव/केन्द्रीय राज्य मंत्री, में कंपनी कार्य मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) माननीय श्री प्रेम चन्द गुप्ता मुख्य अतिथि थे ।
- 1 जुलाई, 2005 को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मानाय गाय जिसका उद्घाटन केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री माननीय श्री एच. आर. भारद्वाज ने किया । समारोह को राज्य सभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री के. रहमान खान, सासंद और पूर्व विद्युत मंत्री माननीय श्री सुरेश प्रभु और संसद सदस्य माननीय श्री राम चन्द्रइया ने भी सुशोभित किया ।
- 25 जून, 2005 को चैन्नई में "वृत्तिक सुसंगतता के वर्तमान मुद्दे" पर अखिल भारतीय सीपीई सम्मेलन हुआ जिसका उद्घाटन राज्य सभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री के. रहमान खान ने किया ।
- 24-25 जून, 2005 को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह कार्य मंत्रालय (एमएचए) और आईसीएआई ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (एफसीआरए) पर एक संयुक्त संगोष्ठी आयोजित की जिसका उद्घाटन केन्द्रीय गृह कार्य मंत्री माननीय श्री शिवराज पाटिल ने किया और गृह कार्य राज्य मंत्री माननीय श्री प्रकाश जयसवाल उद्घाटन सत्र के सम्मानित अतिथि थे । विदाई भाषण केन्द्रीय वित्त मंत्री माननीय श्री पी. चिदम्बरम ने दिया । श्री वी. के दुग्गल ने भी संगोष्ठी को संबोधित किया ।
- 16 जून, 2005 को नई दिल्ली में केन्द्रीय कंपनी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में आईसीएआई द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन प्रक्रियात्मक पहलुओं के सरलीकरण पर एक परस्पर क्रियात्मक कार्यशाला आयोजित की गई । केन्द्रीय कंपनी कार्य मंत्री माननीय श्री प्रेम चन्द गुप्ता ने कार्यशाला का

उद्घाटन किया और कंपनी कार्य मंत्रालय में तत्कालीन सचिव श्रीमती कोमल आनन्द ने विदाई भाषण दिया ।

- 2 जून, 2005 को नई दिल्ली में बड़े महानगरों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए युक्तिगत वित्त और विकासात्मक विचारण पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई ।
- 14 मई, 2005 को हैदराबाद में डब्ल्यूटीओ शासन में उभरती वृत्तिक संभावनाओं पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की गई । कार्यक्रम का उद्घाटन संसद सदस्य श्री सी. रामाचन्द्रइया द्वारा किया गया और आंध्र प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री श्री कोनीजेति रोसइया ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की ।
- स्वतंत्र निदेशकों पर स्वतंत्र कार्यक्रम
- 4 मई, 2005 को नई दिल्ली में आईसीएआई द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय वेट के लिए मॉडल संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति के सदस्य सचिव को प्रस्तुत की गई ।
- 15 अप्रैल, 2005 को वेट पर राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति के अध्यक्ष माननीय डा. असीम कु. दासगुप्ता ने आईसीएआई द्वारा निकाला गया राज्य स्तरीय मूल्य वर्धित कर के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण राष्ट्र को समर्पित किया ।

अंतर्राष्ट्रीय

- अप्रैल, 2006 के दौरान इन्टरनेशनल फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (आईएफएसी) के अध्यक्ष श्री ग्राहम वाई और आईएफएसी के मुख्य कार्यपालक श्री इयान बाल का भारत में आगमन।
- ओमान की स्टेट आडिट इंस्टीट्यूशन (एसएआई) के प्रतिनिधि मंडल का इनके उपाध्यक्ष हिंज एक्सेलेंसी नासिर-अल-रवाही के नेतृत्व ओमान में लेखांकर्म वृत्ति के संस्थानीकरण जिसमें उनका अपना निकाय स्थापित करना भी शामिल है में आईसीएआई की भूमिका पर चर्चा करने के लिए 4 जून, 2005 को आईसीएआई, नई दिल्ली में आगमन । ओमान के एस. ए. आई. का प्रतिनिधि मंडल जनवरी, 2006 में पुनः नई दिल्ली आया था ।
- जनवरी, 2006 में मंगोलियन इंस्टीट्यूट आफ सर्टीफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के एक प्रतिनिधि मंडल का नई दिल्ली में आगमन ।
- 22-24 जनवरी, 2006 को संस्थान ने इन्टरनेशनल इन्नोवेशन्स नेटवर्क (आईएनएन) की समन्वयन समिति की बैठक और सम्मेलन की मेजबानी की ।
- संस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्री सुनील गोयल को वर्ष, 2006 के लिए साउथ एशियन फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (एसएएफए) का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया ।
- 20वें सार्क चार्टर दिवस के अवसर पर, संस्थान ने 'सूचना का अधिकार - जवाबदेही के लिए आवश्यकता' पर वाद-विवाद का आयोजन किया ।
- आईसीएआई के अध्यक्ष श्री कमलेश एस. विक्रमसे को कन्फडरेशन आफ एशियन एंड पेसिफिक अकाउंटेंट्स (सीएपीए) का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया ।
- संस्थान के अध्यक्ष श्री कमलेश एस विक्रमसे को इन्टरनेशनल फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (आईएफएसी) के बोर्ड में नियुक्त किया गया है ।
- श्री आर. के. कासलीवाल को आईएएसभी के एक्सट्रेक्टिव क्रियाकलाप परियोजना दल के सलाहकार पैनल पर परिषद् द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया ।

आईएफएसी की विकासशील देश स्थायी टास्क फोर्स की बैठक अक्तूबर, 2005 में कोलकाता में आयोजित हुई और लगभग उसी समय 17 अक्तूबर, 2005 को कोलकाता में "वेल्यूज एंड पर्सपेक्टिव आफ द अकाउंटिंग प्रोफेशन इन द डेवलपिंग नेशन्स" पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी हुआ ।

5.15 व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन

समिति, संकल्पनावाद, सूत्रीकरण, बातचीत कार्यान्वयन, व्यापार से संबधित प्रतितोष विधि जिसमें विशिष्ट रूप से माल और सेवाओं में व्यापार भी सम्मिलित हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली, जिसमें साधारणतया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से दोनों विश्व व्यापार संगठन प्रणाली भी सम्मिलित है, से संबधित विषयों में सुविज्ञता और प्राधिकार स्थापित करने और उसे सुनिश्चित करने के लिए उसके लक्ष्य को प्राप्त करने और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की सदस्यता के बीच इन विषयों में ऐसे साधनों और युक्तियों के माध्यम से, जो अधिक प्रभावकारी साधन समझे जाते हों, विशेषज्ञता के आधार को सृजित और बढ़ाने के लिए गठित की गई थी जिससे कि इस संबंध में निश्चित और अनिश्चित राष्ट्रीय आकांक्षाओं, चिन्ता और आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, समिति, चुनौतियों का सामना करने तथा नई विश्व व्यापार व्यवस्था में उनकी विशेषज्ञता उदार बनाने के फायदों को प्राप्त करने के लिए संस्थान के सदस्यों को तकनीकी रूप से लैस करने की दृष्टि से बदलते हुए विश्व परिप्रेक्ष्य में सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए तथा भारत के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी के लिए निरंतर प्रयास करता रही है ।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम

- नवंबर, 2004 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन (आईटीएल एंड डब्ल्यू टीओ) में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम में सफल प्रारम्भ के पश्चात्, देश भेर से 200 से अधिक सदस्यों ने पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण कराया है ।

- आईटीएलआरडब्ल्यूटीओ में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 30 दिन के वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) के तीन बैचों का सफल संचालन इस अवधि कै दौरान नई दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और कानपुर में किया गया । वाणिज्य मंत्रालय; वित्त मंत्रालय, टेक्सटाइल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों, भारत का प्रतिस्पर्धा योग, भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड में वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों, प्रसिद्ध विधि फर्मों जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय की फेकल्टी आईआईएफटी व्यापार और उद्योग के लोगों, वृत्तिकों और डब्ल्यूटीओ क्षेत्र में अनुसंधान आधारित अन्य संगठनों से मिलकर बनी फेकल्टी ने पी. सी. पी. के दौरान प्रस्तुतियां दीं और व्याख्यान प्रस्तुत किए ।

- समिति ने पाठ्यक्रम के पूर्ण ढांचे के दृष्टिकोण को संकेन्द्रित करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय विधि और डब्ल्यूटीओ में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम के पाट्य विवरण और पाठ्यक्रम ढांचे को पुनः पंक्तिबद्ध करने की सिफारिश की है ।

- पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के साथ विभिन्न शहरों में परस्पर क्रियाएं की गई तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के साथ टेलीकान्फ्रेसिंग के माध्यम से परस्पर क्रियात्मक बैटकों का आयोजन किया गया और प्रतिस्पर्धा विधि तथा नीतियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई । नई दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई और कानपुर के सदस्य टेलीकान्फ्रेसिंग में शामिल हो गए ।

डब्ल्यूटीओ अन्वेषक - डब्ल्यूटीओ विषयों पर अद्यतन तकनीकी जानकारी ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अप्रैल 2005, अगस्त 2005 और दिसंबर 2005 प्रत्येक में "डब्ल्यूटीओ अन्वेषक, डब्ल्यूटीओ विषयों पर अद्यतन तकनीकी जानकारी" के तीन अंक निकाले गए थे । जागरूकता अभियान सामग्री के रूप में प्रकाशन सदस्यों और अन्य पदाधिकारियों के फायदे के लिए डब्ल्यूटीओ. संबंधी उपयोगी अद्यतन तकनीकी जानकारी लगातार दे रहा है । इन मुद्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग निम्नलिखित है : -

- हांगकांग मंत्री सम्मेलन - एक रिपोर्ट

- डब्ल्यूटीओ के प्रति सेवाओं पर भारत की पुनरीक्षित प्रस्थापना

- व्यापार नीति पुनरीक्षण - तन्त्र का पर्यवलोक और वर्तमान पुनरीक्षण
- बारंबार पूछे गए प्रश्न - ट्रिप्स और स्वास्थ्य
- एनएएमए - बातचीत - एक आसान गाइड
- जीएटीएस के अधीन वर्तमान बात-चीत
- आगे बढ़ें - प्रक्रिया से उत्पाद पेटेंट शासन
- प्रतिस्पर्धा विधि और नीति - एक समझ
- चीन का डब्ल्यूटीओ अनुपालन
- सेवाओं में व्यापार पर साधारण करार - मूल तत्व
- डब्ल्यूटीओ समाचार

संगोष्ठियां/सम्मेलन/जागरूकता कार्यक्रम/अध्ययन टूर

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ समिति ने निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए : -

- 29 अप्रैल, 2006 को होटल ली रॉयल मेरीडियन, मुम्बई में विदेशी व्यापार नीति पर एक संगोष्ठी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की की मेजबानी में आयोजित की गई । संगोष्ठी का उद्घाटन संसद सदस्य माननीय सीए सुरेश प्रभु ने किया । संगोष्ठी में सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया । इस अवसर पर, समिति ने संगोष्ठी के लिए पृष्ठभूमि सामग्री भी निकाली थी । तकनीकी सत्र के दौरान प्रतिष्ठित फेकल्टी ने 'हाइलाइट आफ फोरेन ट्रेड पालिसी', की नोट एटरेस ऑन एनुअल सप्लीमेंट 2006 टू फोरेन ट्रेड पालिसी विद स्पेसिफिक रेफ्रेंस टू कस्टम प्रोसीजर्स, एक्सपोर्ट प्रोमोशन स्कीम एडं एसईजेड 'एक्सपोर्ट आफ सर्विसेज - एन एक्नॉलिज्ड अपरचुनिटी' मीडिया, बैंककार सेक्टर, उद्योग के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने संबोधित किया ।

- 26 मई, 2006 को बंगलोर में "नॉलिज प्रोसेस आउट सोर्सिंग - अपरचुनिटीज फार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स" पर एक संगोष्ठी की गई जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी की बंगलोर शाखा ने की । समसामयिक शीर्षक को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में सदस्यों ने संगोष्ठी में भाग लिया । इस अवसर पर समिति ने संगोष्ठी के लिए पृष्ठभूमि सामग्री भी निकाली थी ।

- 24 अगस्त, 2006 को नई दिल्ली में 'डब्ल्यूटीओ - इमर्जिंग अपरचुनिटीज' पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई । संगोष्ठी में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई - एंटी डंपिंग - प्रभाव और विश्वलेषण; एंटी डंपिंग कर्तव्य - बड़े मुद्दे और विकासशील देशों के लिए उभरता सिनेरियो, सुधारात्मक उपाय, एंटी डंपिंग अन्वेषण - प्रक्रियात्मक पहलू, एंटी डंपिंग उपायों का आरोपण और रख-रखाव, एंटी डंपिंग में प्रेक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अवसर और चुनौतियां, सहायकी और बराबरी तथा रक्षोपाय, सहायकी और बराबरी शुल्क, अर्थ, प्रकार और प्रभाव की समझ, रक्षोपाय, संकल्पना और संबंधित मुद्दे, चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अवसर और चुनोतियां, सहायकी, बराबरी और रक्षोपाय, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) - आर्थिक वृद्धि के लिए नया उत्प्रेरक, एसईजेड अधिनियम और नियमों के फलस्वरूप क्रियात्मक मुद्दे, नॉलिज परोसेस आउट सोर्सिंग - ईमर्जिंग अपरचुनिटीज, नया बीपीओ/केपीओ स्थापित करना - चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए चुनोतियां, चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए सार्वभौमिक आउटसोर्सिंग अवसर । संगोष्ठी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सुप्रसिद्ध फेकल्टी सदस्यों ने संबोधित किया । सदस्यों ने बड़ी संख्या में संगोष्ठी में भाग लिया । इस अवसर पर समिति ने संगोष्ठी की पृष्ठभूमि सामग्री भी निकाली थी ।

- 17-25 जुलाई, 2006 के दौरान बहुपक्षीय और अन्य अभिकरमों से सीधे परिचर्चा करने के लिए भाग

लेने .वाले 12 व्यक्तियों का एक अध्ययन टूर यूरोप गया था । अध्ययन टूर ने विश्व बौद्दिक संपत्ति संगठन, जिनेवा; विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा; जिनेवा स्थित डब्ल्यूटीओ के लिए भारत का स्थाई मिशन, जिनेवा में डब्ल्यूटीओ के लिए मेक्सिको का स्थाई मिशन, यूएनसीटीएडी, जिनेवा; यूरोपीय आयोग, ब्रसल्स; यूरोपीय यूनियन का भारतीय मिशन, ब्रुसल्स; ब्रसल्स में ली. बीयूफ. लेम्ब, ग्रीन एडं मेक्रे एलएलपी विधि फर्म से परिचर्चा की । अमस्टर्डम में रॉयल एनआईवीआरए, नेदरलेंड; चेम्बर आफ कॉमर्स, अमस्टर्डम ; आर्थिक विकास विभाग, अमस्टर्डम; विदेशी विनिधान कार्यालय, आर्थिक कार्य विभाग, नेदरलेंड और नेदरलेंड में विभिन्न लेखांकन फर्मों मे सदस्यों के साथ संयुक्त परस्पर क्रिया आयोजित की गई । अध्ययन टूर को इन्टरनेशनल ब्यूरो आफ फिसकल डाक्यूमेंटेशन, अमस्टर्डम में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । लन्दन में अध्ययन टूर ने लंदन में भारतीय सदस्यों, आईसीएईडब्ल्यू के प्रेक्टिस आश्वासन खंड, लंदन में लेखाकन फर्म के पदधारियों और लंदन स्टाक एक्सचेंज के साथ चर्चा की और लंदन की विधि फर्मों; लॉयड, लंदन; यू. के. व्यापार और विनिधान विभाग, लंदन और लंदन में भारत के उच्च आयुक्त के साथ परिचर्चा की गई।

अनुसंधान क्रियाकलाप

➢ प्रेक्टिस और सेवा में चार्टर्ड अकाउंटेंटों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ से सुसंगत मुद्दों में रूचि रखते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से, समिति ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान क्रियाकलाप शुरू किए हैं और हमारे केन्द्रित अनुसंधान प्रकाशन निकालने की आशा रखती है : -

- एंटी डंपिग, एंटी सबसिडी पर अध्ययन और रक्षोपाय
- विदेशी व्यापार नीति (2004-09) पर अध्ययन
- बौद्धिक संपत्ति अधिकार पर अध्ययन
- अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम पर अध्ययन
- प्रतिस्पर्धा विधि और नीति पर अध्ययन
- डेस्टिनेशन इंडिया पर प्रकाशन
- विशेष आर्थिक क्षेत्र की बाबत प्रकाशन
- नॉलिज प्रोसेस आउट सोर्सिंग पर अध्ययन

➢ व्यापार विधि और डब्ल्यू. टी ओ. संबंधी समिति ने निम्नलिखित देशों के लिए देश विशिष्ट अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ कर दिए हैं । इन अनुसंधान अध्ययनों का प्राथमिक उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों और व्यापार विधि/नियमों में रूचि रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है जो बड़े भागीदार के रूप में (1) इन देशों में अपना कारबार स्थापित करना चाहते हैं (2) इन देशों वृत्तिक लेखाकार के रूप में काम करना चाहते हैं : -

आस्ट्रेलिया	जापान	दक्षिणी अफ्रीका
बहरेन	कोरिया गणराज्य	स्वीडन
ब्राजील	कुवैत	स्विटजरलैंड
कनाडा	मारिशियस	थाइलेंड
चीन लोक गणराज्य	ओमान	टर्की

हांग कांग	रूस	यूनाइटेड किंगडम
इंडोनेशिया	सउदी अरब	यूनाइटेड अरब एमीरात
आयरलेंड	सिंगापुर	संयुक्त राज्य अमेरिका
इज़राइल		

विभिन्न प्राधिकारियों को अभ्यावेदन

- समिति ने, व्यापार नीति के वार्षिक परिशिष्ट, 2006 के लिए संस्थान की सिफारिशें केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री कमल नाथ को इस प्राथमिक उद्देश्य के साथ अग्रेषित की हैं कि सेवा व्यापार के निर्यात को बढ़ावा मिले ।

- रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ क्षेत्र में सदस्यों के लिए अवसरों का पता लगाने हेतु, अपने अभ्यावेदन निर्यात संवर्धन परिषद्, एसईजेड और अन्य सरकारी निकायों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं ।

ज्ञान साझेदारी

समिति ने ज्ञान साझेदारी पृष्ठ विकसित किया है जिसे संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है और यह निरंतर डब्ल्यूटीओ की बुनियादी समझ संबंधी उपयोगी और सुसंगत जानकारी प्रदान करता है । यह पृष्ठ विश्व व्यापार के परिप्रेक्ष्य में तेजी से होने वाले नवीनतम विकास के बारे में सदस्यों को परिचित करता है ।

गेट्स के अधीन आरंभिक प्रस्तावों का निर्धारण

समिति वर्तमान गेट्स के अंतर्गत आरंभिक और पुनरीक्षित प्रस्तावों का निर्धारण कर रही है और ऐसे सेवाओं के क्षेत्रों में विभिन्न डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा सेक्टर विनिर्दिष्ट/समान सीमाएं अंकित की गई हैं जिनमें चार्टर्ड एकाउंटेंट, लेखांकन, संपरीक्षा, बुक कीपिंग, कराधान, कम्प्यूटर संबंधित सेवाएं जिसमें साफ्टवेयर, डाटा प्रसंस्करण और डाटा बेस सेवाएं सम्मिलित हैं । प्रबंध परामर्शी विधिक तथा संभावित युक्ति हेतु अनुसंधान अध्ययन करने वाली वित्तीय सेवाओं जैसी सेवाओं में सहायता कर सकते हैं ।

5.16 बीमा और पेंशन संबंधी समिति

- डीआईआरएम अभ्यर्थियों के सामने आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, पात्रता प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता पर निर्बंधन समाप्त कर दिया है । अभी डीआईआरएम सदस्यों को जारी किए गए (जारी किए जाने वाले) पात्रता प्रमाण-पत्रों की असीमित विधिमान्यता होगी और उन्हें पुनः विधिमान्य कराना अपेक्षित न होगा ।

- समिति ने "पेंशन प्लान" पर एक पुस्तक जारी की है जिसमें देश में पेंशन निधि के क्षेत्र में सभी मुख्य विशेषताओं और विकास को सम्मिलित किया है । पुस्तक का विमोचन श्री डी. स्वरूप, अध्यक्ष पीएफआरडीए द्वारा किया गया ।

- "ए स्टडी ऑन इन्श्योरेंस सर्वे एंड लोस असेसमेंट" पर एक प्रकाशन का विमोचन राज्यसभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री के. रहमान खान द्वारा किया गया । यह प्रकाशन बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक से गहन रूप से संबंधित है तथा इससे उपाबद्ध विनियमों से भी ।

- समिति, डीआईआरएम पाठ्यक्रम का प्रचार संस्थान के सदस्यों में करने के लए निरंतर प्रयास कर रही है और समुचित उपाय अपना रही है । परिणामस्वरूप, रजिस्ट्रीकरणों की संख्या 30 जून, 2006 को 2860 तक पहुंच गई है । प्रदेश-वार जानकारी निम्नानुसार है:

30 जून, 2006 तक रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी

पश्चिमी

दक्षिणी

पूर्वी

मध्य

उत्तरी

प्रदेश	पश्चिमी	दक्षिणी	पूर्वी	मध्य	उत्तरी
30 जून, 2006 तक रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी	548	1037	327	534	414

- ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने आईआरएम तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण की है, 12 से 31 दिसंबर, 2005 और 20 से 25 मार्च, 2006 के दौरान अनुकूलन पाठ्यक्रम का सफल आयोजन चार केन्द्रों (नई दिल्ली, कोलकाता, चैन्नई, नोएडा) पर किया गया ।

पहलें

- प्रक्टिस और सेवा, दोनों में सदस्यों के लिए बीमा और पेंशन सेक्टरों में वृत्तिक संभावनाएं विकसित करने के प्रयोजन के लिए, समिति विभिन्न बीमा कंपनियों के साथ चार्टर्ड अकाउंटेटों की सेवाओं का उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए संपर्क बनाए हुए है और बीमा तथा पेंशन विनियामक प्राधिकरणों से पूर्ण रुपेण परिचर्चा कर रही है।
- संपरीक्षा फीस पुनरीक्षित करने के लिए अभ्यावेदन सभी साधारण बीमा कंपनियों को भेज दिए गए हैं ।
- और अधिक वृत्तिक संभावनाओं का पता लाने के लिए अभ्यावेदन अनेक बीमा कंपनियों के मानव संसाधन निदेशकों और निदेशक (वित्त) को भेज दिया गया है ताकि उन सदस्यों की सेवाओं का उपयोग किया जा सके जिन्होंने डीआईआरएम पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है ।
- समिति, ऐसे सदस्यों की पहचान करने लिए जो बीमा और पेंशन सेक्टरों में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं, पणधारियों के लिए ऑन लाइन पात्रता परीक्षा, ज्ञान के प्रचार और एकल खिड़की निकासी समहित डीआईआरएम पाठ्यक्रम के बेहतर प्रशासन के लिए एक पृथक वेब पोर्टल विकसित कर रही है ।
- बीमा और पेंशन क्षेत्रों में हमारे सदस्यों की प्रमुख सक्षमता विकसित करने और बनाए रखने के अद्यतन संवर्धन के अनुसार विद्यमान आईआरएम पाठ्यक्रम को पुनरीक्षित किए जाने का प्रमुख उद्देश्य आईसीएआई सदस्यों (उद्योग और व्यवसाय दोनों में) में प्रमुख सहायता का प्रशंसनात्मक स्तर विकसित करने की दृष्टि से पाठ्य विवरण को व्यापक बनाना है जिससे कि उन्हें विश्व भर में अवसर प्राप्त हो सकें ।
- प्रश्न पत्रों का एक नया पैटर्न प्रारम्भ किया गया है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न और लघु उत्तरों या उत्तर के रूप लघु टिप्पणों की अपेक्षा करने वाले प्रश्न भी होते हैं ।
- डीआईआरएम अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री, जिसमें वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न, लघु उत्तर के प्रश्न, मामला अध्ययन सम्मिलित हैं, निर्गत कर दी गई है ।
- सीपीई केलेंडर 2006-2007 में सम्मिलित किए जाने के लिए बीमा और पेंशन पर प्रसंगों की व्यवस्था कर ली गई है ।

आयोजित किए गए सम्मेलन/संगोष्ठियां

- 16 अक्तूबर, 2005 को नागपुर में बीमा पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी सफलतापूर्वक आयोजित की गई । इसमें 125 व्यक्तियों ने भाग लिया ।
- 23 दिसंबर, 2005 को मुम्बई में "बीमा कंपनियों में संपरीक्षा समिति की प्रभावकारिता सुधारना" पर बीमा के संबंध में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई । इसमें 110 व्यक्तियों ने भाग लिया ।
- समिति ने 31 जनवरी, 2006 को भुवनेस्वर में बीमा पर आधे दिन की 1 संगोष्ठी संचालित की । बीमा सर्वेक्षण और ब्रोकिंग तथा चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक संभावनाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई ।
- 20 अप्रैल, 2006 को "बीमा और पेंशन सेक्टर में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए संभावनाएं" पर टेलीकान्फ्रसिंग संचालित करने के लिए सहायता प्रदान की गई ।
- समिति ने मसूरी में 26 से 29 जून, 2006 तक पेंशन निधि - मुद्दे और विनिधान युक्तियों पर आवासीय मोड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्र का संचालन किया ।

तकनीकी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या

क्र. सं.	मास और वर्ष	उत्तीर्ण अभ्यर्थ्यों की संख्या
1.	मई, 2005	54
2.	नवंबर, 2005	77

5.17 निगमित शासन संबंधी समिति

निगमित शासन संबंधी समिति, सितंबर, 2005 में बनाई गई थी । निर्देश निबंधनों के अनुसार, समिति को निगमित शासन, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों सहित उद्यमों में निगमित शासन के संवर्धन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन और/या स्वयं या सरकारी विभागों/मंत्रालयों आदि के साथ संयुक्त रूप से सम्मेलन/संगोष्ठियां आयोजित करने, कंपनी कार्य मंत्रालय से समय-समय पर जारी निगमित शासन संबंधी अनेक मुद्दों पर विचार करने से संबंधित अनेक मुद्दों पर कंपनी कार्य मंत्रालय और अन्य सरकारी विभागों के साथ परिचर्चा करना होती है । समिति ने स्वतंत्र निदेशकों पर कोलकाता, चैन्नई, गाजियाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, धनबाद और अमृतसर जैसे स्थानों पर बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया है । चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2006-07 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों पर से और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है । ऐसे कार्यक्रमों में आईसीएआई के सदस्यों की भारी संख्या ने भाग लिया । समिति, इस वर्ष के दौरान निगमित शासन पर दो राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रही है जिसमें सरबेन्स ऑक्सले अधिनियम, 2002 के समुचित उपबंधों पर विशेष बल दिया जाएगा । समिति कुछ नए प्रकाशन अर्थात् बीमा कंपनियों केलिए निगमित शासन पर संहिता, कुटुम्ब के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए निगमित शासन पर संहिता तथा स्वतंत्र निदेशकों और संपरीक्षा समिति की भूमिका और दायित्व आदि निकाल जाने पर कार्य कर रही है ।

6. अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति

क. अन्य लेखांकन निकायों द्वारा भारतीय अर्हता को मान्यता

वर्ष के दौरान समिति, चयनित विदेशी लेखांकन निकायों द्वारा संस्थान की अर्हताओं के मूल्यांकन के लिए उनके साथ निरंतर संवाद की प्रक्रिया में रही है ताकि विदेशी निकायों की अर्हता का भाग बनने वाले प्रशिक्षण और परीक्षा से आईसीएआई के सदस्यों को छूट प्राप्त हो जाए । लंबी प्रक्रिया होने के कारण जिसमें अर्हता, प्रशिक्षण, सतत वृत्तिक शिक्षा और अनुशासनात्मक अपेक्षाओं का मूल्यांकन और साथ ही साथ जीएटीएस (गेट्स) के अधीन बात-चीत की वर्तमान स्थिति तथा देशीय संवेदनशीलताएं भी अंतर्वलित हैं, प्रक्रिया के परिणाम धीमे हैं, फिर भी संस्थान अपने प्रयासों से शीघ्र ही प्रक्रिया यूएसए, कानाडा, आस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर आदि के लेखांकन

निकायों केसाथ चर्चा के विभिन्न प्रक्रमों पर है ।

अगस्त, 2006 में यूएई के शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र के साथ संस्थान ने समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है, जो अन्य बातों से साथ-साथ यूएई में संस्थागत अवसंरचना के ढांचे के विकास से संबंधित है । इसी प्रकार से, ओमान स्टेट आडिट इंस्टीट्यूशन के साथ एक समझौता ज्ञापन स्टेट आडिट इंस्टीट्यूशन के विचारधीन है । यह भी संस्थान का शाखा कार्यालय मस्कत, ओमान सें स्थापित करने और संस्थान की सहायता से स्वयं का लेखांकन निकाय स्थापित करने सहति ओमान में लेखांकन वृत्ति के संस्थानीकरण से संबंधित है । मामला आंग्रेम प्रक्रम पर है ।

भारत सरकार और सिंगापुर के मध्य व्यापक आर्थिक सहयोग करार के तत्वावधान में एमआरए के लिए अर्हताओं के निर्धारण हेतु, संस्थान का सीपीए सिंगापुर से साथ संवाद चल रहा है । दोनों संस्थाओं ने एक दूसरे की अर्हताओं और अन्य अपेक्षाओं की तुलनात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है । यह अभ्यास अग्रिम प्रक्रम पर है ।

व्यवसाय प्रमाण-पत्र धारित करने वाली आईसीएआई से सदस्य, (i) वाणिज्यिक विधियां; (ii) प्रत्यक्ष कर; (iii) अप्रत्यक्ष कर में परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेपाल के आईसीए की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं । आईसीएएन के परीक्षा नियमों के अनुसार, उपरोक्त तीन प्रश्नपत्रों को व्यवसाय प्रमाण-पत्र धारित करने वाले आईसीएआई के सदस्यों के संबंध में एक भिन्न समूह माना जाता है । आईसीएएन की सदस्यता को शासित करने वाले विनियम, विदेशी नागरिकों के केवल ऐसी फर्मों के रूप में व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात करते हैं जिनमें विदेशी नागरिक(कों) का अंग 51 प्रतिशत से अधिक न हो ।

ख. संस्थान द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण उसके अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन निकायों अर्थात् -

इंटरनेशनल फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (आईएफएसी), कन्फडरेसन आफ एशियन एंड पेसिफिक अकाउंटेंटेस (सीएपीए) और साउथ एशियन फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (एसएएफए) की विभिन्न कृत्यकारी समितियों के अलावा उनके शासन बोर्डों में नामनिर्देशन से चलता है । इस समय आईसीएआई का प्रतिनिधि एसएएफए के अध्यक्ष का पद धारित किए हुए है । निम्नलिखित में इसके नामनिर्देशिती प्रतिनिधित्व करते हैं : -

आइएफएसी की समितियां

- अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन शिक्षा मानक बोर्ड
- लघु और मध्यम प्रेक्टीशनर समिति
- विकासशील राष्ट्र समिति
- अन्तर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड
- कारबार समिति में वृत्तिक लेखाकार

सीएपीए

कन्फडरेसन के उपाध्यक्ष के रूप में

एसएएफए

- शिक्षा, प्रशिक्षण और सीपीडी पर उत्कृष्टता केन्द्र
- मानक और क्वालिटी नियंत्रण पर उत्कृष्टता केन्द्र
- नीति शास्त्र और संपरीक्षकों की स्वतंत्रता पर उत्कृष्टता केन्द्र
- सर्वोत्तम लेखा प्रस्तुति पुरस्कार और सर्वोत्तम निगमित शासन पुरस्कार उत्कृष्टता केन्द्र
- एसएएफए की पुनः संरचना के लए कार्य-समूह

- दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रोदभवन लेखांकन पर कार्य-समूह
- दक्षिण एशिया क्षेत्र में सर्वोत्तम निगमित शासन प्रेक्टिसों पर कार्य-समूह
- फर्म के नेटवर्किंग पर कार्य-समूह
- एसएएफए सदस्य निकायों में लेखाक्रम वृत्ति के नियमन पर कार्य-समूह
- सार्क देशों में प्रमुख उत्पादों की लागत सूचियों के अध्ययन पर टास्क फोर्स
- पारस्परिक मान्यता करार पर टास्क फोर्स
- अध्यक्ष
- स्थायी सचिव के रूप में

आईएएसबी : एसएमई के लिए लेखांकन मानकों पर कार्य-समूह

ग. समिति द्वारा की गई अंतर्राष्ट्रीय पहल

संस्थान के नियंत्रण पर इन्टरनेशनल फेडरेसन आफ अकाउंटेंट्स (आईएफएसी) के अध्यक्ष श्री ग्राहम वार्ड और (आईएफएसी) के मुख्य कार्यपालक के मुख्य कार्य श्री इयान बाल 16 से 18 फरवरी, 2006 के दौरान भारत आए उन्होंने माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रील श्री कमल नाथ, माननीय कंपनी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रेम चन्द गुप्ता और भारत के महानियंत्रक और संपरीक्षक श्री वी. एन. कौल से भेंट की । विपरो लि., इन्फोसी टैकनोलोजी लि. और बायोकोन लि. के कौशल देखने बंगलोर भी गए जहां उन्होंने इन कंपनियों के प्रमुक अधिकारियों के साथ बैठकें कीं । उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डा. वाई. वी. रेड्डी और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के सदस्य श्री अनन्तारमण से भई भेंट की । उन्होंने मुम्बई में आयोजित : चैंजिंग पेराडेम इन अकाउंटिंग प्रोफेशन" पर एक सम्मेलन को भी संबोधित किया जिसमें लगभग 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

9/10 जनवरी, 2005 को अबुधाबी, यूएई में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृत्ति की भूमिका पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया ।

15 जनवरी, 2005 को लाहोर, पाकिस्तान में, अकाउंटिंग प्रोफेसन : नीव होराइजन विषय पर पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के साथ संयुक्त रूप से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया ।

30-31 जनवरी, 2005 को काठमंडू, नेपाल में 'प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स : लुकिंग बियोंड फ्रंटियर' विषय पर नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंटस संस्थान के साथ संयुक्त रूप से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया ।

21 मार्च, 2005 को नई दिल्ली में एशिया/पेसिफिक ग्रूप (एपीजी) के साथ 'मनी लांडरिंग' पर परिचर्चा आयोजित की गई ।

स्टेट आडिट इंस्टीट्यूशन ओमान (एसएआई) के उपाध्यक्ष हिज एक्सेलेंसी नासिर एच. अलरवाही के नेतृत्व में एसएआई के पदधारियों का एक प्रतिनिधिमंडल संस्थान और एसएआई के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन पर चर्चा करने और एमओयू के सफल विनिश्चयन को अग्रसर करने के लिए 4 जनवरी, 2005 को संस्थान में आया ।

17-18 जून, 2005 को काठमांडु में पीयर रिवीव प्रणाली और सूचना प्रणाली संपरीक्षा परि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया । संस्थान ने अन्य बातों के साथ-साथ आईसीए नेपाल को पीयर रिवीव ढांचा और आईसीए नेपाल की सदस्यता के लिए सूचना प्रणाली संपरीक्षा में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए समर्थन देने का वचनबंध किया है ।

21 जुलाई, 2005 को शंघाई राष्ट्रीय लेखांकन संस्थान (एसएनएआई) से पदधारियों का एक प्रतिनिधि मंडल संस्थान में आया । प्रतिनिधिमंडल में बेल्जियम और जिम्बेब्वे राष्ट्रीय लेखांकन संस्थानों के प्रतिनिधियों के अलावा,

शंघाई राष्ट्रीय लेखांकन संस्तान के उपाध्यक्ष, और चीन लोक गणराज्य के वित्त मंत्रालय में कार्मिक और शिक्षा विभाग के निदेशक शामिल थे । चर्चा का केन्द्र पारस्परिक सहयोग के क्षेत्र, अनुभव की साझेदारी और सरकार/राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करना रहा ।

संस्थान ने 1-2 सितंबर, 2005 को नई दिल्ली में 'अकाउंटिंग प्रोफेशन : एडिंग वेल्यू टू नीव होराइजन्स आफ इकोनोमिक ग्रोथ' विषय पर एक अंतर्राष्ट्री सम्मलेन आयोजित किया । सम्मेलन का उद्घाटन माननीय भारत के राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम ने किया, जिन्होंने अपने संबोधन में चार्टर्ड अकाउंटेंटों को राष्ट्रीय विकास का भागीदार बताया । कंपनी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माननीय श्री प्रेम चन्द गुप्ता और राज्य सभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री के. रहमान खान सम्मानित अतिथि थे । सम्मेलन को लेखांकन और संपरीक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों जैसे हिज एक्सेलेंसी नासिर अलरवाही, ओमान की स्टेट आडिट इंस्टीट्यूशन के उपाध्यक्ष श्री जोहन केल्लास, चेयरमेन इन्ट्रनेशनल आडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टेंडर्ड्स बोर्ड आफ इन्टरनेशनल फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स, सुश्री तितमाना क्रिलोना, चीफ इन्वेस्टमेंट एडं इन्टरप्राइज कम्पीटिटिवनेस ब्रांच आफ यूएनसीटीएडी, विश्व बैंक के श्री एन्थनी हेगरती, डा. अरनेस्ट कन, उपाध्यक्ष, द इंस्टीट्यूट आफ सर्टिफाइट पब्लिक अकाउंटेंट्स आफ सिंगापुर; श्री जियोफ ब्रेशा, भूतपूर्व अध्यक्ष, द इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ आस्ट्रेलिया और भारतीय व्यापार और उद्योग तथा विनियामकों के ज्येष्ठ सदस्यों ने भी संबोधित किया गया ।

1-3 सितंबर, 2005 को नई दिल्ली में 58वीं एसएएफए असंबली, उत्कृष्टता केन्द्रों और कार्य समूहों की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई ।

संस्थान ने 17-19 अक्तूबर को कोलकाता में आईएफएसी विकासशील राष्ट्र टास्क फोर्स की बैठक और "पर्सपेक्टीव आफ अकाउंटिंग प्रोफेशन इन डेवलपिंग नेशन्स" विषय सम्मेलन की मेजबानी की। लगभग इसी समय टास्क फोर्स की बैठक भी हुई ।

समिति ने 19-21 जनवरी, 2006 को "रोल आफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन इन एनकरिंग इकोनोमिक ग्रोथ" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मुम्बई, नई दिल्ली में आयोजित किया जिसका उद्घाटन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डा. वाई. वी. रेड्डी ने किया था । सम्मेलन का आशय पणधारियों सहित सभी भाग लेने वालों को आर्थिक वृद्धि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लेखांकन वृत्ति के योगदान के संबंध में अवगत कराना था । सम्मेलन में आईएएसबी के अध्यक्ष सर डेविड टिवीडी ने एक विशेष भाषण प्रस्तुत किया । सम्मेलन को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों जैसे आईएफएसी के अद्यक्ष श्री ग्राहम वार्ड और मुख्य कार्यपालक श्री इयान बाल, एक्सबीआरएल के चेयरमेन श्री कर्ट पी. रामान, जीएएसएबी के अध्यक्ष श्री कंवल नाथ ने भी संबोधित किया ।

दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अंतर्राष्टीय इन्नेवेसन नेटवर्क के साथ ही साथ इटली, मोरीशियस और मंगोलिया के लेखांकन संस्थानों के क्रमशः एआईसीपीए, आईसीएईडब्ल्यू, सीएनडीसी के शिष्ट मंडलों के साथ बैठकें भी आयोजित की गई ।

समिति ने नई दिल्ली में 23-25 जनवरी को आईआईएन समारोहों की भी मेजबानी की ।

सोमवार, 26 सितंबर, 2005 को संस्थान ने सिंगापुर के इंस्टीट्यूट आफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के साथ मिलकर आधे दिन की संगोष्ठी "बिजनेस अपरधुनिटीज़ इन इंडिया एंड सिंगापुर" विषय पर आयोजित की । संगोष्ठी का आयोजन सिंगापुर - भारत व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) के परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया गया ।

2010 में वर्ल्ड कांग्रेस आफ अकाउंटेंटस के लिए संस्थान की चेष्टा को सराहा गया है और सूचनी में छंटाई के बात छह अन्य दशों के साथ भारत संभाव्य स्तान के रूप में विद्यमान है । आईएफएसी के अध्यक्ष श्री ग्राहम वार्ड और मुख्य कार्यपालक इयान बाल से मिलकर बने आईएफएसी के शिष्टमंडल ने दिल्ली के उप राज्यपाल, दिल्ली की मुख्य मंत्री प्रधान सचिव, वित्त दिल्ली सरकार; प्रधान सचिव, पर्टयन, सचिव कंपनी कार्य मंत्रालय और राज्य सभा के उपाध्यक्ष श्री के. रहमान खान के साथ आईसीएआई की चेष्टा की बाबत विस्तार से चर्चा की । वे भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) भी गए और वहां के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक से भेंट की । सम्मेलन

स्थान की अवसंरचनात्मक सीमाओं के कारण संस्थान अपनी चेष्टा में बहुत थोड़े अंतर से असफल हो गया ।

19 अप्रैल, 2006 को संस्थान के कुवैत चेप्टर का उद्घाटन किया गया ।

संस्थान का एक चेप्टर कनाडा में खोले जाने की संभावना है ।

3-6 जुलाई, 2006 के दौरान हांगकांग में योजित आईएफएसी के एसएमपी फोरम, एसएमपी प्रक्टिशनर संगोष्ठी और एसएमपी समिति की बैठक में संस्थान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

7 अगस्त, 2006 को श्री याओ गुअनघई, उप महासचिव, स्टेट आफस आफ रेक्टीफिकेसन एंड स्टेंडर्डाइजेसन आफ मार्केट इकोनोमिक आर्डर, वाणिज्य मंत्रालय, चीन की अगुवाई में एक 12 सदस्यों वाला शिष्टमंडल संस्था में आया था ।

आईसीएआई, आईएफएसी नॉलिज नेट नामक स्रोत केन्द्र को समर्थन देगा जो आईसीएआई की वेबसाइट पर इन्टरनेट खोज इंजन उपलब्ध कराएगा जिससे आईसीएआई वेबसाइट और आईएफएसी नॉलिज नेट के भीतर खोज सुकर और इस अन्य आईएफएसी सदस्य निकायों के साथ जोड़ा जाएगा । स्रोत, क्षेत्र/सूचना के संबंध में उदारता प्रदान करता है जहां संदाय या बिना संदाय के पहुंचा जा सकता है ।

आईसीएआई, सभी अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन फोरमों पर भारतीय लेखांकन वृत्ति की स्थिति बनाने और, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक ब्रांड छवि बनाने में सक्रिय भूमिका अदा करता रहा है । इससे लेखांकन और संपरीक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने की प्रकिया में और विशेषतः लेखाकारों और लेखांकन सेवाओं के लिए सार्वभौमिक बाजार में भारतीय लेखाकारों के लिए एक निच सृजित करने में आईसीएआई को बहुत सहायता मिली है ।

विदेशों में संस्थान के सदस्यों की वस्यकता को ध्यान में रखते हुए, समिति विदेशों में आईसीएआई के चेप्टरों से सक्रिय रूप से सम्बद्ध है । समिति ने विदेशों में रहने वाले संस्थान के सदस्यों के परिप्रेक्ष्य में बारबर पूछे गए प्रश्नों का एक सेट संकलित किया है । इन्हें संस्थान के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है ।

घ डब्ल्यूटीओ शासन के प्रतिनिर्देश से की गई पहलें

लेखांकन, कुक कीपिंग और संपरीक्षा सेवाओं के अधीन आवेदन करने के संबंध में लेखांकन, कुक कीपिंग और संपरीक्षा, सेवाओं में व्यापार संबधित मामलों के लिए भारत सरकार के संपनी कार्य मंत्रालय ने एक काय-समूह का गठन किया है जिसका संयोजक आईसीएआई है और आईसीडब्ल्यूएआई तथा आईसीएसआई इसके सदस्य हैं । उक्त समूह उसको निर्दिष्ट मामलों पर सरकार को परामर्श दे रहा है ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक भारत - यूंके लेखांकर्म टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें क्रमशः यूके की ओर 7 और भारत की र से 6 सदस्य हैं । समूह यूके और भारत के लेखांकन सेक्टरों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के संवर्धन के लिए अग्रणी होकर कार्य करेगा और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने केलिए संभावित कार्य सूची पर चर्चा करेगा ।

समिति, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा कंपनी कार्य मंत्रीलय के साथ लेखांकन, संपरीक्षा और बुक कीपिंग सेवाओं के लिए जीएटीएस (गेट्स) के अधीन जारी बातचीत से उत्पन्न मामलों पर लगातार कार्यवाही कर रही है । इसमें, संस्थान अन्य देशों से प्रभाव वचनबंध/प्रस्थापनाओं की ईप्सा करते हुए तथा पड़े व्यापार भागीदारों से वृत्तिक और अवृत्तिक रुकावटों को दूर करके वृत्ति के विषयों पर विचार करते हुए लगातार सदस्यों के हित के संवर्धन के लिए कार्य कर रही है जिससे कि भारतीय लेखांकन वृत्तिकों को इन देशों की प्रभावी पहुंच प्राप्त हो ।

संस्थान गेट्स के अधीन जारी बातचीत से संबंधित अनेक मुद्दे सरकार लगातार सूचना दे रहा है । उपलब्ध करा रहा है ।

7. अन्य क्रियाकलाप

7.1 मानव संसाधन विकास

7.1.1 मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईसीएआई ने जारी प्रयासों के भाग रूप में, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अपने सदस्यों, छात्रों और अन्य सम्बद्ध जनसाधारण को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों/विषयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए ताकि ज्ञान और कौशल में वृद्धि हो और व्यवहार संबंधी परिवर्तन आएं :

- मानव ऊर्जा प्रबंध, कारबार और वृत्तिक गेटअप, पूर्णरूपेण दक्षता और नैतिकता में सुधार लाने की नई कल्पना, दल निर्माण अभ्यास, व्यवहार और कार्यपालक प्रभावकारिता, कुल गुणवत्ता व्यक्तित्व और प्रेरणा जैसे क्षेत्रों में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं
- कम्प्यूटरों में प्रशिक्षण पर नियमितता ।
- मझौले, ज्येष्ठ और उच्च स्तर के कार्य पालकों के लिए प्रबंधकारी प्रभावकारिता/ कार्यपालक विकास, कार्यक्रम की विशेषरूप से तैयार की गई शृंखला ।
- अस्थाई समितियों के सचिव की आशा रखने वालों लिए ज्ञान बांटने के लिए आवधिक/सतत् सत्र, अनुभव और चिन्ता/पूर्विक्ता के क्षेत्रों की पहचान ।
- नए प्रवेश पाने वालों के लिए जागरूकता और परस्पर क्रिया सत्र ।
- साप्ताहिक कार्यशाला लेखांकन मानक और सहयोजित विषय ।
- अधिकारियों के लिए आवधिक परस्पर क्रिया अनुकूलन पाठ्यक्रम ।
- कर्मचारिवृन्द के लिए विभिन्न स्तरों पर आवधिक परस्पर क्रिया सत्र ।
- आत्म सशक्तीकरण और टीम स्प्रिट बनाए रखने के लिए आवासीय प्रशीक्षण कार्यक्रम ।
- कम्प्यूटर प्रशिक्षण की शृंखला ।
- वेट पर कार्यशाला
- साधारण विषयों/प्रसंगों पर कार्यक्रमों के अलावा लेखांकन मानक, संपरीक्षा और आश्वासन मानक, बीमा आदि जैसे विषयों पर टास्क्स विशिष्ट कार्यशालाओं का आयोजन ।
- केन्द्रीय और प्रादेशिक पुस्तकालयों से संबद्ध कर्मचारियों की चैन्नई स्थित आईआईटी पुस्तकालय में, जो देश में स्टेट आफ द आर्ट पुस्तकालय माना जाता है, "ऑन साइट पुस्तकालय प्रशिक्षण" के लिए प्रतिनियुक्ति ।
- आडियो कान्फ्रेंसिंग, वीडियों कान्फ्रेंसिंग और वेब कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रादेशिक कार्यालयों से नियमित परिचर्चा ।

सामान्य और नियमित मा.स. वि. कार्यक्रमों के अलावा, मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली स्थित प्रादेशिक कार्यालयों ने "डेयर टू ड्रीम", "पोजिटिव एटीट्यूड - ए प्री" "रिक्वीजिट टू सक्सेज" "सर्विस विद ए स्माइल" "टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज" टीम वर्क, एटीट्यूड एंड अक्जीक्यूटिव इफ्फेक्टिवनेस, आदि पर विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान आयोजित नियमित मा. स. वि. कार्यक्रम 7500 घंटों का अंक पर कर चुके हैं

इसके अलावा शिकायत निवारण, समय से काउंसेलिंग, वर्षिक छुट्टियां प्रबंध आदि के लिए मानव संसाधन पहल निम्नानुसार हैं : -

- शिकायत की ईप्सा तथा कष्ट कम करने की प्रक्रिया कार्रवाई के साथ मास प्रारंभ करें ।
- शिकायत समाधान के लिए किसी भी समय पर सचिव से मिलें ।
- कर्मचारियों और स्टाफ की निदेशक (मा. सं. वि.) के साथ अवधिक बैठकें ।
- रखी गई सुझाव पेटी के माध्यम से कर्मचारियों को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना ।
- विभागीय सोमवार बैठकें ।
- अतिरिक्त/केन्द्रित कर्मचारी के ध्यान की अपेक्षा करने वाले क्षेत्रों में आवधिक कर्मचारी काउंसेलिंग ।
- निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए उनके उन्नत प्रदर्शन द्वारा तथा अपेक्षित स्तर तक परिदान स्तर को लाकर मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए सतत् समर्थन ।

7.1.2 मानव संसाधन - कल्याणकारी उपाय ।

आईसीएआई ने सदैव इस बात को मान्यता दी है कि मानव संसाधन इसकी पूर्व की तमाम सफलताओं की सबसे महत्वपूर्ण, आस्ति है । इसका यह भी दृढ़ विश्वास है कि यह आस्ति आने वाले समय की सभी कठिनाइयों का समाधान है और यह आईसीएआई को एक 'मार्गदर्शक तारा' बनाएगी । वर्ष के दौरान भी इसने अपने कर्मचारियों के लिए और अधिक कल्याणकारी उपाय करना जारी रखा ।

7.2 सदस्यों और छात्रों की सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

नई सहस्त्राब्दि हमारे सामने है और संपूर्ण विश्व में होने वाले परिवर्तन वास्तव में नाटकीय हैं । आईसीएआई ने दृढ़ और निश्चित रूप से नई सहस्त्राब्दि में प्रवेश किया है । वर्चुअल संस्थान के क्रियान्वयन ने प्रौद्योगिकीय क्रान्ति द्वारा दी गई चुनौतियों का सामना करने के लिए संस्थान को तैयार किया है ।

इन्टरनेट की चुनौती

देश भर में प्रत्येक संगठन के सामने एकल सबसे बड़ी चुनौती इन्टरनेट है । इन्टरनेट के जीवन शैली बन जाने और वृद्धि के अधिक अवसर प्रदान करने के कारण अधिकतर संगठन इसे मान्यता दे रहे हैं और अपने सेवा मॉडलों को नई प्रौद्योगिकी के अनुकूल बना रहे हैं । आईसीएआई इन्टरनेट क्रान्ति को एक दीर्घावधि उदाहरणीय परिवर्तन मानता है तथा अपने सेवा स्तर और क्वालिटी परिदान में वृद्धि करने के लिए वचनबद्ध है ।

नम्यता और फुर्ती पथप्रदर्शक है क्योंकि संगठनात्मक ढांचा नई प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों के अनुसार पुनः माडल कर लिया गया है । "शैक्षिक संस्थाएं" और "विनियामक निकाय" इस बदलते हुए वातावरण की आवश्यकताओं को शीघ्रता से मान्यता दे रहे हैं ।

कल की ओर

अनेक आईटी पहलों का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगात्मक लाभ के सार्वभौमिक मानकों को प्राप्त करना होगा । इन्टरनेट ने विश्व भर में प्रत्येक को एक नया आयाम दिया है । वास्तविक क्रांति के बीच रास्ता चुनौतीपूर्ण और उत्तेजनापूर्ण है । आईसीएआई को आने वाले वर्षों में एक प्रभावकारी ई-सर्विस संगठन के रूप में परिवर्तित करने के केन्द्रित प्रयास जारी हैं ।

ई-संदाय

सदस्यता फीस के संग्रहण को संदाय गेटवे फेसिलिटेटिंग ऑन लाइन संदायों के साथ जोड़ा गया है । सदस्यों को सदस्यता फीस का संदाय ऑन लाइन क्रेडिट कार्ड का उपयोग से करने को प्रोत्साहित किया जाता है ।

उपरोक्त के अलावा, सदस्यता फीस के संग्रहण के लिए आईसीएआई ने बिल जंक्शन संदाय के माध्यम से ई. सी. एस. सुविधा प्रारम्भ की है जिससे कि सदस्य अपने बैंक खातों से एक मेंडेट द्वारा डेबिट करा सकें ।

सदस्यों को मैंडेट फार्म फीस परिपत्र के साथ भेज दिए जाते हैं जिसमें सदस्यों को यह सुविधा है कि जब तक वे इच्छुक हों संबंधित प्रादेशिक कार्यालयों को सूचित करके ई. सी. एस. चैनल के माध्यम से संदाय करने के लिए अपने बैंको को डेबिट मैंडेट दे सकते हैं । वर्ष के दौरान, 500 से अधिक सदस्यों ने अपनी सदस्यता फीस का संदाय करने के लिए ई. सी. एस. सुविधा का प्रयोग किया है ।

आईसीएआई सदस्यों को ऑन लाइन संदाय सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनके संव्यवहारों एवं वैयक्तिक सूचनाओं को सुरक्षित बनाने की बाबत कदम उठाता है । यद्यपि इन्टरनेट पर धोखाधड़ी और ठगी पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, फिर भी, आप इससे बचने और इसकी रिपोर्ट करने की कार्रवाई कर सकते हैं ।

ज्ञान प्रबंध और आईसीएआई पोर्टल

दक्ष ज्ञान प्रबंध के लिए अनेक पहलें की गई हैं जो आईसीएआई के भीतर मौजूद अनुभव, शिक्षण और ज्ञान के बड़े भंडारों को उपयोग में लाएंगी । आईसीएआई पोर्टल का प्रभावी उपयोग एक बटन दबाकर सदस्यों, छात्रों और कर्मचारियों की पहुंच में जानकारी और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किया जाता है । पोर्टल में प्रगतिशील विशेषताओं की अंतर्वस्तु है । यह आईसीएआई के सार्वभौमिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है । पोर्टल, सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए उपयोग कर्ताओं को संस्थान की सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकल अन्तरपृष्ठ प्रदान करता है ।

सिंगल साइन ऑन फीचर के उपयोग में, उपयोगकर्ताओं के पास इन्टरनेट/इन्टरनेट आंकड़ा आधार उपबंधन से सूचना तक पहुंचने की सुविधा है । पोर्टल, नियोजित रूप में जानकारी का प्रचार करने में संस्थान की सहायता करता है ।

पोर्टल उपयोग कर्ताओं की भूमिका पर आधारित सेवाओं और सूचना तक पहुंच के एकल बिन्दु के रूप में कार्य करता है, कार्यालय उपबंधन, ज्ञान और जानकारी का सम्प्रेषण करता है ।

अभी तक 20000 से अधिक सदस्य और छात्र आईसीएआई पोर्टल पर सिंगल साइन ऑन सुविधा का प्रयोग कर चुके हैं और साइट पर अपने उपयोगकर्ता आई. डी. सृजित कर चुके हैं ।

संस्थान की वेबसाइट के महत्वपूर्ण यू. आर. एल.

http://www.icai.org	आईसीएआई पोर्टल
http://www.icaiarf.org	आईसीएआई लेखांकन अनुसंधान फाउंडेसन के वेबसाइट
http:/220.225.137.148/ICA	वर्चुअल संस्थान के अधीन ऑन लाइन सेवाओं के लिए पोर्टल
http://www.meficai.org	आन लाइन बहुउद्देशीय पैनलकिरण के लिए पोर्टल
http://.pdicai.org	वृत्तिक विकास समिति का पोर्टल
http://www.cpeicai.org	ऑन लाइन सी.पी.ई. घंटों के लिए सी.पी.ई. पोर्टल
http://www.placements.icai.org	नियोजन पोर्टल

वर्चुअल संस्थान परियोजन :

1 अप्रैल, 2005 से सभी प्रादेशक कार्यलयों में एकीकृत केन्द्रीयकृत प्रणाली लिगेसी डाटा माइग्रेशन और टेस्टिंग के बाद वर्चुअल संस्थान परियोजना (वीआईपी) के अधीन उत्पादित की गई है । केन्द्रीयकृत प्रणाली सदस्यों और छात्रों के अभिलेखों का तात्कालिक समेकन प्रदान करती है ।

इसके अतिरिक्त, सदस्यों और छात्रों को विनियामक फार्म ऑन लाइन प्रस्तुत करने, अपने प्रोफाइल देखने और फीस का भुगतान करने में सुकर बनाने के लिए इन्टरनेट माड्यूल अगस्त, 2005 में क्रियाशील कर दिए गए हैं ।

वीआईपी के फायदे

वर्चुअल संस्थान परियोजना से संस्थान के कार्यकरण में एक उदाहरणीय परिवर्तन आया है और संस्थान को कार्य करने की एक नई गुणवत्ता दिशा मिली है । परियोजना, चार्टर्ड अकूउंटेंटों के सम्पूर्ण समुदाय की, उनकी औगोलिक अवस्थितियों को ध्यान में लाए बिना इन्टरनेट के वर्चुअल माध्यम द्वारा मांगों को पूरा करने के लिए एक एकल एकीकृत प्रणाली सृजित करती है । परियोजना के क्रियान्वयन से प्राप्त कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदे सूचिबद्ध किए गए हैं :-

प्रत्यक्ष फायदे

- ➢ सदस्यों और छात्रों के अखिल भारतीय आंकड़ा आधार
- ➢ सदस्यों और छातों के अभिलेखा का तात्कालिक समेकन
- ➢ डायनमिक एमआईएस

  सदस्यों की गणना

  - ✓ सहबद्ध फैलो और प्रदेश-वार में विभाजित
  - ✓ महिला सदस्य आंकड़ा आधार दशक सहबद्ध, फैलो और प्रदेश-वार में विभाजित
  - ✓ सदस्यों की अर्हताओं पर आधारित साख्यंकी
  - ✓ सीओपी, फैलोशिप से संबंधित सांख्यकी

  छात्रों की गणना

  - ✓ पीई I , पीई II और फाइनल छात्रों में विभाजित
  - ✓ पुरुष, महिलाओं में विभाजित
  - ➢ ऑन लाइन बहुउद्देशीय पैनलीकरण
  - ➢ सदस्य सूची, फर्मों की सूची और मतदाताओं की सूची का तात्कालिक उत्पादन
  - ➢ ऑन लाइन सदस्य और छात्र सेवाएं
  - ➢ सदस्यों और छात्रों के लिए ऑन लाइन फीस का संदाय
  - ➢ वृत्तिक विकास समिति के लिएं पैनल तैयार करना
  - ➢ सदस्यों और छात्रों का ऑन लाइन और तात्कालिक अन्तरप्रदेश स्थानांतरण
  - ➢ दक्ष और समय से परिदान

- ✓ केन्द्रीयकृत पत्रिका डाक लेबलों से पत्रिका परिदान की दक्षता में वृद्धि
- ✓ केंद्रीयकृत फर्म नाम का अनुमोदन
- ✓ केन्द्रीयकृत स्क्रिप्ट प्रमाण-पत्र
- ✓ मास ई-मेलिंग

अप्रत्यक्ष फायदे

- ➢ संस्थान के 24 x 7 प्रचालनों को सुकर बनान आले डिजास्टर रिकवरी स्थल के साथ इन-हाउस

प्राथमिक परिदान

- संस्थान के प्रत्येक पदधारा के लिए ब्रॉडबेंड इन्टरनेट तक पहुंच
- संस्थान के प्रत्येक पदधारी, परिषद सदस्य, प्रादेशिक परिषद सदस्य, शाखाओं और भागीदारी फर्मों को निगमित ई-मेल खाता
- संस्थान की वेबसाइट और ई-मेल सर्वर होस्ट करने वालों को सर्वर फार्मसर्वर होस्टिंग पर बड़ी बचत
- अन्तर-कार्यालय संयोजन सुकर बनाने के लिए निगमित नेटवर्क
- निगमित नेटवर्क पर वीओआईपी का उपयोग करके निःशुल्क अन्तर-कार्यालय वाइस कालें
- वर्चुअल संस्थान के अधीन सृजित आई. टी. संरचना ई-लर्निंग क्रियान्वयन की दिशा में एक कदम है ।

प्राथमिक परिदान केंद्र (पीडीसी), सन क्लस्टर, सिटरिस उपयोजन सर्वर फार्म और वेब सर्वर फार्म के अधीन चल रहे रियल उपयोजन क्लस्टर (आरयूसी) सहित ओरेकिल gi आंकड़ा आधार के साथ एक हाई एंड स्थापन है । डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट स्केल्ट डाउन सेट अप को होस्ट करता है । पीडीसी में डिजास्टर की घटना होने पर, आंकड़ा सुरक्षित रहता है और डीआर स्थल से संयोजन द्वारा गंभीर प्रचालनों को पुनर्जीवित किया जा सकता है ।

वर्चुअल संस्थान और ई-पहल

सदस्य और छात्र संस्थान की वेबसाइट www.icai.org पर ICAI e-Seva लिंक द्वारा संस्थान की ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं ।

> " हमारा वर्चुअल संस्थान"
> ICAI e-Seva
> सदस्यों और छात्रों के लिए कार्य करने का नया ढंग जो सीए को वर्चुअल समुदाय में इकट्ठा करता है ।
>
> यहां क्लिक करें ।

फीसों का संग्रहण ऑन लाइन संदाय को सुकर बनाने वाले संदाय प्रवेश द्वार से सम्बद्ध है ।

छात्र :

छात्र अब, अपना प्रोफाइल, परीक्षण परिणाम और परीक्षा परिणाम देखने के साथ-साथ ऑन लाइन पीई I/पीई II/सीसीटी रजिस्ट्रीकरण, आबद्ध रजिस्ट्रीकरण/पुनः रजिस्ट्रीकरण, आबद्ध विलेख, अंतिम रजिस्ट्रीकरण आबद्ध रिक्ति अपलब्धता का लाभ उठा सकते हैं ।

सदस्य :

सदस्यों को पहले अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर फीस की संदाय, फर्म नाम के अनुमोदन जैसे छोटे मुद्दों के लिए संस्थान में आना पड़ता था । ये ब्यौरे उन्हें अब केवल एक बटन दबाकर उपलब्ध हो जाते हैं । सदस्य सी. ओ. पी. रजिस्ट्रीकरण, फैलोशिप रजिस्ट्रीकरण के लिए ऑन लाइन डाउनलोड कर सकते हैं ।

7.3 संपरीक्षा समिति

संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावकारिता में नियंत्रण प्रदान करने की दृष्टि से आईसीएआई की परिषद ने एक संपरीक्षा समिति गठित की थी ।

समिति के निर्देश-निबंधन बहुत व्यापक हैं । संस्थान के भीतर से सभी अपेक्षित सूचनाओं तक पहुंच के अलावा,

समिति, जहां अपेक्षत हो, बाहर से वृत्तिक सलाह प्राप्त कर सकती है । समिति कानूनी और आंतरिक संपरीक्षक तथा संस्थान के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है । यह लेखांकन नीतियों का चयन और स्थापना करने, कानूनी और आंतरिक संपरीक्षकों की रिपोर्ट की पुनरीक्षा करने और उनके निष्कर्षों, सुझावों तथा अन्य संबंधित विषयों पर उनसे चर्चा करने के लिए प्राधिकृत है । अन्य के अलावा, यह संस्थान की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और वित्तीय सूचना के प्रकटन का अवलोकन यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि वित्तीय विवरण सही और सत्य हैं । बुनियादी तौर पर यह निम्नलिखित पर ध्यान देती है : -

- लेखांकन नीतियों और प्रेक्टिसों में किए गए कोई परिवर्तन
- प्रबंध मंडल द्वारा निर्णय के प्रयोग पर आधारित बड़ी लेखांकन प्रविष्टियां
- प्रारूप संपरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं
- संपरीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण समायोजन
- लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन

यह आवधिक रूप से संपरीक्षकों और प्रबंध मंडल के साथ आतंरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का और आंकड़ा सुरक्षा अखंडता से संबंधित नीतियों का भी पुनरीक्षण करती है ।

समिति के कार्यकरण के एक अभिन्न भागरूप में, वर्ष भर बैठकें आयोजित करना, आतंरिक और बाहरी संपरीक्षा कार्य योजनाओं का विचारण और पुनरीक्षण, वित्तीय नीतियों का मूल्यांकन तथा आंतरिक संपरीक्षा रिपोर्टों का पुनरीक्षण शामिल है ।

वर्ष के दौरान, समिति ने निम्नलिखित मामलों के संबंध में भी अपनी सिफारिशें की थी : -

- प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं सहित संस्थान के त्रैमासिक लेखा तैयार करना जिससे कि अर्द्धवार्षिक और तत्पश्चात् वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक लेखा सुविधाजनक रूप से तैयार हो सके और समय से परिषद को प्रस्तुत किए जा सकें ।
- वार्षिक लेखा की वस्तुनिष्ठता और प्रभावकारिता आर प्रभावकारिता को मानिटर और पुनरीक्षित किया और उन्हें कुछ सुझावों सहित अनुमोदित किया ।
- नियंत्रण तंत्र को सशक्त बनाने की दृष्टि से आंतरिक संपरीक्षकों के कार्य के विस्तार का पुनरीक्षण किया ।
- आंतरिक संपरीक्षा की संरचना और रिपोर्टिंग क्षेत्र की समीक्षा ।
- संस्थान, इसकी शाखाओं, प्रादेशिक परिषदों और नोएडा भंडार के प्रकाशकों का शीर्षक-वार पूर्ण समाधान करने के लिए पहल की ।
- समिति ने आवधिक रूप से अंतर-एकक अवशेषों के पूर्ण समाधान और नियमित अंतरालों पर आस्तियों के सत्यापन तथा एक समुचित व्यय नियंत्रण तंत्र बनाने के लिए कार्यालय को निदेश दिए ।
- समिति ने यह भी विनिश्चत किया कि सभी समितियों से बजट परिवर्तन विवरण देने के लिए अनुरोध किया जाए जिसमें उपगत वास्तविक व्ययो की तुलना में बजट रकम के मध्य अंतर दर्शाया जाए ।
- समिति ने शाखाओं, प्रादेशिक परिषदों, विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और मुख्यालय के कानूनी संपरीक्षकों तथा आंतरिक संपरीक्षकों को भी तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए बनाए न रखने पर बल दिया ।
- आईसीएआई में जारी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के दस्तावेजीकरण और मूल्यांकन से संबंधित कार्य की पहल की ।

7.4 वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड

देश का प्रमुख लेखांकन निकाय आईसीएआई, देश में एक सुदृढ़ और विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की स्थापना करने की दिशा में निरन्तर कार्यशील है । इस उद्देश्य की प्राप्ति में, आईसीएआई, अन्य बातों से साथ-साथ लेखांकन मानक जारी कर रहा है और इस लेखांकन मानकों के क्रियान्वयन में उत्पन्न मुद्दों पर मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहा है । इसी प्रकार से, देश में प्रचिलित संपरीक्षा प्रेक्टिसों में सुधार लाने की दृष्टि से, आईसीएआई संपरीक्षा और आश्वासन मानक जारी कर रहा है । तथापि, यह महसूस किया गया कि देश में प्रचलित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली और संपरीक्षा प्रेक्टिस में सुधार लाने की दृष्टि से अनेक मानकों के क्रियान्वयन को मानिटर किया जाए और उनके अननुपालन की दशा में समुचित कार्रवाई की जाए । आईसीएआई ने यह भूमिका निभाने का दायित्व राष्ट्र की सेवा के रूप में स्वीकार किया और वित्तीय रिपोर्टिंग पुनरीक्षा बोर्ड का गठन किया ।

बोर्ड, यादृच्छिक आधार पर चयनित कतिपय उद्यमों के साधारण प्रयोजन के वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा अन्य बातों के साथ-साथ लेखांकन मानक और संपरीक्षा तथा आश्वासन मानकों के प्रति उनके अनुपालन को मानीटर करने की दृष्टि से करता है । बोर्ड, ऐसे मामलों को, जहां किसी प्रकार के अननुपालन का पता चलता है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अधीन संपरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सचिव को भेज देता है । जहां तक उद्यम के प्रबंध मंडल का संबंध है, बोर्ड अनियमितताओं की बाबत सूचना उद्यम के सुसंगत विनियामक को दे देता है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष बोर्ड के कारगर कार्यकरण का प्रथम वर्ष था । वर्ष के दौरान बोर्ड का यादृच्छिक आधार पर चयनित वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए चौंसठ कंपनियों के साधारण प्रयोजन के वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा का कार्य अपने हाथ में लिया था । बोर्ड में प्रचलित प्रक्रियाओं के अनुसार इन विवरणों की प्राथमिक समीक्षा बोर्ड द्वारा रखे गए पैनल में से चयनित तकनीकी समीक्षकों द्वारा की गई था । तकनीकी समीक्षक द्वारा प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट पर इस प्रयोजन के लिए गठित वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा समूह ने विचार किया था । तब बोर्ड ने समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार किया था । तब बोर्ड ने समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार किया . इन 61 कंपनियों की समीक्षा अब पूरी हो चुकी है । शेष तीन कंपनियों की बाबत कुछ मुद्दे बोर्ड के विचाराधीन हैं और इस समीक्षा के शीघ्र पूरा होने की आशा है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, संस्थान के सदस्यों और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों को समीक्षा के दौरान पाए गए बड़े अननुपालनों से अवगत कराने की दृष्टि से, बोर्ड ने समय-समय पर पाए गए अननुपालनों को समेकित करने और उन्हें संस्थान की पत्रिका में प्रकाशित करने तथा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी आरम्भ कर दी है । ऐसे अननुपालन का प्रथम टिप्पण संस्थान की पत्रिका के फरवरी, 2006 के अंक में प्रकाशित [illegible] गया । इस प्रक्रिया को भविष्य में भी जारी रखे जाने की आशा है ।

बोर्ड ने आने वाले वर्ष 2004-05 के लिए यादृच्छिक आधार पर चयनित 50 कंपनियों के साधारण प्रयो[illegible] वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा का कार्य अपने हाथ में [illegible] है । बोर्ड में [illegible] प्रक्रियाओं के अनुसार, इन विवरणों की प्राथमिक समीक्षा, बोर्ड द्वारा रखे गए पैनल [illegible] से चयनित त[illegible] समीक्षकों द्वारा की जाएगी । तकनीकी समीक्षकों द्वारा प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में पांच वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा समूह गठित किए हैं । इन वित्तीय विवरणों की समीक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति पहले ही हो चुकी है ।

7.5. आंतरिक संपरीक्षा समिति

7.5.1 मिशन

आंतरिक संपरीक्षा समिति (सीआईए) को संवर्धक, समाज में इससे संबंध आंतरिक संपरीक्षा और अन्य पहलुओं के संबंध में ज्ञान के स्रोत तथा प्रबंधक के रूप में आईसीएआई के आधिपत्य का संवर्धन करने के लिए 5 फरवरी, 2005 को आईसीएआई की अस्थायी समिति के रूप में गठित किया गया था जिससे कि इसके सदस्य, उद्योग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में मूल्य वर्धित सेवाएं अधिक कारगर तथा दक्षता से देने में समर्थ हों और पश्चातवर्ती को

अपने नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंध प्रक्रिया को सुव्यस्थित और सशक्त करके अपनी शासन प्रक्रिया को सशक्त तथा सुव्यवस्थित करने में सहायता दे सकें ।

7.5.2 उद्देश्य

समिति का उद्देश्य भारत में विद्यमान आंतरिक संपरीक्षा व्यवहार का पुनर्विलोकन तथा आंतरिक संपरीक्षा (एस. आई. ए.) संबंधी विकास मानकों को विकसित करना, मार्गदर्शक टिप्पणों को विकसित करना तथा एसएएस से उद्भूत मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी करना है जिससे कि इनको आईसीएआई की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया जा सके ।

7.5.3 वर्ष के दौरान -

- समिति ने बैंकों में जोखिम आधारित आंतरिक संपरीक्षा पर तकनीकी गाइड का प्रकाशन निकाला है ।
- प्रस्तावित आंतरिक संपरीक्षा (एसआईए) मानक 1, आंतरिक संपरीक्षा की योजना बनाना को अंतिम रूप दिया । अंतिम मानक, परिषद के प्राधिकार से सितंबर, 2006 तक जारी किया जा रहा है ।
- प्रस्तावित आंतरिक समीक्षा मानक आंतरिक संपरीक्षा के प्राथमिक सिद्धांत के प्रारूप पर विचार किया । प्रस्तावित मानक का अपावरण प्रारूप पत्रिका के सितंबर, 2006 के अंक में जनता से टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया जा रहा है ।
- तेल और गैस परिष्करण तथा विपणन (अनुप्रवाह) उद्यमों में आंतरिक संपरीक्षा पर पुनरीक्षित साधारण मार्गदर्शक सिद्धांतों और आंतरिक संपरीक्षा पर तकनीकी गाइड को अंतिम रूप दिया । दस्तावेजों को अंतिम रुप दिया जा रहा है और शीघ्र ही प्रकाशित कर दिए जाएंगे ।
- आईसीएआई की पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद के साथ मिलकर जुलाई, 2006 में, मुम्बई में "आंतरित संपरीक्षा - एनरोन के बाद पांच वर्ष" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया ।

7.5.4 प्रगति में अन्य परियोजनाएं

आंतरिक संपरीक्षा पर मानक

- एसआईए आंतरिक संपरीक्षा में दस्तावेजीकरण
- एसआईए, उद्यम जोखिम प्रबंध की आंतरिक संपरीक्षा
- एसआईए, जोखिम प्रबंध और आंतरिक नियंत्रण
- एसआईए, आंतरिक संपरीक्षा में क्वालिटी आश्वासन
- एसआईए, आंतरिक संपरीक्षा में विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं

7.5.5 अन्य तकनीकी दस्तावेज

- सूची करार के खंड 49 के प्रति निर्देश से आंतरिक नियंत्रण के निर्धारण पर गाइड
- बैंककारी उद्योग में राजकोष की आंतरिक संपरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पण
- आंतरिक संपरीक्षा और निगमित शासन
  - आंतरिक संपरीक्षा पर मार्गदर्शक सिद्धांत - एलुमिनियम उद्योग
  - तेल और गैस उद्यमों में आंतरिक संपरीक्षा पर तकनीकी गाइड
  - ए.टी.एम. संव्यवहारों और प्लास्टिक कार्डों की आंतरिक संपरीक्षा

8. अन्य मामले

8.1 आईसीआई का वार्षिक समारोह

आईसीएआई का 56वां वार्षिक समारोह 3 फरवरी, 2006 को नई दिल्ली में हुआ था । राज्यसभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री के. रहमान खान मुख्य अतिथि थे । समारोह में आईसीएआई द्वारा संचालित परीक्षाओं में मेधावी छात्रों को पुरस्कार तथा मेडल और आईसीएआई की उत्कृष्ट क्षेत्रीय परिषद और शाखाओं को शील्ड तथा प्रशंसा पत्र दिए गए । समारोह में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, सदस्यों, छात्रों, आईसीएआई के अधिकारियों तथा कर्मचारियों सहित बहुत बड़ी संख्या में आमंत्रितियों ने भाग लिया । मुख्य अतिथि ने चार्टर्ड अकाउंटेंटस वृत्ति पर प्रशंसा की बौछार लगा दी ।

8.2 चार्टर्ड एकाउंटेट्स

चार्टर्ड अकाउंटेट्स दिवस की याद में 1 जुलाई, 2006 को नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया । इस दिन की याद में पूरे राष्ट्र में संगोष्ठियों और सम्मेलनों की शृंखला का आयोजन किया गया । मुख्य समारोह नई दिल्ली में "आर्थिक और सामाजिक विकास के संवर्धन में लेखाकर्म वृत्ति की भूमिका" पर सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया । केंद्रीय कंपनी कार्य मंत्री माननीय श्री प्रेम चन्द गुप्ता इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे । सम्मेलन में लेखाकर्म वृत्ति की भूमिका का पता लगाया गया तथा अच्छे शासन, पारदर्शता और जवाबदेही के माध्यम से विकास एसएमई और एसएमपी के संदर्भ में लेखांकन और संपरीक्षण मानकों एवं नई व्यापार व्यवस्था में परिवर्तन सहित अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया । उपरोक्त के अलावा, अनेक स्थानों पर प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं में भी स्थानीय रूप से भव्य रूप में समारोह आयोजित किए गए ।

8.3 चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 में संशोधन

8.3.1 चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 का संशोधन

भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम 2006 भारत के राजपत्र (असाधारण) में 23 मार्च, 2006 को अधिसूचित किया गया । उक्त अधिनियम की धारा 1 में यथाअंतर्विष्ट उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को प्राप्त है और उसी आधार पर विभिन्न उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

मध्य अगस्त, 2006 से केन्द्रीय सरकार ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के निम्नलिखित उपबंधों को प्रभावी बनाया है : -

संशोधन अधिनियम, 2006 के अनुसार धारा	मूल अधिनियम (अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1959) के अनुसार धारा	प्रभावी होने की तारीख	विषय-वस्तु
1	1	8 अगस्त, 2006	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2	2	8 अगस्त, 2006	निर्वचन
3	4	8 अगस्त, 2006	रजिस्टर में नामों की प्रविष्टि
4	5	8 अगस्त, 2006	फैलो और सहयुक्त
5	6	8 अगस्त, 2006	प्रैक्टिस का प्रमाण-पत्र
6	9(2)(ख)	19 अगस्त, 2006	चार्टर्ड अकाउंटेंट (परिषद में सदस्यों का

			नामनिर्देशन) नियम, 2006
6	9(2)(क)	5 सितंबर, 2006	चार्टर्ड अकाउंटेंट (परिषद का निर्वाचन) नियम, 2006 [संस्थान की परिषद का गठन]
7	10	8 अगस्त, 2006	परिषद के लिए पुनःनिर्वाचन या पुनःनामनिर्देशन
9	12	8 अगस्त, 2006	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
12	15क (नई धारा)	8 अगस्त, 2006	विश्वविद्यालयों और अन्य निकायों द्वारा शिक्षा देना
16 [सिवाए खंड (i)]	19	8 अगस्त, 2006	रजिस्टर
17	20	8 अगस्त, 2006	रजिस्टर से हटाना
22	24क(3)	8 अगस्त, 2006	उपधारा (3) का लोप
23	26	8 अगस्त, 2006	अनर्हित व्यक्ति दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे
25	29क (नई धारा)	8 अगस्त, 2006	केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति
26	30	8 अगस्त, 2006	विनियम बनाने की शक्ति
27	30ख	8 अगस्त, 2006	नियम, विनियम और अधिसूचनाएं संसद के समक्ष रखे जाएंगे
28(नई धाराएं 30घ और 30ङ को छोड़कर)	30ग, 30घ और 30ङ (नई धाराएं)	8 अगस्त, 2006	केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति

8.3.2 चार्टर्ड अकाउंटेंक विनियम, 1988 का संशोधन

वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने पीई II परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले आबद्ध शिक्षार्थियों को संदेय वृत्तिका की दरों में वृद्धि करने के लिए विनियम 48(1) में संशोधन करने की अंतिम रूप से अनुमोदन कर दिया है ।

शिक्षा और प्रशिक्षण समीक्षा संबंधी समिति की सिफारिशों से उत्पन्न शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम के लिए केन्द्रीय सरकार से रिपोर्टाधीन अवधि में अनुमोदन प्राप्त करना मील का पत्थर है जिसने संस्थान के, 13 सितंबर, 2006 के अपराह्न में सामान्य प्रवीणता परीक्षा प्रारम्भ करने में समर्थ बनाया है ।

चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2006 में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान मे रखते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के बहुत से उपबंधों को पुनः संगठित करने और गत वर्षों में आई कठिनाइयों/समस्याओं की दृष्टि से केन्द्रीय परिषद् स्तर पर विद्यामान विनियमों की समीक्षा के लिए विशेष प्रयोजन कार्य समूह स्थापित

किया गया है और वर्तमान में यह कार्य-समूह सदस्यों, प्रादेशिक परिषदों, अधिकारियों आदि से प्राप्त जानकारी के आधार पर इसके द्वारा परिषद को की जाने वाली सिफारिशों को अंतिम रूप दे रहा है ।

8.4 केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय

केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय इन्टरनेट के माध्यम से पूरे विश्व से जुड़ी, पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत और क्रियाशील है । पुस्तकों, पत्रिकाओं और लेखों के आंकड़ा आधार सहित पुस्तकालय सामग्री की खोज, विषय, लेखक, शीर्षक, प्रसंग और प्रकाशक-वार की जा सकती है । अभिलेख इन्टरनेट पर उपलब्ध है । www.icai.org-overview - Library Services–online search. ऑन लाइन सेवाएं हैं। पी ई-I पाठ्यक्रम छात्रों को विशेष मामले के तौर पर के अलावा निर्देश सेवा विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और विद्वानों को प्रदान की जानी हैं । संस्थान के प्रत्येक निदेशालय को दिए गए केन्द्र पुस्तकालय के साथ, संस्थान के नोएडा कार्यालय और विश्वास नगर छात्र पुस्तकालय को भी केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान की गई हैं ।

www.icai.org/ Library services पर उपलब्ध निम्नलिखित 17 वेब सेवा को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है : -

1. अकाउंटेंट ब्राउसर (1990 से आगे - विभिन्न वृत्तिक पत्रिकाओं से संकलित 12000 लेखों का संग्रह)
2. चार्टर्ड अकाउंटेंट पत्रिका से लेख (1951 से 2005 - खोज सुविधा सहित)
3. पुरालेखों के साथ पुस्तक के वर्तमान संकलन
4. पुस्तकालय में पुस्तकों की ऑन लाइन खोज - पुस्तकों और पत्रिकाओं का पूर्ण सूचीपत्र
5. चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुक्रमणिका (आई. सीए आ. की पत्रिकाएं)
6. पुस्तकालय में उपलब्ध सी. टी.
7. आयोजित किए गए विभन्न सम्मेलनों/संगोष्ठियों/समारोहों के पुस्तकालय में उपलब्ध फोटो ।
8. पुस्तकालय में उपलब्ध डब्ल्यूटीओ की पुस्तकों की सूची
9. पुस्तकालय में उपलब्ध एसएएफए की पुस्तकों की सूची
10. अनुशंसित पुस्तकों की सूची
11. पुस्तकालय प्रतिभूति निक्षेप नियम छात्र/सदस्य
12. पुस्तकालय समाचार/दृष्टिकोण
13. पुस्तकालय द्वारा अभिदत्त पत्रिकाओं/समाचारपत्रों की सूची
14. पुस्तकालय सेवाएं - सदस्यों/छात्रों के लिए फार्म
15. निर्देश पुस्तकालयों के पते
16. जीवनी के ब्यौरे - सम्मेलन/संगोष्ठियां
17. सुझाव पुस्तकें/पत्रिकाएं

एएफडब्ल्यू सॉफ्ट लिंक-लायब्रेरी से भिन्न सॉफ्टवेयर केंद्रीय परिषद पुस्तकालय के सदस्यों/ आगन्तुकों/फेकल्टी को निम्नलिखित विशेषज्ञता प्राप्त आंकड़ा आधार उपलब्ध कराए जाते हैं : -

1. डेनलेट के माध्यम से नेटवर्किंग, पुस्तकालय में भारत और विदेशों में पुस्तकालयों का नेटवर्क क्रियाशील है, सभी विषयों पर पुस्तकों तक इसके बड़े सूची-पत्र द्वारा पहुंचा जा सकता है और संपूर्ण भारत में पुस्तकालय स्रोतों को बांटा जाता है ।

2. पुस्तकालय साफ्टवेयर सेवा में गत 50 वर्षों के आईसीएआई जर्नल "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से लेखों सहित सभी

वृत्तिक पत्रिकाओं से 12000 से अधिक लेखों का मजबूत आधार उपलब्ध है ।

3. पुस्तकालय ने रोवेस लेन वर्जन - एक सीएमआईई का प्रोडक्ट भी अभिप्राप्त कर लिया है जो कि 8000 कंपनियों का सबसे अधिक विश्वसनीय और सशक्त निगमित आंकड़ा आधार है, आधार आंकड़ा, वित्तीय विवरण, अनुपात विश्लेषण, निधि प्रवाह, प्रोडक्ट प्रोफाइल स्टाक बाजार में रिटर्न और जोखिम आदि उपलब्ध करता है । इसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जा रहा है ।

4. सभी विधिक विनिश्चयों के लिए ग्रांड ज्यूरिक्स -' इसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

5. रिपोर्ट किए गए सभी आय-कर मामलों के लिए आईटीआर ऑन लाइन - इसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जा रहा है ।

6. उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर तथा सहायक विधियों के लिए इलैक्ट्रोनिक पुस्तकालय हेतु एक्सकस साफ्टवेयर । इसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जा रहा है ।

उपरोक्त के अलावा, पुस्तकालय सुविधाएं संपूर्ण देश के प्रादेशिक केन्द्रों तथा शाखाओं में भी उपलब्ध हैं । कम्प्यूट्रीकरण करने के पश्चात् विभिन्न प्रादेशिक पुस्तकालयों को केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय के डाटाबेस के साथ जोड़ने के लिए प्रयास जारी है । आईसीएआई/सेवाओं के वृत्तिक विकास के लिए अधिक डाबेस अर्जित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

8.5 संपादकीय बोर्ड

आज की तेजी से बढ़ती हुई सार्वभौमिक आयु में, विभिन्न विषयों, नए-नए क्षेत्रों, पहलुओं और वृत्ति की चुनौतियों से आईसीएआई के सदस्यों और चार्टर्ड अकाउंटेंट पत्रिका के अन्य पाठकों को अद्यतन बनाए रखने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए संपादकीय मंडल ने इस रिपोर्ट की अवधि (1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006) के दौरान बहुत सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं ।

यह आईसीएआई का ब्रांड अम्बेसेडर है और सदस्यों, छात्रों तथा बाह्य श्रोताओं के लिए संस्थान के प्रोफाइल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है । आज चार्टर्ड अकाउंटेंट विश्व की ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं से टक्कर ले रहा है चाहे वह अंतर्वस्तु की गुणवत्ता हो, गहन ट्रापिकल कवरेज, परस्पर क्रियात्मक फीचर, अंतर्राष्ट्रीय मानक ले आउट/डिजाइनिंग, पेपर क्वालिटी, बाहरी आवरण या समय से लोगों तक पहुंच हो . सबसे अधिक विश्वसनीय और पाठक मैत्रिक के रूप में इसकी मान्यता लगातार बढ़ती जा रही है । यह न केवल सदस्यों केलिए बल्कि सहयुक्त वृत्तिकों, संस्थाओं और भारत तथा विदेशों में आर्थिक संसार के हर वर्ग में अद्यतन वृत्तिक ज्ञान का टूल बन गया है यदि पाठक फीडबेक के सुछ भी उपदर्शित होता हो । इसकी व्यापक पहुंच और पाठन आधार की दृष्टि से इस पत्रिका का कुल सर्कुलेशन, आज 1,70,000 से अधिक हो गया है ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संपादकीय मंडल की कुल मिलाकर 12 बैठकें आयोजित की गईं । संपादकीय मंडल की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार है : -

फीचर और आर्टिक

1 अप्रैल, 2005 और 31 मार्च, 2006 के दौरान, पूर्व वर्ष की तत्सथानी अवधि के दौरान मुद्रित 1530 पृष्ठों की तुलना में 1917 पृष्ठों को मुद्रित किया गया । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 179 आर्टिकल प्रकाशित किए गए जबकि पूर्व वर्ष के दौरान 150 प्रकाशित किए गए थे ।

अनेक नए फीचर, जिनमें 'प्रोफेशनल होराइजन' टेक 4 यू, 'केरियर वाच', लेखांकन और संपरीक्षा मानक, 'साक्षात्कार' , "पाठकों की शंकाएं" (सर्वोत्तम उत्तर के लिए 1 सीपीई घंटा इनाम के साथ) सम्मिलित हैं, प्रारंभ किए गए हैं । पत्रिका में कुछ और फीचर/स्तंभ प्रारंभ करने का विनिश्चय लिया गया है, अर्थात् 'अंतर्राष्ट्रीय कराधान', "आर्थिक उपदर्शक", 'वेबवाच' और "प्रोफेशनल प्रेक्टिस टिप्स"

अंतर्वस्तु फोकस और अंशदाता

टॉपिकल रूचि के ऐसे मुद्दे जिसका वर्ष के दौरान पत्रिका की 'थीम' केन्द्रित किया गया था - "बैंक संपरीक्षा"

(अप्रैल, 2005) 'निगमित शासन' (मई, 2005), 'मूल्य वर्धित कर' (जून 2005) 'सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य में लेखाक्रम वृत्ति' (जुलाई, 2005), 'सेवा कर' (अगस्त, 2005) 'आईएमपी और एसएमई' (सितंबर, 2005,) 'जोखिम प्रबंध' (अक्तूबर, 2005), 'भारतीय पूंजी बाजार' (नवंबर, 2005), 'सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी' (दिसंबर, 2005) 'वित्तीय रिपोर्टिंग मानक तथा प्रकटन' (जनवरी, 2006) 'ग्रामीण विकास' (फरवरी, 2006) और 'संघीय बजट 2006-07' (मार्च, 2006)

पत्रिका में क्वालिटी और टॉपिकल अंतर्वस्तु सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वृत्तिक क्षेत्रों से (विषय-वार और प्रदेश-वार) विशेषज्ञ लेखकों का एक मानक पैनल तैयार किया गया है । इस संबंध में लेखकों के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत भी बनाए गए हैं । लेखकों को, जो कि आईसीएआई के सदस्य भी हैं, पत्रिका में प्रकाशित प्रत्येक लेख के लिए 4 सीपीई क्रेडिट घंटे दिए जाते हैं ।

ले आउट, डिजाइन, मुद्रण और विज्ञापन

- जुलाई, 2005 के विशेष अंक से पत्रिका के नए अवतार का जन्म हुआ जिसमें इसके आधारित लेआउट, डिजाइन और आवरण पृष्ठ में व्यापक परिवर्त इस प्रकार कि गए पत्रका का प्रत्येक खंड परिवर्तित होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया । पूरी पत्रिका, उस समय से चार रंग के मुद्रण फारमेट में प्रकाशित होनी प्रारंभ हो गई ।

- अंतरराष्ट्रीय लुक देने के लिए पत्रिका के डिजाइन और मास्ट हैड के फील को उन्नत किया गया । 'आवरण' पृष्ठ, 'अंतर्वस्तु' पृष्ठ और 'उद्घोषणा' पृष्ठों को विशेष रूप से पुनःडिजाइन किया गया साथ ही साथ पत्रिका में प्रकाशित ग्राफिक की क्वालिटी को उन्नत किया गया ।

- पत्रिका के मुद्रण में प्रयुक्त पेपर की क्वालिटी में सुधार लाया गया और पत्रिका के बाह्य लुक को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए इसे अन्नत किया गया ।

- व्यापक ब्रांड संवर्धन और पत्रिका की सुकर पहुंच के लिए नई पहल की गई । उच्च क्वालिटी के पेपर पर मुद्रित पत्रिका की विशेष प्रतियां वीवीआईपी और राजनैतिक, नौकरशाही तथा आर्थिक संसार के चयनित व्यक्तियों को भेजी जा रही हैं । वीवीआईपी की सूची, जिन्हें पत्रिका की प्रतियां सम्मानार्थ भेजी जाती है, अद्यतन और परिवर्धित की जा रही है ।

अन्य पहल -

- आईसीएआई मुख्यालय, प्रादेशिक कार्यालय पत्रिका, के मुद्रक, सुसंगत डाकघरों और संबंधित अधिकारियों को शामिल करके पत्रिका के प्रेषण में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यापक अभ्यास किया गया तथा अनेक सुधारात्मक और निवारक उपाय किए गए । इन उपायों में सदस्यों के डाटाबेस पिन कोड, पतों में संशोधन, लेबल मुद्रण प्रक्रिया में संशोधन, मेलिंग सूची को सुव्यवस्थित करना, शिकायत जवाबदेही तंत्र, पत्रिका के भेजने की प्रक्रिया की अधिक कारगर मानिटरिंग, पत्रिका के अंकों को अग्रिम में तैयार करना, नया पोस्टर लाइसेंस मुम्बई से प्राप्त करना आदि शामिल हैं ।

- यह विनिश्चित किया गया कि पत्रिका को मास के अंतिम तीन दिनों में भेजा जाए ताकि यह सदस्यों और अभिदाताओं के पास, देश के सभी भागों में प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह तक पहुंच चाए ।

- पत्रिका को अब विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्लास्टिक के लिफाफे में प्रेषित किया जा रहा है/डाक से भेजा जा रहा है जिससे कि प्रेषण के दौरान यह नष्ट न हो ।

- आईसीएआई की वेबसाइट पर पत्रिका पृष्ठ और संपादकीय मंडल पृष्ठ को व्यापकत : अद्यतन किया गया है ताकि सदस्य बेहतर रूप में अवगत रहें । पत्रिका के प्रत्येक अंक को, सदस्यों और अभिदाताओं को भेजने के बाद आईसीएआई की वेबसाइट पर तुरन्त उपलब्ध करा दिया जाता है ।

9. सदस्य

9.1. 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा 9443 सदस्यों को दर्ज किया गया । जिससे 1 अप्रैल, 2006 को आईसीएआई के कुल सदस्यों की संख्या 1,30,946 हो गई ।

पूर्व वर्ष में 3246 की संख्या की तुलना में 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 2315 सहयोजित सदस्य फैलों के रूप में प्रविष्ट किए गए ।

1.4.2006 को सदस्यों की संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	फैलो	सहयोजित	स्तम्भों का योग
पूर्णकालिक व्यवसाय में	46775	21251	68026
अंशकालिक व्यवसाय में	3257	6408	9665
जो व्यवसाय में नहीं हैं	7136	46119	53255

9.2 चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स हितकारी निधि

दिसंबर 1962 में स्थापित चार्टर्ड एकाउंटेंट हितारी निधि ऐसे जरूरतमंद लोगों, जो आईसीएआई के सदस्य हैं या रहे हैं, उनके आश्रितों को उनके पोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । निधि के आजीवन सदस्यों की सख्या 31 मार्च, 2005 को 63071 से बढ़कर 31 मार्च 2006 को 70753 हो गई है । निधि की वित्तीय विशिष्टियां निम्नानुसार हैं : -

	31.3.2005 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.3.2006 को समाप्त वर्ष के दौरान
दी गई कुल वित्तीय सहायता	44,26,777.00	45,05,000.00
प्रशासनिक खर्चे	5,40,441.00	13,732.00
निधि अधिशेष	13,81,087.00	36,70,477.00
निधि का अतिशेष	1,73,48,362.00	2,10,18,839.00
कोरपस का अतिशेष	4,94,54,000.00	5,72,36,500.00

10 छात्र

10.1 छात्रों की संख्या

वर्ष 2001-2002 से वर्ष 2005-2006 के दौरान फाउंडेशन/वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-I), इन्टरमीडिएट/वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-II) और फाइनल पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकृत छात्रों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	फाउंडेशन/पीई (पाठ्यक्रम-I)	इन्टरमीडिएट/पीई (पाठ्यक्रम-II)	फाइनल
2001-2002	34,215	29,403	11,524
2002-2003	35,524	33,283	11,102
2003-2004	38,188	34,232	11,390
2004-2005	39,000	34,190	11,061

2005-2006	38,901	39,467	13,010
योग	**1,85,828**	**1,70,575**	**58,087**

10.2 प्रत्यायन स्कीम

वर्ष के दौरान मौखिक कोचिंग कक्षाएं आयोजित करने हेतु वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-I) के छात्रों के लिए [illegible] संस्थाओं को, वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-II) के लिए 11 संस्थाओं को और फाइनल पाठ्यक्रम के लिए 3 संस्थाओं को प्रत्यायन प्रदान किया गया । वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए कतिपय अपेक्षाओं का पालन न करने के कारण पीई I के लिए 18 संस्थाओं के और पीई II के लिए 11 संस्थाओं के नामों का लोप किया गया । इसके अलावा, 2 संस्थाओं का प्रत्यायन, जिन्हें पीई I पाठ्यक्रम के लिए मौखिक कोचिंग कक्षाएं आयोजित करने के लिए प्रत्यायन दिया गया था, प्रदर्शन अच्छा न होने के कारण वापस लिया गया । 31 मार्च, 2006 को वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-I) के लिए प्रत्यायित संस्थाओं की कुल संख्या 169 (31 मार्च, 2005 को 178) वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-II) के लिए 95 (31 मार्च, 2005 को 95) और फाइनल पाठ्यक्रम के लिए 10 (31 मार्च, 2005 को 7) है ।

नवंबर, 2005 में होने वाली परीक्षा हेतु वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-I) के छात्रों के फायदे कि. लिए 43 संस्थाओं ने कक्षाएं आयोजित कीं और मई, 2006 में होने वाली परीक्षा के लिए 82 संस्थाओं ने कक्षाएं आयोजित कीं । नवंबर, 2005 में होने वाली परीक्षा हेतु वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-II) के छात्रों के फायदे के लिए 7 संस्थाओं ने कक्षाएं आयोजित कीं और मई, 2006 में होने वाली परीक्षा के लिए 56 संस्थाओं ने कक्षाओं का आयोजन किया । मई, 2006 में होने वाली परीक्षा हेतु फाइनल पाठ्यक्रम के छात्रों के फायदे के लिए 6 संस्थाओं ने कक्षाओं का आयोजन किया ।

10.3 अध्ययन सामग्री की समीक्षा

समीक्षा की निरंतर प्रक्रिया के भागरूप अध्ययन सामग्री की समीक्षा अनेक विषय-विशेषज्ञों द्वारा की जाती है और उनकी टिप्पणियों एवं सुझावों को, जहां कहीं समुचित समझा जाता है सम्यक संपादन और सत्यापन के पश्चात् अध्ययन मॉड्यूल के अगले मुद्रण में सम्मिलत किया जाता है ।

10.4 वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण प्रकाशन -

वर्ष के दौरान वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-I), वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-II) और फाइनल पाठ्यक्रम के छात्रों के फायदे के लिए निम्नलिखित प्रकाशन निकाल गए हैं : -

(i) पूर्व परीक्षाओं में उत्तरों सहित प्रश्नों का संकलन

(ii) पूर्व परीक्षाओं के प्रश्नों के सेट का संकलन

(iii) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में चयनित मामले

(iv) आत्म विकास पुस्तिका शृंखला के अधीन संपरीक्षा दस्तावेजीकरण

10.5 छात्रों की काउंसेलिंग

पाठ्यविवरणों के बहुत से विषयों में अनेक विद्या संबंधी शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए छात्रों की सहायता हेतु प्रादेशिक मुख्यालयों में काउंसेलिंग सेवाएं चलाई जा रही हैं ।

10.6 250 घंटे का अनिवार्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण

1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 250 घंटे के अनिवार्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों की संख्या निम्नानुसार है :

क्षेत्र	1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक	1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 तक

पश्चिमी क्षेत्र	3505	4422
दक्षिणी क्षेत्र	4271	3282
पूर्वी क्षेत्र	5015	1691
मध्य क्षेत्र	2435	2503
उत्तरी क्षेत्र	6965	2305
	22191	14203

समुचित बैच आकार मे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अध्ययन बोर्ड ने प्रत्यायन के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया है और 23 नई संस्थाओं को प्रत्यायन प्रदान किया है । 31 मार्च, 2006 को, 250 घंटे के अनिवार्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण में लगी प्रत्यायित संस्थाओं की संख्या 318 थी (31 मार्च, 2005 को 61 संस्थाएं) ।

10.7 साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल पर पाठ्यक्रम

वर्ष के दौरान, 251 बैचों के लिए साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल पर 15 दिवसीय पाठ्यक्रम क्षेत्रिय षारिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा देश भर में 47 केन्दों पर (दुबई केन्द्र सहित) आयोजित किया गया और इन कार्यक्रमों में 10887 छात्रों ने भाग लिया (2004-2005 में 8000 छात्रों ने भाग लिया था) ।

10.8 संगोष्ठियां और सम्मेलन

वर्ष के दौरान, बोर्ड ने एक दिवसीय संगोष्ठियां वक्तृता/क्विज प्रतियोगिताएं और प्रादेशिक/राज्य स्तर पर सम्मेलनों के आयोजन का बढ़ावा देने की नीति जारी रखी । 5 प्रादेशिक परिषदों और 36 शाखाओं द्वारा शाखा/प्रादेशिक स्तर पर वक्तृत/क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गई । फाइनल वक्तृत:/क्विज प्रतियोगिता का आयोजन जनवरी 2006 में चैन्नई में हुआ ।

विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की 7 शाखाओं ने एक दिवसीय संगोष्ठियां आयोजित कीं. एसआईआरसी और क्षेत्रीय परिषदों की 8 शाखाओं ने अन्य शैक्षिक समारोहों का आयोजन किया ।

सीआईआरसी की अलवर शाखा और आगरा शाखा नें क्रमशः 26.06.2005 और 16/17.06.2005 को फेकल्टी विकास कार्यक्रम आयोजित किए ।

18वें अखिल भारतीय सीए छात्र सम्मेलन का आयोजन 8 और 9 दिसंबर, 2005 को इन्दौर में किया गया तथा 14 और 15 जनवरी, 2006 को दूसरी राष्ट्रीय कन्वेंशन पुणे में आयोजित हुई ।

10.9 छात्रवृत्तियां

31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के दौरान 195 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई (19 गुणता छात्रवृत्तिया 13 गुणता एवं आवश्यकता आधृत छात्रवृत्तियां, 123 आवश्यकता आधृत छात्रवृत्तियां) इसके अतिरिक्त इस प्रयोजन के लिए स्थापित विभिन्न विन्यासों से प्राप्त आय में से 21 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई ।

10.10 छात्रों का संवादपत्र (स्टूटेंट्स न्यूजलेटर)

मासिक सीए छात्र संवादपत्र - 'दि चार्टर्ड एकाउंटेंट स्टूडेन्ट' जिसमें उपयोगी लेख, शैक्षणिक अद्यतन, आलेख और अन्य सुसंगत उद्घोषणाएं है, छात्रों के लिए लोकप्रिय और उपयोगी साबित हुआ है । यह प्रकाशन सदस्यों में भी लोकप्रिय रहा । वर्ष 2005-2006 के दौरान छात्रों को परिदत्त कुल प्रतियां 12,00,489 और 3,48,661 थीं । छात्र संवाद पत्र के पृष्ठों की संख्यां मूल्य परिवर्धन के लिए 24 से बढ़ा कर 28 की गई ।

सर्वोत्तम लेख के लिए प्रथम पुरस्कार (2000 रुपए) श्री योगेश शर्मा डब्ल्यूआईसीएएसए की बडौदा शाखा के **संवादपत्र में प्रकाशित लेखांकन** सेवा की आउट सोर्सिंग पर उनके लेख "विजन फार दि नेक्स्ट डिकेड" के लिए दिया गया था ।

10.11 रविवार परीक्षा स्कीम में वृत्तिक शिक्षा पाठ्यक्रम पुस्तक प्रणाली जारी रखना

कारबार और निगमित विधियों, कंपनी विधि और सचिवालय प्रेक्टिस, प्रत्यक्ष कर विधि और अप्रत्यक्ष कर विधियों के लिए रविवार परीक्षा स्कीम में वृत्तिक शिक्षा पाठ्यक्रम पुस्तक प्रणाली गत वर्ष प्रारम्भ की गई थी । स्कीम का विस्तार चालू वर्ष के लिए भी किया गया ।

10.12 रिलायंस इन्फोकोम लि. की अवसंरचना का प्रयोग करते हुए वर्चुअल कक्षाओं का संचालन

मार्च और अप्रैल, 2006 मासों के दौरान, सुसंगत क्षेत्रों में इन हाउस और विस्तार विशेषज्ञ सहायता से वृत्तिक शिक्षआ (पाठ्यक्रम-I), वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-II) और फाइनल पाठ्यक्रम के अनेक विषयों पर 12 वर्चुअल कक्षाओं का संचालन किया गया ।

10.13 वृत्तिक शिक्षा के लिए(पाठ्यक्रम- I) पायलेट आधार पर ऑन लाइन पात्रता परीक्षा

मास दिसंबर, 2005 के दौरान, वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-II) के सभी विषयों के लिए ऑन लाइन परीक्षा का संचालन किया गया ऑन लाइन परीक्षाएं मई और जून के दौरान वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-I) वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-II) और फाइनल पाठ्यक्रमों के सभी विषयों में चैन्नई, कोलकाता और मुम्बई में संचालित की गईं ।

10.14 छात्र अदला-बदली कार्यक्रम

छात्र अदला-बदली कार्यक्रम के तत्वावधान में एसएएफए सदस्य निकायों के 22 छात्र (आईसीएएस एल-10 आईसीएएन 12) भारत आए और 8 और 9 दिसंबर, 2005 को इन्दौर में आयोजित 18वें अखिल भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट छात्र सम्मेलन में भाग लया । आईसीएआई के 5 छात्र भी नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएएन) निमंत्रण पर 28 जनवरी, 2005 से 3 फरवरी, 2006 तक नेपाल गए ।

10.15 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र संघ की शाखाएं

सहकर्मी की भावन विकसित करने और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और बौधिक विकास आदि के संवर्धन में चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के छात्रों को सक्रिय रूप से लगाने की दृष्टि से आईसीएआई हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र संघ की शाखाएं खोलने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करती रही है । इस प्रक्रिया में, अब तक छात्र संघों की 35 शाखाएं पहले ही स्थापित हो चुकी हैं ।

10.16 सीए पाठ्यक्रम को पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए मान्यता ।

विभिन्न विश्वविद्योलय से निरंतर संपर्क करने के बाद वाणिज्य शिक्षा और कैरियर काउंसेलिंग समिति पीएचडी/फैलो कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए 4 भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के अलावा 76 विश्वविद्यालयों से सीए पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त करने में सफल रही है ।

10.17 संयुक्त संगोष्ठियां/केरियर काउंसेलिंग

वर्ष के दौरान, अनेक विश्वविद्यालयों के समन्वयन से 9 संयुक्त संगोष्ठियां आयोजित की गईं । भारत में विभिन्न स्थानों पर छात्र समुदाय के साथ परस्पर क्रिया के लिए 30 केरियर काउंसेलिंग मेले/कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

10.18 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के दौरान, 500 रुपए प्रतिमास के मूल्य की 60 छात्रवृत्तियां, चार्टर्ड काउंटेंसी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को दी गई । निधि की सदस्यता 31 मार्च, 2005 को 349 के मुकाबले 31 मार्च, 2006 को 705 थी । निधि के पास जमा शेष 31 मार्च, 2005 को 9,02,384 रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2006 को 8,80,678 रुपए थी ।

11 प्रादेशिक परिषद और उनकी शाखाएं

11.1 संस्थान की पांच प्रादेशिक परिषदें है अर्थात पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद, दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तर भारत प्रादेशिक परिषद् जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं ।

11.1.1 प्रदेशिक परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या 111 है ।

11.1.2 भारत के बाहर संस्थान के चेप्टरों की कुल संख्या 16 है ।

11.1.3 पूरे भारत में संदर्भ पुस्तकालय की कुल संख्या 36 हैं ।

11.2 शाखाओं के लिए भवन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रादेशिक परिषदों की अनेक शाखाएं अपने निजी परिसर बनाने में रूचि दिखाती रही हैं । कुल मिलाकर 58 शाखाओं के अपने भवन हैं ।

11.3 चल शील्ड

संस्थान सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद को हर वर्ष चल शील्ड देता है । पुरस्कार सम्पूर्ण कार्यों को देखकर दिया जाता है । इसी प्रकार हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ शाखा को चल शील्ड प्रदान की जाती है । पुरस्कार स्थापित सिद्धांतों के आधार पर दिया जाता है । अखिल भारतीय आधार पर सर्वश्रेष्ठ सीए छात्र संघ को और प्रादेशिक आधार पर छात्रसंघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा को चल शील्ड वर्ष 1999 से चलाई गई है । 2005 के लिए यह शील्डें 4 फरवरी, 2006 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थी : -

1.	सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद्	पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद् ।
2.	**प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ शाखा**	
	लघु आकार शाखा प्रवर्ग	दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की हुबली शाखा
	मध्यम आकार शाखा प्रवर्ग	एसआईआरसी की मंगलोर शाखा
	बड़ी शाखा प्रवर्ग	डब्यूआईआरसी की नागपुर शाखा
3.	**सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ**	पश्चिम भारत चार्टर्ड एकाउंटेंटस छात्र संघ
4.	**छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा**	
	पश्चिमी क्षेत्र	डब्ल्यूआईसीएएसए की बडौदा शाखा
	दक्षिण क्षेत्र	एसआईसीएएसए की एर्नाकुलम शाखा
	मध्य क्षेत्र	सीआईसीएएसए की इंदौर शाखा

उत्तम कार्य प्रदर्शन को देखते हुए निम्नलिखित शाखाओं को अलग से क्रमशः प्रशंसनीय कार्य के लिए प्रमाण पत्र दिए गए थे : -

लघु आकार शाखा प्रवर्ग	एसआईआरसी की सलेम शाखा
	एसआईआरसी की ईरोड शाखा
	एसआईआरसी की तिरुपुर शाखा

	एसआईआरसी की राजकोट शाखा
मध्यम आकार शाखा प्रवर्ग	एसआईआरसी की विजयवाड़ा शाखा
	सीआईआरसी की आगरा और रायपुर शाखाएं (संयुक्त रूप से)
बड़ी शाखा प्रवर्ग	डब्ल्यूआईआरसी की बड़ौदा शाखा

11.4 नए विकेन्द्रीकृत कार्यलय

तुरंत तथा व्यक्तिपरक सेवा के महत्व को मानते हुए जो विकेन्द्रीकरण के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, आईसीएआई की परिषद ने मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में पहले से कार्यरत विकेन्द्रीकृत कार्यालयों के अलावा, दक्षिणी क्षेत्र में बंगलौर और हैदराबाद में, पश्चिमी क्षेत्र में अहमदाबाद और पुणे में और मध्य क्षेत्र में जयपुर में 5 और विकेन्द्रीकृत कार्यालय पहले ही खोल चुकी है । प्रादेशिक स्तर पर कार्य/गतिविधियों की वृद्धि पर विचार करते हुए, सूरत, नागपुर और बड़ौदा (पश्चिमी क्षेत्र) एर्नाकुलम और कोयम्बटूर (दक्षिणी क्षेत्र), इन्दौर (मध्य क्षेत्र) और चंडीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र) में सात और विकेन्द्रीकृत कार्यालय स्थापित किए गए हैं ।

12. वित्त और लेखा

31 मार्च 2005 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा जो परिषद् द्वारा अनुमोदित है, संलग्न है ।

13. प्रशंसा

13.1 परिषद व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी है जिन्होंने संस्थान की समितियों पर सहयोजित सदस्य के रूप में कार्य किया है और उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जो व्यवसाय के सदस्य नहीं हैं लेकिन जिन्होंने परिषद के शैक्षिक, तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परीक्षाओं के संचालन में पर्ष 2005-2006 के दौरान परिषद की सहायता की ।

13.2 परिषद की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2005-2006 में केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए।

13.3 परिषद् उन गणमान्य व्यक्तियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है जिन्होंने आईसीएआई के अनेक कार्यक्रमों में भाग लेकर उनकी शोभा बढ़ाई । परिषद् राज्य स्तर पर अनेक कृत्यकारियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती है जिन्होंने आईसीएआई के अंगों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की शोभी बढ़ाई ।

13.4 परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक गतिविधियों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रूचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठा गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है ।

13.5 संस्थान के सभी अधिकारी और कर्मचारी वर्ष 2005-2006 के दौरान अपने निष्ठापूर्ण और अनथक प्रयासों के लिए परिषद द्वारा प्रशंनीय है ।

आंकड़े एक नजर में

सदस्य (1.4.1997 से)

सारणी-1

वर्ष (को यथाविद्यमान		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1.4.1997	सहयुक्त	14649	11013	4906	3972	6971	41511
	अध्येता	11042	8975	4369	4560	8049	36995
	योग	25691	19988	9275	8532	15020	78506
1.4.1998	सहयुक्त	16160	11564	5187	4351	7406	44668
	अध्येता	11501	9420	4558	4909	8733	39121
	योग	27661	20984	9745	9260	16139	83789
1.4.1999	सहयुक्त	17935	12515	5562	4875	8001	48888

	अध्येता	12038	9942	4779	5345	9374	41478
	योग	29968	22457	10341	10220	17375	90366
1.4.2000	सहयुक्त	17771	13023	5807	5057	8411	50069
	अध्येता	12200	10369	4941	5617	9784	42911
	योग	29971	23392	10748	10674	18195	92980
1.4.2001	सहयुक्त	19243	12915	5732	5215	8498	51603
	अध्येता	12868	10749	5077	5995	10100	44789
	योग	32111	23664	10809	11210	18598	96392
1.4.2002	सहयुक्त	20771	13456	5872	5493	9074	54666
	अध्येता	13540	11248	5296	6400	10580	47064
	योग	34311	24704	11168	11893	19654	101730
1.4.2003	सहयुक्त	23194	14446	6374	6318	10287	60619
	अध्येता	14279	11742	5572	6909	11135	49637
	योग	37473	26188	11946	13227	21422	110256
1.4.2004	सहयुक्त	24515	14943	6515	6714	10697	63384
	अध्येता	15091	12377	5836	7557	11846	52707
	योग	39606	27320	12351	14271	22543	116091
1.4.2005	सहयुक्त	26351	15724	6785	7552	11640	68052
	अध्येता	15834	12969	6146	8207	12338	55494
	योग	42185	28693	12931	15759	23978	123546
1.4.2006	सहयुक्त	28528	16700	7172	8480	12898	73778
	अध्येता	16385	13358	6313	8539	12573	57168
	योग	44913	30058	13485	17019	25471	130946

सदस्यों के आंकड़े 1.4. 1950 से

सारणी 2

	1.4.1950 को	1.4.1951 को	1.4.1961 को	1.4.1971 को	1.4.1981 को	1.4.1991 को	1.4.2001 को
अध्येता	569	672	1,590	3,326	8,642	22,136	44,789
सहयुक्त	1,120	1,285	4,059	7,901	16,796	36,862	51,603
योग	1,689	1,957	5,649	11,227	25,438	58,998	96, 392

	1.4.2002 को	1.4.2003 को.	1.4.2004 को	1.4.2005 को	1.4.2006 को
अध्येता	47064	49637	52707	55494	57168
सहयुक्त	54666	60619	63384	68052	73778
योग	101730	110256	116091	123546	130946

छात्र रजिस्ट्रीकरण प्रगति चार्ट 31.3.1996 से

	वर्ष 1995-96 के दौरान	वर्ष 1996-97 के दौरान	वर्ष 1997-98 के दौरान	वर्ष 1998-99 के दौरान	वर्ष 1999-2000 के दौरान	वर्ष 2000-01 के दौरान	वर्ष 2001-02 के दौरान
फाउंडेशन/पीई (पाठ्यक्रम-I)	29,015	28,209	37,052	43,809	44,180	35,999	34,215*
इंटरमीडिएट /पीई (पाठ्यक्रम-II)	19,288	21,354	24,652	28,253	27,508	23,405	29,403**
फाइनल	8,675	9,275	9,394	12,227	10,787	9,026	11,524

योग	56,978	58,838	71,098	84,289	82,475	68,430	75,142

	वर्ष 2002-2003 के दौरान	वर्ष 2003-2004 के दौरान	वर्ष 2004-2005 के दौरान	वर्ष 2005-2006 के दौरान
फाउंडेशन/पीई (पाठ्यक्रम-I)	35,524	38,188	39,000	38,901
इंटरमीडिएट /पीई (पाठ्यक्रम-II)	33,283	34,232	34,190	39,467
फाइनल	11,102	11,390	11,061	13,010
योग	79,909	83,810	84,251	91,378

* इसमें 1.10.2001 से 31.3.2002 तक पीई (पाठ्यक्रम-I) में रजिस्ट्रीकृत छात्र सम्मिलित हैं : 5006

** इसमें 1.10.2001 से 31.3.2002 तक पीई (पाठ्यक्रम-II) में रजिस्ट्रीकृत छात्र सम्मिलित हैं : 11848

उन्नसवीं परिषद् (2006-07) की संरचना

अध्यक्ष : सीए टी..एन. मनोहरन, एफ. सीए

उपाध्यक्ष : सीए सुनील तलाटी, एफ. सीए

अवधि : 5 फरवरी, 2006 से

सचिव : डा. अशोक हल्दिया

उन्नीससवीं परिषद् (2006-07) के सदस्य

निर्वाचित सदस्य

सीए अभिजीत बंध्योपाध्याय	कोलकाता
सीए अमरजीत चोपड़ा	नई दिल्ली
सीए अनुज गोयल	गाजियाबाद
सीए चरणजोत सिंह नन्दा	नई दिल्ली
सीए जी रामास्वामी	कोयम्बटूर
सीए हरिन्दरजीत सिंह	नई दिल्ली
सीए हरीश नरेन्द्र मोतीवाला	मुम्बई
सीए जयंत गोखले	मुम्बई
सीए जयदीप नरेन्द्र शाह	नागपुर
सीए के. पी. खण्डेलवाल	कोलकाता
सीए कमलेश शिवजी विकामसे	मुम्बई
सीए मनोज फड़नीस	इन्दौर
सीए पंकज इन्द्रचंद जैन	मुम्बई
सीए राजकुमार एस अदुकिया	मुम्बई
सीए एस. गोपालाकृष्णन्	हैदराबाद
सीए एस सन्थानाकृष्णन्	चैन्नई
सीए एस. सी. वासुदेवा	नई दिल्ली
सीए शांति लाल डागा	हैदराबाद
सीए सुनील गोयल	जयपुर
सीए सुनील तलाटी	अहमदाबाद
सीए टी. एन. मनोहरन	चैन्नई

निर्वाचित सदस्य

सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल	मुम्बई
सीए वी. मुरली	चैन्नई
सीए वेद जैन	नई दिल्ली

नामनिर्दिष्ट सदस्य

श्रीमती अनिता कपूर (31.10.2005 से)	नई दिल्ली
श्री जितेश खोसला	नई दिल्ली
सीए के. सी पराशर	जोधपुर
सीए पवन कुमार शर्मा	गुवाहाटी
श्री सिद्धार्थ कुमार बिरला	नई दिल्ली
श्री सुनील चन्द्र (26.12.2005 से)	नई दिल्ली

संपरीक्षक

सीए शशिकुमार, एफसीए	नई दिल्ली
सीए मनु चड्ढा, एफसीए	नई दिल्ली

संपरीक्षक की परिषद को रिपोर्ट

1. हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान का 31 मार्च, 2006 को यथा विद्यमान संलग्न तुलनपत्र और अन्य संपरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित संस्थान के कार्यालयों, कम्प्यूटर केन्द्रों, क्षेत्रीय परिषदों और उनकी शाखाओं के लेखाओं को सम्मिलित करने वाले उस तारीख को उपाषद्ध आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण संपरीक्षित किए हैं एवं रिपोर्ट तैयार करते समय उनकी रिपोर्टों पर सम्यक्तः विचार किया गया है। नौ शाखाओं के संपरीक्षित लेखाओं की अनुपस्थिति में, उनके असंपरीक्षित लेखा सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान एक शाखा से लेखा प्राप्त नहीं हुए हैं और इसे अनुसूची XV के टिप्पण सं॰ 2.7 के अनुसार लेखा में सम्मिलित किया गया है। ये वित्तीय विवरण, संस्थान के प्रबंध मंडल का दायित्व हैं। हमारा दायित्व अपनी संपरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार संपरीक्षा की है। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हम इस बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए संपरीक्षा योजना बनाएं और अनुपालन दें कि क्या वित्तीय विवरण किसी तात्विक गलत कथन से मुक्त हैं। संपरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में रकमों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की परीक्षण आधारित जांच करना है। संपरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का निर्धारण और प्रबंध मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन तथा संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमारा यह विश्वास है कि हमारी संपरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

हमारी यह भी रिपोर्ट है कि :–

(क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

(ख) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, खाता बहियों के अनुसार हैं;

(ग) हमारी राय में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की अपेक्षाओं के अनुपालन में समुचित खाता बहियां रखी गई हैं;

(घ) हमारी राय में, तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण सुसंगत लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

(ङ) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपाबद्ध और लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अनुसूचियों के साथ विवरण और लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं:

i) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च 2006 को संस्थान के मामलों की स्थिति की;

ii) आय और व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अतिशेष की; और

iii) नकद प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकद प्रवाह की।

ह०/–
सीए. शशि कुमार
चार्टर्ड अकांउटेंट
सदस्यता सं० 86492

ह०/–
सीए. मनु चड्ढा
चार्टर्ड अकांउटेंट
सदस्यता सं० 80996

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2 अगस्त, 2006

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2006 को तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

	अनुसूची		31.03.2006 रकम		31.03.2005 रकम
निधियो के स्रोत:					
पूंजिगत आरक्षितियां	I		6177.95		4224.69
सामान्य आरक्षितियां	II		4309.57		3002.01
अन्य आरक्षितियां	III		125.50		99.11
उद्दिष्ट निधियां	IV		5506.82		5835.19
योग			16119.84		13161.00
निधियों का उपयोजन:					
स्थिर आस्तियां					
सकल ब्लॉक	V	9350.45		5661.71	
घटाएं : अवक्षयण और परिशोधन		2963.39		2408.74	
शुद्ध ब्लॉक			6387.06		3252.97
प्राप्ति में पूंजि कार्य (पूंजि अग्रिम सहित)			420.18		2820.65
निवेश	VI				
उदिदष्ट निधि निवेश		5506.82		5835.19	
अन्य निवेश		4991.10	10497.92	2133.74	7968.93
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम					
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज		748.37		717.58	
वस्तु सूची	VII	271.89		287.25	
नकद और बैंक अतिशेष		752.65		620.78	
ऋण और अग्रिम	VIII	1120.91		1130.56	
प्राप्य लेख	IX	153.85		98.48	
उप योग		3047.67		2854.65	
घटाएं : चालू दायित्व और उपबंध					
चालू दायित्व	X	4088.22		3581.00	
उपदान के लिए दायित्व का उपबंध		144.77		155.20	
उप योग		4232.99		3736.20	
शुद्ध चालू आस्तियां			(1185.32)		(881.55)
योग			16119.84		13161.00
महत्वपूर्ण लेखांकन नितियों का विवरण	XIV				
लेखा का भाग बनने वाले टिप्पण	XV				

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियां तुलनपत्र का अभिन्न भाग है।

ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–
सीए. दीपक दीक्षित	सीए. अशोक हल्दिया	सीए. सुनिल तलाटी	सीए. टी.एन मनोहरन
संयुक्त सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी इसी तारीख की उपाबद्ध रिपोर्ट के अनुसार

ह०/–	ह०/–
सीए. शशि कुमार	सीए. मनु चड्ढा
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
सदस्यता सं० 86492	सदस्यता सं० 80996

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 2 अगस्त, 2006

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
31.03.2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
आय और व्यय लेखा

(लाख रुपयों में)

	अनुसूची	31/03/2006 रकम	31/03/2005 रकम
आय:			
फीसें	XI	8696.62	7008.08
संगोष्ठियां		1392.53	1153.74
अन्य आय	XII	1187.22	1107.89
योग		11276.37	9289.71
व्यय			
वेतन और भत्ते		1980.31	1812.89
मुद्रण और लेखन सामग्री		1424.71	1239.71
संगोष्ठी खर्चे		1265.76	998.93
अन्य क्रियात्मक खर्चे		3744.13	3412.53
अवक्षयण और परिशोधन	XIII	555.55	549.79
योग		8970.46	8013.85
शुद्ध अतिशेष		2305.91	1255.86
निधियों/आरक्षितियो में विनियोजन :			
शिक्षा निधि [नीति सं॰ III (ग)]		895.45	538.69
कर्मचारी कल्याणकारी निधि [नीति सं॰ III (घ)]		10.19	10.00
साधारण आरक्षिति		1400.27	707.17
योग		2305.91	1255.86
महत्वपूर्ण लेखांकन नितियों का विवरण	XIV		
लेखा का भाग बनने वाले टिप्पण	XV		

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियां तुलनपत्र का अभिन्न भाग है।

ह॰/–	ह॰/–	ह॰/–	ह॰/–
सीए. दीपक दीक्षित	सीए. अशोक हल्दिया	सीए. सुनिल तलाटी	सीए. टी.एन मनोहरन
संयुक्त सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी इसी तारीख की उपाबद्ध रिपोर्ट के अनुसार

ह॰/–	ह॰/–
सीए. शशि कुमार	सीए. मनु चड्ढा
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
सदस्यता सं॰ 86492	सदस्यता सं॰ 80996

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 2 अगस्त, 2006

नकद प्रवाह विवरण
31.03.2006 को समाप्त वर्ष के लिए

	रकम लाख रुपयों में			
	2005-2006		2004-2005	
क. क्रियात्मक गतिविधियों से नकद प्रवाह				
शुद्ध अतिशेष		2305.91		1255.86
निम्न के लिए समायोजन :				
अवक्षयण और परिशोधन	555.55		549.79	
निवेश पर ब्याज	(234.75)		(313.67)	
		320.60		236.12
कार्य पूंजी के परिवर्तन के पूर्व क्रियात्मक अतिशेष		2626.71		1491.98
वस्तु सूची में वृद्धि/कमी	15.36		(16.38)	
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज में वृद्धि/कमी	(30.79)		80.33	
प्राप्य लेखा में वृद्धि/कमी	(55.37)		49.29	
ऋण और अग्रिमों में वृद्धि/कमी	9.65		(540.47)	
चालू दायित्वों में वृद्धि/कमी	507.22		713.33	
उपदान निधि के उपबंध में कमी	(10.43)		(3.79)	
		435.64		282.31
क्रियात्मक गतिविधियों से शुद्ध नकद		3062.35		1774.29
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
प्रगति में पूंजी के सहित स्थिर आस्तियों का अर्जन	(1289.17)		(3410.81)	
निवेशों का अर्जन	(2528.99)		766.31	
निवेशों पर ब्याज	234.75		313.67	
सुदिष्ट निधि निवेशों से आय	358.32		302.26	
पूंजी प्राप्तियां	294.61		269.84	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद		(2930.48)		(1758.73)
नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/कमी		131.87		15.56
वर्ष के प्रारम्भ में नकद और नकद समतुल्य		620.78		605.22
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य		752.65		820.78

महत्वपूर्ण लेखांकन नितियों का विवरण XIV
लेखा का भाग बनने वाले टिप्पण XV

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियां तुलनपत्र का अभिन्न भाग है।

ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–
सीए. दीपक दीक्षित	सीए. अशोक हल्दिया	सीए. सुनिल तलाटी	सीए. टी.एन मनोहरन
संयुक्त सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी इसी तारीख की उपाबद्ध रिपोर्ट के अनुसार

ह०/–	ह०/–
सीए. शशि कुमार	सीए. मनु चड्ढा
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
सदस्यता सं० 86492	सदस्यता सं० 80996

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 2 अगस्त, 2006

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची -I

पूंजी आरक्षितियां

(लाख रुपयो में)

		रकम 31.03.2006		रकम 31.03.2005
(क) सामान्य		1203.42		1106.10
आरम्भिक अतिशेष				
जमा :				
– सदस्यता फीस [नीति सं॰ III (क)]	23.10		24.05	
– भवनों के लिए दान	62.38		52.59	
से अंतरित :				
– सामान्य आरक्षितियां	8.01		16.10	
– अन्य आरक्षितियां	-		0.77	
– उद्दिष्ट निधियां – अन्य	14.95	108.44	3.81	97.32
योग (क)		1311.86		1203.42
(ख) शिक्षा :				
आरम्भिक अतिशेष		3021.27		2694.02
जमा: शिक्षा निधि से अंतरित [नीति सं॰ III (ङ)(iii)]		1844.82		327.25
योग (ख)		4866.09		3021.27
कुल योग (क) + (ख)		6177.95		4224.69

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची -II

सामान्य आरक्षितियां

(रकम लाख रुपयो में)

		रकम 31.03.2006		रकम 31.03.2005
आरम्भिक अतिशेष		3002.01		2354.40
जमा :				
आय और व्यय लेखा से विनियोजन		1400.27		707.17
घटाएं अंतरण :				
– उद्दिष्ट निधियां – अनुसंधान	1.48		1.25	
– उद्दिष्ट निधियां – पदक	6.09		0.06	
– उद्दिष्ट निधियां – अन्य	53.64		28.53	
– अन्य आरक्षितियां	23.48		13.62	
– पूंजी आरक्षितियां – सामान्य	8.01	(92.71)	16.10	(59.56)
योग		4309.57		3002.01

अनुसूची-III

अन्य आरक्षितियां

(लाख रुपयो में)

		रकम 31.03.2006		रकम 31.03.2006
आरम्भिक अतिशेष		99.11		87.68
जमा :				
– सामान्य आरक्षितियां	23.49		13.62	
– उद्दिष्ट निधियां – अन्य	2.32	25.81	-	13.62
घटाएं – अंतरण :				
– पूंजि आरक्षितियां			0.77	
– उद्दिष्ट निधियां – अन्य	-	-	-	(0.77)
वर्ष के दौरान शुद्ध ह्रास/संकलन		0.58		(1.42)
योग		125.50		99.11

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची -IV
उद्दिष्ट निधियां

(लाख रुपयों में)

		रकम 31.03.2006		रकम 31.03.2005
अनुसंधान निधियां				
आरम्भिक अतिशेष		523.66		453.15
सामान्य आरक्षिति से अंतरण	1.48		1.25	
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	7.01		17.85	
वर्ष के दौरान आय	42.70	51.19	51.71	70.81
घटाएं : वर्ष के दौरान भुगतान				(0.30)
उप योग (क)		574.85		523.66
लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान और भवन निधि				
आरम्भिक अतिशेष		277.67		257.77
वर्ष के दौरान आय		22.83		19.90
उप योग (ख)		300.50		277.67
शिक्षा निधि				
आरम्भिक अतिशेष		3080.94		2663.85
आय और व्यय लेखा से विनियोजन [नीति सं॰ III (ख)]	895.45		538.69	
वर्ष के दौरान आय	253.25	1148.70	205.65	744.34
घटाएं : पूंजी आरक्षितियों को अंतरण–शिक्षा [नीति सं॰ III (ङ) (iii)]		(1844.82)		(327.25)
उप योग (ग)		2384.82		3080.94
पदक और पुरस्कार निधियां				
आरम्भिक अतिशेष		90.85		79.18
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	2.97		9.54	
वर्ष के दौरान आय	6.71		5.57	
सामान्य आरक्षिति से अंतरण	5.09	15.77	0.06	15.17
घटाएं: वर्ष के दौरान भुगतान	2.93		2.60	
समायोजन	-	(2.93)	0.90	(3.50)
उप योग (घ)		103.69		90.85

जारी.....

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची -IV
उविदष्ट निधियां(जारी)

(लाख रुपयों में)

		रकम 31.03.2006		रकम 31.03.2005
छात्रवृत्ति निधियां				
आरम्भिक अतिशेष		28.18		26.97
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	5.69			
वर्ष के दौरान आय	2.32	8.31	2.08	2.08
घटाए : वर्ष के दौरान भुगतान		(0.53)		(0.87)
उप योग (ङ)		35.96		28.18
पेंशन निधि				
आरम्भिक अतिशेष		1033.32		920.03
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	105.15		92.99	
वर्ष के दौरान आय	84.94	190.09	71.03	164.02
घटाए : वर्ष के दौरान भुगतान		(54.51)		(50.73)
उप योग (च)		1168.90		1033.32
छुट्टी नकदीकरण निधि				
आरम्भिक अतिशेष		411.49		356.31
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	54.90		66.20	
वर्ष के दौरान आय	33.82	89.72	27.51	93.71
घटाए : वर्ष के दौरान भुगतान		(36.78)		(38.53)
उप योग (छ)		463.43		411.49
कर्मचारी कल्याणकारी निधि				
आरम्भिक अतिशेष		73.68		59.59
आय और व्यय लेखा से विनियोजन [नीति सं॰ III (ग)]	10.19		10.00	
वर्ष के दौरान आय	6.06	16.25	4.60	14.60
घटाए: वर्ष के दौरान भुगतान				(0.51)
उप योग (ज)		89.93		73.68
अन्य निधियां (क्षेत्रीय परिषदें और शाखाएं)				
आरम्भिक अतिशेष		315.40		273.99
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	32.53		8.04	
वर्ष के दौरान आय	17.89		17.48	
अन्य आरक्षितियों से अंतरण	-		-	
सामान्य आरक्षिति से अंतरण	53.64	104.06	28.53	54.05
घटाए: पूंजी आरक्षिति को अंतरण – सामान्य	14.95		3.81	
अन्य आरक्षितियों को अंतरण	2.32		-	
समायोजन	-		0.12	
वर्ष के दौरान भुगतान	17.45	(34.72)	8.71	(12.64)
उप योग (झ)		384.74		315.40
कुल योग		5506.82		5835.19

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची -V
स्थिर आस्तियां

लाख रुपयों में

आस्तियां	कुल ब्लॉक				अवक्षयण और परिशोधन ब्लॉक				शुद्ध ब्लॉक	
	1.4.2005 को लागत	वर्ष के दौरान संकलन	समायोजन/ अंतरण/ विक्रय	31.03.2006 को लागत	1.4.2005 तक	वर्ष के लिए	समायोजन/ अंतरण/ विक्रय	31.3.2006 तक	31.3.2006 को डब्ल्यू.डी.वी	31.3.2005 को डब्ल्यू.डी.वी
क. मूर्त आस्तियां										
1. भूमि – पूर्ण स्वामित्व	100.43	307.18		**407.61**	0.00			**0.00**	**407.61**	100.43
2. भूमि – पट्टाधृत	459.99	2693.22		**3153.21**	33.52	27.36		**60.88**	**3092.33**	426.47
3. भवन	1852.15	209.04	(0.40)	**2060.79**	432.11	76.64		**508.75**	**1552.04**	1420.04
4. विद्युतीय संस्थापन और फिटिंग	245.13	24.35	(0.11)	**269.37**	97.75	15.80	(0.17)	**113.38**	**155.99**	147.38
5. कम्प्यूटर्स	1058.96	146.43	(2.68)	**1202.71**	836.07	179.54	(0.31)	**1015.30**	**187.41**	222.89
6. वातानुकूलन	293.16	47.45	(0.01)	**340.60**	106.88	30.07		**136.95**	**203.65**	186.28
7. फर्नीचर और फिक्चर्स	619.38	102.29	(1.44)	**720.23**	233.53	42.06	(0.32)	**275.27**	**444.96**	385.85
8. लिफटें	101.65			**101.65**	29.88	7.18		**37.06**	**64.59**	71.77
9. कार्यालय उपकरण	332.78	58.97	(1.45)	**390.30**	186.43	26.37	(0.04)	**212.76**	**177.54**	146.35
10. वाहन	31.34	16.01	(0.12)	**47.23**	16.92	4.19	(0.06)	**21.05**	**26.18**	14.42
11. पुस्तकालय पुस्तकें	307.60	44.93		**352.53**	307.60	44.93		**352.53**	**0.00**	0.00
अमूर्त आस्तियां										
साफ्टवेयर	259.14	45.08		**304.22**	128.05	101.41		**229.46**	**74.76**	131.09
योग	5661.71	3694.95	(6.21)	**9350.45**	2408.74	555.55	(0.90)	**2963.39**	**6387.06**	3252.97
पूर्व वर्ष के आंकड़े	4237.54	659.99	764.18	5661.71	1866.69	549.79	(7.74)	**2408.74**	**3252.97**	

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची -"VI"
निवेश

(लाख रुपयो में)

	रकम 31.03.2006	रकम 31.03.2005
(क) दीर्घ कालीन निवेश (लागत पर)		
(i) भारत सरकार – 8% (कराधेय) बॉंड, 2003	4750.00	2400.00
(ii) अनुसूचित बैंकों में, स्थिर निवेश	2556.85	3909.12
(ख) चालू निवेश		
अनुसूचित बैंकों में, स्थिर निवेश	3191.07	1659.81
कुल निवेश	10497.92	7968.93
को आबंटित :		
उद्दिष्ट निधि निवेश	5505.82	5835.19
अन्य निवेश	4991.10	2133.74
योग	10497.92	7968.93

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची VII
वस्तु सूची

(लाख रुपयो में)

	रकम 31.03.2006	रकम 31.03.2005
प्रकाशन और अध्ययन सामग्री		
अध्ययन सामग्री और प्रकाशन के लिए कागज	167.81	176.88
(मुद्रक के पास कागज के स्टॉक सहित – 75.68 लाख रु॰ पूर्व वर्ष में 81.63 लाख रु॰)	75.86	90.64
लेखन सामग्री और अन्य मदें	28.22	19.73
योग	271.89	287.25

अनुसूची VIII
ऋण और अग्रिम (सुविचरित माल)

(लाख रुपयो में)

	रकम 31.03.2006	रकम 31.03.2005
ऋण और अग्रिम – कर्मचारिवृन्द	227.23	228.16
कर्मचारिवृन्द से वसूलनीय ब्याज	92.03	86.18
प्रतिभूति जमा	28.48	31.92
आई सी ए आई लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान	565.48	589.93
अन्य – अग्रिम और पूर्व भुगतान	207.69	194.37
योग	1128.91	1130.56

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची -IX
प्राप्य लेखे

(लाख रुपयो में)

		रकम 31.03.2086		रकम 31.03.2005
अन्य प्राप्य	160.05		104.68	
घटाए : संदिग्ध प्राप्य हेतु उपबंध	(6.20)	153.85	(6.20)	98.48
योग		153.85		98.48

(लाख रुपयो में)

		रकम 31.03.2006		रकम 31.03.2005
अग्रिम में प्राप्त फीसें				
परीक्षा फीसें	1298.11		1306.74	
पत्रिका अभिदान	20.85		4.12	
सदस्यता फीस	352.78		293.51	
दूर–शिक्षा फीस	1193.20		1026.29	
सूचना प्रणाली संपरीक्षा पाठ्यक्रम फीस	97.10		101.54	
बीमा और जोखिम प्रबंध पाठ्यक्रम	7.71		16.89	
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियां और डब्ल्यू टी ओ पाठ्यक्रम	6.25		3.40	
संगोष्ठी फीसें और अन्य संग्रहण	90.53	3065.66	80.41	2832.90
खर्चों के लिए क्रेडिटर्स		649.43		437.90
अन्य दायित्व		373.14		310.20
योग		4088.22		3581.80

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची XI
शुल्क

(लाख रुपयों में)

	रकम 31.03.2006	रकम 31.03.2005
दूर शिक्षा शुल्क	3681.80	2154.77
परीक्षा शुल्क	2687.56	2227.58
सदस्यता शुल्क	1376.27	1359.13
सूचना प्रणाली संपरीक्षा पाठ्यक्रम शुल्क	297.17	490.80
समान्य प्रबंध कौशल पाठ्यक्रम शुल्क	428.70	418.77
कोचिंग कक्षा आय	228.40	237.11
बीमा और जोखिम प्रबंध पाठ्यक्रम	24.60	75.59
छात्र पंजीकरण शुल्क	34.88	9.87
सीएएटी पाठ्यक्रम शुल्क	9.86	20.32
प्रवेश शुल्क	9.02	8.78
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियां और डब्ल्यू टी ओ पाठ्यक्रम	9.05	3.40
छात्र संघ शुल्क	8.71	1.96
योग	8696.62	7008.08

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची XII
अन्य आय

(लाख रुपयों में)

	रकम 31.03.2006	रकम 31.03.2005
प्रकाशन	378.00	374.02
निवेश पर आय	234.76	313.87
छात्र–न्यूज़लेटर	13.27	10.29
पत्रिका से आय–अभिदान	119.42	104.48
न्यूज़लेटर्स	56.06	33.18
कम्प्यूटर केन्द्र	41.84	44.82
अनुशासनिक मामले फाइल करने की फीस	0.24	0.22
केम्पस साक्षात्कार	188.40	72.53
विशेषज्ञ सलाहकार समिति फीस	11.86	9.80
कर्मचारिवृन्द ऋण पर ब्याज	15.01	15.47
अब अनापेक्षित उपबंध प्रतिलिखित	3.83	6.21
अन्य	117.19	88.43
पूर्व अवधि आय	8.16	34.97
योग	1187.22	1107.89

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची XIII
अन्य क्रियात्मक व्यय

(लाख रुपयों में)

	रकम 31.03.2006	रकम 31.03.2005
डाक, टेलीफोन और तार	610.31	468.58
किराया, रेट और कर	334.56	356.38
यात्रा और वाहन – अन्तर्देशीय	580.76	532.36
विदेशी संबंध		
– यात्रा	85.92	97.93
– विदेशी वृत्तिक निकायों की सदस्यता शुल्क	53.73	54.09
– अन्य व्यय	9.56	12.31
मरम्मत और रख–रखाव	256.50	202.34
प्रकाशन	192.30	149.92
परीक्षकों, परामर्शियों और अन्य को शुल्क और व्यय	858.68	798.39
सामान्य प्रबंध और कौशल पाठ्यक्रम	260.40	264.00
कोचिंग कक्षा व्यय	139.95	133.14
विज्ञापन	79.77	43.49
कार्यालय बैठक व्यय	42.44	52.64
कम्प्यूटर केन्द्र	20.39	20.69
योग्यता वृत्ति	2.47	1.46
संपरीक्षा शुल्क		
– प्रधान कार्यालय	2.48	2.48
– अन्य कार्यालय	8.76	5.96
अन्य व्यय	192.52	171.69
पूर्व अवधि व्यय	12.61	44.68
योग	3744.13	3412.53

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटस संस्थान

अनुसूची XIV

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विवरण

I. **लेखांकन कन्वेनशन**

लेखा ऐतिहासिक लागत पर बनाए गए हैं और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा जब तक अन्यथा कथित न हो प्रोद्भवन आधार पर है।

II. **राजस्व मान्यता**

क. प्रवेश शुल्क, किसी व्यक्ति के सदस्य के रूप में प्रवेश के समय प्राप्त की जाती है और उसके एक तिहाई को आय के रूप में मान्यता दी गई है।

ख. वार्षिक सदस्यता, व्यवसाय प्रमाणपत्र शुल्क तथा पत्रिका के लिए अभिदान, जब वे देय हो जाएं, उसी वर्ष में मान्यता दी जाती है।

ग. सदूर–शिक्षा और अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम शुल्क को अनुदेशों की अवधि में मान्यता दी जाती है।

घ. परीक्षा शुल्क को परीक्षा संचाल के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ङ. निवेशों से आय –

(i) यूनिटों में निवेश पर लाभांश को प्राप्त करने की हकदारी के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) ब्याज धारित प्रतिभूतियों और स्थिर जमा में ब्याज से आय को समय अनुपात आधार पर बाकी रकम और लागू दर को ध्यान में रखते हुए मान्यता दी जाती है।

III. **पूंजी आरक्षिति और उद्दिष्ट निधि में आबंटन/अंतरण**

क. अध्येता सदस्यों से प्रवेश फीस और सदस्यों के रूप में प्रविष्ट व्यक्तियों से प्रवेश शुल्क का 2/3 भाग सीधे : पूंजी आरक्षिति में चला जाता है।

ख. भवनों और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त दान सीधे : अपने–अपने आरक्षिति लेखा में माने जाते हैं।

ग. दूर–शिक्षा शुल्क का 25% जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50% से अधिक न हो, शिक्षा निधि में अंतरित किया जाता है।

घ. वर्ष के दौरान सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क का 0.75% (सह बद्ध और अध्येता तथा व्यवसाय प्रमाणपत्र शुल्क) कर्मचारी कल्याणकारी निधि में अंतरित की जाती है।

ड. निम्नलिखित उद्दिष्ट निधियों में से पूंजीगत आरक्षिति–शिक्षा में अंतरण

(i)	कम्प्यूट्रीकरण निधि से	विकेन्द्रित कार्यालयों और प्रधान कार्यालय कम्प्यूट्रीकरण, परियोजना के संबंध में कम्प्यूटरों तथा संबंधित उपसाधनों के क्रय की लागत का 100%.
(ii)	लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान निधि से	लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान से संबंधित स्थिर आस्तियां और अन्य भवन की लागत का 100%.
(iii)	शिक्षा निधि से	अन्य स्थिर आस्तियों की अभिवृद्धि (कटौतियों के पश्चात शुद्ध) का 50 प्रतिशत।

च. निवेशों से आय, भारित औसत रीति के आधार पर उद्दिष्ट निधियों को क्रमशः उद्दिष्ट निधियों के आरम्भिक अतिशेष पर आबंटित की जाती है।

IV. **स्थिर आस्तियां/अवक्षयण**

क. भूमि छोड़कर स्थिर आस्तियां, अवक्षयण घटाकर ऐतिहासिक लागत पर वर्णित की जाती है।

ख. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि लागत पर वर्णित की जाती है। पट्टाधृत भूमि, पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए संदत्त प्रीमियम की रकम पर कथित होती है। इस प्रकार संदत्त, प्रीमियम का परिशोधन पट्टा अवधि में होता है।

ग. अवक्षयण, क्रमशः आस्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर परिषद द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित दरों से अवलिखित मूल्य पर प्रदान किया जाता है:–

भवन	5%
वातानुकूलक और कार्यालय उपकरण	15%
लिफ्ट, विद्युतीय संस्थापन, फर्नीचर और फिक्सचर	10%
वाहन	20%
कम्प्यूटर	60%

घ. अभिवृद्धियों पर अवक्षयण यथानुपात आधार पर दिया जाता है।

ङ. पुस्तकालय पुस्तकों पर क्रय वर्ष में अवक्षयण 100% होता है।

च. अमूर्त आस्तियां (साफ्टवेयर) तीन वर्षों में समान रूप से परिशोधित की जाती है।

V. **निवेश**

क. दीर्घकालिक निवेश, लागत पर अवधारित किये जाते हैं। और अस्थाई से भिन्न मूल्यों में कमी का उपबन्ध है।

ख. चालू निवेश लागत या उचित मूल्य के निम्नतर पर वहन होते हैं।

VI. वस्तु–सूचियां

कागज, लेखन सामग्री, प्रकाशन और अध्ययन सामग्री की वस्तु–सूचियां लागत या शुद्ध वसूलनीय मूल्य के निम्नतर पर मूल्यांकित होती है। लागत का अवधारण फीफो रीति से होता है।

VII. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क. विदेशी मुद्रा संव्यवहार, संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर की रकम पर विदेशी मुद्रा उपयोजित करके रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर अभिलिखित की जाती है।

ख. सभी आय और व्यय औसत दर पर निष्पादित होते हैं। सभी धनीय आस्तियां वर्षांत दरों पर निष्पादित होती हैं जबकि गैर–धनीय आस्तियां संव्यवहार की तारीख वाली दर पर निष्पादित होती है।

ग. विनिमय अंतर के कारण किसी आय या व्यय को आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

VIII. सेवांत/सेवा निवृत्ति फायदें

क. उपदान के प्रति दायित्व के लिए उपबंध वर्षांत में बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है और खर्च माना जाता है।

ख. पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के प्रति दायित्व के लिए उपबंध वर्षांत में बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है और खर्च माना जाता है।

ग. संस्थान द्वारा रखे गए भविष्य निधि न्यास में अंशदान खर्च के रूप में माने जाते हैं।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची XV

लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण

1. **आकस्मिक दायित्व**

1.1 तीन स्थानों पर भवन के संबंध में संपत्ति/भवन कर के लिए विवादित रकम 26.99 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 24.68 लाख रु०)।

1.2 संस्थान द्वारा विभिन्न पक्षकारों से दावों की बाबत 51.48 लाख रुपये स्वीकार नहीं किए गए हैं (पूर्व वर्ष 17.75 लाख रू०)।

2. **टिप्पण**

2.1 पूंजि व्रचनबद्धता (अग्रिमों के पश्चात शुद्ध) की प्राक्कलित रकम 51.35 लाख रुपए (पूर्व वर्ष – 66.54 लाख रु०)।

2.2 क. **पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में सम्मिलित है :**

(i) भूमि और विकास प्राधिकरण से नई दिल्ली में क्रय और अर्जित भूमि से संबंधित 6.02 लाख रूपए (पूर्व वर्ष – कुछ नहीं) जिसका रजिस्ट्रीकरण अभी कराया जाना है।

ख. **पट्टाधृत भूमि में सम्मिलित है :–**

(i) हुबली में भूमि के संबंध में 2.51 लाख रुपए (पूर्व में 2.51 लाख रु०)। इस भूमि पर कब्जा अभी संस्थान को सौंपा जाना है तथा यह धारवाड शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा उठाई गई 21.30 लाख रुपए की मांग के समाधान के अधीन है और विवाद में है।

(ii) इन्दौर में भूमि से सम्बन्धित 33.21 लाख रुपये (पूर्व वर्ष में कुछ नहीं) जिसके पट्टा विलेख का रजिस्ट्रीकरण किया जाना शेष है।

2.3 भवन में, बड़ौदा, शाखा भवन की लागत 8.77 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 8.77 लाख रुपए) शामिल हैं। शाखा परिसर का हस्तांतरण विलेख अभी निष्पादित किया जाना शेष है क्योंकि शाखा ने स्टांप ड्यूटी में रियायत के लिए आवेदन किया हुआ है।

2.4 प्रगति में पूंजी कार्य में 165.50 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 39.31 लाख रुपए) का एक व्यय सम्मिलित है जिसमें वर्चुअल संस्थान परियोजना की ट्रायल अवधि के दौरान विकास लागत, कम्प्यूटर किराया प्रभार और यात्रा खर्चों पर उपगत व्यय शामिल है।

2.5 ऋण और अग्रिमों में सम्मिलित है आईसीएआई लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान को दिया गया 565.48 लाख रूपए (पूर्व वर्ष 589.93 लाख रु०) का ब्याज मुक्त अग्रिम।

2.6 क्षेत्रीय परिषदों की नौ शाखाओं के संपरीक्षित लेखा प्राप्त न होने पर उनके असंपरीक्षित लेखाओं को शामिल किया गया है।

2.7 क्षेत्रीय परिषदों की एक शाखा से लेखा प्राप्त न होने पर, वर्ष के दौरान शाखा को दिए गए राजस्व अनुदान को राजस्व व्यय माना गया है। शाखा की आस्तियों और दायित्वों के आरम्भिक अतिशेष सम्मिलित किए गए हैं और वर्ष के दौरान दिए गए पूंजी अनुदान को प्रगति में पूंजि कार्य माना गया है।

2.8 आय–कर के संबंध में छूट, आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) (iv) के अधीन निर्धारण वर्ष 2005-06 तक प्रदान की गई है। इसकी छूट के नवीकरण का आवेदन पत्र, कर प्राधिकारियों के विचाराधीन है। आय–कर आस्थ्यगित कर आस्ति/दायित्व, फ्रिंज फायदा कर के लिए कोई उपबंध आवश्यक नहीं समझा गया है।

2.9 एएस–3 का अनुपालन किया गया है और नकद प्रवाह विवरण के अवधारण के लिए अप्रत्यक्ष रीति प्रयोग में लाई गई।

2.10 प्रकाशन और संगोष्ठी की गतिविधियों के केवल प्रत्यक्ष रूप से लक्षणीय खर्चों को क्रमशः इन व्यय शीर्षों पर प्रभारित किया गया है और इन गतिविधियों पर अप्रत्यक्ष व्यय, व्यय के क्रियात्मक शीर्षों पर प्रभारित किए गए हैं।

2.11 अवधि पूर्व आय में निम्नलिखित सम्मिलित है :–

	2005-06 (लाख रुपयों में)	2004-05 (लाख रुपयों में)
परीक्षा फीसें	–	46.66
संगोष्ठी आय	0.30	(17.63)
प्रशासनिक खर्चे (ईयू परियोजना)	2.61	–
अन्य	5.25	5.94
योग	8.16	34.97

अवधि पूर्व खर्चों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

अवक्षयण/परिशोधन	–	12.53
सुरक्षा प्रबंध	1.41	–
संगोष्ठी खर्चे	–	4.20
हाउसकीपिंग प्रभार	0.51	–
परामर्शी फीस	0.60	–
अन्य	10.09	27.95
योग	12.61	[illegible]

2.12. संस्थान भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति को विनियमित करता है और उक्त क्षेत्र में प्रचालन करता है।

2.13 जहां कहीं, पूर्व वर्ष के आंकड़ों की तुलना चालू वर्ष के प्रस्तुतिकरण से करना आवश्यक समझा गया, इन्हें पुनः सामूहिक और पुनः विश्लेषित किया गया है।

डॉ. अशोक हल्दिया, [illegible]

[विज्ञापन III/IV/104/2006-असा.]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2006

(Chartered Accountants)

No. 1-CA(5)/57/2006.— In pursuance of sub-section(5) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949 a copy of the Report and the Audited Accounts of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India for the year ended 31st March, 2006 is hereby published for general information.

57th Annual Report

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India has immense pleasure in presenting its 57th Annual Report for the year ended 31st March, 2006. The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), which was set up by an Act of Parliament on 1st July, 1949, entered into its 57th year of existence during the year. The Council, at the outset, commends the members and students for the respect which the Chartered Accountancy Profession commands today in the Society. This has been achieved by *excellence, independence* and *integrity* displayed by the members and students all along.

Globalization has altered the pattern of economies world over. No economy can afford to remain insular today. Service sector which is the largest and most rapidly expanding sector in most economies continue to dominate the economic activities of countries at every stage of development. Globally, the trend is clear: as national economies develop and incomes rise, the commercial service sector accounts for a ever larger share of GDP. In India also, the service sector account for over 50% of GDP in 2005-2006 and export of services also witnessed one of the fastest rates of growth in the world. Given the India's vast pool of talented professionals in a wide range of services, India enjoys tremendous potential in export of services.

ICAI believes that given an enabling framework, the profession in India will rise to the occasion and has the propensity to blossom into an internationally competitive profession. Proactive measures at the macro and micro levels are already on and are slated to be further intensified to gear up to meet the imperatives of a truly globalised accounting profession. The role of Chartered Accountancy profession in this new milieu, as a natural corollary, becomes multi-pronged. This is especially so in the context of the various vibrant provisions as embodied in the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 recently notified by the Central Government of India. ICAI sees progressive liberalisation of accountancy services on reciprocal basis, as an opportunity for the profession in India rather than as a threat.

With that perspective, the abridged version of the Report highlights the important activities of the Council and its various Committees for the year 2005-2006, and, in brief, upto the beginning of September, 2006. The Report also covers important events and statistical profile relating to members and students for the year. The Report highlights the important activities of the Council and its various Committees. The Report also covers the seminars and conferences organised, training programmes conducted, relevant statistics relating to members and students and also the accounts of the ICAI for the year 2005-2006.

1. THE COUNCIL

The Nineteenth Council was constituted on 5th February, 2004 for a period of three years. In terms of the provisions of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council should be composed of 30 members — 24 elected members and 6 members to be nominated by the Central Government. The composition of the Council for the year 2006-2007 commencing from 5th February, 2006 is shown separately.

A milestone achieved/witnessed by the Council during the year is the various amendments brought through the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006. As members may be aware, the Chartered Accountants Act, 1949 (No.38 of 1949) came into force on the 1st day of July 1949. Later, in the year 1959, certain amendments were made therein through the Chartered Accountants (Amendment) Act, 1959 (No.15 of 1959). The amendments so made did not alter the basic scheme/structure of the Statute in any manner, whatsoever.

Thereafter, and more particularly after the year 1990, initiatives were taken for bringing in amendments in the Principal Act, in keeping with the liberalization policy pursued by the Central Government and having regard to difficulties/problems faced by the Institute at the relevant times in carrying out the various provisions of the Principal Act. As such, after about 47 years, extensive changes have been made in the Principal Act through the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 (No.9 of 2006) which have been notified by the Central Government in the Gazette of India (Extra Ordinary) dated 23rd March, 2006

While the salient features of the amendments brought out through the Amendment Act, 2006 have been published in detail in May, 2006 issue of the Institute's Journal, for the purpose of recapitulation, the following are specifically mentioned for general information:-

- New disciplinary mechanism (in place of the existing ones) which, inter alia, provides for constitution of a Board of Discipline by the Council, constitution of a Disciplinary Committee by the Council, an Appellate Authority by the Central Government.
- Enhancement in the strength of the Council.
- Empowerment to the Council to fix various fees payable by the members.
- Changes in the acts and omissions covered under the Schedules to the Act, which would include provisions for release of limited advertisement (subject to guidelines to be issued by the Council), multi disciplinary partnership, etc.
- No bar for sharing (by a member of the Institute) fees or profits of professional business with certain categories of non-members, to be prescribed, from time to time, in the Regulations, for the purpose of rendering professional services in or outside India.
- No bar for accepting (by a member of the Institute) share in profits of professional business or other similar arrangements with certain categories of non-members, to be prescribed, from time to time, in the Regulations. (Situation reversal of the preceding one)
- Ban on solicitation relaxed in the following circumstances:-
    - If it occurs within the fraternity; or
    - In the event of responding to tenders or enquiries issued by various users.
- Ban on undercutting removed.

- Empowerment to the Central Government to frame Rules in specified areas, which would include the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules 2006, the Chartered Accountants (Procedure of investigations of professional and other misconduct, conduct of cases and allowances to members) Rules, etc.

- Empowerment to the Central Government to constitute a Quality Review Board.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council, in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949, constituted on 5th February, 2006 three Standing, and various Non-Standing Committees to deal with matters concerning the profession. Subsequently, a special purpose "Working Group" for making a holistic review of existing Regulations and suggesting suitable amendments, in the light of the amendments made by the Parliament in the Chartered Accountants Act, 1949 was also constituted. During the year ended 31st March, 2006, 182 meetings were held of various Committees of the Council as compared to 164 meetings held during the year ended 31st March, 2005.

3. AUDITORS

CA. Shashi Kumar, and CA. Manu Chadha, were the Joint Auditors of the ICAI for the financial year 2005-2006. The Council wishes to place on record its appreciation of the services rendered by them.

4. STANDING COMMITTEES

4.1 Executive Committee

This Committee is responsible for the maintenance of various registers pertaining to students/members/firms, admission, removal and restoration of members, matters relating to members including issue of certificate of practice, matters relating to students including according permission, wherever required, condonation of delay on the part of students/members/firms, matters connected with Branches including opening of new Branches, opening of new Chapters and overseas offices and those connected with employees, maintenance of accounts etc.

Some of the important recommendations made by the Committee during the period under Report to the Council are on matters relating to:

- Draft amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988, in relation to the new Scheme of Education and Training seeking in principle approval of the Central Government.

- Draft amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988 seeking final approval of the Central Government, to the new Scheme of Education and Training enabling commencement of Common Proficiency Test.

- Finalisation of contents of the various subjects of Common Proficiency Test (CPT), Professional Competence Course (PCC) and Final Courses.

- Transition scheme for the students registered under the existing regulations on implementation of the proposed new regulations relating to new Scheme of education and training.

- Accreditation Policy for organising oral coaching classes for CPT.
- Draft amendments in Regulation 48 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 for seeking final approval of the Central Government, to the revised rates of stipend payable to articled assistants.
- Draft Regulations on allowing a member who is a full time salaried employee of a chartered accountant in practice or a firm of chartered accountants to train articled clerks, consequent upon his becoming a partner in a firm of chartered accountants.
- Brand image of the profession by allowing the members to use the prefix `CA.' to their name.
- Designing of common logo for use by members/firms.
- Guidelines on Display of Sign Board in relation to MCA-21 Certified Filing Centers.
- Grant of deemed seniority in cases of conversion of individual practice into proprietary firm and matter relating to issue of constitution certificate thereof.
- Review of Guidelines on Functioning of Chapters of the Institute abroad.
- Fresh clarification on the Scheme of merger of firms of chartered accountants.
- Sharing of Institute's domain name "ICAI-IN" with websites of firms of chartered accountants.
- Permission for practice in Corporate Form and guidelines thereto.
- Establishment of Centres of Excellence at specified places.
- Mandatory CPE to members of the Institute not in practice.
- Dress Code for members of the Institute.
- Introduction of a Certificate Course on Consulting Management for individuals, small and medium enterprises.
- Allowing the members of ICAI who are also members of the AICPA to certify the financial statements as CPAs.
- Issuance of Credit Cards to the members of the Institute.
- Guidelines on Display of Sign Board in relation to MCA-21 Certified Filing Centers.
- Setting up of branches at Bharuch, Navi Mumbai, Pimpri-Chinchwad in Western Region, Bellary, Kakinada, Rajamahendravaram in Southern Region, Sambalpur in Eastern Region, Gorakhpur in Central Region and Sangrur in Northern Region.
- Setting up of Chapters of the Institute in Toronto, Canada and Melbourne, Australia.
- Setting up of decentralised office at Coimbatore.

- Revision of building grants including separate grant for acquiring land and separate grant for setting up of Computer Labs in branches.

- Parameters for granting the status of "National", "International" and "All India" to CPE Programmes.

- Modalities for engaging members of the Institute for handling cases of violation of Sections 24/24A/25/26 of the Chartered Accountants Act, 1949.

- Exploring the feasibility for calling for Permanent Account Number(PAN) from the members of the Institute for incorporating the PAN details through entry on records and also for incorporating the requirement of furnishing PAN details in statutory forms viz. form-2 Form 6 and Form 18.

- Issuance of congratulatory card on completion of fifty (50) years of continuous membership with the Institute

- Further delegation of authority in respect of condonation of delay in submission of Form 103 beyond the period of one year with appropriate safeguards.

Some of the important decisions taken by the Committee during the period under Report pertain to :

- Permission to members for becoming members of the Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors.

- Creation of separate awards for the Best Branch under different categories based on membership strength.

- Regularisation of employees in branches.

- Permission for display of Institute's Flag on the tables in the offices of chartered accountants.

- Exemption from payment of tuition and registration fees for children of military and paramilitary personnel killed in action.

- Increase in the amount of various scholarships to students.

- Increase in the amount of endowment created by the Institute in various Universities for award of Gold Medals/Prizes to students securing highest marks in Accountancy in B.Com. Final Examination.

4.2 Examination Committee

The Chartered Accountants Final, Professional Education - II and Professional Education – I Examinations were held in November, 2005 in 153, 170 and 139 centres respectively in 95 cities all over the country in addition to those at Dubai and Kathmandu and in May, 2006 in 150,166 and 150 centres respectively spread over 93 cities in addition to those at Dubai and Kathmandu.

The total number of candidates who appeared in the Final, Professional Education - II and Professional Education - I Examinations held in November 2005 were 28367,47522 and 16228 and in May 2006 were 26210, 49423 and 32181 respectively.

Besides the aforesaid students' examinations, during the year, Assessment Tests of the Post Qualification Course in Information Systems Audit were also held in the months of September and December 2005 and March and June 2006. Further, examinations of Management Accountancy Course (Part I) were held in November 2005 and May 2006 apart from the Corporate Management Course (Part I) and Tax Management Course (Part I) examinations, which were also conducted along with the students' examinations in May 2006. The Post Qualification Course examination in Insurance and Risk Management was also successfully held in November 2005 and May 2006. The Post Qualification Course examination in International Trade Laws and World Trade Organisation (ITL & WTO) was conducted for the first time in November 2005 and continued in May 2006.

During the year under report, for the convenience of the candidates, the following facilities were continued to be provided:-

- New examination centre was set up in Vellore effective from the November 2005 examination

- The examination centres at Ahmedabad and Bangalore were divided into different zones covering the various localities of the respective cities effective from the May 2006 examinations

- Examination application forms in the OMR format were continued for November 2005 and May 2006 examinations also and the admit cards bearing the candidate's scanned photograph and specimen signature were issued to the candidates. This obviated the necessity of issuance of the identity card to the candidates separately.

- Examination application forms were continued to be made available, besides at all the Regional offices of the Institute and branches of the Regional Councils, at different locations in the metropolis of Delhi, Kolkata and Mumbai. Candidates were extended the facility of downloading the admit card from the Institute's website by using the Personal Identification Number (PIN) indicated by them in the OMR application form.

- Results were continued to be made available on the Institute's IVR system. The results as well as the marks were also made available on the National Informatics Centre's website. Information pertaining to merit list was also made available on the website simultaneously with declaration of results

- Results as well as marks were continued to be made available simultaneously at different locations in the metropolis of Chennai, Delhi, Kolkata and Mumbai

- Facility of downloading of the results as well as marks by the Regional offices of the Institute and branches of Regional Councils was made available simultaneously with the declaration of results

- Facility of on-line printing of the statement of marks by the candidates from the website by using the Personal Identification Number (PIN) indicated by the candidates in the OMR/ICR application form was continued to be made available

- Facility of registering requests in advance for ascertaining results on declaration was continued and candidates registering for the same were provided with their results by e-mail immediately after declaration of results.

- Admit card through e-mail query was continued to be extended to the students for November 2005 and May 2006 examinations.

- Results of May 2005 and November 2005 examinations were continued to be made available on SMS mode.

- Students of Professional Education Examination –I were continued to be offered the facility of online filling of examination application form for November 2005 and May 2006 examinations.

Consultancy continued to be provided to few of the foreign institutions in the examination systems and procedures. The Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN) successfully conducted its Foundation, Intermediate and Final examinations in June 2005 and Final examination in December 2005 with the continued technical expertise and support of the ICAI. The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka successfully conducted Information Systems Audit (ISA) Assessment Tests in September 2005 and March 2006 with the technical expertise and support of ICAI.

The year under Report also saw the opening and functioning of the In-house Data Management Centre at the office of the Institute at NOIDA.

4.3 Disciplinary Committee

This Committee assists the Council in the maintenance of the status and standards of professional qualification awarded by the Institute. In discharging its avowed responsibility of conducting disciplinary inquiries against members whose cases have been referred to it by the Council upon *prima facie opinion*, during the year **1st April, 2005 to 31st March, 2006** this Committee held sittings on **23** occasions for a period spanning **31** days and at venues covering the various regions of the country. During the year under review, the Committee concluded its enquiry in 80 cases, which included cases referred to it in previous years.

5. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

5.1 Accounting Standards Board

Keeping in view the importance of sound and reliable financial reporting system in a country, various countries across the globe have been formulating accounting standards to be followed in the preparation and presentation of general purpose financial statements. In India, ICAI being the premier accounting body in the country, took upon itself the responsibility of formulating accounting standards more than 25 years ago by constituting the Accounting Standards Board (ASB) in 1977. Since then, the Accounting Standards Board has been working relentlessly towards bringing an overall qualitative improvement in the financial reporting system in the country by formulating Accounting Standards to be followed in the preparation and presentation of financial statements. Over the period of its existence, the Board has issued twenty-nine Accounting Standards. Besides this, it has also issued various Accounting Standards Interpretations and Announcements, etc., so as to ensure uniform application of accounting standards and to provide guidance on the issues concerning the implementation of accounting standards.

The accounting standards issued by the Institute have been granted legal recognition under the Companies Act, 1956. Under this Act, the Central Government has the power to notify the accounting standards upon recommendations of the National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS). As per the said Act, NACAS considers Accounting Standards issued by the ICAI. The NACAS has recommended all 29 accounting standards issued by the

ICAI, except AS 8 which has already been withdrawn pursuant to AS 26 becoming mandatory, to the Ministry of Company Affairs, Government of India for notification under the said Act. These standards are expected to be notified by the Government shortly. Until the accounting standards are notified by the Central Government, as per the proviso to section 211(3C) of the said Act, the Accounting Standards specified by the ICAI are required to be followed by the companies.

In recent years, an increasing need has been felt for international harmonisation of accounting standards and keeping this in view, many countries across the globe are converging with the International Accounting Standards (IASs)/ International Financial Reporting Standards (IFRSs), issued by the International Accounting Standards Board (IASB). The accounting standards formulated by the Accounting Standards Board of the ICAI are also based on IASs/ IFRSs issued by the IASB so that international harmonisation of accounting standards can be achieved. The Board, during the year under report, continued its efforts towards bridging the gap further between Indian Accounting Standards and IASs/ IFRSs by issuance of new accounting standards and/ or by revision of the existing accounting standards. As an important step in this direction, the Board has finalised the exposure draft of the proposed Accounting Standard on *Financial Instruments: Recognition and Measurement* which is broadly based on International Accounting Standard (IAS) 39, *Financial Instruments: Recognition and Measurement* and purports to lay down recognition and measurement principles for all financial instruments, including derivative instruments, in a comprehensive manner. The exposure draft of the said Standard would be issued shortly for public comments. The Board has already finalised the draft Accounting Standard on *Financial Instruments: Presentation*, after considering comments received on its Exposure Draft. This draft Standard is broadly based on IAS 32, *Financial Instruments: Presentation*. Since this standard is closely related to the proposed Accounting Standard on *Financial Instruments: Recognition and Measurement* and that some of the treatments prescribed in the proposed standard on recognition and measurement would also affect the standard dealing with presentation of financial instruments, it was decided to release both the Standards together. Now, the Board has decided to re-expose the draft Standard on Financial Instruments: Presentation, alongwith the Exposure Draft of the proposed Standard on *Financial Instruments: Recognition and Measurement* so as to obtain views on the changes made in the Exposure Draft which was issued earlier. Apart from these two Accounting Standards, the revised AS 10, *Property, Plant and Equipment*, is almost ready and is expected to be released soon. Besides this, significant progress has also been made in respect of a number of other new/ revised Accounting Standards. These include revised AS 1, revised AS 5, revised AS 12 and new Accounting Standard on '*Non-current Assets held for Sale and Discontinued Operations*'.

A brief overview of the other activities of the Accounting Standards Board during the period under Report is as follows:

5.1.1 New Guidance Note Issued

With a view to provide guidance on application of the principles of Accounting Standard (AS) 9, *Revenue Recognition*, to real estate developers, keeping in view the peculiar nature of their activities, a *Guidance Note on Recognition of Revenue by Real Estate Developers* has been issued.

5.1.2 Limited revisions to Accounting Standards

The Board has made limited revisions to certain accounting standards wherever it is felt that the revised position is more appropriate in view of the changed thinking in respect of the matters involved and feedback received from various interest groups. As a result of limited revisions to these accounting standards, the differences between these Accounting

Standards and the corresponding IASs/ IFRSs have reduced further. During the period, limited revisions have been made to the following Accounting Standards

- AS 29, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*
- AS 15 (revised 2005), *Employee Benefits*

5.1.3 New/ revised Accounting Standards Interpretations Released

- ASI 29, Turnover in case of Contractors (Re. AS 7, *Construction Contracts*)
- ASI 30, Applicability of AS 29 to Onerous Contracts (Re. AS 29, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*)
- Revised ASI 3, Accounting for Taxes on Income in the situations of Tax Holiday under sections 80-IA and 80-IB of the Income-tax Act, 1961 (Re.: AS 22, *Accounting for Taxes on Income*)
- Revised ASI 4, Losses under the head Capital Gains (Re.: AS 22, *Accounting for Taxes on Income*)
- Revised ASI 14, Disclosure of Revenue from Sales Transactions (Re. AS 9, *Revenue Recognition*)
- Revised ASI 20, Disclosure of Segment Information (Re.: AS 17, *Segment Reporting*)

5.1.4 Applicability of Accounting Standards to Small and Medium Sized Enterprises

Keeping in view the concerns being expressed by various sections of the Society, the Board had earlier provided relaxation from disclosure requirements to Small and Medium sized Enterprises (SMEs). The Board has now started the practice of providing relaxations/ exemptions from recognition and/ or measurement principles as well to SMEs. During the period under Report, relaxations/ exemptions have been provided to SMEs from certain requirements of AS 15 (revised 2005), *Employee Benefits* and AS 28 and *Impairment of Assets*, which are considered to be onerous for such enterprises.

5.1.5 Issuance of Announcements

With a view to address the matters of clarificatory nature raised by the members and others and to ensure effective implementation of Accounting Standards, the Board issued announcements on accounting matters arising from various accounting standards.

5.1.6 Contribution to the IASB Activities and responding to International developments

In India, since Accounting Standards are formulated on the basis of IASs/ IFRSs issued by the IASB as aforementioned, the Accounting Standards Board interacts with the IASB at various levels, e.g.,

- Sending comments on the various draft IFRSs issued by the IASB.
- Active participation in the meetings of the World standard-setters with the IASB.
- Active participation in the meetings of the Regional standard-setters with the IASB.

- Contribution in the discussions on various on-going projects of the IASB, e.g., on the IASB project on 'Management Commentary'.

With a view to keep pace with the developments that are taking place internationally in the area of accounting, the Board is examining revisions made to various IASs by the IASB for considering the same in the revisions of the corresponding Indian Accounting Standards.

As a part of the Accounting Standards Board's interaction with the IASB, Sir David Tweedie, Chairman, IASB and Mr. Warren McGregor, Member, IASB, addressed the members and special invitees on the Board at one of its meetings. At the meeting, Sir Tweedie and Mr. McGregor were apprised about the steps being taken by the Board for convergence with IASs/ IFRSs and the problems being faced in the process. Sir Tweedie and Mr. McGregor appreciated the efforts being made by the Board and expressed their views on the problems being faced in achieving convergence with the IASs/ IFRSs. However, they emphasised that there was a need to achieve total convergence with the IASs/ IFRSs in India. To achieve this, they suggested that the Board should send a note explaining main differences in Indian Accounting Standards vis-à-vis IASs/ IFRSs and the reasons therefor. In deference to their suggestion, a detailed note in this regard has been sent to the IASB.

5.1.7 Interaction with National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS)

During the period under Report, the Board continued its interaction with the National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS). The Board considered various suggestions made by the NACAS and addressed these suggestions in an appropriate manner to the satisfaction of the NACAS. The NACAS has recommended Accounting Standards 1 to 29, except AS 8 which has already been withdrawn pursuant to AS 26 becoming mandatory, to the Ministry of Company Affairs, Government of India for notification under the Companies Act, 1956. These standards are expected to be notified shortly.

5.1.8 Interaction with Regulatory Bodies

The Board sent its views on various accounting matters referred to it by regulators such as Ministry of Company Affairs, Reserve Bank of India (RBI), etc., from time to time. During the period under Report, the Board sent its views on the issue regarding providing exemption to a company from complying with the requirements relating to disclosure of information concerning geographical segments laid down by AS 17, *Segment Reporting*, to the Ministry of Company Affairs and on the 'Report of the Internal Group constituted by the Reserve Bank of India to review the extant RBI guidelines on classification and valuation of investment portfolio' to RBI.

5.1.9 Compendium of Accounting Standards

During the period under Report, an updated edition of Compendium of Accounting Standards as on July 1, 2005, alongwith a Compact Disk (CD) has been issued.

An updated edition of Compendium of Accounting Standards as on July 1, 2006, is under preparation and likely to be released shortly alongwith a Compact Disk (CD).

5.2 Committee on Accounting Standards for Local Bodies

The ICAI has been deeply involved in accounting reforms in government accounting particularly the accounts of Urban Local Bodies. The ICAI initially constituted a Sub-

Committee for issuing accounting standards for governments including urban local bodies in 1999. As the first step, the ICAI had issued a *Technical Guide on Accounting and Financial Reporting by Urban Local Bodies,* which contains recommendations relating to application of accounting standards issued by the ICAI, to urban local bodies. The purpose of this Technical Guide is to provide a broad framework for and direction to State governments, Urban Local Bodies, ICAI members, and others as they work to improve urban accounting and financial reporting systems. The recommendations contained in the Technical Guide have received positive response from many urban local bodies who have shifted or are in the process of shifting from cash basis of accounting to accrual basis of accounting. Of late, the process of shifting to accrual basis of accounting by the Local Bodies has gained momentum as these bodies are increasingly approaching capital markets for raising funds. However, these bodies are following diverse accounting policies and practices in preparation of their financial statements. Hence, a need was being felt for formulation of a single set of high quality financial reporting standards for Local Bodies which will set out recognition, measurement, presentation and disclosure requirements dealing with transactions and events in general purpose financial statements of Local Bodies. Recognising the need to harmonise and improve accounting and financial reporting among Local Bodies, ICAI, constituted an independent Committee on Accounting Standards for Local Bodies (CASLB) in March 2005. The composition of the CASLB is fairly broad-based and ensures participation of all interest-groups in the standard-setting process. Apart from the members of the Council of the ICAI, the CASLB comprises the representatives of the Ministry of Urban Development, Controller General of Accounts, National Institute of Urban Affairs, Ministry of Panchayati Raj, Directorates of major Local Bodies, Academic Institutions and other eminent professionals co-opted by the ICAI.

The CASLB was initially constituted primarily for formulation of Accounting Standards for Local Bodies. Recently, the Council, has decided that the Committee, apart from formulation of Accounting Standards for Local Bodies would also take steps in facilitating improvement in accounting methodology and systems of Local Bodies, and would act as a forum to receive feedback from Local Bodies regarding problems faced by them in the adoption of accrual accounting and in application of the Accounting Standards. While formulating Accounting Standards for Local Bodies, the CASLB will give due consideration to the International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) prepared by the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) of the International Federation of Accountants (IFAC) and try to integrate them, to the extent possible, with a view to facilitate global harmonisation.

During the period under Report, the Council has cleared Draft Preface to the Statements on Accounting Standards for Local Bodies which sets out the objectives and operating procedures of the Committee on Accounting Standards for Local Bodies and explains the scope and authority of the Accounting Standards for Local Bodies. The Preface is likely to be issued shortly. The draft of the Framework for the Preparation and Presentation of Financial Reports by Local Bodies has been circulated among the specified outside bodies and the Council members of the Institute and its exposure draft for public comments would be issued soon. The Framework sets out the concepts that underlie the preparation and presentation of financial statements and would assist the Committee on Accounting Standards for Local Bodies in the development of future Accounting Standards for Local Bodies. The Committee has also finalised the draft of accounting standards for Local Bodies on "Borrowing Costs" and "Net Surplus or Deficit for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies", and these will be circulated to specified outside bodies and the Institute's Council members shortly.The CASLB has also undertaken many other projects for preparation of Accounting Standards for Local Bodies corresponding to International Public Sector Accounting Standards.

The Governmental Level Technical Committee being constituted under the aegis of Ministry of Urban Development (MoUD), Government of India and C & AG, would recommend the Accounting Standards for Local Bodies, issued by ICAI, for acceptance by the state governments. Apart from accounting standards, the ICAI will also support the Technical Committee in its endeavours towards various other aspects of financial reporting including preparation of asset registers, performance measurement, budgeting, costing, internal control and audit.

The Office of the Comptroller and Auditor General of India (C & AG) constituted Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB) in August 2002 "in order to establish and improve standards of governmental accounting and financial reporting and enhance accountability mechanisms for Union and the State Government accounts." The ICAI is a member of the GASAB and is also represented on its various Sub-Committees formulated from time to time by GASAB. The representative of the ICAI participates in the meetings of GASAB held during the year and contributes to the technical activities of the Board. The CASLB prepares comments on drafts at various stages prepared by GASAB.

During the period under Report, the GASAB constituted a Committee under the convenorship of the President, ICAI for finalisation of 'Operational Framework for implementation of accrual accounting in Government'. In accordance with the Terms of Reference of the said Committee, the Operational Framework for implementation of accrual accounting in Government was finalised and submitted to the GASAB. As per the decision of the GASAB, the draft Operational Framework has been circulated by the GASAB, Secretariat amongst the State Governments for their comments. The GASAB has decided that the Committee would consider the comments received, if any, on the draft and, thereafter, submit the draft Operational Framework after modifications, if necessary, to the GASAB.

Recently, the ICAI has undertaken two pilot projects with the Controller General of Accounts (CGA), Government of India, for bringing in accounting reforms in the Ram Manohar Lohia (RML) Hospital, New Delhi and the identified divisions of the New Delhi Zone of the Central Public Works Department (CPWD), funded by the World Bank. The CASLB would also provide the necessary support in successful implementation of these two pilot projects.

5.3 Auditing and Assurance Standards Board

The Auditing and Assurance Standards Board (AASB) was constituted as a technical organ of the ICAI in September 1982 in the form of a Non-Standing Committee named Auditing Practices Committee (APC). Following the international trend, the Council of the ICAI converted APC into AASB in the year 2002. The conversion of APC into AASB introduced participation of representatives from regulators and industries on the Board to ensure greater transparency, efficiency and safeguarding public interest.

5.3.1. Mission and Objectives

The primary mission of the AASB is to review the existing auditing practices in India and develop Auditing and Assurance Standards. The AASB represent a codification of the best practices in the area of auditing. The AASB also undertakes preparation Guidance Notes on issues relating to auditing, whether generic in nature or industry specific. The AASB recently also undertook the task of issuing clarifications on issues arising from the Auditing and Assurance Standards. As on date, the AASB has thirty-four Auditing and Assurance Standards, three Statements, three General Clarifications and thirty seven Guidance Notes, including four industry specific Guidance Notes, to its credit.

5.3.2. Meetings during the Year

The AASB held nine meetings during the year 2005-2006. The Board during the year considered the draft of revised Preface to Auditing and Assurance Standards, Statements on Auditing and Guidance Notes issued by the Board and also considered the drafts of various proposed Auditing and Assurance Standards, namely, Revised Auditing and Assurance Standard (AAS) 3, *Audit Documentation*, proposed Auditing and Assurance Standard (AAS), *The Examination of Prospective Financial Information*, proposed Auditing and Assurance Standards (AASs), *Understanding the Entity and Assessing the Risks of Material Misstatement* and *The Auditor's Procedures in Response to Assessed Risks* and Revised AAS 19, *Subsequent Events*; Statement on Companies (Auditor's Report) Order, 2003; as well as Guidance Notes, namely, Guidance Note on Audit of Banks (2006 edition), Guidance Note on Audit of Payment of Dividend, Guidance Note on Audit of Capital and Reserves, etc.

The AASB has also initiated a project of establishing the applicability of Auditing and Assurance Standards to the Small and Medium Entities(SMEs) in consonance with the international developments.

5.3.3. Harmony with International Standards

The AASB has carried out a project of comparison of Auditing and Assurance Standards *vis-à-vis* corresponding International Standards. The different parts of the Study on the subject as prepared by a study group have been allotted to various study groups constituted in all regional councils throughout the country for consideration of the same and suggest the necessary revisions required to the AASs to bring them in line with the corresponding International Standards.

Clarity Project

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) of IFAC has initiated a Clarity Project for clarifying the professional requirements in the International Standards on Auditing (ISAs) issued by the IAASB. As per the clarity project, the IAASB has tried to minimise the length of the Standard and also adopted a new approach where the standard portion and the application guidance portion had been segregated into two sections within the Standard. Accordingly, the IAASB has issued the Exposure Drafts for revision of some of the ISAs, and has also given a time schedule for the revision of other Standards. The AASB noted that the Auditing and Assurance Standards were required to be revised under the Clarity Project to bring them in line with the respective International Standard on Auditing. Accordingly, the study groups constituted by the Board for consideration of the comparative analysis of AASs *vis-à-vis* corresponding International Standards have been requested to also consider the effect of the Clarity Project on the Auditing and Assurance Standards and accordingly suggest for the revision of the Auditing and Assurance Standards.

Participation at the Meeting of IFAC with National Standard Setters

The ICAI actively participates in the meetings of National Standard Setters. During the year, a meeting of the IAASB was held with National Standard Setters. The AASB also represented the Institute at the said meeting.

5.3.4. New Releases:

Statement on Companies (Auditor's Report) Order, 2003 (2005 edition)

The ICAI, pursuant to the issuance of the Companies (Auditor's Report) (Amendment) Order, 2004, has in August 2005 issued the Revised 2005 edition of the Statement on Companies (Auditor's Report) Order, 2003. The 2005 edition of the Statement on CARO, 2003 contains detailed clause-by-clause guidance on all the reporting requirements under the amended Companies (Auditor's Report) Order 2003.

Guidance Note on Audit of Banks (2006 edition)

The AASB has issued a thoroughly revised 2006 edition of the Guidance Note on Audit of Banks. This edition is an update to the previous edition issued in 2005. The 2005 edition of the Guidance Note was revised on account of new circulars of the RBI. The revised Guidance Note also contains specific guidance on issues relating to Service Tax, Fringe Benefit Tax, Banking Cash Transaction Tax, and Basel II recommendations.

Guidance Note on Audit of Payment of dividend

The AASB has issued the Guidance Note on Audit of Payment of dividend in order to keep the members abreast in resolving the technical intricacies involved in auditing payment of dividend. The Guidance Note deals, in detail, about internal control evaluation and various verification procedures required to be done by the auditor. The Guidance Note takes into account both, corporate as well as *non*-corporate entities. The Appendix to the Guidance Note contains extracts of various relevant Acts and Rules relating to payment of dividend, the objective being to make the publication a complete, self-contained document for use by the members and others.

5.3.5 Other Activities:

Presentation before the President, IFAC and CEO, IFAC

- During the year, Mr. Graham Ward, President, IFAC and Mr. Ian Ball, CEO, IFAC attended a meeting of the AASB. At the said meeting, a presentation was made on the constitution, working procedure, projects in progress and achievements made by the Board at the international arena. The President, IFAC appreciated the achievements made by the Board.

Reserve Bank of India

- The AASB has revised the draft format of auditor's report in case of nationalized banks and banking companies, which after approval from the Council of the ICAI has been submitted to RBI for consideration and notification.

- The Board participated in the 9th High Level meeting organised by tne Department of Non-banking supervision of RBI, New Delhi to monitor the activities of NBFCs.

Comptroller and Auditor General of India

- The AASB had constituted a study group for preparation of the draft of the Long Form Audit Report (LFAR) pertaining to insurance companies, on the lines of the one applicable to banks. The study group had nominees from Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) and the Office of C&AG. The Board has submitted the draft prepared by the study group to the Office of C&AG for notification under section 619 of the Companies Act, 1956.

5.3.6. Projects in Advanced Stages:

Apart from the projects completed during the year, the AASB has also undertaken a number of ambitious projects such as bringing out/revising existing Auditing and Assurance Standards corresponding to the International Standard on Auditing issued by the International Federation of Accountants (IFAC), formulating Guidance Notes on various emerging issues in the area of auditing etc. The AASB has also commenced the process for revision of a number of Guidance Notes issued in the past, formulation of Guidance Notes on certain new topics of relevance identified by it for the purpose.

5.4 Research

Research plays a crucial role in underpinning the knowledge base of any profession. Recognising the contribution of research activities in enhancement of the quality of services rendered by the profession, the Council of the ICAI constituted Research Committee as a Non-Standing Committee in 1955. Since its inception, the Research Committee of the ICAI has been working vigorously to provide guidance to the members of the Institute in various areas of professional interest particularly, accounting and auditing, so that the highest of the traditions and technical competence might be maintained in the services being rendered by the members of the Institute. The Committee has also been prompt in responding to the need for accounting guidance on contemporary issues, which arise due to amendments in laws and other developments related to economic reforms in the country.

Mission and Objectives

The primary mission of the Research Committee is to conduct research in various fields which have a direct and indirect bearing on accountancy and to render research services expected of professional research institutions. The Committee formulates Guidance Notes on accounting aspects which are issued under the authority of the Council of the ICAI. It also brings out Technical Guides, Studies, Monographs, etc., on generally accepted accounting and/or auditing principles and practices designed to enhance the value of the services rendered by the profession. The Committee also conducts a competition for the 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' annually, with a view to encourage improvement in the presentation of financial statements in the country.

Guidance Notes and other Research Publications

During this period, the Committee formulated four Guidance Notes. Of these, three Guidance Notes, viz., *Guidance Note on Accounting for Fringe Benefits Tax, Guidance Note on Accounting by Schools and Guidance Note on Accounting for Credit Available in respect of Minimum Alternative Tax under The Income-tax Act, 1961 have been* issued under the authority of the Council of the Institute. *The Guidance Note on Measurement of Income-tax Expense for Interim Financial Reporting in the context of AS 25* has been approved by the Council and will be issued shortly.

The *Guidance Note on Accounting for Fringe Benefits Tax* deals with accounting for Fringe Benefits Tax, particularly with regard to the recognition and presentation of the Fringe Benefits Tax in the financial statements. With the objective of bringing about uniformity and making improvements in the accounting systems being followed by schools, the Committee formulated the *Guidance Note on Accounting by Schools*. The objective of this Guidance Note is to harmonise the diverse accounting practices being followed in schools including Fund Based Accounting and to recommend uniform formats of income and expenditure account and balance sheet. The insertion of sub-section (1A) to section 115JAA, of the Income-tax Act, 1961 by the Finance Act, 2005 (granting credit in respect of MAT paid),

raised certain issues regarding the treatment of such credit, like, in view of Accounting Standard 22, Accounting for Taxes on Income, whether the credit available is deferred tax or not. The *Guidance Note on Accounting for Credit Available in respect of Minimum Alternative Tax under The Income-tax Act, 1961* deals with the aspects of accounting and presentation of MAT paid and the credit available in this regard. The fourth Guidance Note on Measurement of Income-tax Expense for Interim Financial Reporting in the context of AS 25, as its name suggests, provides guidance on the estimation of the income-tax expense to be disclosed in the interim financial reports. It also includes illustrations to explain the guidance.

During the period under Report, the Committee has also issued revised *'Guidelines on internal Audit – Tea industry'.* This publication covers the recent developments in technical aspects of the tea industry insofar as they relate to tea cultivation, tea manufacture and tea marketing, and in the light of these developments, provides guidance for effectively conducting internal audit of various functional areas of management, such as, personnel, production, materials, finance, etc.

Besides the above, the Committee also took up the task of preparation of *'Formats of financial statements for Members of Stock Exchanges'* upon the request of Securities and Exchange Board of India. These formats would prescribe the information which should be given in the balance sheet, profit and loss account, schedules and the notes annexed thereto, *inter alia,* bringing about the applicability of accounting standards to members of stock exchanges. These formats have been considered by the Council and will be sent to SEBI shortly.

Important Projects in Progress

Apart from the projects completed during the year, the Research Committee has also undertaken a number of projects on certain new topics of relevance identified by it for the purpose. The objective is to provide guidance to the members on various emerging issues in the area of accounting, etc. The Committee has also commenced the process for revision of a number of Guidance Notes issued in the past. The Committee has also taken up the task of updation of its publication *Technical Guide on Accounting and Auditing in Not-for-profit Organisations*

Compendium of Guidance Notes – Accounting (As on July 1, 2006)

An updated edition of 'Compendium of Guidance Notes – Accounting' as on July 1, 2006, has been issued alongwith a Compact Disk (CD) to be distributed free with the book.

ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting

In order to recognise and encourage excellence in presentation of the financial information, the ICAI, through its Research Committee, has been holding an annual competition for the 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting'. This prestigious Competition propagates that financial reporting should be committed to the canons of accountability, transparency, integrity, reliability, timeliness and social responsibility. Earlier the Competition was held under three categories. From this year, the Competition has been restructured. The Competition for the year 2004-05 was held under seven categories based on functional classification of various industries. Category I covered Manufacturing and Trading enterprises (including processing, mining, plantations, oil and gas enterprises). Category II covered Finance sector (including NBFCs, mutual funds, investment bankers, HFCs, etc.) and Category III covered Service sector (including hotels, consultancy, transport, stock exchanges, R&D, private hospitals). Category IV and Category V covered Banking, Insurance and Financial Institutions, and Information Technology, Communication and Entertainment

enterprises, respectively. Category VI covered Infrastructure & Construction sector (including power generation and supply, port trusts, roads) and Category VII is the residuary category which covered enterprises which are not covered by the other six categories like, Section 25 companies, educational institutions, NGOs, charitable hospitals, etc. For the Competition for the year 2004-2005, ninety-nine enterprises in different categories participated. The awardees were selected by a panel of judges, appointed by the ICAI, on review of accounting practices adopted by the participating enterprises for the period ending on any day between 1st April, 2004 and 31st March, 2005 (both days inclusive), without regard to their financial condition and operating performance. Accordingly, the awards signify that the accounting practices followed by the concerned enterprise during the year are the best amongst the enterprises that participated in the Competition. One Gold Shield and one Silver Shield was awarded in each of the seven category for the best entry and the next best entry, respectively. As a special case, Annual Reports of two companies in two categories (one in each category) was selected for award of Commendation. The Gold Shield winners of the seven categories are Dr. Reddy's Laboratories Limited, Housing Development Finance Corporation Limited, Thomas Cook (India) Limited, ICICI Bank Limited, Infosys Technologies Limited, The Tata Power Company Limited and Financial Management Service Foundation, respectively. The Silver Shield winners of the seven categories are J.B. Chemicals and Pharmaceuticals Limited, SBI Capital Markets Limited, The Great India Health Care Management Limited, Andhra Bank, Nucleus Software Exports Limited, Larsen and Toubro Limited and Vidya Dairy. The winners of Commendation award are Abhishek Industries Limited and Wipro Limited. A special function for presenting the 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' for the year 2004-05 was held on February 2, 2006, at Hotel Intercontinental Eros, New Delhi. Hon'ble Shri Prem Chand Gupta, Union Minister for Company Affairs, was the Chief Guest for the function. The Hon'ble Minister also gave away the awards to the awardees.

A Resume of the important activities of the Research Committee is given in Appendix to this Report.

5.5 Corporate Laws

The year 2005-06 was a year of significant achievements. The Committee completed successfully several projects undertaken by it.

MCA-21 The Flagship E-governance Project: -

The Committee participated in the deliberations of MCA 21 project initiated by the Ministry of Company Affairs, which will enable an easy and secure access to MCA services in a manner that best suits the corporate entities and professionals besides the public. To popularize the MCA 21 project, the ICAI requested its Regional Councils to ensure maximum participations of ICAI members in MCA-21 programmes. The MCA 21 pilot project was launched at Coimbatore on 18th February 2006. Dr. Manmohan Singh, Hon'ble Prime Minister of India launched the MCA 21 Pilot Project at Vigyan Bhawan, New Delhi on 18th March 2006. A large number of Chartered Accountants attended the said programme. The project has also been launched at various branches of the ICAI spread across the country. To popularize the Certified Filing Scheme, the details of the scheme alongwith the Registration form was hosted on the Institute's website. To facilitate the process, the online application form has been hosted w .e .f. 01-08-2006.

The Ministry of Company Affairs, Government of India had constituted a Technical Group headed by its Regional Director (Northern Region) to examine and scrutinize e-forms in the light of provisions of the Companies Act 1956. The ICAI has submitted its views/suggestions on revision of e-forms and the same was well accepted.

LLP Law:

The Ministry of Company Affairs has finalized the Concept Paper on LLP Law appreciating the suggestions received from different stakeholders. The ICAI had contributed in the process and its views were well received. Concept Paper has prescribed Audit of accounts of Limited Liability Partnerships whose turnover exceed such amount as may be prescribed.

Suggestions/comments on various issues relating to Corporate Laws:

The Committee has submitted its suggestions on various matters referred to the ICAI by the Ministry of Company Affairs and other Government departments such suggestions on Foreign Contribution (Management & Control) Bill 2005, Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC) Study on Insolvency and Creditor Rights (India), Nidhi Companies, Expert Group Constituted by MCA to examine the issues relating to streamlining the Prosecution Mechanism under the Companies Act 1956, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Bill, 2005.

Post Qualification Courses:

The Committee recommended two post qualification courses viz. "Protection of Creditor's Rights and Insolvency Law" and " Corporate Valuation" and the Council of the ICAI has approved these courses in principle.

Training Programmes:

During the year, the Committee organized Training Programmes on Arbitration and on Independent Directors for the benefit of the members. The Committee also organized seminars and conferences covering a wide range of contemporary topics connected with corporate and allied laws. The Committee also organized two Training Programmes for officials of the Indian Company Law Service at Mumbai and Kolkata. The Committee also organized Workshop on Cyber Frauds and its Prevention for Haryana Police Officials, Workshop on Simplification of Procedural Aspects under the Companies Act, 1956 and FICCI-ICAI National Conclave on Corporate Laws, Disclosure Requirements and changing face of Schedule VI.

Working Group on Corporate Valuers:

The Ministry of Company Affairs has constituted two working groups to examine the requirement and make suggestions for an Institutional framework for Corporate Valuers and to suggest a Model Curriculum for the Corporate Valuers. Both the Groups have completed their deliberations. The ICAI had its nominee on both the Committee.

5.6 Fiscal Laws

The Fiscal Laws Committee did pioneering work in the field of State-Level VAT and brought out a publication "State-Level VAT in India – A Study". It also prepared a Model VAT Audit Report and forwarded the same to all the State Governments for their considerations while framing the relevant rules.

Due to the efforts of the Committee, after detailed consultations, the Government has started utilizing the services of chartered accountants at the Desk Review stage in excise audit.

The Committee took up the revision of the Guidance Note on Tax Audit under section 44AB of the Income-tax Act, 1961 and the fifth edition of the same was published. A

comprehensive study on International Taxation namely "Aspects of International Taxation – A Study" was also published.

A detailed memorandum was submitted to the Parliamentary Standing Committee on Finance on the important subject of "widening of tax base and tax evasion and computerization of tax administration". Subsequent to the submission of the memorandum to the Parliamentary Standing Committee on Finance, the ICAI made a personal presentation before the Committee through its Chairman. Arising out of the presentation, the Chairman of the Parliamentary Standing Committee requested for further clarifications on the views expressed by the ICAI, which was also duly submitted.

As usual, the Committee submitted Pre-Budget Memorandum – 2006 from which some of the suggestions were accepted by the Government and incorporated in the Statute. A Budget Workshop – 2006 was held in which eminent members of the profession presented the views of the ICAI on the various proposals contained in the Finance Bill, 2006. Subsequently a Post-Budget Memorandum – 2006 containing a critical analysis and the suggestions of the ICAI on the various clauses of the Finance Bill, 2006 was submitted to the Government. Also, a special issue of the Journal containing articles by eminent members on the clauses of the Finance Bill, 2006 was published.

The Government through a Budget Notification withdrew the exemption given to practising chartered accountants in respect of services other than accounting and auditing services, because of which all services rendered by practising chartered accountants became liable for service tax. The ICAI submitted a representation to the Chairman, Central Board of Excise and Customs. Further, a representation was sent to Hon'ble Finance Minister in this regard. The President also had a personal meeting with the Hon'ble Finance Minister in this regard. On account of these vigorous efforts the Government granted exemption to chartered accountants in respect of representation services arising out of issue of a notice by the competent authority.

Significant inputs in the form of legal decisions and gist of circulars and notifications on direct and indirect taxes were provided for publication in the Journal of the Institute.

The Committee organized an All India Conference in pursuit of excellence at Visakhapatnam, a National Conference on Fiscal and Allied Laws at Trissur and a large number of seminars and conferences to disseminate information and knowledge on the issues arising in the fiscal laws.

5.7 Financial Markets And Investor' Protection

The phenomenal buoyancy in the growth of Indian Financial Markets in the recent times has captured an important place in the arena of investment centers elsewhere in the globe. With the large inflows from Financial Institutions (FI's) and Foreign Institutional Investors (FII's), India is seen as the major hub for investments. The Budget 2006 has also made certain reforms for boosting the capital market and taking into account a holistic picture, the Committee gave fresh thoughts and impetus for its various activities for the year 2006-07. To implement various activities in tune with the climate of the financial markets, the Committee drew its action plan comprising the following:

- **Equity Research:** The Committee contemplated to bring about a draft Concept Paper on Equity Research and conducting research on equity markets. As a preliminary process, a draft paper is currently under consideration.

- **Streamlining Audit of Stock Brokers Operations:** In order to suggest to SEBI on a macro level with social objective in streamlining audit of stock brokers operations and their accountability, the Committee is in the process of undertaking a study on this subject.

- **Research paper on the Impact of Direct Taxes vis-vis-vis the Financial Markets and Common Investors:** The Union Budget is seen as a potential document by every investor for the futuristic moves and prosperity for investment in the stock market. In order to evolve a research into this aspect, the Committee thought it fit to prepare a draft research paper which is currently under process.

- **Publication:**

  - **Guidance Note on Clause 49:** The work relating to the publication, which was started last year, was successfully completed and Committee published the revised draft guidance note (2006) on certification of Corporate Govermamce as stipulated under Clause 49 of the listing agreement.

  - **Investment Banking for Investors:** Common Literature for Investors on Portfolio Investment and Banking

  - **Do's and Dont's':** Literature on Dos' and Don'ts' for Investors

  - **Handbook on Capital Market Regulations:** The book has been published..

- **Programmes:**

  - **Investor's Awareness Programmes** at various places throughout India was contemplated. Programmes were already held at Guntur, Agra, Ghaziabad, Ambala during April to July 2006. Other programmes are currently under finalisation.

  - **Public Programme on Union Budget 2006 and Capital Market:** A programme on the subject was held on March 7, 2006 at Mumbai, which was addressed by eminent investment experts, economists and others. The programme was well attended by around 600 persons.

  - **National Conclave of Investor Associations and Consumer Forums at Chennai:** is being finalised.

- **Pro-active Dialogue with the Regulatory authorities.**

The Chairman of the Committee is engaged in meeting with the Senior Officials of SEBI, RBI, BSE, NSE, MCDX and other regulatory authorities. In this connection, a pro-active interaction was held with the Executive Director of SEBI.

5.8 Expert Opinions

In times of economic growth, the business transactions have become more complex and intricate. Further, the accountants and auditors have to perform their functions within the framework of various accounting and auditing standards, which are gaining much importance and acceptance over the past few years. In such complex environment, the members of the Institute are often posed with certain tricky situations, where an authentic

view is required. Keeping these situations in mind, the Council of the Institute constituted the Expert Advisory Committee for answering the queries of the members of the ICAI on wide ranging issues. The Committee deals with the queries relating to accounting and/or auditing principles and allied matters and as a general rule, does not answer queries which involve only legal interpretation of various enactments and matters involving professional misconduct. It also does not answer queries which concern a matter which is pending before the Disciplinary Committee of the ICAU, any court of law, the Income-tax authorities or any other appropriate department of the government. The Advisory Service Rules have been framed by the Council in accordance with which the Committee answers the queries.

The Advisory Service Rules are available on the web-site of the ICAI, at its hyperlink, www.icai.org./resource/eacrule.html or can be obtained from the Institute's Head Office at New Delhi. For further queries, the Secretary, Expert Advisory Committee, can be contacted through e-mail at eac@icai.org .

Although, the Expert Advisory Committee has been appointed by the Council, an opinion given or view expressed by the Committee represents only an opinion or view of the Committee and not the official opinion of the Council of the Institute. The Committee provides an independent and objective opinion on the basis of the facts supplied by the respective querists. During the period from 01.04.2005 to 20.09.2006, the Committee finalised 61 opinions on wide ranging issues like accounting for Minimum Alternative Tax (MAT) under section 115JB and credit available in respect thereof, disclosure of partly secured bonds, creation of deferred tax asset in respect of provision for final mine closure expenditure, treatment of deferred tax assets on the adoption of Tonnage Tax Scheme, applicability of AS3 and AS 28, deferred tax effect of adjusting impairment lbss directly against revenue reserves pursuant to transitional provisions under AS 28, etc.

The opinions as issued to the querists by the Committee are also published in the Compendium of Opinions. Till now, twenty-four volumes of the Compendium, containing opinions finalised by the Committee upto January 2005 have been released for sale. Volume XXV of the Compendium, containing opinions finalised by the Committee between February 2005 and January 2006 is under compilation.

Some of the opinions finalised by the Committee are being published in every issue of the Institute's Journal 'The Chartered Accountant'.

5.9 Continuing Professional Education

Overview

The reporting period is a landmark in the Institute's endeavor to continue to maintain the status of Indian Chartered Accountants as a well-rounded professional comparable only with the best in the World. ICAI has always striven for excellence in the standard of professional services rendered by its members. Every possible initiative has been taken and implemented by the Continuing Professional Education (CPE) Committee of the Institute to assist the members to maintain superior standards of professional services.

In line with the international best practices, the CPE Requirements for the Calendar year 2006 has been revised so that:

- All members in practice (with certain exceptions) are required to obtain a minimum of 20 CPE credit hours during the calendar year 2006.
- Members engaged otherwise than in practice are recommended to earn a minimum of 10 (Ten) hours of CPE Credit during the calendar year 2006.
- The requirements of CPE Credit hours for members residing abroad are recommendatory only.

Launch of CPE Portal

The Committee has taken the initiative of maintaining the database of the CPE credit of the members online and has developed an Online CPE Portal (http://www.cpeicai.org) for recording and maintaining the records of CPE hours earned by the members of the ICAI.

The system facilitates the members in keeping themselves updated with the CPE credit hours earned by them. The members can view the status of CPE hours by logging into the CPE Portal using their User ID and password. The portal also provides the information on upcoming events across India and abroad organized by various POUs such as Central Committees, Regional Councils, Chapters abroad, CPE Chapters, CPE Study Circles and CPE Study Groups.

Empowering the Programme Organising Units

With a dual objective of maintaining uniformity in the subjects to be covered by the CPE Programme Organising Units (POUs) and to enable them to determine the CPE Credit hours, without approaching the Office. CPE Calendar has been released after due consultation process covering topics of practical relevance not only for the members in practice but also to the members in service. Due care was taken to address the CPE requirements of members at metros, big and small cities, moffussil and remote places. As in the early years, the CPE Calendar was divided into two parts viz., Obligatory Topics and Optional Topics. The obligatory topics for the year 2006-07 includes the following:

ACCOUNTING AND AUDITING

1. Accounting Standards issued by ICAI
2. Audit, Assurance and Quality Standards issued by ICAI
3. Pronouncements and other documents of ICAI on Accounting and Auditing
4. Accounting Standards with sector wise / industry wise practical presentations
5. Accounting Standards & International Financial Reporting Standards (IFRS)
6. US & UK GAAPs
7. Internal Audit Standards
8. Peer Review – System, Procedure and Documentation for Practice Units
9. Sarbanes Oxley Act
10. Accounting of the Urban Local Bodies
11. Forensic Accounting and Audit
12. Internal Audit and Internal Control
13. Service Tax Audit
14. VAT Audit
15. Risk Based Internal Audit

INFORMATION TECHNOLOGY

16. Audit in Computerised Environment
17. Computer Aided Audit Techniques and other tools
18. Detection and Prevention of Financial Crimes using Computers
19. E – filing returns under Income Tax Act and other laws
20. Information System Audit - Training Programmes, Case Studies, Consultancy and Documentation
21. Systems Audit and related areas viz. Disaster Management, Security Policy, Procedures, Standards and Risk Analysis
22. ERP & SAP

23. Overview of Information Technology Act

TAXATION

24. Audit under Income Tax Act – Preparation, Presentation and Documentation
25. Depreciation: Accounting, Taxation and Company Law issues
26. Emerging Issues in Indirect Taxation
27. Issues in Business Taxation
28. Issues in International Taxation
29. Tax Tribunals including National Tax Tribunal – Role of Chartered Accountants
30. Recent Judgements on Direct Tax Laws
31. Service Tax – Law and Practice
32. Taxation of Non-Resident Indians – Recent Developments
33. Stay, Tax Recovery and other Related Provisions under the Tax Laws
34. Transfer Pricing
35. Corporate Taxation
36. Fringe Benefit Tax (FBT)
37. Value Added Tax (VAT)
38. Survey, Search and Seizure – Current Developments
39. Desk Review

CORPORATE LAWS

40. Companies (Auditors' Report) Order (CARO)
41. NCLT Law and Practice
42. MCA 21 – Challenges & Opportunities for the Profession

CODE OF CONDUCT

43. Code of Ethics of ICAI and relevant emerging issues

FINANCE AND CAPITAL MARKET

44. Derivatives: Future and Option
45. Sources of Raising Funds
46. Recent trends in finance and capital market
47. International Finance
48. FDI Rules
49. Project Report and Appraisal

CORPORATE GOVERNANCE

50. [illegible]g Agreement
51. [illegible] Committee Charter
52. A[illegible]ommittee and Independent Directors
53. Re[illegible]t Development in Corporate Governance
54. COSO, COBIT & ERP

OTHERS

55. Business Process Outsourcing – Opportunities for Chartered Accountants
56. Knowledge Process Outsourcing – Opportunities for Chartered Accountants
57. Fraud Investigation and Reporting
58. Jurisprudence, Interpretation of Law and Evidences Act

59. Due Diligence & Valuation
60. Money Laundering
61. CA Amendment Act, 2006
62. Merger, Demerger & Networking of CA Firms and Capacity Building

The optional topics include 91 topics of relevance to the members of the Institute in practice and in industry. The Calendar, in addition, also includes 8 broad heads of topics, which are of relevance to the members in industry specifically.

In order to enable the members to meet the increased quantum of CPE Credit hours, the POUs of the Institute particularly, the Regional Councils, Branches of Regional Councils, CPE Study Circles and CPE Chapters have been advised to conduct certain minimum number of CPE programmes commensurate with the members being served by such POUs.

Maintaining Quality of CPE Programmes

The CPE Committee has formed Regional CPE Monitoring Committees, inter alia, to monitor the quality of the CPE Programmes being organised by the CPE POUs. Monitors and supervisors as required under the CPE Advisory on Monitors and Supervisors are being nominated for CPE Programme Organizing Units (POUs) for achieving the above stated objectives.

Granting the status of 'National' 'International' and 'All India' to CPE Programmes

The Committee has taken the initiative to evolve suitable parameters for granting the status of 'National' 'International' and 'All India' to CPE programmes, so that the said status can be granted in accordance with the number of participants in the conference, the nationality of the faculty/resource persons/ the region to which the participants/faculty belongs. Towards this objective, the Committee has finalized the parameters for granting the status of 'National' 'International' and 'All India' to CPE Programmes.

Management and Accounting Research

In order to encourage research in the area of accounting, auditing, management, economics and allied areas, the Committee continued to publish the quarterly research journal Management and Accounting Research. The journal includes technical contributions from experts, both in India and from abroad. The Committee has revised the honorarium payable to authors and reviewers in order to attract quality contribution by experts for this journal.

Other initiatives of the CPE Committee

The CPE Committee has also been working on the following strategic initiatives:

- Conducting certificate courses on areas of super specialization for the members of the Institute.
- Organising more In-House Executive Development Programmes for the benefits of the members in Industry.
- Revision of the Statement on the Continuing Professional Education
- Revision of the norms for the formation and the functioning of the CPE Study Circles, CPE Chapters and CPE Study Groups for the purpose of maintaining the required quality of the programmes so organised.
- Revision of the course curriculum of the Post Qualification Course on Management Accountancy.

- Implementing e-learning solutions for the Members

5.10 Professional Development Committee

The Professional Development Committee has been making sustained efforts to explore, derive, develop, and make available opportunities for the members of the Institute in different sectors of the economy. The Committee, over the years, has been quite vigorous in trying to generate more professional opportunities for the members by exploring/pursuing new/existing areas where the expertise of the members could be utilised in a productive and fruitful manner. The Committee also tried to ensure that equitable opportunities are available to all members of the profession. As a part of this process, the Committee is continuously interacting with various regulatory/empanelling authorities and users of services of the profession etc. both in India and abroad.

The major achievements/endeavours of the Professional Development Committee in this reporting period are given below:

- Like last year, the Multipurpose Empanelment Application Form was hosted. Members/firms were able to fill up the form offline after downloading the form from the Website and to upload their dully filled up Form after connecting to internet again.

- Issuance of Government Order by the West Bengal Government to procure all the panels of auditors only from the ICAI instead of seeking individual applications from Chartered Accountants and their firms.

- The Professional Development Knowledge Portal www.pdicai.org developed last year continues its service in providing the members with timely and necessary information on practice development and professional opportunities to the members.

- Discussions with the officials of the RBI on various matters relating to audit of banks.

- Various issues of direct interest to the members pursued with the Office of the C & AG. of India.

- Meeting with the officials of NABARD to discuss various issues of mutual interest.

- Meeting with the officials of the Department of Banking, Ministry of Finance, Government of India to discuss various issues of mutual interest.

- Meeting with the officials of the Khadi and Village Industries Commission.

- Meeting with the officials of the Asian Development Bank (ADB), Indo-US FIRE (D) Project, Department for International Development (DFID), India and World Bank to discuss issues of mutual interest.

- Representations sent to various States/Union Territories regarding the introduction of VAT.

- Representations sent to Principal Finance Secretaries of various States regarding internal audit of Sub-Treasuries and Expending Departments.

- Representations sent to Minister, Panchayati Raj of various States regarding Financial and Accounting reforms and Capacity- building in Panchayati Raj Institutions.

- Information regarding allotment position for Bank Branch Audits for the year 2005-06 hosted on the Institute's website.

Besides the above, the Committee is continuously striving to achieve its objectives, as detailed below:

- To explore and exploit all available and potential opportunities whereby newer avenues for professional development and growth may be assured for the Institute's members.
- To educate the users on matters affecting the profession.
- To conduct courses, seminars, workshops on various subjects in so far as these relate to the core mission of the Committee.
- To determine the manner and the form in which guidance should be provided to Chartered Accountants in regard to the possible avenues that are developed for them.
- To improve the communication process with representative bodies of users of the services of the profession so that equal opportunity is given to all members of the profession with due regard to their professional abilities and attributes.
- To consider ways and means to provide specific assistance in improvement of skills and talents of members (Basically, this will be in the form of recommendations to other Committees of the Institute).
- Last but not the least, to ensure that existing opportunities of professional development are fully utilised and maintained at equitable and growth-oriented levels.

The Committee is also cautious of its responsibility to educate members in the areas related to new avenues of professional opportunities. It is in view of this, the Committee has organized the following programmes/seminars: -

- Training Programme on 'Sarbanes Oxley Act - An Orientation' at Mumbai.
- Programme on 'Financial and Accounting Reforms in State Governments and the Role of Chartered Accountants' at Hisar.
- All India Conference on 'Practice Development – The Road Ahead' at Nagpur.
- Workshop on 'Consulting - Finding the Edge' at Amritsar.

5.11 Peer Review Board

The peer review mechanism, introduced by ICAI – a leader in this behalf – in the country, as per the feedback received, has been welcomed by the Members of the profession at large.

The Peer Review Board set up by the Council of the ICAI in the year 2002, comprising of Members of the Council and representatives from bodies like the Ministry of Company Affairs, C&AG, Industry and RBI is moving forward in ensuring that the reviews are carried out as per the best global practices. To this end, the Board brought out Peer Review Manual detailing the peer review process and providing insight into its various aspects.

In order that there is consistency and uniformity in carrying out reviews by the Reviewers, the Board imparts training to the Reviewers, before assigning them the Practice Units for review. The training modules, specially developed for the purpose as a book titled "Training Modules for Peer Reviewers" provide for training curriculum for Reviewers and also guidance for the training facilitators on how to conduct reviewers' training.

During the course of training, a number of questions are raised on peer review process, obligations of the Practice Units (PUs),role of the Reviewers, Powers of the Board, insulation from disciplinary jurisdiction etc. While the Trainers try to the best of their ability to answer the posers, the Board thought it appropriate to compile these questions in booklet form and accordingly a publication on FAQs has also been issued.

The peer review process aims to cover all firms of chartered accountants (PUs) in a phased manner in three stages. The PUs are selected on random basis, through a specially developed software. PUs covered under Stage I have been selected in 3 phases and those under Stage II have so far been selected for 2 phases. Selection of PUs under Stage III has also been made under phase I thereof. Details of PUs selected, reviews completed and Peer Review Certificates issued will be found in the Appendix to this report.

5.12 Committee for Members in Industry

Overview

The Committee for Members in Industry is involved in encouraging and enhancing close links between ICAI and the Chartered Accountants working in industries in various capacities so as to provide for them, a base of reference in terms of knowledge, expertise, skills and assistance in individual career growth through the development of extensive and intensive relationship with organizations and agencies of the Government, so as to provide the maximum possible exposure to the world of trade, commerce, industry and governance, while simultaneously pursuing the goal of providing the maximum of employment opportunities.

The Committee also provides assistance to members of the Institute in finding appropriate placement opportunities in the industry. In this regard, the Committee is engaged in providing services in relation to the following three categories of members and students of the Institute:

(i) Newly qualified Chartered Accountants through the campus placement programme
(ii) Semi-qualified accounting professionals (candidates who have completed their Chartered Accountancy Course articleship)
(iii) Qualified Chartered Accountants – who are presently serving in industry

All the above services are being administered through the Placement Portal www.placements-icai.org. The ICAI placement portal provides an opportunity to professionals in finance and accounting and the industry to interact with the objective of building capacity for international best practice oriented finance and accounting culture and Indian industry.

Campus Interviews

The Committee organized Campus Interviews for Chartered Accountants qualified in May 2005 in September – October 2005 and November 2005 in February – March 2006. 842 Chartered Accountants were placed in the Campus Interviews held in September – October 2005 whereas 1158 Chartered Accountants were placed in the Campus Interviews held in February – March 2006.

Experienced Chartered Accountants and Semi Qualified Accounting Professionals

The placement services are also being provided to the experienced Chartered Accountants and semi-qualified accounting professionals through the placement portal. The candidates

looking for jobs can register on the Portal itself and can fill their profile. Further, the entities intending to recruit experienced Chartered Accountants and semi-qualified accounting professionals can register on the Portal itself and can access the database for experienced Chartered Accountants and semi-qualified accounting professionals which are available free upto 31st December 2006. The registrations on the portal is growing day by day and the registration level of recruiting entities have crossed the figure of 2500 as on 31st May 2006.

As regards the registration level of qualified Chartered Accountants, the number has also crossed 3000 and the registration level of semi-qualified accounting professionals has crossed 1000.

CFOs Guild

The Guild of CFOs is being maintained by the Committee. The Guild is meant for members of ICAI occupying senior positions in industry. The primary objective of setting up such a guild is to develop a platform where highly intellectual and talented pool of people from various organisations can discuss various issues concerning the profession in general and for members in industry in particular. They can plan, formulate and strategize policies for improving the image of Chartered Accountants in the eyes of the industry. Industry-specific seminars/conferences/round table meetings are also planned to discuss the matters pertaining to the industry and make them brand ambassadors of the profession. The present strength of membership in the Guild of CFOs is around 1400.

Programmes/Seminars/Conference:

The Committee organised the following programmes/seminars/conferences for the benefit of the members in industry:

1. All India CMII Conference on 17-18th June 2005 at Mumbai
2. Conference on Construction Industry on 9th and 10th July 2005 at Mumbai
3. Programme for Members In Industry on 23rd July 2005 at Indore
4. All India Conference on Professional Accountants in Business: Powerful Enabler for Achieving Remarkable Performance on 12th to 13th August 2005 at Kolkata
5. National CPE Conference on Professional Excellence' organised by PRC & CMII at Chennai on 8th September 2005
6. All India Conference on 22nd to 24th September 2005 at Goa
7. Industry Focused Programme on Civil Aviation Sector on 20th to 21st October 2005 at New Delhi
8. National Seminar on `Professional Enrichment' organized by PRC & CMII on 26th November 2005 at Chennai
9. Industry focused National Conference on Information Technology & Automobile Sectors on 3rd to 4th December 2005 at Pune
10. National Seminar on Programme – a New Dimension on 15th and 16th December 2005 at Jamshedpur
11. Conference on Entertainment Industry on 24th and 25th December 2005 at Mumbai
12. 1st Workshop on IFRS & US GAAP on 26th to 29th December 2005 at Hyderabad
13. National Seminar on Real Estate and Construction Industry on 21st January 2006 at Chennai organised by PRC and CMII
14. 2nd Workshop on IFRS & US GAAPs on February 23-26, 2006 at Mumbai
15. CFDs Meet on 20th May 2006 at Chennai
16. Director (Finance)/CFOs Meet on 2nd June 2006 at New Delhi

CMII Newsletter – Corporate Communique

Three issues of CMII Newsletter – Corporate Communique has been released:

(i) Volume V – November 2005
(ii) Volume VI – February 2006
(iii) Volume VII – May 2006

Other Publications of the Committee

The following publications have been released for the benefit of the members in industry:

- 'How to Face an Interview Board' for the newly qualified Chartered Accountants distributed free of cost at the time of orientation programme,

- Sustainability Reporting

The Committee is working on the following strategic initiatives:

- The Committee has started working on the concept paper on Members in Industry which will cover the growing trend of members joining the industry, understanding their expectations and needs and the way forward for the ICAI to cater to this change accordingly. In this regards, the Committee has developed questionnaire (available at the website www. Placement-icai.org under the title 'For Members in Industry' and is taking feedback from the members in industry from various forums such as CFO Meet, seminars etc.
- Marketing of Placement services to further improve the final placement of newly qualified Chartered Accountants.
- Popularisation of Placement Portal.
- Publication of books having relevance to the Members in Industry.
- Publication of CMII Newsletter
- Creation of database of members of eminence and those occupying key positions in the industry.
- Considering the ways and means to enhance the participation of the Members in Industry in the activities of the Institute.
- MOU and Agreement with ICICI Bank Ltd. and Airtel for recruiting newly qualified Chartered Accountants which has led to recruitment of a very large number of candidates
- Organising industry-specific programmes
- Organising Director (Finance)/CFOs meet at various places in the country

5.13 Information Technology

5.13.1. Overview

Information Technology innovations in the recent years have enhanced the role of IT from business enabler to business driver. Businesses and governments are making increasing use of IT to service their core business functionality and provide more and more facilities and services online – VIP by Institute, Core Banking by Banks, E-Governance by MCA/ Income Tax/ Foreign Trade, Portals, Online Sales, Reservations by Indian Railways/ Airlines, to name a few. At the same time, Indian business scenario is witnessing emergence of more and more IT Enabled Services (ITES) like Business Process Outsourcing (BPO)/ Knowledge Process Outsourcing (KPO) with the removal of trade barriers and the world fast transforming into a global village. With increasing competition, the accountants need to focus on the efficiency and effectiveness of audits/ operations by making increasing use of the computers as a tool for audit/ analysis.

The Committee on Information Technology is involved in converting IT challenges into opportunities for Chartered Accountants to not only survive but also grow in the evolving economy by increasing the efficiency and effectiveness of their operations and by providing more and more value added services that are in increasing demand in the evolving economy. Some of the important initiatives of the Committee are as follows:

5.13.2. Information Systems Audit (IS Audit) / Systems and Process Assurance (SPA) Services – PQC Course on ISA

The increasing deployment of IT solutions by businesses and Govt. while providing value added services has often been found to be lacking with respect to proper systems/ processes/ procedures/ controls/ checks and balances because of which business continuity of some organizations has been at stake. There is an increasing need for third party expert review and reporting on the Information Systems – IS Audit/ SPA.

Considering the emergent need for IS Audit/ SPA, the Committee has introduced a revised syllabus for the Post Qualification Course on Information Systems Audit (ISA) from January, 2006.

5.13.3. Training Resources on Computer Assisted Audit Techniques (CAAT) CAAT Resources CD (V2.1)

As the increasing volumes and variety of financial transactions are now being processed through the computer and physical records are fast disappearing, professional accountants have to extract the data and information using the computer as a tool for audit and analysis. Recognizing this need, the Committee has issued a *CAAT Resources CD* (V2.1) to provide a facility of training and development in this field through walkthroughs (step-by-step procedures with voice explanations), user guides, presentations, case studies and working copies of a number of CAAT/ GAS tools.

5.13.4. CPE Course on Computer Accounting & Auditing Techniques (CAAT)

The committee offers the CPE Course on Computer Accounting & Auditing Techniques (CAAT), which has been thoroughly revised, through Regional Councils/ Branches/ CPE Chapters to enable members to start using the computer as a tool for data extraction, analysis and reporting.

5.13.5. Technical Guide on IS Audit

The Committee has issued a Technical Guide on IS Audit to provide the framework within which IS Audit has to be performed by ISA Qualified members.

5.13.6. ISA Portal

The Committee has established the ISA Portal at www.isaicai.org to offer details of its PQC on ISA and CPE course on CAAT, provide course information, facility for online registration, filling-up of the online ISA ET form and details of other Committee activities for the benefit of members. The ISA Portal is the primary means of communication with the members pursuing the ISA/ CAAT Courses.

5.13.7. Twin Services of ROSM & OLPT

To provide exposure to the type of questions asked in the examinations for ISA, the Committee has two online facilities – Online Practice Tests (OLPT) to enable candidates to review their understanding/ preparation level and Researched Online Study Materials (ROSM) wherein one page full of details is provided about the question asked, to enable members to have greater clarity of concepts – a unique testing and learning facility.

5.13.8. IT Enabled Services (ITES)

The Committee has identified ITES as a thrust area for training and development of members in this emerging area and efforts are being made to identify and implement programmes in this regard.

5.13.9. E-Learning

The Committee is in the process of implementing suitable e-learning modules to provide basic level of training through CBT/ CAL modules to be followed up with the professional training sessions which would have training and mentoring by practitioners. This is expected to provide on-demand learning facility and also reduce the professional training requirements as a part of the PQC on ISA.

5.13 10. Technical Guide and Training Programmes on Systems Audit of Stock Brokers

The Committee in the process of coming out with a Technical Guide on Systems Audit of Stock Brokers also provide some training programmes for the benefit of members wishing to provide these services.

5.13.11. Proof of Concept Laboratories (POCL)/ Centres of Excellence in Information Technology (CEIT)

The Committee has established a pilot POCL/ CEIT at Chennai to provide practical hands-on training and exposure to members in emerging IT Areas by offering focused training programmes for their development and training in IT Area. The Committee would be implementing POCL's at Mumbai & Delhi as a part of the Mission 2006 programme of the Institute.

5.13.12. IT Conferences/ Seminars/ Practical Workshops

The Committee keeps organizing IT Conferences/ Seminars/ Workshops at major cities from time to time to provide an opportunity to members to benchmark themselves to best practices being followed within the country and abroad. A short-list of scheduled programmes is as follows:

- Practical Workshops at the Proof of Concept Laboratory (POCL)/ Centre of Excellence in IT (CEIT) at Chennai Using CAAT's/ Systems Audit of Banks/ Using MS-Excel as an Audit Tool from time to time.
- Practical Workshops on Systems Audit of Banks at Delhi, Nagpur, & Mumbai. (Oct 15-16, Dec 29-30, 2006)
- Practical Workshop on Using CAAT's through Video Conferencing at 10 centres on Feb 3, 2006.
- IT Conference on "Empowering Chartered Accountants for the Digital Era" at Kolkatta on Sep 9-10, 2006.

5.13.13. ISA Course for ICAI Members in Nepal in association with the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN)

The Committee organized a special ISA batch for the benefit of ICAI members in Nepal in association with the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN).

5.13 14. Study Tour for Members of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka

The Committee organized a special study tour and training programme for members of ICASL for a technology exposure at Chennai POCL/. CIET and field visits to leading technology companies in Banglore.

5.14 Public Relations Activities Undertaken

A proactive strategy was continued to be pursued so as to put forward the Institute's viewpoints, building upon the brand equity of the profession, strength of accounting profession in India and Institute's perspective on contemporary issues as also to address the concerns about the profession as indicated herein: -

- Public Relations Committee continued to provide thrust to the PR activities of the Institute during the year. The Committee has however not been re-constituted in Feb 2006.
- Press interaction including with electronic media, at the Head office, Regional offices and various other cities in the country on the initiatives taken/proposed to be taken, policies and programmes and also for responding to the issues concerning the profession were organised. This included one to one meeting of the President with the leading journalists and TV Channels, on issues which confronted the profession.
- Focused interaction with key journalists, press and electronic media, parliamentarians, Government officials, Regulators explaining the view point and initiatives being taken by the Institute on the issues related to the profession nationally and internationally has been pursued.
- Emphasis on contemporary issues in public debate concerning the profession, in the programmes organised by the Institute, its Regional offices and Branches with a view to develop communication link between the Institute and members for their feedback has been laid.
- Promoting CA Curriculum through structured articles as well as interactive meetings with the press in national as well as regional news papers and TV Channels.
- Providing logistic support to the Committees constituted by the Government of India, under the Ministry of Company Affairs.
- The Committee organized the following five Seminars:
    - National Seminar on Real Estate & Construction Industry on the 21st January, 2006 at Chennai jointly with Committee for Members in Industry.
    - National Seminar on "Professional Enrichment" jointly with the Committee for Members in Industry on November 26, 2005 at Chennai which was inaugurated by Hon'ble Dr. Anbumani Ramadoss, Union Minister of Health & Family Welfare.
    - National CPE Conference on "Professional Excellence" jointly with the Committee for Members in Industry on September 18, 2005 at Chennai which was inaugurated by Hon'ble Mr. K. Rahman Khan, Deputy Chairman, Rajya Sabha.
    - CPE Conference on "Professional Enrichment" jointly with Tirunelveli Branch of SIRC of ICAI on 11th September 2005 at Tirunelveli.
    - Seminar on "Current Issues of Professional Relevance" jointly with the Insurance Committee of the Institute at Chennai on June 25, 2005 which was inaugurated by Hon'ble Shri K. Rehman Khan, Dy. Chairman, Rajya Sabha.
    - Coinciding with the Seminars, the PR Committee also felicitated past Presidents, Central Council Members who have been in profession for more than 50 years or have made it to the top echelons in government, insurance, banking, public sector companies and public life.
- ICAI Patrika has been redesigned and is continued to be published quarterly to inform and disseminate the important developments at the Institute.
- Recommendations have been made on the draft guidelines for setting up ICAI Archive
- The Committee finalized the norms for display of Institute's flag on the tables in the offices of Chartered Accountants.
- Proactive initiative for development of professional opportunities for members, creation of a positive image of the profession, highlighting the career prospects for CA students

as also Services rendered by the Chartered Accountants through Advertisements in leading newspapers and magazines including Khaleej Times of Dubai.

- Strengthening the quality of response to the members and students, in the Institute's offices and through the internet, strengthening the grievance handling mechanism, and communication through the journals and student's newsletter for improving the quality of services given a focused attention.
- Preparing the film on the achievements/ initiatives of the Institute during 2005-06
- Image building of the ICAI both professionally and socially and Creation of general awareness through series of TV Spots is on anvil.
- Brochures on the Profile of the ICAI and on Services rendered by Chartered Accountants will also be brought out shortly.
- The Website of the ICAI given a face-lift and made more informative and user friendly. Video clippings of important events are also being hosted on the website.
- Meetings with Chief Ministers and Finance Ministers of various states.
- Meeting with Secretaries of various Departments of Govt. of India and other State Governments.
- Council Members, as allowed by the Council, have been giving statements to the Press subject to certain conditions.
- Terms of Reference of the PR Committee have been amended so as to include promotion of social causes/image of the profession and the Institute.
- PR Policy of the Institute is being finalized.
- Providing PR support for the programmes organised by the regional councils and the branches.

MEDIA EVENTS

- Programme for Directors (Finance)/ CFOs on 29th July 2006 Mumbai.
- To commemorate the Chartered Accountant's Day, organization of the Conference on "Role of Accountancy Profession in Promoting Economic & Social Development" on 1st July 2006 at New Delhi. Union Minister of Company Affairs Shri Prem Chand Gupta was the Chief Guest at the Conference.
- Organisation of the 56th Annual Function of the ICAI held on February 3, 2006 which was inaugurated by Hon'ble Shri K Rahman Khan, Dy. Chairman, Rajya Sabha.
- Presentation of the 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' for the year 2004-05 at New Delhi on February 2, 2006. Hon'ble Shri Prem Chand Gupta, Union Minister of Company Affairs gave the Awards to the representatives of the organizations declared to be the winners.
- International Conference on 'Role of Accountancy Profession in Anchoring Economic Growth' on 19th-21st January 2006 at Mumbai. Conference was inaugurated by Dr Y.V. Reddy, Governor RBI and Mr. Graham Ward, President, International Federation of Accountants and Sir David Tweedie, Chairman, International Accounting Standards Board were the Guests of Honour at the inaugural session.
- Organized media coverage of the International Conference on ' Accounting Profession: Adding Value to New Horizons of Economic Growth' held on 1-2 September, 2005 at New Delhi, which was inaugurated by His Excellency Dr. A.P.J. Abdul Kalam, Hon'ble President of India.
- ICAI and FICCI joint National Conclave on Corporate Laws, Disclosure Requirements and the Changing Face of Schedule VI on 8th July 2005 at New Delhi. Hon'ble Shri Prem

Chand Gupta, Minister of State for Company Affairs (Independent Charge) was the Chief Guest.

- Celebration of the Chartered Accountants' Day on 1st July 2005 which was inaugurated by Shri H:R. Bhardwaj, Hon'ble Minister of Law & Justice. The function was also graced by Shri K. Rehman Khan, Dy. Chairman, Rajya Sabha, Hon'ble Shri Suresh Prabhu, MP and former Minister of Power and Hon'ble Shri C. Ramachandraiah, Member of Parliament.
- All India CPE Conference on "Current Issues of Professional Relevance" held on 25th June 2005 at Chennai which inaugurated by Hon'ble Shri K. Rahman Khan, Hon'ble Deputy Cnairman, Rajya Sabha.
- Union Ministry of Home Affairs (MHA) and the ICAI organized a joint seminar on Foreign Contribution Regulation Act, 1976 (FCRA) at New Delhi on 24-25th June, 2005 which was inaugurated by Hon'ble Union Home Minister Shri Shivraj Patil and Hon'ble Shri Sri Prakash Jaiswal, Minister of State for Home Affairs was the Guest of Honour at the inaugural session. The valedictory address was delivered by Hon'ble Union Finance Minister Shri P. Chidambaram. Union Home Secretary, Shri V.K. Duggal also addressed the seminar.
- Interactive Workshop on Simplification of Procedural Aspects under the Companies Act 1956 organised by ICAI under the aegis of the Union Ministry of Company Affairs on 16th June 2005 at New Delhi. Hon'ble Shri Prem Chand Gupta, Union Minister of Company Affairs inaugurated the Workshop and the then Secretary, Ministry of Company Affairs Smt. Komal Anand delivered the Valedictory address.
- High-powered Meeting on Strategic Finance and Developmental Considerations for Major Metropolises and Urban Local Bodies on the 2nd June 2005 at New Delhi
- National Seminar on Emerging Professional Opportunities in the WTO Regime on May 14, 2005 at Hyderabad. The programme was inaugurated by Mr. C. Ramachandraiah Member of Parliament and Mr. Konijeti Rosaiah, Minister of Finance, Government of Andhra Pradesh presided over the Seminar.
- Training Programmes on Independent Directors
- Presentation of Model Audit Report for State Level VAT prepared by the ICAI to the, Member Secretary to the Empowered Committee of the State Finance Ministers on May 4, 2005 at New Delhi
- Hon'ble Dr. Asim Kr. Dasgupta, Chairman of the Empowered Committee of State Finance Ministers on VAT dedicated Guidance Note on Accounting for State-level Value Added Tax brought out by ICAI, to the Nation on April 15, 2005.

INTERNATIONAL

- Visit of Mr. Graham Ward, President, International Federation of Accountants (IFAC) and Mr.Ian Ball, Chief Executive IFAC to India during April, 2006.
- Visit of delegation of State Audit Institution (SAI) of Oman led by their Dy. President His Excellency Naseer Al – Rawahy, to ICAI at New Delhi on June 4, 2005 to discuss the role of ICAI in institutionalization of accounting profession in Oman including setting up of its own accounting body. The delegation of SAI of Oman again visited New Delhi in Jan 2006.
- Visit of delegation of Mongolian Institute of Certified Public Accountants to New Delhi in Jan , 2006.
- The Institute hosted the Coordination Committee Meeting and Conference of International Innovations Network (IIN) at New Delhi on January 22-24, 2006.

- Mr Sunil Goyal, Past President of the Institute elected President of the South Asian Federation of Accountants (SAFA) for the year 2006
- On the occasion of the 20th SAARC Charter Day, the Institute organised a debate on 'Right to Information – Necessary for Accountability'.
- Mr. Kamlesh S Vikamsey, President ICAI elected as the Deputy President of the Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)
- President of the Institute, Mr. Kamlesh S Vikamsey has been appointed to the Board of the International Federation of Accountants (IFAC).
- Mr. R.K. Kasliwal was nominated by the Council as Member on the Advisory Panel of IASB's Extractive Activities Project Team.

Meeting of the Developing Nations Permanent Task Force of IFAC held in Oct 2005 at Kolkata and coinciding with this the International Conference on 'Values & Perspectives of the Accounting Profession in the Developing Nations' was organised at Kolkata on Oct 17, 2005.

5.15 Trade Laws and WTO

The Committee had been established with the mission to establish and assure the expertise and authority of the Institute of Chartered Accountants of India in all matters concerning Laws of Trade including Trade in Goods and Services in particular, and the implementation of international trade regimes including the WTO regime in general, both nationally and internationally and to create and expand a base of expertise in these matters among the membership of the Institute through such ways and means as are considered to be most effective so as to fulfill national stated and unstated aspirations, concerns, and needs in all these regards.

Moving ahead with its mission during the period under report, the Committee continued to strive for capacity building of members in the rapidly changing world trade scenario in order to technically equip the members of the Institute to face the challenges and derive advantages to broaden the scope of their expertise in the new world trading regime and to contribute towards the economic development of India.

Post Qualification Course in International Trade Laws and World Trade Organisation

- After the successful launch of the Post Qualification Course in International Trade Laws & WTO (ITL & WTO) in November 2004, over 200 Members have been registered in the Course from across the country.

- Three batches of the 30 days Personal Contact Programme (PCP) for the Post Qualification Course in ITL & WTO were successfully conducted during the period at New Delhi, Mumbai, Chennai, Hyderabad, Kolkata, and Kanpur. Eminent faculty consisting of senior Government officials in different Ministries, such as Ministry of Commerce, Ministry of Finance, Ministry of Textiles, Ministry of Agriculture, Ministry of Environment & Forests, Competition Commission of India, Export Inspection Council of India, Copyright Board, faculty from noted law firms, JNU, Delhi University, IIFT, people from trade and industry, professionals and other research based organizations in the field of WTO gave presentations and delivered lectures during the PCP.

- The Committee recommended to realign the syllabus and course structure of the Post Qualification Course in International Trade Laws and WTO with a view to give a focused outlook to the overall structure of the Course.

- Interactions were held in different cities with the members registered in the Post Qualification Course in International Trade Laws and WTO with regard to various aspects of the Course and interactive meeting through Teleconferencing with the members registered in the Post Qualification Course in International Trade Laws and WTO was also organized to discuss issues on Competition Laws and Policies. Members in New Delhi, Mumbai, Chennai and Kanpur had joined in the teleconferencing.

The WTO Pathfinder – A Technical Update on WTO Matters

During the period under Report, three issues of the 'The WTO Pathfinder– A Technical Update on WTO Matters' were brought out one each in April 2005, August 2005 and December 2005. The publication being an awakening campaign material carried useful technical updates on WTO for the benefit of members and other stakeholders. Some of the important topics dealt with in these issues are as follows: -

- Hong Kong Ministerial Conference – A Report
- India's Revised Offer on Services to the WTO
- Trade Policy Review: An Overview of the Mechanism & the Recent Review(s)
- Frequently Asked Questions: TRIPS and Health
- NAMA Negotiations – A Simple Guide
- Current Negotiations under GATS
- Moving Ahead : From Process to Product Patent Regime
- Competition Law and Policy – An Understanding
- China's WTO Compliance
- General Agreement on Trade in Services: Basic Elements
- WTO News

Seminars / Conferences / Awareness Programmes/ Study Tours

During the period under Report, the Committee on Trade Laws & WTO organised the following programs:-

- A Seminar on Foreign Trade Policy was organized on 29th April, 2006 at Hotel Le Royal Meridien, Mumbai, hosted by the WIRC of ICAI. The Seminar was inaugurated by Hon'ble CA. Suresh P. Prabhu, Member of Parliament. The Seminar was well attended by the Members. On the occasion, the Committee had also brought out a Background Material for the Seminar. Eminent faculty in the field of foreign trade had addressed the Seminar during the technical sessions on 'Highlights of Foreign Trade Policy', 'Key Note Address on Annual Supplement 2006 to Foreign Trade Policy with specific reference to Customs Procedures', 'Export Promotion Schemes and SEZs' and 'Export of Services – An Acknowledged Opportunity'. The Seminar was addressed by eminent personalities from various Government, print media, banking sector, industry etc.

- A Seminar on 'Knowledge Process Outsourcing – Opportunities for Chartered Accountants' was organized on 26th May, 2006 at Bangalore hosted by Bangalore Branch of SIRC of ICAI. The Seminar was very well attended by the membership in view of its contemporary theme. On the occasion, the Committee had also brought out a Background Material for the Seminar.

- A Seminar on WTO – Emerging Opportunities was organized on 24 August, 2006 at New Delhi. The Seminar dwelt upon issues of **Anti-Dumping – Effects and Analysis**; Anti-Dumping Duties - Major Issues and Emerging Scenario for Developing Nations -

Remedial Measures; Anti-Dumping Investigations - Procedural aspects, Imposition and Maintenance of Antidumping measures; Practice in Anti Dumping – Opportunities & Challenges for Chartered Accountants; **Subsidies & Countervailing and Safeguard Measures;** Subsidy & Countervailing Duty – An understanding of meaning, forms & effects; Safeguard Measures : Concept and Related Issues; Opportunities & Challenges for Chartered Accountants : Subsidies & Countervailing and Safeguard Measures; **Special Economic Zones (SEZs) – A New Catalyst for Economic Growth;** Operational Issues arising out of SEZ Act & Rules; **Knowledge Process Outsourcing – Emerging Opportunities;** Setting up a New BPO/KPO – Challenges for Chartered Accountants; Global Outsourcing Opportunities for CA's. Eminent faculty in the respective fields had addressed the participants at the Seminar. The Seminar was very well attended by the members. On the occasion, the Committee had also brought out a Background Material for the Seminar.

A Study Tour to Europe was organized consisting of 12 participants during July 17 – 25, 2006 for first hand interaction with the multi-lateral and other agencies. The Study Tour had interactions with World Intellectual Property Organization, Geneva, World Trade Organisation, Geneva, Permanent Mission of India for WTO at Geneva, Permanent Mission of Mexico to WTO at Geneva, UNCTAD, Geneva, European Commission, Brussels, Indian Mission to European Union, Brussels, and LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, LLP Law firm in Brussels. A joint interaction was held at Amsterdam with Royal NIVRA, Netherlands, Chamber of Commerce, Amsterdam, Economic Development Department, Amsterdam, Foreign Investment Office, Ministry of Economic Affairs, Netherlands and the Members in various Accounting firms in Netherlands. The Study Tour also had the privilege of visiting the International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam. In London, the Study Tour had discussions with Indian Members in London, Practice Assurance Wing of ICAEW, officials of Accounting firms in London and London Stock Exchange and interaction with Law firms in London, Lloyds, London, Department of UK Trade and Investment, London and High Commission of India, London.

Research Activities

- With the basic objective of providing guidance to the Chartered Accountants in practice and in service and others concerned to have an insight in various fields and on issues of relevance to International Trade Laws and WTO, the Committee has undertaken research activities in the following fields and intends to bring out focused research publications:-

  - Study on Anti-dumping, Anti-Subsidies and Safeguard Measures.
  - Study on Foreign Trade Policy (2004-09).
  - Study on Intellectual Property Rights.
  - Study on International Commercial Arbitration.
  - Study on Competition Law & Policy
  - Publication on Destination India
  - Publication Special Economic Zones
  - Study on Knowledge Process Outsourcing

- The Committee on Trade Laws and WTO has also undertaken country specific research studies for the following countries. The basic objective of these research studies is to

provide guidance to the Chartered Accountants and others concerned on the trade laws/rules applicable in major trading partners for (a) setting-up businesses in such countries; and (b) operating as professional accountants in such countries:

Australia	Japan	South Africa
Bahrain	Korea, Republic of	Sweden
Brazil	Kuwait	Switzerland
Canada	Mauritius	Thailand
China, Peoples Republic of	Oman	Turkey
Hong Kong	Russia	United Kingdom
Indonesia	Saudi Arabia	United Arab Emirates
Ireland	Singapore	United States of America
Israel		

Representations to Various Authorities

- The Committee had pioneered in making Institute's recommendations for the Annual Supplement 2006 to the Foreign Trade Policy to Hon'ble Shri Kamal Nath, Union Minister of Commerce & Industry primarily with a view to boost export of services trade.
- During the period under Report, the Committee had also made representations before Export Promotion Councils, SEZs and other Government bodies in the field of International Trade Laws and WTO exploring professional opportunities for Members.

Knowledge Sharing

The Knowledge sharing page developed by the Committee and displayed at the website of the Institute continued to provide useful and relevant information on the basic understanding of WTO. The page intends to keep the members abreast of latest development in the ever-changing global trading environment.

Assessment of Initial Offers under GATS

The Committee has been making an assessment of the Initial and Revised Offers under current GATS negotiations, in so far as sector specific/horizontal limitations have been inscribed, by various WTO Member Countries in the areas of services which a Chartered Accountant can render such as accounting, auditing, book keeping, taxation, computer related services to include the software, data processing and data base services, management consultancy, legal and financial services for bringing out a Research Study to suggest possible strategies for deriving comparative advantages there from.

5.16 Committee on Insurance and Pension.

- Restriction on validity of the Eligibility Certificate has been removed keeping in view the hardship faced by the DIRM candidates. Now the Eligibility Certificates issued (and to be issued) to DIRM candidates will have unlimited validity with no revalidation requirements.

- The Committee released a book on "**Pension Plans**" covering the salient features and developments in the area of pension funds in the country. The Book was released by Mr.D.Swarup, Chairman, PFRDA.

- Publication on "**A Study on Insurance Survey and Loss Assessment**" has been released by Hon'ble Shri K. Rahman Khan, Deputy Chairman, Rajya Sabha. This

publication deals with Insurance Surveyor and Loss Assessor in depth and the regulations attached to it.

The Committee is consistently making efforts and taking up appropriate measures to publise the DIRM course amongst the members of the Institute. As a result, the number of registrations have reached upto 2860 till June 30, 2006. The region-wise break-up is as under:

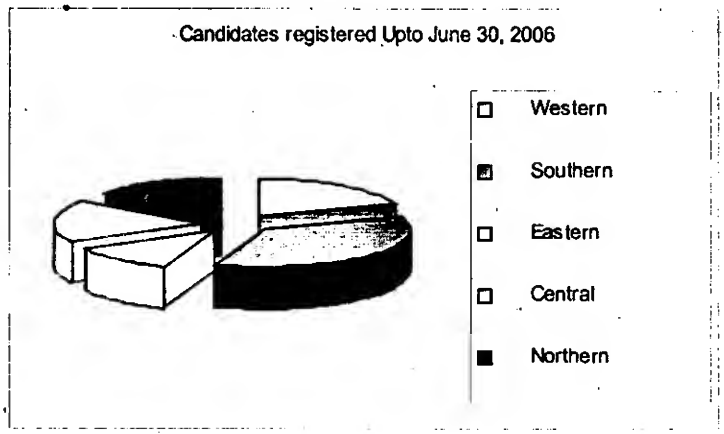

Region	Western	Southern	Eastern	Central	Northern
Candidates registered upto June 30, 2006	548	1037	327	534	414

- Orientation Course has been successfully held at four Centres (New Delhi, Kolkata, Chennai and Noida) between December 12 - 31, 2005 and March 20 – 25, 2006 for the candidates who passed the IRM Technical Examination.

Initiatives

- For the purpose of developing professional opportunities in the insurance and pension sectors for the members, both in practice and in service the Committee is pursuing various Insurance Companies for exploring the possibility of utilising services of Chartered Accountants and also maintaining full fledged interaction with Insurance and Pension Regulatory Authorities.

- Representation has been sent to all General Insurance Companies to revise the Audit Fees.

- To explore more professional opportunities, representation has been sent to HR, Directors and Director (Finance) of various Insurance Companies for utilising the services of the members who have completed the DIRM course.

- The Committee is developing a separate web portal for the better administration of DIRM course including online Eligibility Tests, dissemination of knowledge and single window clearance for the stakeholders to identify the members who wish to develop specialization in insurance and pension sectors.

- Revision of the existing IRM course in-line with the latest augmentations, to develop and maintain the core competencies of our members in the areas of insurance & pension. The overall objective of revising the existing IRM course is to increase the depth and width of the curriculum with a view to develop appreciable level of core competencies amongst the participating members of the ICAI

(both in practice and in industry) in the area of insurance and pension to enable them to get opportunities throughout the world.

- A new pattern of the question papers has been introduced containing objective type of questions as well as questions requiring short answers or short notes as answers.
- Supplementary Study Materials containing objective type questions, short answer questions, case studies have been released for the guidance of DIRM candidates.
- Topics on insurance and pensions have been arranged for incorporation in the CPE Calendar 2006-07.

Conference/Seminars Organised

- National Seminar on Insurance was held successfully on 16th October, 2005 at Nagpur. It was attended by 125 participants.
- National Seminar on Insurance on "Improving Effectiveness of Audit Committee in Insurance Companies" was held successfully on 23rd December 2005 at Mumbai. It was attended by 110 participants.
- The Committee has conducted a half-day seminar on Insurance at Bhubneshwar on 31st January 2006. The topics related to Insurance Surveys & Broking and Professional Opportunities for Chartered Accountants in Insurance Sector were discussed.
- Extended assistance for conducting CPE teleconferencing on "Opportunities for Chartered Accountants in Insurance & Pension Sector" that was conducted on 20th April 2006.
- The Committee conducted a Residential Modular Training Programme on Pension Funds – Issues and Investment Strategies from 26th – 29th June, 2006 at Mussorrie.

Number of Successful Candidates in Technical Examination

S.No.	Month & Year	No. of Passed Candidates
1.	May, 2005	54
2.	November, 2005	77

5.17 Committee on Corporate Governance:

The Committee on Corporate Governance (CCG) was formed in September, 2005. As per its Terms of Reference, the Committee is to interact with the Ministry of Company Affairs and other government departments on various issues relating to Corporate Governance, promote Corporate Governance in enterprises including PSUs, conduct training programmes and/or organize seminars, conferences on its own or jointly with the Ministries/Government Departments etc., consider various issues relating to Corporate Governance issued by the Ministry of Company Affairs from time to time. The Committee has conducted several training programmes on Independent Directors at places like Kolkata, Chennai, Ghaziabad, Delhi, Hyderabad, Dhanbad and Amritsar. More such programmes on Independent Directors are scheduled to be held during the current council year, i.e., 2006-07. A large number of members of the ICAI have participated in such programmes. The Committee is planning to hold two national level conferences on Corporate Governance during the year with special emphasis on the appropriate provisions of the Sarbanes Oxley Act, 2002. The Committee is in the process of brining out new publications namely, Code on Corporate Governance for Insurance Companies, Code of Corporate Governance for family

owned group of enterprises and role and responsibilities of Independent Directors and Audit Committee etc.

6. International Affairs Committee

A. Recognition of Indian Qualification by other Accounting Bodies:-

During the year, the Committee carried on the process of dialogue for evaluation of the Institute's qualification by select overseas accounting bodies for allowance of exemptions to the ICAI members from examination and training forming part of the overseas bodies' qualification. Being a long drawn process involving the evaluation of qualification, training, continuing professional education and disciplinary requirements as also having regard to the current state of negotiations under GATS and involving domestic sensitivities; the results of the process are slow; yet at the same time the Institute is continuing its efforts for early culmination of the process. The Process of qualification recognition is at various stages of discussion with accounting bodies in the USA, Canada, Australia, UK, Singapore etc.

An MOU with Centre for Education Research & Training of UAE has been executed by the Institute in August, 2006 which inter alia deals with the development of framework of Institutional infrastructure in UAE. Similarly a MOU with State Audit Institution of Oman is under consideration of State Audit Institution and it also deals with institutionalization of accounting profession in Oman including setting up of its own accounting body with the help of the Institute and setting up of a branch office of the Institute at Muscat, Oman. The matter is in advance stage.

Under the aegis of Comprehensive Economic Cooperation Agreement between Government of India and Singapore; the Institute is in dialogue with CPA Singapore for assessment of Qualifications leading to MRA. Both the Institutes have initiated the process of comparative evaluation of each other's qualification and other requirements. The exercise is at advanced stage.

The members of ICAI holding certificate of practice can acquire the membership of the ICA of Nepal upon passing their examination in (i) Commercial Laws; (ii) Direct Tax; and (iii) Indirect Tax. As per examination rules of ICAN, the above three papers are treated as a distinct group in case of ICAI members holding certificate of practice. The regulations governing membership of ICAN allow foreign citizens to practice in Nepal in form of firms only, in which the share of the foreign citizen(s) shall not exceed 51 percent.

B. INSTITUTE'S Representation at International Forums

The prominent role played by the Institute is evidenced in form of nomination it enjoys in the governing boards of international accounting bodies namely the International Federation of Accountants (IFAC), Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) and South Asian Federation of Accountants (SAFA) in addition to their various functional committees. The ICAI's representative currently holds the office of President of SAFA. Its nominees represent on the following:

Committees of IFAC

- International Accounting Education Standards Board,
- Small and Medium Practitioners Committee,
- Developing Nations Committee
- International Public Sector Accounting Standards Board
- Professional Accountants in Business Committee

CAPA: as Dy. President of the Confederation

SAFA:

- Centre of Excellence on Education, Training & CPD
- Centre of Excellence on Standards and Quality Control
- Centre of Excellence on Ethics and Independence of Auditors
- Centre of Excellence on Best Presented Accounts Award & Best Corporate Governance Award
- Working Group for Restructuring of SAFA
- Working Group on Accrual Accounting in South Asian Region
- Working Group on Best Corporate Governance Practices in South Asian Region
- Working Group on Networking of Firms
- Working Group on Regulation of Accountancy Profession in SAFA Member bodies,
- Task Force on Study of Cost Indices of major Products in SAARC Countries
- Task Force on Mutual Recognition Agreement
- President
- as Permanent Secretary

IASB : Working Group on Accounting Standards for SMEs

C. International Initiative by the Committee

Mr Graham Ward, President of the International Federation of Accountants (IFAC) and Mr Ian Ball, Chief Executive IFAC visited India during 16th to 18th February 2005 at the invitation of the Institute wherein they held meetings with Shri Kamal Nath, Hon'ble Minister of Commerce and Industry, Shri Prem Chand Gupta, Hon'ble Minister of State for Company Affairs (Independent Charge) and Shri V.N. Kaul, Comptroller and Auditor General of India. They also visited facilities of WIPRO Limited, Infosys Technologies Limited and BIOCON Limited at Bangalore, where the meetings were held with the key officials of these corporates. They also met Dr Y.V. Reddy, Governor, Reserve Bank of India and Shri G. Anantharaman, Member, Securities and Exchange Board of India. A Conference 'Changing Paradigm in Accounting Profession' was organised at Mumbai, which was attended by about 300 delegates, was also addressed by them.

A Conference on the Role of the Profession in Developing Economies was held on January 9-10, 2005 at Abu Dhabi, UAE.

A Joint Conference with the Institute of Chartered Accountants of Pakistan on the theme **Accounting Profession: New Horizons** was held on January 14-15, 2005 at Lahore Pakistan.

A Joint Conference with the Institute of Chartered Accountants of Nepal on the theme **Professional Accountants: Looking Beyond Frontier** was held on January 30-31, 2005 at Kathmandu, Nepal.

An interaction with the Asia/Pacific Group (APG) on Money Laundering was held on March 21, 2005 at New Delhi.

A delegation of officials from the State Audit Institution, Oman (SAI) led by H. E. Mr. Nasser H. Al-Rawahy, Deputy President, SAI visited the Institute on June 4, 2005 to discuss the proposed Memorandum of Understanding (MoU) between SAI and the Institute and take the dialogue forward towards successful conclusion of the MoU.

An awareness programme on Peer Review system and Information System Audit were organised on June 17-18, 2005 at Kathmandu. The Institute has committed its support to

ICA Nepal *inter alia* in the introduction of Peer Review framework and Post Qualification Course in Information System Audit for the ICA Nepal membership.

A delegation of officials from the Shanghai National Accounting Institute, (SNAI) visited the Institute on July 21, 2005. The delegation comprised of Vice President, Shanghai National Accounting Institute and Director, Personnel and Education Department, Ministry of Finance of People's Republic of China in addition to representatives from Beijing and Xiamen National Accounting Institutes. The discussion focused on mutual areas of cooperation sharing of experience and expertise in providing advisory services to government/ state-owned companies and non-governmental organizations.

The Institute organized an International Conference on September 1-2, 2005 at New Delhi on the theme "Accounting Profession: Adding Value to New Horizons of Economic Growth". The Conference was inaugurated by Dr. Abdul Kalam, Hon'ble President of India who in his address served Chartered Accountants as Partners in National Development. Hon'ble Shri Prem Chand Gupta, Minister of State for Company Affairs (Independent Charge) and Hon'ble Shri K. Rahman Khan, Dy. Chairman, Rajya Sabha were Guests of Honour. The Conference was also addressed by renowned international personalities in the area of accounting and auditing like His Excellency Nasser Al- Rawahy, Deputy President of State Audit Institution of Oman, Mr. John Kellas, Chairman International Auditing & Assurance Standards Board of International Federation of Accountants, Ms. Tatiana Krylova, Chief-Investment & Enterprise Competitiveness Branch of UNCTAD, Mr. Anthony Hegarty of World Bank, Dr. Ernest Kan, Vice-President of The Institute of Certified Public Accountants of Singapore, Mr. Geoff Brayshaw, Past President of the Institute of Chartered Accountants of Australia and doyens of Indian trade and industry and regulators.

The meetings of 58th SAFA Assembly and Centre(s) of Excellence and Working Group(s) of SAFA were held in September 1-3, 2005 at New Delhi.

The Institute hosted the meeting of IFAC's Developing Nations Permanent Task Force in Kolkata on October 17-19, 2005 and a conference on the theme "Perspective of Accounting Profession in Developing Nations" coinciding with the meeting of the Task Force was also held.

The Committee organised an International Conference on the theme **'Role of Accountancy Profession in Anchoring Economic Growth'** from January 19-21, 2006 at Mumbai, New Delhi which was inaugurated by Dr. Y. V. Reddy, Governor, Reserve Bank of India. The Conference was intended to appraise the participants including all stakeholders of the contribution of the profession of accountancy towards attainment of economic growth objectives. Sir David Tweedie, Chairman, IASB rendered a Special Address at the Conference. The Conference was also addressed by renowned international personalities namely Mr. Graham Ward, President and Mr. Ian Ball, Chief Executive, IFAC, Mr. Kurt P. Ramin, Chairman, XBRL International, Mr. Kanwal Nath, Chairperson, GASAB.

On the sidelines of the International Conference and the International Innovations Network at Delhi, meetings with delegations from AICPA, ICAEW, CNDC – the Accounting Institute of Italy, Mauritius and Mongolia were also held.

The Committee hosted IIN events in New Delhi from 23-25 January, 2006.

The Institute jointly organized a half -day seminar with the Institute of Certified Public Accountants of Singapore (ICPAS) on the theme "Business Opportunities in India & Singapore" on Monday, 26 September 2005. The seminar was organised in the light of the Singapore - India Comprehensive Economic Co-Operation Agreement (CECA).

The Institute bid to host World Congress of Accountants in 2010 was well received and resulted in the shortlisting of India as a possible venue amongst six other countries. The IFAC delegation consisting of Mr. Graham War, President, IFAC and Mr. Ian Ball, Chief Executive had detailed interactions with Lieutenant Governor of Delhi, Chief Minister of Delhi, Principal Secretary – Finance, Government of Delhi, Principle Secretary – Tourism , Secretary – Ministry of Company Affairs and Hon'ble Shri K. Rahman Khan, Dy. Chairman-Rajya Sabha in connection with the ICAI bid. They also visited the India Trade Promotion Organisation (ITPO) and had discussion with their Chairman and Managing Director. Owing to infrastructural limitations of the conference venue, the Institute lost the bid by narrow margin.

The Kuwait Chapter of the Institute was inaugurated on 19th April, 2006.

A Chapter of the Institute in Canada is also on the anvil.

The Institute's representatives participated in the IFAC's SMP Forum, SMP Practitioners Seminar and SMP Committee meeting held on 3-6 July, 2006 at HongKong.

A 12 member official delegation headed by Mr. Yao Guanghai, Dy. Secretary General, State Office of Rectification and Standardisation of Market Economic Order, Ministry of Commerce, China visited the Institute on 7th August 2006.

The ICAI would be supporting a resource centre namely IFAC Knowledge Net which is intended to provide an internet search engine on the ICAI's website whereby it facilitates searches within ICAI website and IFAC Knowledge Net which will be linked to websites of other IFAC member bodies. The resource provides flexibility in terms of areas / information to which access with or without payment is to be provided.

The ICAI has been increasingly playing a proactive role in positioning the Indian accounting profession on all the international accounting forums, and building up brand image internationally. This has helped ICAI play an important role in the process of setting international standards on accounting and auditing and more importantly, in creating a niche for Indian accountants in the global market for accountants and accounting services.

Considering the needs of Institute's members overseas; the Committee is actively associated with the activities of ICAI Chapters overseas. The Committee has compiled a set of Frequently Asked Questions from the perspective of the Institute's members based in foreign countries. The same have been hosted on the Institute's web-site.

D. Initiatives w.r.t. WTO Regime

A Working Group has been constituted by the Ministry of Company Affairs, Government of India under the convenorship of President, ICAI with ICWAI and ICSI as its members) for matters related to trade in accounting, book-keeping and auditing services in the matter of making Plurilateral Requests under accounting, book-keeping and auditing services. The said group has been rendering its advise to Government on the issues so referred.

An Indo UK Accountancy Task Force has been constituted by Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India which consist of 7 members from UK side and 6 Members from Indian side respectively. The Group will work upon way forward with regard to promoting bilateral cooperation between the UK and Indian accounting sector and discussed on a probable work schedule for fostering Bilateral Cooperation.

The Committee continued to take up the matter(s) arising out of ongoing negotiations under GATS for Accounting, Auditing and Bookkeeping Services with Ministry of Commerce and Industry & Ministry of Company Affairs wherein Institute has continued to promote members interest taking into account the concerns of the profession by no first seeking effective commitments/offers from other countries and removal of professional and non

professional barriers from the major trading partners so that the Indian accounting professionals get an effective access to these countries.

The Institute continued to render/ provide inputs to Government on various issues relating to ongoing negotiations under GATS.

7. OTHER ACTIVITIES

7.1 Human Resource Development

7.1.1 HRD Training Programme

The ICAI, as a part of its ongoing endeavours, organised, during the period under Report, training programmes on following areas/subjects to sharpen knowledge & skill and to bring attitudinal changes for providing enhanced and better services to its members & students and also to all concerned:

- Regular Training Programmes/Workshops for Officers and staff of the Institute covering areas like Human Energy Management, Business & Professional Get Up, New Approach to Improve Overall Efficiency & Morals, Team Building Exercise, Attitude & Executive Effectiveness, Total Quality Personality and Motivation.
- Regular hands on training in Computers.
- Specially designed series of Managerial Effectiveness/Executive Development Programmes for middle, senior and top level Executives
- Periodic/continued sessions on sharing of knowledge, experience and identification of areas of concern/priority aiming Secretaries to Non-Standing Committees
- Awareness and Interactive Sessions for New Entrants
- Weekly Workshop Accounting Standards and allied topics
- Periodic Interactive Orientation Courses for Officers
- Periodic Interactive Sessions for Staff at various levels
- Residential Training Programme on Self-Empowerment & Sustaining Team Spirit.
- Series of Computer Training
- Workshop on VAT
- Organisation of tasks specific workshops on subjects like Accounting Standards, Auditing and Assurance Standards, Insurance, etc., besides programmes on general subjects/topics of relevance.
- Deputation of employees associated with Central and Regional Libraries to IIT Library at Chennai, which is considered as a state of the art Library in the country, for an "On-sight Library Training".
- Regular interaction with Regional Offices through audio conferencing, video conferencing and web conferencing.

Besides normal and regular HRD programmes, the Regional Offices at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi have also organised specific programmes on 'Dare to Dream', 'Positive Attitude – A Pre-requisite to Success', 'Service with a Smile', 'Team Building Exercise', 'Team Work', 'Attitude & Executive Effectiveness', etc.

The regular HRD programmes organised during the period of Report have already crossed the mark of 7500 man hours'

Further HR Initiatives aiming at grievance redressal, timely counselling, enhanced facility management, etc. are as follows:

- Open the month with the grievance seeking and initiation of hardship mitigating process/steps
- Meet the Secretary for grievance addressal any time
- Periodic meetings between Officers and staff with Director (HRD).
- Encouraging employees to offer suggestion(s) through the Suggestion Box maintained.
- Departmental Monday Meetings
- Periodic employee counselling on areas requiring additional/focussed employee attention
- Continued support to lower rung of employees to bring them to mainstream by upgrading performance and delivery levels to the required benchmark

7.1.2 Human Resources - Welfare Measures

The ICAI has always recognised that its Human Resources are the most important asset for all its success in past and also strongly believe that this asset may overcome all hurdles for all times to come and place the ICAI as a Guiding Star. It continued to provide enhanced Welfare measures for its employees, during the year as well.

7.2 Use of Information Technology in Member's and Student's Services

The new millennium is upon us and the changes sweeping across the globe are dramatic indeed. ICAI has progressed steadily and surely into the new millennium. The implementation of Virtual Institute has prepared the Institute to face the challenges posed by the technological revolution.

THE INTERNET CHALLENGE

The single biggest challenge facing every organisation across countries is that of the Internet. As the Internet becomes a way of life and opens up vistas of enormous growth, more and more organisations recognize the need to reconfigure and adapt their service modes to the new technology. The ICAI, see the Internet Revolution as a long-term paradigm shift and are committed to it to enhance our service levels and quality delivery.

Flexibility and agility are the buzzwords as organisational structures are remodeled to adapt to new technological breakthroughs. 'Educational Institutions and Regulatory Bodies' increasingly recognize the need to respond expeditiously to this changing environment.

TOWARDS TOMORROW

The paramount objective of various IT initiatives would be to attain global standards of competitive advantage. The Internet has given a new vibrancy to everyone world over. It is challenging and exciting to be living through a real revolution. Focussed efforts are directed towards transforming ICAI into an effective e-service organisation in the coming years.

E-PAYMENTS

Membership fee collections are tied up with the payment gateway facilitating online payments. Members are encouraged to use credit cards to pay your membership fees online.

In addition to the above, ICAI has introduced ECS facility thro Bill Junction Payments to facilitate members by way of a mandate for debiting their bank accounts for collection membership fees. The mandate form is sent to the members along with the fee circular where the members have a facility to provide mandate for debiting their Bank Account till they desire to revoke the payment thro ECS channel by informing the concerned regional offices. During the year more than 500 members have used the ECS facility for payment of their membership fees.

ICAI encourages members to make use of the online payment facilities and take steps to make sure their transactions are secure and their personal information is protected. Although you can't control fraud or deception on the Internet, you can take action to recognize it, avoid it and report it.

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ICAI PORTAL

Various initiatives are launched for efficient Knowledge Management that will tap the vast reserves of experience, learning and knowledge that exist within the Institute. ICAI Portal is effectively used to make a repository of information and knowledge accessible to the members, students and employees at the click of a button.

The portal brings dynamic features to the content. It functions as a Global Gateway to ICAI. The portal' provides a single interface to users for accessing Institute's services taking into consideration security requirements.

Using Single Sign-on feature, users have the facility to access information from Internet/ Intranet database applications. The portal helps the Institute in disseminating information in an organised manner.

The portal acts as a single point of access to news and information, back office applications, knowledge and information assets based on user's roles.

So far more than 20000 members and students have used the single sign on facility on ICAI portal and created their User Ids on the site.

Important URLs of the Institute's websites?

http://www.icai.org:	ICAI Portal
http://www.icaiarf.org:	Website of ICAI Accounting Research Foundation
http://220.225.137.148/ICAI:	Portal for Online Services under Virtual Institute
http://www.meficai.org:	Portal for Online Multipurpose Empanelment
http://www.pdicai.org:	Portal of the Professional Development Committee
http://www.cpeicai.org:	CPE portal for online CPE hours
http://www.placements-icai.org:	Placement Portal

Virtual Institute Project:

Unified centralized system under Virtual Institute Project (VIP) was productionised after legacy data migration & testing in all regional offices from April 1, 2005. The centralized system provides instantaneous consolidation of members & students records.

Further Internet Modules were made operational in August 2005 facilitating members and students to submit regulatory forms online, view their profiles and pay fees online.

Benefits of VIP:

'Virtual Institute' project brought a paradigm shift in the functioning of the Institute taking the Institute to a qualitatively new way of working. The project creates a single integrated system for catering to the entire community of chartered accountants, irrespective of their geographical locations, through the virtual medium of Internet. Listed below are some direct and indirect benefits derived from the implementation of the project:

Direct Benefits:

- All India database of members and students
- Instantaneous consolidation of members & students records
- Dynamic MIS
  - Members counts
    - ✓ Segragated into Associates, Fellows and Region wise
    - ✓ Women members data decade segragated into Associates, Fellows and Region wise
    - ✓ Statistics based on qualifications of members
    - ✓ CoP, Fellowship related statistics

    Student Counts
    - ✓ segreagted into PE-I, PE-II and Final students
    - ✓ segreagted into male, female
      - Online multipurpose empaneiment
      - Instantaneous generation of List of Members, List of Firms & List of Voters
      - Online member & student services
      - Online fee payment of fees for members & students
      - Preparation of panels for professional development committee
      - Inter regional transfers of members and students is online and instantaneous
      - Efficient and timely delivery:
    - ✓ Centralised Journal mailing labels increasing efficiency of Journal delivery
    - ✓ Centralised Firm Name Approval
    - ✓ Centralised script certificates
    - ✓ Mass e-mailing

Indirect Benefits:

- In-house Primary delivery centre with disaster recovery site facilitating 24 X 7 operations of the Institute
- Broadband Internet Access to every official of the Institute
- Corporate e-mail account to every official of the Institute, Council Members, Regional Council Members, Branches and partnership firms
- Server farms hosting the Institute website and mail server – huge saving on server hosting
- Corporate network facilitating inter office connectivity

- Free inter office voice calls using VoIP on the corporate network
- The IT infrastructure created under Virtual Institute is a step towards e-Learning implementation

The Primary Delivery Centre (PDC) is a high-end establishment with Oracle 9i database server with Real Application Cluster (RAC) running under Sun Cluster, Citrix application server farm and a web server farm. The Disaster Recovery (DR) site hosts a scaled down setup. In the event of a disaster at the PDC, the data is secured and critical operations can be resuscitated by connecting to the DR site.

Virtual Institute & e-Initiatives

Members & Students can avail online services of the Institute by visiting ICAI e-Seva link on the Institute website www.icai.org

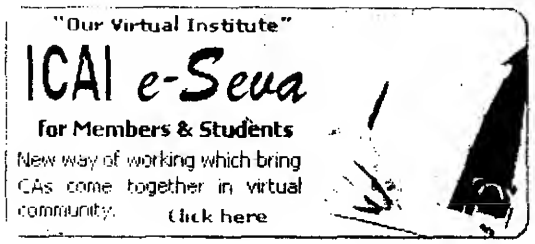

The fee collections are tied up with the payment gateway facilitating online payments.

Students:

Students can now avail PE1/ PE2/ CCT registrations, Articles Registration/ Re-Registration, Deed of Articles, Final Registration, Articles Vacancy Availability online in addition to viewing their profile, test results and exam results.

Members:

Members earlier had to take time out from their busy schedule to come to the Institute for simple issues such as payment of fees, firm name approval. These details are now available to them at the click of a button. Members are able to make request for CoP registration, Fellowship registration online. They can now download their profile online.

7.3 Audit Committee

With a view to provide an oversight into the effectiveness of the Institute's internal control systems and financial reporting processes, the Council of the ICAI constituted the Audit Committee.

The Terms of Reference of Audit Committee are very wide. Besides having access to all the required information from within the Institute, the Committee can obtain external professional advice whenever required. The Committee acts as a link between the Statutory and the Internal Auditors and the Institute. It is authorised to select and establish accounting policies, review reports of the Statutory and the Internal Auditors and meet with them to discuss their findings, suggestions and other related matters. Among others, it oversees the financial reporting process and the disclosure of the financial information of the Institute to ensure that the financial statements are true and fair. It focuses primarily on:

- Any changes in accounting policies and practices.
- Major accounting entries based on exercise of judgment by management.

- Qualifications in draft audit report.
- Significant adjustments arising out of audit.
- Compliance with Accounting Standards.

It reviews periodically the adequacy of internal control systems with the auditors and management as well as policies relating to data security integrity etc.

An integral part of functioning of the Committee included holding meetings across the year; considering and reviewing the internal and external audit work plans; evaluation of financial policies and review of internal audit reports.

During the year the Committee also gave its recommendations regarding the following matters:

- Preparation of quarterly accounts of the Institute including Regional Councils and branches, so that the half yearly accounts and thereafter, the annual accounts of the year 2005-06 could be conveniently prepared and timely presented to the council.
- Monitored and reviewed the annual accounts' objectivity and effectiveness and approved the same with a few suggestions;
- Reviewed the scope of work of internal auditors with a view to strengthening the control mechanism.
- Reviewed the structure and reporting lines of internal audit.
- Initiated a move towards complete reconciliation of publications, title wise, of the Institute, it's branches, Regional Councils and Noida stores.
- The Committee also directed the office for complete reconciliation of inter-unit balances periodically and verification of assets at regular intervals as well as, framing of an appropriate expenditure control mechanism.
- The Committee also decided that all the committees be requested to give budgeted variance statement showing the variance in actual expenses incurred as compared to the budgeted amount.
- The Committee emphasised on non continuation of statutory auditors of branches, Regional councils, decentralised office and head office as well as the internal auditors for a period of more than 3 years.
- Intlaited the work relating to documentation & evaulation of Internal Control Sytems prevalent in ICAI.

7.4 Financial Reporting Review Board

ICAI being the premier accounting body in the country, has been working relentlessly towards establishment of sound and reliable financial reporting system in the country. Towards this end, the ICAI has, *inter alia*, been issuing Accounting Standards as well as providing guidance on issues arising in implementation of such accounting standards. Similarly, with a view to improve auditing practices prevalent in the country, the ICAI has been issuing Auditing and Assurance Standards. However, it was felt that with a view to improve financial reporting system and auditing practices prevalent in the country, the implementation of various standards should be monitored and an appropriate action should be taken where there are non-compliances. The ICAI has taken-up the responsibility of performing this role, as a service to the nation, by constituting the Financial Reporting Review Board.

The Board reviews general purpose financial statements of certain enterprises and auditors' reports thereon, selected on a random basis, with a view to monitor compliance, *inter alia*, with the Accounting Standards and Auditing and Assurance Standards. In cases, where any non-compliance is observed, the Board refers the case to the Secretary to the Council of the Institute of Chartered Accountants of India for initiating action against the auditor under the

Chartered Accountants Act, 1949. Insofar as the management of the enterprise is concerned, the Board informs irregularities to the regulatory body(ies) relevant to the enterprise.

During the year under report, the Board reviewed general-purpose financial statements of sixty-four companies for the financial year 2003–04 and the auditors' reports thereon, selected on a random basis. As per the Operating Procedures of the Board, the preliminary review of these statements was conducted by the Technical Reviewers selected from the panel maintained by the Board. The review reports submitted by the Technical Reviewers were considered by the Financial Reporting Review Groups constituted for this purpose. The Board then considered the reports submitted by the Groups. The reviews of 61 companies have already been completed. Certain issues regarding remaining 3 companies are under the consideration of the Board and these reviews are expected to be completed shortly.

During the year under report, with a view to apprise the members of the Institute and others concerned about the major non-compliances observed during the review, the Board started the practice of compiling non-compliances observed from time to time and publish the same in Journal of the Institute and also host them on the Website of the Institute. First note on such non-compliances was published in the February 2006 issue of the Institute's Journal. This practice is expected to continue in future as well.

For the coming year, the Board has selected 50 companies for review of general purpose financial statements and auditors' reports thereon for the year 2004-05, on a random basis. As per the Operating Procedures of the Board, the preliminary review of these statements would be conducted by the Technical Reviewers selected from the panel maintained by the Board. For considering the review reports submitted by the Technical Reviewers, the Board has constituted five Financial Reporting Review Groups in different parts of the country. Significant progress has already been made on review of these financial statements.

7.5 Committee on Internal Audit

7.5.1 Mission

The Committee on Internal Audit (CIA) was constituted as a Non-Standing Committee of ICAI on 5th February 2005 to reinforce the primacy of ICAI as a promoter, source and purveyor of knowledge relating to internal audit and other aspects relating to it in the Society so as to enable its members to provide more effective and efficient value added services relating to this field to the Industry and others and help the latter to systematic and strengthen their governance process by systematising and strengthening their control and risk management process.

7.5.2 Objective

The objective of the Committee, as defined in its Terms of Reference, is to review the existing Internal Audit Practices in India and to develop Standards on Internal Audit (SIAs), to develop Guidance Notes and Issue Clarifications on the issue arising from SIAs, so that these may be issued under the authority of the Council of the ICAI.

7.5.3 During the Year

- The Committee brought out a publication, Technical Guide on Risk-based Internal Audit in Banks.

- Finalised the proposed Standard on Internal Audit (SIA) 1, Planning an Internal Audit. The final Standard is being issued under the authority of the Council by September 2006.

- Considered the draft of the proposed Standard on Internal Audit, Basic Principles of an Internal Audit. The Exposure Draft of the proposed Standard is being published for public comments in the September 2006 issue of the Journal.

- Finalised the Revised General Guidelines on Internal Audit as well as the Technical Guide on Internal Audit in Oil and Gas Refining and Marketing (Downstream) Enterprises. The documents are being given final shape and would be published soon.

- In association with the Western India Regional Council of the ICAI, organised a Two Day National Conference on *Internal Audit – Five Years After Enron*, in July 2006 at Mumbai.

7.5.4 Other projects in progress

Standards on Internal Audit

- SIA, Documentation in Internal Audit
- SIA, Internal Audit of Enterprise Risk Management
- SIA, Risk Assessment and Internal Controls
- SIA, Quality Assurance in Internal Audit
- SIA, Analytical Procedures in Internal Audit

7.5.5 Other Technical Documents

- Guide on Assessment of Internal Controls w.r.t. Clause 49 of the Listing Agreement
- Guidance Note on Internal Audit of Treasury in Banking Industry
- Internal Audit and Corporate Governance
    - Guidelines on Internal Audit –Aluminium Industry
    - Technical Guide on Internal Audit in Oil and Gas (E&P) Enterprises
    - Internal Audit of ATM Transactions and Plastic Cards

8. Other Matters

8.1 Annual Function of the ICAI

The 56th Annual Function of the ICAI was held on 3rd February, 2006 at New Delhi. Hon'ble Shri K. Rahman Khan, Deputy Chairman, Rajya Sabha was the Chief Guest. Prizes and medals to the meritorious students in the examinations conducted by the ICAI, shields and certificates of appreciation to the outstanding Regional Council and Branches of the ICAI, were awarded. The Function was attended by a very large number of invitees including senior Government Officers, members, students, officers and staff of the ICAI. The Chief Guest showered flowers of appreciation on the profession of Chartered

Accountants.

8.2 Chartered Accountants' Day

In commemoration of the Chartered Accountants Day, a Function was organised on 1st July, 2006 at New Delhi. A chain of seminars and conferences were organised across the nation to mark the day. The main event was organised in New Delhi as a conference on the theme 'Role of Accountancy Profession in Promoting Economic & Social Development'. Hon'ble Shri Prem Chand Gupta, Union Minister of Company Affairs, was the Chief Guest on the occasion. The conference explored the role of accountancy profession and deliberated on several issues including development through good governance, transparency and accountability, accounting and auditing standards in context of SMEs and SMPs and transition to new trade order. Besides the above, the Regional Councils and their Branches at various places also organised the Function locally in a befitting manner.

8.3 Amendments in The Chartered Accountants Act, 1949 and The Chartered Accountants Regulations, 1988.

8.3.1 Amendments in the Chartered Accountants Act, 1949

The Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 was notified by the Central Government after the assent of the President of India in the Gazette of India (Extra-Ordinary) dated 23rd March, 2006. In terms of the provisions, as contained in Section 1 of the said Act, the Central Government is empowered to appoint different dates for different provisions of the said Act and, based on that, the respective provisions would come into operation.

From the middle of August, 2006, the Central Government has given effect to the following provisions of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006:-

Section as per the Amendment Act, 2006	Section as per the Parent Act (viz., the Chartered Accountants, 1949)	Effective date	Subject matter
1	1	8th August, 2006	*Short title, extent and commencement*
2	2	8th August, 2006	*Interpretation*
3	4	8th August, 2006	*Entry of Names in the Register*
4	5	8th August, 2006	*Fellows And Associates*
5	6	8th August, 2006	*Certificate of Practice*
6	9(2)(b)	19th August, 2006	*The Chartered Accountants (Nomination of Members to the Council) Rules, 2006*
6	9(2)(a)	5th September, 2006	*The Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 [Constitution of the Council of the Institute]*
7	10	8th August, 2006	*Re-election or re-nomination to the Council*
9	12	8th August, 2006	*President and Vice-President*
12	15A (new Section)	8th August, 2006	*Imparting education by Universities and other bodies*
16 [except clause (i)]	19	8th August, 2006	*Register*

17	20	8th August, 2006	*Removal from the Register*
22	24A(3)	8th August, 2006	*Deletion of sub-section (3)*
23	26	8th August, 2006	*Unqualified persons not to sign documents*
25	29A (new Section)	8th August, 2006	*Power of Central Government to make Rules*
26	30	8th August, 2006	*Power to make regulations*
27	30B	8th August, 2006	*Rules, regulations and notifications to be laid before Parliament*
28 [except new Sections 30D and 30E]	30C, 30D and 30E (new Sections)	8th August, 2006	*Power of Central Government to issue directions*

8.3.2 Amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988

During the year, the Central Government accorded its final approval to amendments in Regulation 48(1) for increasing the rates of stipend payable to articled clerks joining training after passing PE-II Examination.

A milestone achieved during the period under Report is obtaining approval of the Central Government on the new scheme of education and training (arising out of the recommendations of the Committee on Review of Education and Training), which has enabled the Institute to introduce the Common Proficiency Test in the afternoon of 13th September, 2006.

With a view to revamp the various provisions of the Chartered Accountants Regulations, 1988, in the light of the provisions as contained in the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 and of the difficulties experienced/problems faced in the past, a Special Purpose Working Group on Review of Existing Regulations was set up at the Central Council level and the Working Group is, at present, giving final touches to the recommendations to be made by it to the Council based on the inputs received from members, Regional Councils, Officers etc.

8.4 Central Council Library

Central Council Library is globally connected through Internet, fully computerized & operational. Library material including database of books, journals and articles can be searched through subject, author, title, topic, keyword and publisher wise. This record is available on Internet Online Services **www.icai.org-overview-library services-CCL-online search**. Reference service is also provided to the Researchers and Scholars from different Universities, besides PE-I Course Students as a special case. Noida Office of the Institute and Vishwas Nagar Students library have also been provided with library facilities by the Central Council Library, along with nucleus Libraries provided to each Directorates of the Institute.

The following 17 Web Services appearing in www.icai.org/ Library Services are also being updated by the Library regularly:-

1. Accountant's Browser (w.e.f.1990 onwards: Collection of 12,000 Articles compiled from different Professional Journals)
2. Articles from the Chartered Accountant Journal (1951 to 2005: with search facility)

3. Recent Additions of Books alongwith Archives
4. Online Search of the Books in the Library: A complete Catalogue of Books & Journals.
5. Chartered Accountant's Index (Journal of ICAI)
6. CD's available in Library
7. Photographs of different Seminars/Conferences/Functions held available in the Library
8. List of WTO Books available in the Library.
9. List of SAFA Books available in the Library.
10. List of Recommended Books
11. Library Security Deposit Rules Students/Members
12. Library News & Views
13. List of Journals /Newspapers subscribed by the Library
14. Library Services – form for Members/Students
15. Addresses of Reference Libraries
16. Bibliographic details of : Conference/Seminar
17. Suggest Books/Journals

Other than AFW Softlink – Library Software, the following specialized database is being provided to the Members/Visitors/Faculties of the Central Council Library:-

1. Networking through **Delnet**, a network of libraries in India and abroad is operational in library, through it's huge catalog of books in all the Subjects can be accessed and resources shared from libraries through out India.
2. A strong base of more than 12,000 **articles** from all professional Journals including articles from ICAI Journals for last 50 years "Chartered Accountant" is also available in Library software Services..
3. Library has also acquired **Prowess Lan Version**- A CMIE Product, which is the most reliable and empowered corporate database of 8000 Companies. The database provides financial statements, ratio-analysis, funds flow, product profiles, return & risks on the Stock Market etc. It is being updated periodically.
4. **Grand Jurix** Software for all legal decisions. It is being updated periodically.
5. **ITR** online for all Income Tax Cases reported. It is being updated periodically.
6. Excus- Software for electronic library for excise, customs & service-tax & allied laws. It is being updated periodically.

Besides the above, Library facilities are also provided at the Regional Centers and Branches throughout the country. Efforts are on to link different Regional Libraries Database after Computerizing, these Libraries, and Central Council Library is also making efforts to acquire more online Databases for the Professional Development of ICAI/Services.

8.5 Editorial Board

Surging ahead with its mission to keep the ICAI members and other readers of The Chartered Accountant journal up to date on various subjects, emerging areas, aspects and challenges of the profession in today's fast paced age of globalisation, the Editorial Board has achieved many a landmark during the period of this report (April 2005 and March 2006).

A 'Brand Ambassador' of ICAI and the most visible indicator of the Institute's profile for the members, students and external audiences, The Chartered Accountant today matches the set global standards of professional journals, be it content quality, in-depth topical coverage, interactive features, international standard layout/designing, paper quality, overall look and feel or greater reach. It is increasingly being recognized as one of the most reliable and reader friendly tool of professional knowledge update, not only for the members

but also for allied professionals, institutions and a cross-section of the economic world in India and abroad, if the readers' feedback is any indication. With ever-widening reach and readership base, the total circulation of the journal stands at more than 170,000 today.

As many as 12 meetings of the Editorial Board were organized during the period under the report. The following were the key achievements of the Editorial Board:

Features and Articles:

- During 1st April 2005 and 31st March 2006, in all 1917 pages were printed in comparison to 1530 pages during corresponding period the previous year. In all 179 articles were published during the year under report in comparison to 150 published during the previous year.

- Several new features, including 'Professional Horizons', 'Tech 4 You', 'Career Watch', 'Accounting & Auditing Standards', 'Interview', 'Readers Queries' (with 1 CPE Hour reward for best answers), have been introduced. It decided to introduce some more new features/columns namely 'International Taxation', 'Economic Indicators', 'Web Watch', and 'Professional Practice Tips' in the journal.

Content Focus & Contributors:

- The issues of topical interest that were focused as 'Themes' of the journal during the year that was were: 'Bank Audit' (April 2005), 'Corporate Governance' (May 2005), 'Value Added Tax' (June 2005), 'Accountancy Profession in Global Perspective' (July 2005), 'Service Tax' (August 2005), 'SMPs & SMEs' (September 2005), 'Risk Management' (October 2005), 'Indian Capital Market' (November 2005) 'Information & Communication Technology' (December 2005) and 'Financial Reporting Standards and Disclosures' (January 2006), 'Rural Development' (February 2006) and 'Union Budget 2006-07 (March 2006).

- A standard panel of expert authors from different professional areas (subject wise and region-wise) has been formed to ensure publication of quality and topical content in the journal. Comprehensive guidelines have also been prepared for the authors in this regard. The authors, who are also the members of the ICAI, are given 4 CPE credit hours for every article published in the Journal.

Layout, Design, Printing & Advertisements:

- A new avatar of the journal was born from July 2005 Special Issue, as holistic changes were effected in the basic layout, design and overall look and feel of every section of the journal matching established international standards. The entire journal switched over to 4 colour printing format ever since.

- The design and feel of the Mast Head of the journal has been upgraded to give it an international look. The 'Cover Page', 'Content Pages' and 'Announcements' pages of the journal have been particularly redesigned in addition to upgrading the quality of the graphics published in the journal.

- The quality of the paper used for printing the journal was upgraded, matching global standards as part of the drive to give a facelift to the journal.

- Fresh initiatives were taken for a comprehensive brand promotion and greater reach of the journal. Special copies of the journal printed on a high quality paper are being sent to the VVIPs and the who's who of political, bureaucratic and economic world. The list of the VVIPs who are sent the complimentary copies of the journal has also been updated and enlarged.

Other Initiatives

- An elaborate exercise was undertaken involving ICAI Headquarters, Regional Offices, Printer of the Journal and relevant Post offices and authorities concerned to resolve the problems of despatch and delivery of the journals, a series of corrective and preventive measures were taken. These measures included corrections in members' database, pin codes, address- label printing process, streamlining of the mailing list and complaint-response mechanism, stricter monitoring of the despatch of the Journal, hosting of the Journal issues in advance, procurement of new Postal Licence No. from Mumbai, etc.

- It was decided to despatch the Journal in the last three days of the month, so that it reaches the Members and Subscribers in most part of the country at least by first week of every month.

- The Journal is now being despatched/posted in specially-designed plastic envelop so as to avoid wear-tear of the journal during the process of its posting.

- A Journal Page and Editorial Board page on the ICAI websites have been comprehensively upgraded and updated to keep the members better informed. Every issue of the journal is hosted on the ICAI website immediately on the posting of the journal to the Members and Subscribers.

9. MEMBERS

9.1 Membership

During the year ended 31st March, 2006, 9443 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 1,30,946 as on 1st April, 2006

During the year ended 31st March, 2006, 2315 associates were admitted as fellows, compared to the figure of 3246 in the previous year.

Total Members as on 1.4.2006

Category of Members	Fellow (1)	Associate (2)	Total of Columns (1) and (2)
In Full Time Practice	46775	21251	68026
In Part-time Practice	3257	6408	9665
Not in Practice	7136	46119	53255

9.2 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund continues to provide financial assistance to needy persons who are or have been members of the ICAI and their dependents, for maintenance of the dependents, their educational and medical

needs etc. The number of life members of the fund increased from 63071 as on 31st March 2005 to 70753 As on 31st March 2006. The financial particulars of the fund are as follows:

THE CHARTERED ACCOUNTANTS BENEVOLENT FUND

		During the year Ended 31.3.2005	During the year Ended 31.3.2006
		Rs.	**Rs.**
1.	Total Assistance provided	44,26,777/-	45,05,000/-
2.	Administrative Expenses	5,40,441/-	13,732/-
3.	Surplus (Deficit) of the Fund	13,81,087/-	36,70,477/-
4.	Balance of the Fund	1,73,48,362/-	2,10,18,839/-
5.	Balance of Corpus	4,94,54,000/-	5,72,36,500/-

10. STUDENTS

10.1 Students Statistics

The number of students registered for the Foundation/Professional Education (Course – I), Intermediate/Professional Education (Course - II) and Final Course during the years 2001-2002 to 2005-2006 are as under:

Year	Foundation/ PE (Course – I)	Intermediate/ PE (Course – II)	Final
2001-2002	34,215	29,403	11,524
2002-2003	35,524	33,283	11,102
2003-2004	38,188	34,232	11,390
2004-2005	39,000	34,190	11,061
2005-2006	38,901	39,467	13,010
Total	**1,85,828**	**1,70,575**	**58,087**

10.2 Accreditation Scheme

During the year, accreditation was granted to 19 Institutions for organising oral coaching classes for students of Professional Education (Course - I), 11 institutions for Professional Education (Course - II) and 3 institutions for Final Course. The names of 18 institutions for PE-I and 11 institutions for PE-II were deleted for non-compliance of certain requirements for the financial year 2005-2006. In addition, accreditation of 2 institutions, which were granted accreditation for conducting oral coaching classes of PE-I Course, was withdrawn on account of poor performance. As on 31st March,2006 the total number of accredited Institutions for Professional Education (Course - I) is 169 (178 as on 31st March, 2005), Professional Education (Course - II) is 95 (95 as on 31st March, 2005) and for Final Course is 10 (7 as on 31st March, 2005).

43 Institutions organised classes for the benefit of students of Professional Education (Course - I) for November 2005 Examination and 82 institutions organized classes for May, 2006 Examination. 7 institutions organised classes for the benefit of Professional Education (Course - II) students for November, 2005 Examination and 56 institutions for May, 2006 Examination. 6 Institutions organised classes for the benefit of students of Final Course for May,2006 Examination.

10.3 Review of Study Materials

As a part of continuous process, the study materials are reviewed by various subject experts and their comments and suggestions wherever considered appropriate are incorporated in the next print of the study module after due editing and verification.

10.4 Important publications released during the year:

During the year the following publications have been released for the benefit of students of Professional Education (Course – I), Professional Education (Course – II) and Final Courses:

(i) Compilations of questions set in previous examinations with answers
(ii) Compilation of questions set in previous examinations
(iii) Select Cases in Direct and Indirect Taxes
(iv) Audit Documentation under Self Development Booklet Series

10.5 Students' Counselling

Counselling Services have been in operation in Regional Headquarters to help students getting clarified their academic queries in various subjects of the curriculum.

10.6 250 Hours Compulsory Computer Training

The number of students registered for 250 Hours Compulsory Computer Training in different regions for the period from of 1st April, 2005 to 31st March, 2006 are as follows:

Region	1st April, 2005 to 31st March, 2006	1st April, 2004 to 31st March, 2005
Western Region	3505	4422
Southern Region	4271	3282
Eastern Region	5015	1691
Central Region	2435	2503
Northern Region	6965	2305
Total	**22191**	**14203**

To provide the training in an appropriate batch-size, the Board of Studies widened the scope of accreditation and 23 new Institutions were granted accreditation. As on 31st March, 2006 number of accredited institutions engaged in conducting 250 Hours Compulsory Computer Training was 318 (61 institutions as on 31st March, 2005).

10.7 Course on General Management and Communication Skills

During the year, 251 batches of the 15 days' Course on General Management and Communication Skills were organized by the Regional Councils and their Branches at 47 Centres across the country (inclusive of Dubai Centre) and 10887 students participated in these programmes (8000 students participated during 2004-2005).

10.8 Seminars and Conferences

During the year, the Board continued its policy of promoting organisation of One Day Seminars, Elocution/Quiz Contests, Regional/State Level Conferences and other Educational Events. Branch/Regional Level Elocution/Quiz Contests were organized by 5

Regional Councils and 36 Branches. Final Elocution/Quiz Contest was held at Chennai in January, 2006.

7 Branches of various Regional Councils organized One Day Seminars. S.I.R.C. and 8 Branches of Regional Councils conducted other Educational Events.

Alwar Branch and Agra Branch of C.I.R.C. organized Faculty Development Programmes on 26.06.2005 and 16-17.06.2005 respectively.

18th All India C.A. Students' Conference was organized on 8th & 9th December, 2005 at Indore and 2nd National Convention was organized on 14th & 15th January, 2006 at Pune.

10.9 Scholarships

During the year, Scholarships were granted to 155 students out of the funds of the Institute (19 Merit Scholarships, 13 Merit-cum-Need based scholarships, 123 Need-based scholarships). Further, scholarships were also awarded to 21 students out of the income from various endowments set up for the purpose.

10.10 Students' Newsletter

The monthly C.A. students' newsletter – ***'The Chartered Accountant Student'*** containing useful articles, academic updates, write-ups and other relevant announcements continued to be popular and proved useful to the students. The publication proved to be popular among the members too. During the year 2005-2006 total copies delivered to students were 12,00,489 and 3,48,661 copies. The number of pages of Students' Newsletter were also increased from 24 to 28 for value addition.

The first prize (Rs.2000/-) for the best article was awarded to Mr. Yogesh Sharma, for his article on "Outsourcing of Accounting Services - Vision for the next Decade" published in the Newsletter of Baroda Branch of WICASA.

10.11 Continuation of Professional Education Course Book System in the Sunday Test Scheme

The Scheme of Professional Education Course Book System in the Sunday Tests was introduced last year for Business and Corporate Laws, Company Law and Secretarial Practice, Direct Tax Laws and Indirect Tax Laws. The scheme was also extended for the current year.

10.12 Conducting Virtual Classes using the infrastructure of Reliance Infocomm Ltd.

12 Virtual Classes were conducted during the month of March and April, 2006 on various subjects of Professional Education (Course – I), Professional Education (Course – II) and Final with the help in-house and extend experts in the relevant fields.

10.13 Online Eligibility Tests for Professional Education (Course – II) on pilot basis.

During the month of December, 2005 Online Tests for all subjects of Professional Education (Course-II) were conducted. Online Examinations were held in Chennai, Calcutta and Mumbai in all subjects of Professional Education (Course-I), Professional Education (Course-II) and Final Courses during the months of May and June, 2006.

10.14 Students Exchange Programme

Under the aegis of Students Exchange Programme 22 students (ICASL-10, ICAN-12) of SAFA member bodies came to India and participated in 18th All India CA Students' Conference at Indore on 8th & 9th December, 2005. 5 students of ICAI also visited Nepal at the invitation of The Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN) from 28th January to 3rd February, 2006.

10.15 Branches of Chartered Accountants Students' Association

With a view to actively involve students of the Chartered Accountancy Course in the development of a spirit of fellow-feeling and promotion of social, cultural, academic and intellectual development etc., the ICAI has always been encouraging students to set up branches of Chartered Accountants Students' Association. In this Process, so far 35 branches of Students' Association have already been set up.

10.16 Recognition of CA Course with Ph.D. Programme

With constant follow up with various universities, the Committee on Commerce Education & Career Counseling has been successful in obtaining recognition for CA Course from 76 universities besides the 4 Indian Institutes of Management and the Association of Indian Universities for the purpose of Ph.D. /Fellow Programme.

10.17 Point Seminars/Career Counselling

During the year, 9 Joint Seminars with the coordination of various Universities were held. 30 Career Counselling Fairs/Programmes for interacting with the students community were organized at various places in India.

10.18 S.VAIDYANATH AIYAR MEMORIAL FUND

During the year ended 31st March 2006, 60 scholarships of the value of Rs.500 each per month were given to the students undergoing the Chartered Accountancy course. The membership of Fund was 705 as on 31st March 2006 as against 349 as on 31st March 2005. The balance in the credit of the Fund was Rs. 8,80,678 as on 31st March 2006 as against Rs.9, 02,384 as on 31st March 2005.

11. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

11.1 The Institute has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively.

11.1.1 The total number of branches of Regional Councils is 111.

11.1.2 The total number of Chapters of the Institute outside India 16.

11.1.3 The total number of Reference libraries all over India is 36.

11.2 Branch Building

During the period under Report, a number of branches of Regional Councils continued to evince interest in having their own premises. In all, **58** Branches have their own premises.

11.3 Rotating Shield

The Institute awards each year Rotating Shield to the Best Regional Council. The award is given on the basis of overall performance. Similarly, a separate Rotating Shield is awarded to the Best Branch each year. The award is given on the basis of established norms. Rotating Shields to the Best C.A. Students' Association on all India basis and Best Branch of Students' Association on Regional Basis have been instituted from the year 1999. For the year 2005 these Shields were awarded at the Annual Function held on 4th February, 2006 to the following winners:-

1.	**Best Regional Council**	Western India Regional Council
2.	**Best Branch of Regional Council**	
	Small Size Branch Category	Hubli Branch of SIRC
	Medium Size Branch Category	Mangalore Branch of SIRC
	Big Branch Category	Nagpur Branch of WIRC
3.	**Best Students' Association**	Western India Chartered Accountants Students' Association
4.	**Best Branch of Students' Association**	
	Western Region	Baroda Branch of WICASA
	Southern Region	Ernakulam Branch of SICASA
	Central Region	Indore Branch of CICASA

Considering their performance, the following branches were separately awarded Certificates for Highly Commended Performance:-.

Small Size Branch Category	Salem Branch of SIRC Erode Branch of SIRC Tirupur Branch of SIRC Rajkot Branch of WIRC
Medium Size Branch Category	Vijayawada Branch of SIRC Agra & Raipur Branch of CIRC(Jointly)
Big Branch Category	Baroda Branch of WIRC

11.4 New Decentralised Offices

Recognising the value of expeditious and personalised service which are achievable through the process of decentralisation, the Council of the ICAI has already set up five decentralised Offices at Bangalore, Hyderabad in Southern Region, Ahmedabad, Pune in Western Region and Jaipur in Central Region besides the decentralised offices already functioning from Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi. Considering the increasing volume of work/activities at the regional level seven more decetralised offices

have been set up at Nagpur, Surat and Vadodara (Western Region), Ernakulam and Coimbatore (Sourthern Region), Indore (Central Region) and Chandigarh (Northern Region).

12. Finance and Accounts

The Balance Sheet as on 31st March, 2006 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council are enclosed.

13. Appreciation

13.1 The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees and to the non-members who assisted the Council during the year 2005-2006 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

13.2 The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2005-2006.

13.3 The Council wishes to place on record its heartfelt gratitude to the dignitaries who were kind enough to grace the various programmes of the ICAI. The Council also desires to place on record its sincere appreciation to the various functionaries at State level who graced the programmes organised by the organs of the ICAI.

13.4 The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/being initiated by them, pursuant to such initiatives.

13.5 The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2005 - 2006 by all officers and staff of the Institute.

STATISTICS AT A GLANCE

MEMBERS (FROM 1.4.1997)

TABLE I

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1.4.1997	Associate	14649	11013	4906	3972	6971	41511
	Fellow	11042	8975	4369	4560	8049	36995
	Total	25691	19988	9275	8532	15020	78506
1.4.1998	Associate	16160	11564	5187	4351	7406	44668
	Fellow	11501	9420	4558	4909	8733	39121
	Total	27661	20984	9745	9260	16139	83789
1.4.1999	Associate	17935	12515	5562	4875	8001	48888
	Fellow	12038	9942	4779	5345	9374	41478
	Total	29968	22457	10341	10220	17375	90366
1.4.2000	Associate	17771	13023	5807	5057	8411	50069
	Fellow	12200	10369	4941	5617	9784	42911
	Total	29971	23392	10748	10674	18195	92980
1.4.2001	Associate	19243	12915	5732	5215	8498	51603
	Fellow	12868	10749	5077	5995	10100	44789
	Total	32111	23664	10809	11210	18598	96392
1.4.2002	Associate	20771	13456	5872	5493	9074	54666
	Fellow	13540	11248	5296	6400	10580	47064
	Total	34311	24704	11168	11893	19654	101730
1.4.2003	Associate	23194	14446	6374	6318	10287	60619
	Fellow	14279	11742	5572	6909	11135	49637
	Total	37473	26188	11946	13227	21422	110256
1.4.2004	Associate	24515	14943	6515	6714	10697	63384
	Fellow	15091	12377	5836	7557	11846	52707
	Total	39606	27320	12351	14271	22543	116091
1.4.2005	Associate	26351	15724	6785	7552	11640	68052
	Fellow	15834	12969	6146	8207	12338	55494
	Total	42185	28693	12931	15759	23978	123546
1.4.2006	Associate	28528	16,700	7172	8480	12898	73778
	Fellow	16385	13358	6313	8539	12573	57168
	Total	44913	30058	13485	17019	25471	130946

MEMBERS (FROM 1.4.1950)

TABLE II

	As on 1.4.1950	As on 1.4.1951	As on 1.4.1961	As on 1.4.1971	As on 1.4.1981	As on 1.4.1991	As on 1.4.2001
Fellows	569	672	1,590	3,326	8,642	22,136	44,789
Associates	1,120	1,285	4,059	7,901	16,796	36,862	51,603
Total	1,689	1,957	5,649	11,227	25,438	58,998	96,392

	As on 1.4.2002	As on 1.4.2003	As on 1.4.2004	As on 1.4.2005	As on 1.4.2006
Fellows	47064	49637	52707	55494	57168
Associates	54666	60619	63384	68052	73778
Total	101730	110256	116091	123546	130946

STUDENTS GROWTH PROFILE (FROM 31.3.1996)

	During the year 1995-96	During the year 1996-97	During the year 1997-98	During the year 1998-99	During the year 1999-2000	During the year 2000-01	During the year 2001-02
Foundation/ PE (Course I)	29,015	28,209	37,052	43,809	44,180	35,999	34,215*
Intermediate /PE (Course II)	19,288	21,354	24,652	28,253	27,508	23,405	29,403**
Final	8,675	9,275	9,394	12,227	10,787	9,026	11,524
Total	56,978	58,838	71,098	84,289	82,475	68,430	75,142

	During the year 2002-03	During the year 2003-04	During the year 2004-05	During the year 2005-06
Foundation/ PE (Course I)	35524	38188	39000	38901
Intermediate /PE (Course II)	33283	34232	34190	39467
Final	11102	11390	11061	13010
Total	79909	83810	84251	91378

* includes PE(Course I) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002 : 5006
** includes PE(Course II) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002 : 11848

Composition of the Nineteenth Council (2006 – 2007)

President	:	CA. T.N. Manoharan, FCA
Vice-President	:	CA. Sunil Talati, FCA
Period	:	5th February, 2006 onwards
Secretary	:	Dr. Ashok Haldia

Members of the Nineteenth Council (2006 – 2007)

Elected Members

CA. Abhijit Bandyopadhyay	Kolkata
CA. Amarjit Chopra	New Delhi
CA. Anuj Goyal	Ghaziabad
CA. Charanjot Singh Nanda	New Delhi
CA. G. Ramaswamy	Coimbatore
CA. Harinderjit Singh	New Delhi
CA. Harish Narendra Motiwalla	Mumbai
CA. Jayant Gokhale	Mumbai
CA. Jaydeep Narendra Shah	Nagpur
CA. K.P. Khandelwal	Kolktaka
CA. Kamlesh Shivji Vikamsey	Mumbai
CA. Manoj Fadnis	Indore
CA. Pankaj Inderchand Jain	Mumbai
CA. Rajkumar S. Adukia	Mumbai
CA. S. Gopalakrishnan	Hyderabad
CA. S. Santhanakrishnan	Chennai
CA. S.C. Vasudeva	New Delhi
CA. Shanti Lal Daga	Hyderabad
CA. Sunil Goyal	Jaipur
CA. Sunil Talati	Ahmedabad
CA. T.N. Manoharan	Chennai
CA. Uttam Prakash Agarwal	Mumbai
CA. V. Murali	Chennai
CA. Ved Jain	New Delhi

Nominated Members

Smt. Anita Kapur (w.e.f. 31.10.05)	New Delhi
Shri Jitesh Khosla	New Delhi
CA. K.C. Parashar	Jodhpur
CA. Pawan Kumar Sharma	Guwahati
Shri Sidharth Kumar Birla	New Delhi
Shri Sunil Chander (w.e.f. 26.12.05)	New Delhi

Auditors

CA. Shashi Kumar, FCA	New Delhi
CA. Manu Chadha, FCA	New Delhi

AUDITOR'S REPORT TO THE COUNCIL

1. We have audited the attached Balance Sheet of The Institute of Chartered Accountants of India as at 31st March, 2006 and also the annexed Income and Expenditure Account and the Cash Flow Statement for the year ended on the date incorporating the accounts of the Institute's offices, Computer Centres, Regional Councils and their branches audited by other auditors and that their reports have been duly considered while preparing our report. In the absence of audited accounts of nine branches their un audited accounts have been incorporated. Further, accounts from one branch has not been received during the year and has been incorporated in the Accounts as per Note No.2.7 of schedule XV. These financial statements are the responsibility of the management of the institute. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted the audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. We further report that :-

   a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

   b) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

   c) In our opinion, proper books of account are maintained in conformity with the requirements of the Chartered Accountants Act, 1949;

   d) In our opinion the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement comply with relevant Accounting Standards.

   e) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statements together with the schedules attached and read with the Accounting Policies and Notes Forming Part of Accounts give a true and fair view in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India:

      i) In the case of Balance Sheet, of the state of the Institute's affairs, as at 31st March, 2006 ;

      ii) In the case of Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date and

      iii) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

CA. SHASHI KUMAR
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-86492

CA. MANU CHADHA
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-80996

Place :New Delhi
Date : 02nd August, 2006.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2006

Rs. in lacs

	Schedule		Amount As At 31-03-2006		Amount As At 31-03-2005
SOURCES OF FUNDS:					
Capital Reserves	I		6177.95		4224.69
General Reserve	II		4309.57		3002.01
Other Reserves	III		125.50		99.11
Earmarked Funds	IV		5506.82		5835.19
TOTAL			16119.84		13161.00
APPLICATION OF FUNDS:					
Fixed Assets:					
Gross Block	V	9350.45		5661.71	
Less: Depreciation and Amortisation		2963.39		2408.74	
Net Block			6387.06		3252.97
Capital Work in progress (including capital advances)			420.18		2820.65
Investments:	VI				
Earmarked Fund Investments		5506.82		5835.19	
Other Investments		4991.10	10497.92	2133.74	7968.93
Current Assets, Loans & Advances :					
Interest Accrued on Investments		748.37		717.58	
Inventories	VII	271.89		287.25	
Cash & Bank Balances		752.65		620.78	
Loans & Advances	VIII	1120.91		1130.56	
Accounts Receivables	IX	153.85		98.48	
Sub - Total		3047.67		2854.65	
Less: Current Liabilities & Provisions					
Current Liabilities	X	4088.22		3581.00	
Provision for Liability towards Gratuity		144.77		155.20	
Sub - Total		4232.99		3736.20	
Net Current Assets			(1185.32)		(881.55)
TOTAL			16119.84		13161.00

Statement of significant accounting policies XIV
Notes forming part of Accounts. XV
Schedules referred to above form an Integral Part of the Balance Sheet.

CA.DEEPAK DIKSHIT	CA.ASHOK HALDIA	CA.SUNIL TALATI	CA.T.N.MANOHARAN
JOINT SECRETARY	SECRETARY	VICE PRESIDENT	PRESIDENT

As per our Report of even date attached

CA.SHASHI KUMAR	CA.MANU CHADHA
CHARTERED ACCOUNTANT	CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-86492	MEMBERSHIP NUMBER-80996

Place : New Delhi
Date: 02nd August, 2006.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2006

Rs.in lacs

	Schedule	Amount Year ended 31/03/2006	Amount Year ended 31/03/2005
INCOME			
Fees	XI	8696.62	7008.08
Seminars		1392.53	1153.74
Other Income	XII	1187.22	1107.89
TOTAL		11276.37	9269.71
EXPENDITURE			
Salaries & Allowances		1980.31	1812.89
Printing & Stationery		1424.71	1239.71
Seminar Expenses		1265.76	998.93
Other Operating Expenses	XIII	3744.13	3412.53
Depreciation and Amortisation		555.55	549.79
TOTAL		8970.46	8013.85
NET SURPLUS		2305.91	1255.86
Appropriation to Funds / Reserves :			
Education Fund [Policy No. III (c)]		895.45	538.69
Employees Benevolent Fund [Policy No.III (d)]		10.19	10.00
General Reserve		1400.27	707.17
TOTAL		2305.91	1255.86
Statement of significant accounting policies	XIV		
Notes forming part of Accounts.	XV		

Schedules referred to above form an Integral Part of the Income and Expenditure Account

CA.DEEPAK DIKSHIT	CA.ASHOK HALDIA	CA.SUNIL TALATI	CA.T N MANOHARAN
JOINT.SECRETARY	SECRETARY	VICE PRESIDENT	PRESIDENT

As per our Report of even date attached

CA.SHASHI KUMAR	CA.MANU CHADHA
CHARTERED ACCOUNTANT	CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-86492	MEMBERSHIP NUMBER-80996

Place: New Delhi
Date : 02nd August, 2006

CASH FLOW STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2006

	(Amount Rupees in Lakhs)			
	2005-2006		2004-2005	
A.Cash flows from operating activities				
Net Surplus		2305.91		1255.86
Adjustments for:				
Depreciation and Amortisation	555.55		549.79	
Interest on investments	(234.75)		(313.67)	
		320.80		236.12
Operating surplus before working capital changes		2626.71		1491.98
Increase/Decrease in inventories	15.36		(16.38)	
Increase/Decrease in Interest accrued on investments	(30.79)		80.33	
Increase/Decrease in Accounts Receivables	(55.37)		49.29	
Increase/Decrease in Loans & advances	9.65		(540.47)	
Increase/Decrease in Current Liabilities	507.22		713.33	
Decrease in Provision of Gratuity Fund	(10.43)		(3.79)	
		435.64		282.31
Net cash from operating activities		3062.35		1774.29
B.Cash flows from investing activities				
Acquisition of Fixed Assets including Capital Work in Progress	(1289.17)		(3410.81)	
Acquisition of investments	(2528.99)		768.31	
Interest on investments	234.75		313.67	
Income from Earmarked Funds Investments	358.32		302.26	
Capital Receipts	294.61		269.84	
Net Cash from Investing Activities		(2930.48)		(1758.73)
Net Increase/Decrease in cash and cash equivalents		131.87		15.56
Cash and Cash equivalents at the beginning of year		620.78		605.22
Cash and Cash equivalents at the end of year		752.65		620.78

Statement of significant accounting policies XIV
Notes forming part of Accounts. XV
Schedules referred to above form an integral Part of the Cashflow Statement

CA.DEEPAK DIKSHIT	CA.ASHOK HALDIA	CA.SUNIL TALATI	CA.T.N.MANOHARAN
JOINT SECRETARY	SECRETARY	VICE PRESIDENT	PRESIDENT

As per our Report of even date attached

CA.SHASHI KUMAR	CA.MANU CHADHA
CHARTERED ACCOUNTANT	CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-86492	MEMBERSHIP NUMBER-80996

Place: New Delhi
Date : 02nd August, 2006.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE I
CAPITAL RESERVES

Rs. in lacs

	Amount As At 31.03.2006		Amount As At 31.03.2005	
(A) General:				
Opening balance		1203.42		1106.10
Add:				
-Membership Fees [Policy No III (a)]	23.10		24.05	
-Donations for Buildings	62.38		52.59	
Transferred from:				
- General Reserves	8.01		16.10	
- Other Reserves	-		0.77	
- Earmarked Funds - Others	14.95	108.44	3.81	97.32
TOTAL (A)		1311.86		1203.42
(B) Education:				
Opening balance		3021.27		2694.02
Add: Transfer from Education Fund [Policy No. III (e) (iii)]		1844.82		327.25
TOTAL (B)		4866.09		3021.27
GRAND TOTAL (A) + (B)		6177.95		4224.69

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE II
GENERAL RESERVES

Rs.in lacs

	Amount As At 31.03.2006		Amount As At 31.03.2005	
Opening balance		3002.01		2354.40
Add:				
Appropriation from Income and Expenditure Account		1400.27		707.17
Less transfer to:				
- Earmarked Funds -Research	1.48		1.25	
- Earmarked Funds -Medals	6.09		0.06	
-Earmarked Fund - Others	53.64		28.53	
-Other Reserves	23.49		13.62	
-Capital Reserves -General	8.01	(92.71)	16.10	(59.56)
TOTAL		4309.57		3002.01

SCHEDULE III
OTHER RESERVES

Rs in lacs

	Amount As At 31.03.2006		Amount As At 31.03.2005	
Opening balance		99.11		87.68
Add transfer from:				
- General Reserves	23.49		13.62	
- Earmarked Funds -Others	2.32	25.81	-	13.62
Less transfer to:				
- Capital Reserves			0.77	
- Earmarked Funds -Others	-	-	-	(0.77)
Net Depletion/Addition during the year		0.58		(1.42)
TOTAL		125.50		99.11

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE IV

EARMARKED FUNDS

Rs. in lacs

	Amount As At 31.03.2006		Amount As At 31.03.2005	
RESEARCH FUNDS				
Opening Balance		523.66		453.15
Transfer from General Reserve	1.48		1.25	
Contribution received during the year	7.01		17.85	
Income during the year	42.70	51.19	51.71	70.61
Less: Payments during the year				(0.30)
SUB-TOTAL (A)		574.85		523.66
ACCOUNTING RESEARCH FOUNDATION AND BUILDING FUND				
Opening Balance		277.67		257.77
Income during the year		22.83		19.90
SUB-TOTAL (B)		300.50		277.67
EDUCATION FUND				
Opening Balance		3080.94		2663.85
Appropriation from Income & Expenditure Account [Policy No. III(b)]	895.45		538.69	
Income during the year	253.25	1148.70	205.65	744.34
Less: Transfer to Capital Reserves - Education [Policy No.III(e)(iii)]		(1844.82)		(327.25)
SUB-TOTAL (C)		2384.82		3080.94
MEDALS AND PRIZES FUNDS				
Opening Balance		90.85		79.18
Contribution received during the year	2.97		9.54	
Income during the year	6.71		5.57	
Transfer from General Reserve	6.09	15.77	0.06	15.17
Less: Payments during the year	2.93		2.60	
Adjustements		(2.93)	0.90	(3.50)
SUB-TOTAL (D)		103.69		90.85

contd...

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE IV

EARMARKED FUNDS (Contd)

Rs. in lacs

	Amount As At 31.03.2006		Amount As At 31.03.2005	
STUDENTS SCHOLARSHIP FUNDS				
Opening Balance		28.18		26.97
Contribution received during the year	5.99			
Income during the year	2.32	8.31	2.08	2.08
Less:Payments during the year		(0.53)		(0.87)
SUB-TOTAL (E)		35.96		28.18
PENSION FUND				
Opening Balance		1033.32		920.03
Additions during the year	105.15		92.99	
Income during the year	84.94	190.09	71.03	164.02
Less:Payments during the year		(54.51)		(50.73)
SUB-TOTAL (F)		1168.90		1033.32
LEAVE ENCASHMENT FUND				
Opening Balance		411.49		356.31
Additions during the year	54.90		66.20	
Income during the year	33.82	88.72	27.51	93.71
Less:Payments during the year		(36.78)		(38.53)
SUB-TOTAL (G)		463.43		411.49
EMPLOYEES BENEVOLENT FUND				
Opening Balance		73.68		59.59
Appropriation from Income & Expenditure Account [Policy No.III (c)]	10.19		10.00	
Income during the year	6.06	16.25	4.60	14.60
Less:Payments during the year				(0.51)
SUB-TOTAL (H)		89.93		73.68
OTHER FUNDS (Regional Councils & Branches)				
Opening Balance		315.40		273.99
Contribution received during the year	32.53		8.04	
Income during the year	17.89		17.48	
Transfer from Other Reserves	-		-	
Transfer from General Reserve	53.64	104.06	28.53	54.05
Less:Transfer to Capital Reserves- General	14.95		3.81	
Transfer to Other Reserves	2.32		-	
Adjustments	-		0.12	
Payments during the year	17.45	(34.72)	8.71	(12.64)
SUB-TOTAL (I)		384.74		315.40
GRAND TOTAL		5506.82		5835.19

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE "V"
FIXED ASSETS

Rs in lacs

ASSETS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION AND AMORTISATION BLOCK				NET BLOCK	
	Cost as at 1.4.2005	Additions during the year	Adjustments /Transfers / Sale	Cost as at 31.3.2006	Upto 1.4.2005	For the year	Adjustments Transfers/ /Sale	Upto 31.3.2006	W.D.V as on 31.3.2006	W.D.V as on 31.3.2005
A.Tangible Assets:										
1. Land - Free Hold	100.43	307.18		**407.61**	0.00			**0.00**	**407.61**	100.43
2. Land -Lease Hold	459.99	2693.22		**3153.21**	33.52	27.36		**60.88**	**3092.33**	426.47
3. Buildings	1852.15	209.04	(0.40)	**2060.79**	432.11	76.64		**508.75**	**1552.04**	1420.04
4. Electric Installations & Fittings	245.13	24.35	(0.11)	**269.37**	97.75	15.80	(0.17)	**113.38**	**155.99**	147.38
5.Computers	1058.96	146.43	(2.68)	**1202.71**	836.07	179.54	(0.31)	**1015.30**	**187.41**	222.89
6. Air Conditioning	293.16	47.45	(0.01)	**340.60**	106.88	30.07		**136.95**	**203.65**	186.28
7. Furniture & Fixtures	619.38	102.29	(1.44)	**720.23**	233.53	42.06	(0.32)	**275.27**	**444.96**	385.85
8. Lifts	101.65			**101.65**	29.88	7.18		**37.06**	**64.59**	71.77
9.Office Equipments	332.78	58.97	(1.45)	**390.30**	186.43	26.37	(0.04)	**212.76**	**177.54**	146.35
10.Vehicles	31.34	16.01	(0.12)	**47.23**	16.92	4.19	(0.06)	**21.05**	**26.18**	14.42
11.Library Books	307.60	44.93		**352.53**	307.60	44.93		**352.53**	**0.00**	0.00
B.Intangible Asset: Software	259.14	45.08		**304.22**	128.05	101.41		**229.46**	**74.76**	131.09
TOTAL	5661.71	3694.95	(6.21)	**9350.45**	2408.74	555.55	(0.90)	**2963.39**	**6387.06**	3252.97
Previous Year Figures	4237.54	659.99	764.18	5661.71	1866.69	549.79	(7.74)	**2408.74**	**3252.97**	

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE "VI"
INVESTMENTS

Rs in lacs

	Amount As At 31-03-2006	Amount As At 31-03-2005
A.LONG TERM INVESTMENTS (AT COST)		
(I) Government of India-8% (taxable)Bonds-2003	4750.00	2400.00
(II) Fixed Deposits with scheduled Banks	2556.85	3909.12
B.CURRENT INVESTMENTS		
Fixed Deposits with scheduled Banks	3191.07	1659.81
Total Investments	10497.92	7968.93
ALLOCATED TO:-		
Earmarked Fund Investments	5506.82	5835.19
Other Investments	4991.10	2133.74
Total	10497.92	7968.93

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE VII:

INVENTORIES

Rs.in lacs

	Amount As At 31.03.2006	Amount As At 31.03.2005
Publications and Study Materials	**167.81**	176.88
Paper for Study Materials & Publications (Including Stock of Paper with Printers - Rs.75.68 lacs Previous year Rs.81.63 lacs)	**75.86**	90.64
Stationery & Other Items	**28.22**	19.73
Total	**271.89**	**287.25**

SCHEDULE VIII:
LOANS & ADVANCES (Considered Good)

Rs.in lacs

	Amount As At 31.03.2006	Amount As At 31.03.2005
Loans and Advances-Staff	**227.23**	228.16
Interest Recoverable from Staff Loans	**92.03**	86.18
Security Deposits	**28.48**	31.92
ICAI Accounting Research Foundation	**565.48**	589.93
Other - Advances & Pre-payments	**207.69**	194.37
Total	**1120.91**	1130.56

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE IX:

ACCOUNTS RECEIVABLE

Rs.in lacs

		Amount As At 31.03.2006		Amount As At 31.03.2005
Other Receivables	**160.05**		104.68	
Less: Provision for doubtful receivables	**(6.20)**	**153.85**	(6.20)	98.48
Total		**153.85**		98.48

SCHEDULE X:
CURRENT LIABILITIES :

Rs.in lacs

		Amount As At 31.03.2006		Amount As At 31.03.2005
Fees Received in Advance				
Examination Fees	**1298.11**		1306.74	
Journal Subscription	**20.05**		4.12	
Membership Fee	**352.70**		293.51	
Distant Education Fee	**1193.20**		1026.29	
Information System Audit Course Fee	**97.10**		101.54	
Insurance and Risk Management Course	**7.71**		16.89	
International Trade Laws & WTO Course	**6.25**		3.40	
Seminar Fees & Other Collections	**90.53**	**3065.65**	80.41	2832.90
Creditors for Expenses		**649.43**		437.90
Other Liabilities		**373.14**		310.20
Total		**4088.22**		3581.00

3066 GI/06—21

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XI

FEES :

	Amount Year ended 31/03/2006	Rs.in lacs Amount Year ended 31/03/2005
Distant Education Fee	**3581.80**	2154.77
Examination Fee	**2687.56**	2227.58
Membership Fee	**1376.27**	1359.13
Information System Audit Course Fee	**297.17**	490.80
General Management Skill Course Fee	**428.70**	418.77
Coaching Class Income	**228.40**	237.11
Insurance and Risk Management Course	**24.60**	75.59
Students' Registration Fee	**34.88**	9.87
CAAT Course Fee	**9.86**	20.32
Entrance Fee	**9.02**	8.78
International Trade Laws & WTO Course	**9.65**	3.40
Students' Association Fee	**8.71**	1.96
TOTAL	**8696.62**	7008.08

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XII

OTHER INCOME

Rs.in lacs

	Amount Year ended 31/03/2006	Amount Year ended 31/03/2005
Publications	**378.00**	374.02
Interest on Investments	**234.75**	313.67
Students' Newsletter	**13.27**	10.29
Income from Journal – Subscription	**119.42**	104.48
News Letters	**56.06**	33.18
Computer Centres	**41.04**	44.62
Fees for filing Disciplinary Cases	**0.24**	0.22
Campus Interview	**188.40**	72.53
Expert Advisory Committee Fee	**11.85**	9.80
Interest on Staff Loans	**15.01**	15.47
Provisions no longer required written back	**3.83**	6.21
Others	**117.19**	88.43
Prior Period Income	**8.16**	34.97
Total	**1187.22**	1107.89

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XIII

OTHER OPERATING EXPENSES

Rs.in lacs

	Amount Year ended 31/03/2006	Amount Year ended 31/03/2005
Postage ,Telephone & Telegrams	610.31	468.58
Rent Rates & Taxes	334.56	356.38
Travelling & Conveyance-Inland	580.76	532.36
Overseas Relations:		
-Travelling	85.92	97.93
-Membership Fee of Foreign Professional Bodies	53.73	54.09
-Other Expenses	9.58	12.31
Repairs & Maintenance	256.50	202.34
Publications	192.30	149.92
Fees & Expenses to Examiners,Consultants and Others	858.68	798.39
General Management Skill Course	260.40	264.00
Coaching Class Expenses	139.95	133.14
Advertisements	79.77	43.49
Office Meeting Expenses	42.44	52.64
Computer Centres	20.39	20.69
Merit Scholarship	2.47	1.46
Audit Fee		
- Head Office	2.48	2.48
- Other Offices	8.76	5.96
Other Expenses	192.52	171.69
Prior Period Expenses	12.61	44.68
Total	3744.13	3412.53

THE INSTITUE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XIV

STATEMENT ON SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES.

I ACCOUNTING CONVENTION

The accounts are drawn up on historical cost basis and have been prepared in accordance with the applicable Accounting Standards and are on accrual basis unless otherwise stated.

II REVENUE RECOGNITION

a. The Entrance Fee is charged at the time of admission of a person as member and one third thereof is recognized as income.

b. Annual Membership and Certificate of Practice Fee and subscription for Journal are recognized in the year as and when these become due.

c. Distant Education and Post Qualification Course Fee are recognized over the period of instructions.

d. Examination Fee is recognized on the basis of conduct of examinations.

e. Income from Investments

I Dividend on Investments in units is recognized as income on the basis of entitlement to receive.

II. Income on interest bearing securities and fixed deposits is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

III ALLOCATIONS/TRANSFER TO CAPITAL RESERVE AND EARMARKED FUND

a. Admission Fee from Fellow Members and 2/3rd portion of the Entrance Fee from persons admitted as Members are directly taken to Capital Reserve.

b. Donations received during the year for buildings and for Research purpose are accounted for directly under the respective Reserves Account.

c. 25% of the Distant Education Fee not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education fund.

d. 0.75% of Membership Fee (Associate and Fellow and Certificate of Practice Fee) received from the members during the year is allocated to the Employees' Benevolent Fund.

e. Transfer to Capital Reserve – Education from the following earmarked funds :-

i. From Computerisation Fund	100% of the cost of purchase of computers and related accessories in relation to Decentralised Offices and Head Office computerization Project.
ii. From Accounting Research Foundation fund	100% of the cost of Fixed Assets and other Building relating to Accounting Research foundation
iii. From Education Fund	50% of the cost of additions (net of deductions) to other Fixed Assets.

f. Income from investments is allocated to Earmarked Funds on opening balances of the respective Earmarked Funds on the basis of weighted average method.

IV **FIXED ASSETS/DEPRECIATION**

a. Fixed Assets excluding land are stated at historical cost less depreciation.

b. Free hold land is stated at cost. Leasehold land is stated at the amount of premium paid for acquiring the lease rights. The premium so paid is amortized over the period of the lease.

c. Depreciation is provided on the written down value method at the following rates as approved by the Council based on the useful life of the respective assets :

Buildings	5%
Air conditioners & Office Equipments	15%
Lifts , Electrical Installations & Furniture & Fixtures	10%
Vehicles	20%
Computers	60%

d. Depreciation on additions is provided on pro-rata basis.

e. Library Books are depreciated at the rate of 100% in the year of purchase.

f. Intangible Assets (Software) are amortized equally over a period of three years.

V INVESTMENTS

a. Long term investments are carried at cost and decline, other than temporary in value is provided for.

b. Current investments are carried at lower of cost or fair value.

VI INVENTORIES

Inventories of paper, stationery, publications and study material are valued at lower of cost or net realizable value. The cost is determined on FIFO Method.

VII FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

a. Foreign currencies transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate prevailing at the date of transaction.

b. All income and expenses are translated at average rate. All monetary assets are translated at the year end rates where as non monetary assets are translated at the rate on the date of transaction.

c. Any income or expense on account of exchange difference is recognized in the Income and Expenditure Account.

VIII TERMINAL/RETIREMENT BENEFITS.

a. The provision for liability towards gratuity is based on actuarial Valuation at the year end and is recognized as expense .

b. The provision for liability towards pension and leave encashment is based on actuarial valuation at the year end and is recognized as expense.

c. Contributions to Provident Fund Trust maintained by the Institute are recognized as expense.

THE INSTITUE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XV

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Rs.26.99 Lacs towards disputed amount for Property/Building Tax in respect of building at three places (Previous year Rs. 24.68 Lacs).

1.2 Rs. 51.48 Lacs in respect of claims (Previous year Rs. 17.75 Lacs) from various parties not acknowledged as debt by the Institute.

2. NOTES

2.1 Estimated amount of capital commitment (net of advances) – Rs. 51.35 Lacs (Previous Year Rs. 66.54 Lacs).

2.2 A. *Free hold land includes:*

(i) Rs.6.02 Lacs (Previous Year-NIL) relating to the land purchased and acquired at New Delhi from Land and Development Authority for which registration is pending.

B. *Leasehold Land includes*:

(i) Rs. 2.51 Lacs (Previous year Rs.2.51 Lacs) relating to the Land at Hubli. Possession of this land is yet to be handed over to the Institute and is subject to settlement of demand for Rs.21.30 Lacs raised by the Hubli Dharwad Urban Development Authority and is under dispute.

(ii) Rs.33.21 Lacs (Previous year NIL) relating to Land at Indore where registration of the Lease deed is pending.

2.3 Building includes Rs.8.77 Lacs (Previous Year Rs. 8.77 Lacs) being the cost of branch building at Baroda , the conveyance deed of the branch premises is yet to be executed since the branch has applied for concession in stamp duty.

2.4 Capital Work in progress includes an expenditure of Rs.165.50 Lacs (Previous year Rs.39.31 Lacs) being development cost, Computer Hire charges and traveling expenses incurred during trial run period of the Virtual Institute Project.

2.5 Loans and Advances include interest free advance for a sum of Rs.565.48 Lacs (Previous year Rs.589.93 Lacs) to ICAI Accounting Research Foundation.

2.6 Pending receipts of Audited accounts of nine branches of the Regional councils their un-audited accounts have been incorporated.

2.7 Pending receipt of accounts from one branch of the Regional Councils, the revenue grant released to the branch during the year has been treated as revenue expenditure. The opening balances of assets and liabilities of the branch have been incorporated and capital grants released during the year have been treated as Capital work in progress.

2.8 Exemption in respect of Income Tax has been granted under Section 10(23C) (iv) of the Income Tax Act, 1961 up to the Assessment Year 2005-06.Application for renewal of exemption thereof is under consideration of the tax authorities. No provision for Income Tax/Deferred Tax Asset /Liability, Fringe Benefit Tax is considered necessary.

2.9 AS-3 has been compiled with and indirect method used to determine the Cash Flow Statement.

2.10 Only directly attributable expenses on the activities of Publications and Seminars have been charged to these heads of expenditure respectively and indirect expenditure on these activities is charged to functional heads of expenditure.

2.11 Prior period Income includes following:-

	2005-06 Rs. in Lacs	2004-05 Rs. in Lacs
Examination Fees	-	46.66
Seminar Income	0.30	(17.63)
Administrative Expenses (EU Project)	2.61	-
Others	5.25	5.94
Total	8.16	34.97

Prior period expenses includes following:-

Depreciation/Amortization	-	12.53
Security Arrangements	1.41	-
Seminar Expenses	-	4.20
House Keeping Charges	0.51	-
Consultancy Fees	0.60	-
Others	10.09	27.95
Total	12.61	44.68

2.12 The Institute regulates the profession of Chartered Accountancy in India and operates in the said segment.

2.13 Previous year figures have been re-grouped and re-classified wherever considered necessary to make it comparable with current year's presentation.

DR. ASHOK HALDIA, Secy.
[ADV.: III/IV/104/2006-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.